खण्ड–2, अंक–5
बुधवार, 19 बैशाख, शक संवत् 1923
(09 मई, 2001 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(अनन्तिम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2001)

(खण्ड–2 में 10 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नों को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	1-2
प्रश्नोत्तर	2-12
पेयजल से सम्बन्धित समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	12
सहस्त्रधारा मार्ग पर कूड़े-कचरे से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	13
घनौरी-रोशनाबाद मार्ग पर पुल बनाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	13
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	13-14
मा0 मुख्यमंत्री के सलाहकारों की नियुक्ति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	14-18
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	18-33
उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 (महामहिम श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	33
उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2001 (महामहिम श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	33
उ0प्र0 वन निगम उत्तरांचल संशोधन विधेयक, 2001 (पुरःस्थापित) ...	33-34
भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 (पुरः स्थापित)	34
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (समाप्त)...	34-97
कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें (प्रस्ताव स्वीकृत)	97-99
उ0प्र0 वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 ...... (संकल्प वापस विधेयक पारित)	99-105
भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 (सर्वसम्मति से पारित)	105-123
पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों के संकीर्ण होने के कारण वाहन दुर्घटना के सम्बन्ध में श्री राम सिंह सैनी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा0 मुख्यमंत्री का वक्तव्य ...	123-125
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	125

उपस्थित सदस्य

1—श्री अजय भट्ट
2—श्री अम्बरीष कुमार
3—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
4—श्री ईसम सिंह
5—श्री केदार सिंह फोनिया
6—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा
7—काजी मो० मोइउद्दीन
8—श्री के० सी० सिंह "बाबा"
9—श्री तिलक राज सिंह बेहड़
10—श्री तीरथ सिंह रावत
11—श्री नारायण सिंह राणा
12—श्री नारायण राम दास
13—श्री नित्यानन्द स्वामी
14—श्रीमती निरुपमा गौड़
15—श्री बिशन सिंह चुफाल
16—श्री भगत सिंह कोश्यारी
17—श्री भारत सिंह रावत
18—श्री मातबर सिंह कण्डारी
19—श्री मुन्ना सिंह चौहान
20—श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"
21—श्री रघुनाथ सिंह चौहान
22—श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"
23—श्री राजेन्द्र सिंह
24—श्री राम सिंह सैनी
25—श्री लाखी राम जोशी
26—श्री बंशीधर भगत
27—श्री सुरेश चन्द्र आर्य
28—श्री हरबंस कपूर
29—श्री ज्ञान चन्द

बुधवार, दिनांक 09 मई, 2001

(विधान सभा की बैठक सभामण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे
अध्यक्ष श्री प्रकाश पन्त की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नों को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर, प्रश्नों से सम्बन्धित है, आज का एजेंडा देखने का कष्ट करें, सभी दूसरे मंगलवार के लिए स्थानान्तरित, 12 सोमवार के लिए स्थानान्तरित, दूसरे बुध के लिए स्थानान्तरित, सोमवार के लिए, मान्यवर, साढ़े 3 सौ प्रश्न किये गये, यह सरकार उत्तरांचल में 7 महीने बाद भी सामान्य प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं मान्यवर, मेरी रक्षा करिये, प्रश्न के माध्यम से ही हम उत्तर प्राप्त करते हैं, अगर प्रश्नों के काल का गिलोटीन किया जायेगा, गला दबाया जाएगा तो मान्यवर, जनहित के प्रश्नों का तो उत्तर ही नहीं मिलेगा।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, सरकार आपके सभी उत्तर देने के लिए तैयार है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन से कहूँगी कि इसे गम्भीरता से लें और सरकार को निर्देशित करें तो इन सब विभागों में मान्यवर, आज आप पढ़ लें, सब स्थानान्तरित हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मुझे तो संरक्षण आपका इसलिए चाहिए कि मेरा स्वयं तारांकित प्रश्न संख्या 2 आज लगा था श्रीमन्, स्पष्ट प्रश्न है कि उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढ़ाने से सम्बन्धित स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया, इसमें तो श्रीमन्, खाने की वस्तुएं, निर्माण की सामग्री, सब चीजें इसमें सम्मिलित हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अधिक ऐसी व्यवस्था न हो तो प्रश्नों का क्रम ज्यादा स्थानान्तरित न किया जाये।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, हमने तो एतराज नहीं किया है, यह तो आपका अधिकार क्षेत्र है।

श्री अध्यक्ष–

वैसे इसमें मुख्य दिक्कत यह आई कि विभागों का बंटवारा नहीं हुआ इसलिए परेशानी आई। अगली बार से ऐसी दिक्कत नहीं आयेगी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरा आरोप है कि सरकार प्रश्नों का उत्तर देने से बचना चाहती है और विभाग का यह दायित्व है, जनजीवन से जुड़ी समस्याओं की ओर आकर्षित करें तो मान्यवर, मेरा पीठ से निवेदन है कि मान्यवर, इसमें निर्देशित करने की कृपा करें।

श्री ईसम सिंह–

यह जो स्थानान्तरित प्रश्न है उसे अगले सत्र के लिए स्वीकार्य कर लें।

श्री अध्यक्ष–

जितने प्रश्न निर्देशित हुए हैं वह व्यपगत नहीं माने जायेंगे।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*1–श्री राजेन्द्र सिंह–

(दूसरे मंगल के तारांकित 8 में स्थानान्तरित)

*2–श्री मुन्ना सिंह चौहान–

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

*3–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश –

(12वें मंगल के तारांकित 1 में स्थानान्तरित)

प्रदेश में पड़ रहे सूखे से निपटने हेतु कार्य योजना

*4–श्री राम सिंह सैनी–

क्या माननीय राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने प्रदेश में पड़ रहे सूखे से निपटने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है ?

यदि हाँ, तो वह कार्य योजना क्या है, यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री (श्री अजय भट्ट)–

जी हाँ।

सूखे की स्थिति होने पर कार्य योजना के अन्तर्गत ग्रामीण जल स्रोतों की सफाई कराई जायेगी। पेयजल की कमी वाले स्थानों का चिन्हीकरण कराया जा रहा है। पेयजल हेतु सभी उपलब्ध संसाधनों का भली प्रकार से मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। ताकि सूखे की स्थिति में पेयजल पानी के टैंकरों एवं उपलब्ध संसाधनों से पेयजल आपूर्ति की जा सके। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हेतु निर्देश दिये गये हैं। सूखे से बचाव एवं राहत कार्यों हेतु समय–समय पर समस्त जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मेरा ये प्रश्न था कि जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है, वह केवल पेयजल से सम्बन्धित है, वह भी अपूर्ण उत्तर दिया है, जो सूखे से फसलों की हानि हुई है और किसान त्राहि–त्राहि कर रहा है, मेरे क्षेत्र में गाट क्षेत्र पड़ता है।

मान्यवर, तो क्या यह सरकार इस पर विचार करेगी कि जिस सूखे के कारण किसानों को इतनी भारी क्षति हुई है, उनके यहाँ फसलें पैदा नहीं हो पायी हैं। क्या उनकी भरपायी पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यों तो सिर्फ ओला–वृष्टि में ही फसलों को 50 फीसदी फसलों के नुकसान की भरपायी किये जाने का प्राविधान है। चूँकि यह जो राहत मिलती है, यह केन्द्र सरकार के निर्देश के अनुसार मिलती है, केन्द्र सरकार में इस बात पर विचार–विमर्श चल रहा है। 10 मई को वहाँ पर एक बैठक होने वाली है कि अन्य प्रकार की आपदाओं में भी फसलों को सहायता दी जाए। और दूसरी बात यह है कि सूखा पडा है या नहीं इसके लिए प्रॉपर वे में जिलाधिकारी के माध्यम से सर्वे होता है। उसका एक मैनुअल है कि कैसे वो सर्वे होता है और जब सर्वे की रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट के बाद ही सरकार कुछ दे पाती है। लेकिन यहाँ पर स्थिति यह है कि जैसे ही अखबारों में आना शुरू हुआ कि इस साल सूखा हो गया है, तो दिसम्बर माह से लगातार हम हर जिलाधिकारी को पत्र भेज रहे हैं कि अद्यतन स्थिति से हमको अवगत कराइये। तो मान्यवर, किसी भी जिलाधिकारी ने सूखे के बारे में हमको रिपोर्ट नहीं दी, सिर्फ टिहरी के जिलाधिकारी के अलावा और देहरादून के जिलाधिकारी ने हमको अस्पष्ट रिपोर्ट दी थी, उन्होंने साफ–साफ बातें नहीं लिखी थी, हमने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिया है कि वह शीघ्र स्पष्ट रिपोर्ट दें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया, वह बहुत विचलित करने वाला है। इस सदन में ही हमने पिछले सत्र में भी माननीय मंत्री जी को सूचना दी थी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग क्षेत्र में और जनपद देहरादून के कालसी, चकराता और विकास नगर तथा सहसपुर विकास खण्डों के पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग शत प्रतिशत सूखा है, यह बिल्कुल साफ–सुथरी सूचना दी थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि सम्भवतः भारत सरकार ने भी, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, मैं यह सूचना माननीय मंत्री जी को भी दे रहा हूँ कि भारत सरकार ने भी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सूखा राहत कार्यक्रम की नीतिगत घोषणा की लेकिन हम आज चार महीने बाद इस सदन में बैठ रहे हैं तो 4 महीने में भी उत्तरांचल सरकार सूखे की स्थिति से अवगत नहीं है तो निश्चित रूप से यह जाना जा सकता है कि जो राहत कार्य है, उसकी स्थिति क्या होगी। रुद्रप्रयाग के मालतौली क्षेत्र में लोग एक–एक बाल्टी पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आप सदन को यह बताने का कष्ट करेंगे और क्या आप कोई तिथि निर्धारित करेंगे जिसमें आप शत–प्रतिशत सभी जिलों से जानकारी प्राप्त कर लेंगे, आप एक फॉर्मेट जारी कर दीजिए कि फलां–फलां तारीख तक सूचना हमको दे और क्या राहत कार्यों की कोई घोषणा आप करेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि हम लगातार जिलाधिकारियों को पत्र दे रहे हैं कि जहाँ–जहाँ सूखा है, उसकी अद्यतन स्थिति से हमको अवगत कराएं। सिर्फ टिहरी के जिलाधिकारी ने सारी स्थिति दी है। कम से कम एक महीने का समय हमको अद्यतन स्थिति के लिए चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, जितनी चिन्ता आपको है, हम लोगों को उससे कम चिन्ता नहीं है। जिस सूखे की आप बात कर रहे हैं, उतने सूखे को सूखा नहीं कहते हैं। पानी की कमी कहीं हो सकती है। गेहूँ की कमी की बात आई। आज गेहूँ रखने के लिए गोदाम नहीं मिल रहे हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) हम प्यार से आपकी बात सुनते हैं। माननीय मंत्री जी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। केन्द्र सरकार जो इसकी प्रतिपूर्ति करती है। थोड़ा टिहरी में और थोड़ा चकराता में सूखे की स्थिति है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, सूखे जैसी स्थिति को माननीय मुख्यमंत्री जी दैवी आपदा मानते हैं। सिर्फ सूचना एकत्र करने में 3 महीने लग गये। अगर केवल सूचना एकत्र करने में ही 6 माह लगेंगे तो इससे पता चलता है कि सरकार इसके प्रति कितनी गम्भीर है। आज सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में 80–90 प्रतिशत तक सूखा है। मान्यवर, इसका मतलब तो यह हुआ कि सरकार उत्तरांचल की समस्याओं को नहीं समझ रही है। पिछले सत्र में मैंने हाथ जोड़कर आपसे कहा था कि इसकी सूचना तत्काल प्राप्त कर लें, पर सरकार उस वक्त जहाँ खड़ी थी, आज भी वहीं खड़ी है। श्रीमन्, मैं जानकारी दे रहा हूँ, जनपद उत्तरकाशी के नौगाँव क्षेत्र में मैं गया। 80 लाख का उत्पादन होता था वहाँ पर, लेकिन इस बार 1 लाख का भी उत्पादन नहीं हुआ। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने यह जानकारी चाही है कि जो सूखे का आप सर्वेक्षण करा रहे हैं, वह कब तक मिल जाएगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य को संरक्षण चाहिए तो हमें भी संरक्षण चाहिए। हम बराबर के हैं। मान्यवर, मैं लगातार इसका सर्वेक्षण करा रहा हूँ। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो हम एक–एक दिन की रिपोर्ट दे देंगे। इसमें कुछ नॉर्मस हैं कि किस प्रकार से हम करेंगे।

मान्यवर, तीन महीने में वर्षा का औसत क्या रहा था तथा सामान्य औसत के विपरीत वर्षा में कितनी कमी रही थी इसके नॉर्मस के बाद सूखे की स्थिति जिलों से आती है और दूसरी बात है फसलों में क्षति का मूल्यांकन करना, ये तमाम चीजों के नॉर्मस बना के संकलित करके, इसके रेसियो में घोषित होता है वहाँ से। इसमें मान्यवर, मैं कह चुका हूँ कि अभी तक जो है, आपने पानी की बात कही है, निश्चित रूप से सारे उत्तरांचल में पानी की कमी है और देहरादून में भी पानी की कभी–कभी कमी रहती है। मान्यवर, जहाँ नेता सदन ने कह दिया, हम इसको 15 दिन में कर लेंगे तो निश्चित ही हम इसको 15 दिन मैं कर देंगे।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि मा0 मंत्री जी ने उत्तर दिया कि हम लगातार मॉनीटरिंग कर रहे हैं, जिलाधिकारियों ने जवाब नहीं दिये हैं। क्या यह सरकार प्रशासनिक अधिकारियों में नियन्त्रण करने में फेल हो गयी है, यदि यह असफल हो चुकी है तो इससे किसी समस्या का समाधान नहीं होगा, इसको मा0 मंत्री जी बता दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, सरकार बिल्कुल असफल नहीं हुई है, आज आप गुस्से में हैं, आपकी गाड़ी चल नहीं पा रही है, आपको पूरा उत्तर दे दिया मा0 मंत्री जी ने। सूखे की आपको चिन्ता है, हमें चिन्ता नहीं है, क्षमा माँगता हूँ कि सदन के अन्दर गुस्सा क्यों करते हैं, आपको गुस्सा ही करना है तो मैदान पर करें यहाँ क्यों दिखा रही हैं।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, एक टिहरी के जिलाधिकारी ने उत्तर दिया, अन्य जिलाधिकारियों ने नहीं दिया, मुझे सूचना प्राप्त नहीं है। मैं भाषा की विद्यार्थी हूँ। यह क्या मेरे जिम्मे है, मैंने कहा उनके पास अन्य जिलाधिकारियों की सूचना क्यों नहीं आयी।

(व्यवधान)

श्री लाखी राम जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि टिहरी जिले की सूखे की सूचना मा0 मंत्री जी को प्राप्त हुई है, वहाँ राहत के लिए क्या कार्यक्रम शुरू किये हैं और अभी मा0 मंत्री जी ने कहा कि अभी भी अन्य जिलों से सूचनायें मंगाई जा रही हैं। मान्यवर, जुलाई महीने में आलू का वहाँ करोड़ों रुपये का कारोबार है लेकिन इस समय वर्षा न होने के कारण बीज सड़ गया है और सूख गया है, उसकी भी सूचना संकलित करते हुए इससे प्रभावित होने वाले किसानों के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है दूसरा जो वर्तमान में पीड़ित हैं, सितम्बर–मार्च के महीने तक जब फसल का समय था तब तक वर्षा नहीं हुई, ऐसी स्थिति में चूँकि गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है जीवन–यापन की बहुत कठिनाई उत्पन्न हो गई है, लोग चाहते हैं कि रोजगारपरक कार्य क्षेत्र में शुरू हो तो मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस दिशा में सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री अजय भट्ट–

बाकी चीजों के लिए इसमें केन्द्र सरकार को ही जिलाधिकारी सीधे–सीधे भेजते हैं, उसमें हमारी सिर्फ स्वीकृति रहती है तो यह जो उन्होंने मांग कर रखी है, पूरे विवरण के साथ केन्द्र को भेज दिया गया है और 10 मई को बैठक हो रही है तो इसमें केन्द्र सरकार को निर्देश की बात प्रारम्भ हो जायेगी।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी का वर्तमान में प्रभाव इस समय हो रहा है, लोग इस समय दाने–दाने के लिए परेशान हैं। लोग कैसे अपने परिवार पालेंगे। उनके लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए और जब समय निकाला जाये तो उनकी परेशानी की कोई सीमा नहीं रहेगी तो सरकार क्या करेगी कि उसका लाभ मिले।

श्री अजय भट्ट–

नियम यह है कि अगर फसल खत्म होती है तो उसमें नियमित मानक हैं तो उसके आधार पर राशि देते हैं। अगर कोई मर जाता है जो उस परिवार का कमाऊ सदस्य होता है, उसको 50 हजार रुपये देते हैं। अगर कोई सामान्य सदस्य मरता है तो उसको 25 हजार देते हैं, अगर एक परिवार के 4 भी मरेंगे तो भी सवा लाख से बढ़ाकर उसमें हम नहीं देते हैं, यह उसका नियम है।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, ऐसी स्थिति क्यों पैदा की जा रही है कि लोग मरें, माननीय मंत्री जी सहायता दें, उससे पहले रोजगार की व्यवस्था की जाये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहूँगा। मान्यवर, मैंने कहा था वर्तमान में सूखा पड़ा हुआ है, लोगों की फसल पूरी तरह से खत्म हो गई, फसल पैदा हुई नहीं, वो लोग अपने परिवार कैसे पालेंगे और उनके पालन–पोषण की व्यवस्था चाहिये और उनको कुछ रोजगार की व्यवस्था चाहिए, इसी वर्तमान में होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो मृतक हैं, उनको प्रदान करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न आपका मैं पूछ देता हूँ, आप पूछ नहीं पा रहे हैं, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस क्षेत्र में सूखे का आपने संरक्षण करा लिया है, उस क्षेत्र में जनता के लिए कोई रोजगारपरक योजना आप चला रहे हैं या नहीं ?

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, मैंने तो यह कहा था कि क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानते हुए, मैंने कहा था कि मेरे जनपद हरिद्वार में जो बाढ़ का क्षेत्र है जिसमें ब्लॉक भगवानपुर, ब्लॉक बहादराबाद और रुड़की ब्लॉक का कुछ हिस्सा आता है, वहाँ पर जितने बीज बोये गये, वह भी वापिस किसानों को नहीं मिला, ब्लॉक की यह पोजिशन है मान्यवर, उसके सन्दर्भ में मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जिन जिलाधिकारियों ने सूचना नहीं दी, क्या बतायेंगे, क्या उनकी "नहीं" में सूचना आई– नं0 1 और नं0 2 माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया कि सूखा की स्थिति होने पर कार्य योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अंचल स्रोतों की सफाई कराई जाएगी। अभी माननीय मुन्ना सिंह चौहान ने बताया कि 4 महीने तक इन्होंने इसके आंकड़े

संकलित नहीं किये कि कहाँ सूखा पड़ा है तो यह जो सफाई कराई जायेगी तो कब तक यह सफाई कराई जायेगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने कह दिया कि 15 दिन में मांग लेंगे। अगर सूख गया तो हम देख लेंगे।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया तो यह तो आपकी परेशानी का एक अंग है जो आपके प्रश्नों का उत्तर देने में इतने संवेदनशील नहीं हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, अभी माननीय सैनी जी ने ड्रॉट की स्थिति के बारे में कहा। माननीय सैनी जी वरिष्ठ सदस्य हैं और मंत्री भी रह चुके हैं लेकिन आपने एक जिले के लिए कहा और उस जिले में भी एक–दो ब्लॉक के क्षेत्र विशेष के लिए कहा। जो आकलन है वह पूरे जिले के हिसाब से आता है, तो निश्चित रूप से वह पूरा जिला ड्रॉट घोषित होने के मानकों में नहीं आता होगा, अगर आता होगा तो हम जाँच करवा लेंगे।

(व्यवधान)

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, क्या सुनिश्चित रोजगार योजना उन जिलों में चल रही है, जहाँ सूखा पड़ा है ?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमने सुनिश्चित रोजगार के लिए 10 करोड़ रुपये की एक्स्ट्रा डिमाण्ड भारत सरकार से टिहरी के लिए की है। इसी तरह से हर चीज की डिमाण्ड की है। टिहरी गढ़वाल में 120 हैण्डपम्पों की स्थापना हेतु 180 लाख रुपया, पेयजल योजनाओं की मरम्मत हेतु 77 लाख रुपया, अनाच्छादित, आंशिक आच्छादित ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हेतु 575 लाख रुपया और पेयजल आपूर्ति के लिए 447 लाख रुपया भारत सरकार से तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 10 करोड़ की धनराशि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से मांग की गयी है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, जैसा कि माननीय सैनी जी ने कहा कि जिलाधिकारियों का क्या जवाब आया ? मान्यवर, हरिद्वार के जिलाधिकारी ने कल दिनांक 10 मई, 2001 को सूखा पर बैठक बुलायी है। मान्यवर, इसमें दो बातें हैं, एक तो अगर सूखा नहीं पड़ा तो बैठक किसलिए ? और अगर सूखा पड़ा है तो उसकी बैठक इतनी विलम्ब से क्यों बुलायी गयी ? दूसरी बात यह है कि जब सदन का सत्र चल रहा

हो तो ऐसी बैठक जिसमें सभी विधायक लोग सम्मिलित हों, वो उस दिन क्यों रखी गयी, जिस दिन सदन का उपवेशन है और तीसरी बात यह कि माननीय मंत्री जी को यह भी मालूम है कि इस वर्ष बारिश नहीं हुई, उसके कारण हमारी नदियों में जल स्तर कम रहा और उसका सारा प्रभाव हरिद्वार जनपद की सिंचाई व्यवस्था पर पड़ा है। खेतों को पानी नहीं मिला। माननीय मुन्ना सिंह जी ने अभी जो यह कहा कि गेहूँ हुआ। मान्यवर, गेहूँ के उत्पादन में भारी कमी आयी है। ये तो कह रहे हैं 3 महीने से बारिश नहीं हुई। लेकिन हरिद्वार में सितम्बर के बाद लगभग 6 महीने से कोई बारिश नहीं हुई, तो उसके अनुसार हमारा जनपद भी सूखाग्रस्त में आएगा या नहीं ?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जो बैठक बुलाई गई है, मैं उसके बारे में बता दूँ। जैसा मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में पूर्व में ही कहा था कि हम हर महीने, दो महीने में निर्देश जारी करते हैं। सम्भवतः उसी के लिए उन्होंने बैठक बुलाई होगी। हरिद्वार सूखे में आता है या नहीं, इसका जवाब नेता सदन ने दे दिया कि 15 दिन में रिपोर्ट आ जायेगी।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने पर घोर व्यवधान)

मान्यवर, अगर जिलाधिकारी ने कल बैठक बुलाई है तो हम उनको कह देंगे कि वे बैठक स्थगित कर दें।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, उत्तरांचल के एक जिले में सूखा पड़ा है। वह रिपोर्ट कब तक इनको मिल जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए क्या व्यवस्था की है। सरकार ने कहा कि हम केन्द्र से मांग कर रहे हैं, क्या राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, केन्द्र सरकार की गाइडलाइन पर ही हम कार्य करते हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। भारत सरकार के खाद्य एवं रसद मंत्री जी का एक वक्तव्य आया जिसमें उन्होंने कहा, देश के अन्दर सूखा प्रभावित राज्यों के बारे में वक्तव्य दिया। उस सूखा प्रभावित राज्यों के वक्तव्य की सूची में उत्तरांचल राज्य का नाम भी है। इस वक्तव्य में यह कहा गया कि सूखा प्रभावित राज्यों के अन्दर जो खाद्यान्न की आपूर्ति है वह पी0डी0एस0 के थ्रू अर्थात सस्ते दामों पर खाद्यान्न की आपूर्ति की जायेगी। माननीय मंत्री जी इसके लिए भारत सरकार को डिटर्मिन अथॉरिटी भी मानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तरांचल में सूखे की स्थिति गम्भीर है ही नहीं तो क्या बी0पी0एल0 के अनुसार खाद्यान्न का वितरण उत्तरांचल में किया जायेगा। इसका मतलब तो यह हुआ कि केन्द्र सरकार ने सूचना पहले प्राप्त कर ली और राज्य सरकार को इसकी परवाह नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम केन्द्र की गाइडलाइन पर चलते हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया आप बतायें, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर आ गया है ? आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊँगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी क्या बी0पी0एल0 की गाइडलाइन के अनुरूप उत्तरांचल राज्य इसमें आयेगा। ....

काजी मो0 मोइनुद्दीन–

मान्यवर, अभी जो अम्बरीष जी ने चिट्ठी का जिक्र किया है सूखे से सम्बन्धित, उसमें डी0एम0 हरिद्वार ने बिजनौर के विधायक को मुजफ्फरनगर के विधायक को, सहारनपुर के विधायक को साथ–साथ बुलाया है, आप चाहें तो उस चिट्ठी की कापी आपको दे दें, मैं यह पूछना चाहता हूँ चिट्ठी मेरे पास है, क्या हरिद्वार उत्तरांचल में है या उ0प्र0 में।

श्री अध्यक्ष–

अगर ऐसी चिट्ठी है तो संज्ञान में लायें और उस पत्र को मेरे चेम्बर तक पहुँचा दें।

*5–श्री अम्बरीष कुमार–

(12वें सोम के तारांकित 5 में स्थानान्तरित)

*6–श्री ईसम सिंह–

(तृतीय बुध के तारांकित 7 में स्थानान्तरित)

*7–श्री लाखीराम जोशी,
श्री ज्ञान चन्द,
श्री राजेन्द्र सिंह–

(18वें सोम के तारांकित 3 में स्थानान्तरित)

'चमखरीक' प्रजाति के वृक्ष का प्लान्टेशन

*8–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ के ऊँचाई वाले क्षेत्रों मुनस्यारी व धारचूला व नवसृजित चम्पावत जिले के ऊँचाई क्षेत्रों में भी 'चमखरीक' नामक कीमती वृक्ष काफी मात्रा में पाया जाता है ?

जिसकी लकड़ी की उपयोगिता हवाई जहाज एवं खेलकूद के यन्त्रों के निर्माण में होता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा दिये जाने हेतु चमखरीक प्लान्टेशन की योजना बनायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

जी हाँ।

चमखरीक की लकड़ी का उपयोग कपड़ा उद्योग की मशीनों में बॉबिन तथा शटल में होता है। हवाई जहाज तथा खेलकूद के उद्योग में इसके उपयोग किये जाने की सूचना नहीं है। चमखरीक का वृक्ष प्राकृतिक वनों में अन्य सहयोगी प्रजातियों के साथ पाया जाता है। रोजगार को बढ़ावा दिये जाने हेतु पहले से ही अन्य प्रजातियों के साथ–साथ इसका भी रोपण हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, चमखरीक की लकडी इस समय बहुत ही कीमती लकड़ी है, इससे क्रिकेट के बल्ले और टेनिस बनाये जाते हैं, जो हमारे यहाँ से लकड़ी जा रही है। मान्यवर, यह एक साधारण प्रजाति का पेड़ है, इसका अन्य प्रजातियों की तरह वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, इसका प्रयोग हवाई जहाज और हेलीकाप्टर में हो रहा है। अगर इस प्रजाति के पौधों का रोपण हो रहा है तो मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष कितना रोपण हुआ है, मा0 मंत्री जी ने कहा है कि इनका रोपण हुआ है और इनका रोपण हो रहा है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आपने मुझसे अच्छा प्रश्न किया है, मैं इससे सहमत हूँ, यह एक कीमती लकड़ी है। मान्यवर, अन्य प्रजातियों के साथ–साथ हम इसका भी वृक्षारोपण कर रहे हैं, अब आपने एक प्रश्न और पूछा है, इसमें क्या प्रगति है ? तो पिथौरागढ़ में 63763 पेड़ चमखरीक के हैं, 1996–97 में रोपित पौधों की संख्या 2890, 1997–98 में 180, 1998–99 में 3050, 1999–2000 में 6564 तथा 2000–2001 में 2220 पौधों का रोपण हुआ है, इस प्रकार कुल 14994 पौधे रोपित हुए हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मान्यवर कुमायूँ मण्डल में मेरी जानकारी में बहुत से लोग गुजरात और महाराष्ट्र से आकर उन्होंने इकाईयाँ लगाई थी बॉबिन, शटल बनाने के लिए तो वह स्पेशलि इस कच्चे माल के कारण गये। माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि उन्होंने कुमायूँ मण्डल के रानीखेत क्षेत्र में अल्मोड़ा जनपद में इन इकाईयों को स्थापित किया, केवल इस कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए और वह इकाईयाँ वहाँ से बन्द हो गईं।

श्री अध्यक्ष–

यह इस प्रश्न के दायरे में नहीं आता है, जब आय–व्यय पर चर्चा होगी तब उस समय आप अपनी बात कहियेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जो चमखरीक वृक्ष है जिसके बारे में उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया कि अत्यन्त कीमती वृक्ष है, यह सही है, उसे गम्भीरता से लेंगे तो हमारे आय के साधन बढ़ेंगे तो क्या माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार्य करते हैं।

(तीरथ सिंह रावत का मोबाईल बजने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि इसे जब्त कर लिया जाये)

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी इस पर गम्भीरता से विचार करके 2001–2002 में वृक्षारोपण होने वाला है। यह सबसे बहुमूल्य लकड़ी सागौन के बाद सर्वाधिक बल्कि सागौन की बराबरी की है क्योंकि यह हल्की है, बहुमूल्य लकड़ी होने के कारण उसका वृक्षारोपण ऊपर के इलाकों में, सीमान्त इलाकों में प्रमुख रूप से होता है, क्या उसको अधिक मात्रा पर यहाँ के आय बढ़ाने के लिए विचार करेंगे।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, प्रश्न तो बहुत अच्छा है मगर हमारी मजबूरी भी है जो माननीय इन्दिरा हृदयेश जी ने कहा। मेरा यह कहना है कि यह पौधा 15 सौ मीटर से ऊपर और 2 हजार 7 सौ मीटर तक की हाइट में होता है और इस पर ग्रेन पातन पर रोक लगी हुई है और इसका सदुपयोग हम नहीं कर सकते हैं, इसमें मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि उस पेड़, जैसे चीड़ का पेड़ है उसके लिए बहुत आवश्यक है, उस पर स्वीकृति मिल जाये तो अगर इसकी स्वीकृति मिल जायेगी तो हम तब इसका लाभ उठायेंगे अन्यथा नहीं उठा पायेंगे।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, कल बजट में सामान्य चर्चा के दौरान जो हमने कहा था, एक अखबार ने उसको गलत ढंग से छापा है, मैंने टिहरी बाँध विस्थापितों के बारे में कल कहा, उसको कार्यवाही में देखा जाये, पढ़ा जाये, मैंने कहा था मान्यवर, इस सरकार ने विस्थापितों के बारे में बहुत अच्छे प्रयास किये, विस्थापितों की बहुत सारी समस्यायें सुलझाई हैं, टिहरी शहर जो विस्थापितों की इतनी जटिल समस्या थी, उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने समर्थन किया है।

अतारांकित प्रश्न

वन निगम में छंटनीशुदा नियमित कर्मचारियों का समायोजन

1–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995 में वन निगम से नियमित कर्मचारियों की छंटनी की गयी थी ?

यदि हाँ, तो उसका क्या कारण था ?

क्या छंटनीशुदा कर्मचारियों में से कुछ को सेवा में पुनः समायोजित किया गया? यदि हाँ, तो कब–कब ?

क्या गढ़वाल क्षेत्र में भी कुछ कर्मचारी समायोजित किये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्या समायोजन में वरिष्ठता क्रम को ध्यान में रखा गया है ? शेष कर्मचारी गढ़वाल क्षेत्र में कितने हैं और उन्हें कब तक समायोजित किया जायेगा ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं। नियमित कर्मचारियों की छंटनी नहीं की गयी थी।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष–

इसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता है, आप इसको नियमानुसार दूसरे नियमों के अनुरूप उठायेंगे तो उसको मैं सुन लूंगा।

2–श्री राम सिंह सैनी–

(तृतीय बुध के अतारांकित 1 में स्थानान्तरित)

प्रश्नों का क्रम समाप्त हुआ अब लेता हूँ नियम–301।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

पेयजल से सम्बन्धित समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, आर्केडिया पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम ठाकुरपुर, श्यामपुर, रिमथ–नगर, उम्मेदपुर शुक्लापुर के ही गाँव आदि क्षेत्रों में गम्भीर पेयजल समस्याओं को देखते हुए उ0प्र0 जल निगम ने रिमथनगर पोस्ट प्रेमनगर में एक पेयजल का ट्यूबवेल लगभग 10 माह पूर्व बनाया गया था तथा ट्यूबवेल से उपलब्ध पेयजल को वर्तमान में जो उपलब्ध वितरण प्रणाली थी, विभाग ने उससे जोड़ दिया तथा कोई निर्धारित योजना के अनुरूप नई लाइनें नहीं बिछाई गयीं। इसी प्रकार से विजय पार्क एक्सटेन्शन में भी लगभग 10 माह पूर्व ट्यूबवेल का कार्य पूरा हुआ था और वितरण प्रणाली का योजनानुरूप विस्तार न करते हुए उस समय उपलब्ध वितरण व्यवस्था से ट्यूबवेल को संलग्न कर दिया गया।

मान्यवर, उपरोक्त कारणों से क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था में सुधार लाये जाने हेतु नये ट्यूबवेलों का निर्माण जल निगम द्वारा किया गया परन्तु योजनानुरूप वितरण व्यवस्था का विस्तार न किये जाने के कारण आज भी जिन अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये योजना का निर्धारण किया गया, वह क्षेत्र योजना पूरे होने के पश्चात् भी लाभ से वंचित है।

मान्यवर, पेयजल से सम्बन्धित इस महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

सहस्त्रधारा मार्ग पर कूड़े–कचरे से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जनपद देहरादून के सहस्त्रधारा मार्ग पर धोरणखास गोविन्दनगर में मुख्य मार्ग से मात्र 200 मीटर की दूरी पर नगर निगम द्वारा नगर के अन्दर इकट्ठा होने वाला कूड़ा–कचरा फेंका जा रहा है। जिससे क्षेत्र में जन–जीवन प्रभावित हो रहा है। चारों ओर गंदगी ही गंदगी फैली है जिससे क्षेत्र में भयंकर दुर्गन्ध फैल रही है तथा मक्खी व मच्छरों की भरमार हो गई है तथा बीमारी फैलने की सम्भावना हो गई है, जिस स्थान पर उक्त कचरा फेंका जा रहा है, उसी के साथ तीन विद्यालय 1. हाइकासेन स्कूल, 2. टचउड स्कूल तथा 3. नेहरू एकेडमी चल रहे हैं जिससे शिक्षण कार्य के साथ–साथ छात्रों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। नगर निगम के द्वारा फेंके जा रहे उक्त कूड़े से कई आवासीय कालोनी जैसे राजराम विहार, राजेश्वर नगर, गोविन्दनगर तथा धोरणखास, कण्डोली, डाण्डा आदि गाँव प्रभावित हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में क्षेत्रवासियों द्वारा मांगपत्र दिये, तथा प्रदर्शन एवं आन्दोलन किये जा रहे हैं कि उक्त कूड़े–कचरे को अन्यत्र फेंकने की व्यवस्था नगर निगम देहरादून करे।

उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना से सदन का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज रहा हूँ।

धनौरी–रोशनाबाद मार्ग पर पुल बनाने की माँग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की लोक महत्व व अविलम्बनीय समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि इस पर प्रभावी कार्यवाही तुरन्त की जाये, मेरे क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय पर अपने वादों एवं अन्य सरकारी कार्यों से धनौरी से जाने पर दो बरसाती नाले पड़ते हैं। जिनमें बरसात के मौसम में पानी काफी मात्रा में तेज बहाव के साथ बहता है। और उस समय मुख्यालय रोशनाबाद (हरिद्वार) पहुँचना काफी कठिन होता है। अतः इन नालों पर पुलों का निर्माण अति आवश्यक है। इस लोक महत्व, अविलम्बनीय समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज रहा हूँ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 की दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना है श्रीमती इन्दिरा हृदयेश की। चूँकि यह उत्तरांचल से सम्बन्धित नहीं है, इसलिए मैं इसे प्रथम दृष्टया ही अस्वीकृत करता हूँ।

दूसरी सूचना है, श्री राम सिंह सैनी, श्री मुन्ना सिंह चौहान, काजी मो0 मोइउद्दीन, श्री ईशम सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार की। चूँकि यह संविधान के अनुच्छेद 164 की परिधि में नहीं आती, इसलिए मैं इसे भी ....

(व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, एक निवेदन है कि आप हमको चाहे कितने ही जोर से डांटिये लेकिन कम से कम अध्यक्ष महोदय से तो नम्रता से बात करें।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में दो–दो मिनट सुन लेता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसीलिए फिर मैं भी खड़ी हुई हूँ। मैं ग्राह्यता पर केवल यह शब्द बताऊँगी कि क्या इस उत्तरांचल राज्य जिसमें हम रहते हैं, उसमें परिसीमन का हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है ?

श्री अध्यक्ष–

यह चूँकि उत्तरांचल राज्य से सम्बन्धित नहीं है, इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। दूसरी सूचना पर दो–दो मिनट संक्षेप में इसलिए सुन रहा हूँ, क्योंकि यह औचित्य के प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता लेकिन चूँकि इन्होंने संविधान की धारा 164, 163 का हवाला दिया है इसलिए उसमें यह क्या कहना चाहते हैं, उस विषय को किस तरीके से रखना चाहते हैं इसलिए 2–2 मिनट दे रहा हूँ। चूँकि मंत्रिपरिषद् से सम्बन्धित है, इसलिए उसे सुन रहा हूँ।

मा0 मुख्यमंत्री जी के सलाहकारों की नियुक्ति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं एक महत्वपूर्ण सूचना की ओर औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपका, सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 163 में यह व्यवस्था है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था होगी। महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री जी की सलाह पर वे मंत्रिपरिषद् की नियुक्ति करेंगे। मान्यवर, इसके अतिरिक्त पूरे संविधान में यह व्यवस्था नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के लिए मान्यवर, किन्हीं और सलाहकारों की नियुक्ति संविधान के किसी प्राविधान के अन्तर्गत की जा सके। मान्यवर, मेरा अनुरोध आपके माध्यम से यह है और इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। मान्यवर, ये जो 7 सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा आदर करता हूँ।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, कितने सलाहकार हैं ?

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं अपनी बात कह लूँ, फिर पीठ की अनुमति से आप कह लेंगे तो अच्छा होगा। मान्यवर, मेरा तो अनुरोध सिर्फ इतना ही है कि हमारे इतिहास में एक अकबर महान हुए। मान्यवर, अपनी सहायता के लिए 9 रत्न उन्होंने रखे थे तो 7 में 2 और जोड़ दें तो ये भी पूरे हो जाएं। उसी ही श्रेणी में मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, ये तो सप्तऋषि हैं।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, हम तो सप्तऋषि आपको मिलाकर हुए, आपके बगैर हम सप्तऋषि नहीं हो सकते। तो मान्यवर, मेरा कहना यह है कि जो व्यक्ति, जो सलाहकार, इस विधान सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था में जिनका कोई आधार नहीं है, नियुक्त करने का। मान्यवर, कल वह कोई ऐसा कृत्य कर दें जो हमारे प्रदेश के लिए, हमारी इस विधान सभा के लिए, प्रदेश की जनता के लिए अहितकारी हो तो उनका उत्तरदायित्व कौन तय करेगा, कैसे निर्धारित करेगा और जो उससे नुकसान होगा मान्यवर, उसकी पूर्ति कैसे होगी ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी यह कहेंगे कि वे अवैतनिक हैं, प्रश्न अवैतनिक का नहीं है, वेतन का प्रश्न हमने नहीं किया है। हमने केवल यह संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि छोटा प्रान्त, 13 जनपद और उसमें भी मान्यवर, 13 मंत्री तो क्या एक जिले के लिए एक मंत्री पर्याप्त नहीं है। इसके दो ही कारण हैं या तो जो मंत्री हैं, उनकी जो नियुक्ति हुई, वह माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह से नहीं हुई या माननीय मुख्यमंत्री जी का उनमें विश्वास नहीं है या मुख्यमंत्री जी उनको इतना योग्य नहीं समझते कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह दे सकते हों। इसलिए मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने और सलाहकारों की नियुक्ति संविधान की परिधि से बाहर जाकर एक एक्स्ट्रा कांस्टीट्यूशनल अथॉरिटी संविधानेत्तर सत्ता का निर्माण इस प्रदेश में किया है। मान्यवर, यह बिल्कुल औचित्य का प्रश्न है। चूँकि जब हम नियम–300 में औचित्य के प्रश्न को उठाते हैं तो मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए आपका ध्यान नियम–300 पर भी आकृष्ट करना चाहता हूँ, जो प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जाएगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। मान्यवर, सलाहकारों की नियुक्ति हुई, यह मान्यवर, आपके संज्ञान में है और संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 जिनके अन्तर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और वह मंत्रिपरिषद् इस सदन के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए इसके माध्यम से यह भी सिद्ध है कि जो 163 और 164 अनुच्छेद संविधान का है, वह इस सदन के कार्य के सम्बन्ध में है, इसके कार्य से सम्बन्धित है इसलिए इनके निर्वर्तन और प्रवर्तन के बारे में मैंने अपना प्रश्न आपके सामने यह रखा है तो यह बिल्कुल असंवैधानिक है, संविधानेत्तर सत्ता का एक काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और इस प्रश्न पर मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो औचित्य के प्रश्न की सूचना श्रीमन्, आपके सामने है, जिस पर माननीय अम्बरीष जी ने बहुत तफसील से बताया कि किस प्रकार से इस छोटे से प्रदेश में यहाँ की तादाद और यहाँ के आकार के लिहाज से पहले से जो 12–13 लोगों का मंत्रिमण्डल है, उसे भी यहाँ का राजकोष उसके भार को वहन करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन तमाम कारणों से, जिन कारणों की केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी से, बिल्कुल अनियंत्रित तरीके से, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकारों की एक फौज तैयार होती चली जा रही है। एक महत्वपूर्ण पहलू की तरफ श्रीमन्, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ, आपके माध्यम से कि किस प्रकार से जो संवैधानिक व्यवस्थायें हैं, संसदीय परम्पराओं के अन्दर यह व्यवस्था कहाँ उस व्यवस्था को इन्टरफिअर करती है। और किस तरीके से जो संसदीय परम्परायें हैं, उनका उल्लंघन होता है।

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण पहलू की तरफ श्रीमन्, मैं मा0 मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कि किस प्रकार से जो संवैधानिक व्यवस्था है संसदीय परम्पराओं के अन्दर ये व्यवस्था कहाँ उस व्यवस्था के साथ इन्टरफिअर करती है। इसी तरीके से जो संसदीय परम्परायें हैं और उनका उल्लंघन होता है श्रीमन्, इस सदन के अन्दर हम बार–बार कहते हैं कि ये सम्मानित सदन जो कोई सम्मानित सदन का सम्मानित सदस्य जो शासन से, सरकार से प्रश्नोत्तर करता है, उसका बहुत गम्भीरता के साथ शासन की तरफ से उत्तर दिये जाने का प्रयास किया जाता है और उसका उत्तर दिये जाने में ये दीर्घाओं में बैठने वाले सरकारी तंत्र जिसका हम संज्ञान नहीं लेते श्रीमन्, उसके अंग जो सरकारी अधिकारी हैं, वे मंत्रिगणों और मा0 मुख्यमंत्री की मदद करते हैं, कोई मैटेरियल सप्लाई करके कोई बात कहके हम करते हैं। जिससे आशय यह निकलता है कि निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 163 को पढ़ें तो केवल भाषा तक इन्टरप्रेटेशन नहीं है बल्कि उसकी भावनाओं में जाना पड़ेगा "लैटर इन स्पिरिट" पर जब हम उसका अनुश्रवण करने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जो सरकारी तंत्र है वह कहीं न कहीं डिसिजन मैकिंग विधायिकी के कार्य में हमारा हिस्सेदारी है अब श्रीमन्, मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, जिस उत्तर को सरकार अपने पक्ष में देगी, मैं वहाँ से प्रश्न करना चाहता हूँ, हो सकता है मा0 मुख्यमंत्री जी का उत्तर आये कि अधिकांश सलाहकार अवैतनिक हैं तनख्वाह नहीं लेते, चलिये मैं यह कह रहा हूँ जिस उत्तर को सरकार अपने पक्ष में सील्ड के तरीके से स्मरण करना चाहती है, जिस तरीके से उत्तर देकर सरकार अपना बचाव करना चाहती है। यह प्रश्न औचित्य का प्रश्न बनता है। यही वे सलाहकार हैं, जो किसी न किसी रूप में मा0 मुख्यमंत्री जी के सलाहकार होने के नाते शासन–प्रशासन में अपनी भूमिका अदा करते हैं। शासन–प्रशासन में दिशा निर्देश जारी करते हैं। संविधान में इस बात का उल्लेख है कि संविधान के अन्तर्गत बनायी गई व्यवस्था मा0 मुख्यमंत्री जी जिन्हें महामहिम राज्यपाल नियुक्त करता है मा0 मुख्यमंत्री जी के सलाह पर, मंत्रीगणों जिन्हें राज्यपाल नियुक्त करते हैं और बाकी जो संविधान प्रदान है उनको केवल राजकाज के काम में हिस्सेदारी दिशा निर्देश करने का अधिकार है लिहाजा ऐसे सलाहकार संवैधानिक नहीं हैं जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं उनकी किसी भी तरह से राजकाज के काम में किसी भी तरह की दखलन्दाजी नहीं है, वे पिटीशन तो कर सकते हैं, वे आम जनता के, आम नागरिकों की श्रेणी में आते हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी के जो सलाहकार हैं और सलाहकारों में भी अजीबोगरीब

स्थिति है। हमारा जो औचित्य का प्रश्न था, किस प्रकार सलाहकार सरकारी राजकाज में संवैधानिक तरीके से दखलन्दाजी करते हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं जिनको अब नाम दिया गया है धार्मिक सलाहकार तो श्रीमन्, आप ही इस प्रश्न का निवारण करेंगे कि धार्मिक मामलों के सलाहकार ही सरकार चला रहे हैं। कल तो श्री ज्ञान चन्द्र जी कह रहे थे कि स्वामी जी की सरकार है, इस बात में कोई शक नहीं है, स्वामियों की सरकार है श्रीमन्, इसलिए हमारा यह कहना है कि गम्भीर औचित्य का प्रश्न बनता है। इस प्रदेश की जनता को हक है, यह जानने का, आखिरकार तनख्वाह नहीं देता, अवैतनिक हैं सुविधायें कहीं न कहीं उनके ऊपर व्यय आता है। मान्यवर, यह गम्भीर औचित्य के प्रश्न के ऊपर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मुन्ना साहब ने बहुत छोटी सी किताब से पढ़ा। मान्यवर, 164, 165, 167, 163 इनमें कहीं पर भी ऐसा प्राविधान नहीं है, यह सरकार महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये गये, मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त किये गये मंत्रियों की सलाह से काम करेंगे, अब आप कहेंगे कि मैं अपने घर के अन्दर किससे क्या–क्या सलाह लेता हूँ। मान्यवर, ऐसा है कि हम व्यक्तिगत क्या करते हैं, मेरा सलाहकार मेरे स्वास्थ्य के लिए सलाहकार होता है। मेरा सलाहकार है, कोई वेतन नहीं मिलता है और वह हमारे ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता हैं जो हमको बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, आप ऐसा करिये। हम उनकी सलाह लेने के लिए स्वतन्त्र हैं। आपकी सलाह लेने के लिए भी स्वतन्त्र हैं। कहीं कानून में नहीं लिखा है। हम काजी जी की सलाह रोज लेते हैं तो हम सलाह किसी से भी ले सकते हैं। किसी को एक रुपया नहीं मिलता है केवल उनको यहाँ पर आने जाने के लिए सुविधा रहती है। हम से बात करने की सुविधा रहती है और हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। जितनी जनता है, उस जनता की भावनायें हैं, उनके अनुसार हम काम करते हैं, इसमें कोई औचित्य की बात नहीं है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, 164 में देख लें मान्यवर, इसमें यह लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य भी नहीं है, वह भी मंत्री हो सकता है, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इनके कार्यकर्ता अच्छे सलाहकार हैं तो जब 6 महीने तक वह मंत्री रह सकते हैं तो बजाय नम्बर 2 के नम्बर 1 में मंत्री बनकर यहाँ सदन में बैठा दें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आपसे भी सलाह ले सकते हैं, उसका तो प्राविधान है, स्थाई समितियों की, विधान सभा की समितियाँ बनाने की, उसकी तो कानून व्यवस्था है, विधान सभा में सलाह देते हैं। वह मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, नित्यानन्द के सलाहकार नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, अगर आप संविधान की बात कर रहे हैं तो नियमावली सुन लीजिये, पहले तो आपके प्रश्न का औचित्य ही नहीं है, औचित्य का प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सके। इस समय कोई बात हुई हो, आप प्रश्न उठायें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि यह हमारे निजी सलाहकार हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस सदन में यह जानने का अधिकार रखता हूँ, आपके संरक्षण में क्या मुख्यमंत्री जी यह है कि कैटिगरिकलि कल आप सदन के अन्दर वक्तव्य दें। अभी कहें कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं या भारतीय जनता पार्टी के माननीय नित्यानन्द स्वामी जी के सलाहकार हैं। मैं इतना स्पष्टीकरण आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सलाहकार व्यक्तिगत मुझे आपसे सरकारी एवज में कोई सुविधा तो नहीं दे रहे हैं।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, इस पर कानूनी बहस हो चुकी है और माननीय नेता सदन ने जो भी कुछ कहा, हमारे लिए मान्य है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मजबूरी है, दबाव है, बेरोजगारी का दबाव है, आर0एस0एस0 का दबाव है। एक सलाह, अभी आपने कहा कि काजी जी से भी सलाह लेते हैं, ये औचित्य के प्रश्न पर मैं सलाह दे रहा हूँ, अभी मुझे पता चला कि किसी माननीय सदस्य को आपने 20 सूत्रीय कार्यक्रम का चेयरमैन बना दिया और मंत्री का दर्जा दे दिया। मेरी सलाह यह है कि एक–एक सूत्रीय का मंत्री अलग–अलग बनायें तो आप 20 आदमियों को रोजगार दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

चूँकि यह मामला औचित्य का नहीं बनता और चूँकि संविधान की धारा 163, 164 का कहीं उल्लंघन नहीं होता इसलिए इसे निरस्त करता हूँ।

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य में उ0प्र0 पुलिस के ऐसे काफी अधिकारी और कर्मी कार्यरत हैं जिनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं तथा प्रशासनिक कार्यवाहियाँ लम्बित हैं। अकेले पौड़ी जनपद में ऐसे कर्मियों की संख्या 38 है जिन पर धारा 307 एवं 302 के भी आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। उ0प्र0 प्रदेश सरकार आपराधिक गतिविधि में लिप्त होने वाले ऐसे पुलिसकर्मियों को पर्वतीय क्षेत्र के सीमान्त जनपद पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी एवं उत्तरकाशी सजा की दृष्टि से भेजती रही है। सजा भुगतने के उद्देश्य से भेजे गये ये पुलिसकर्मी अभी उत्तरांचल में ही हैं। उत्तरांचल राज्य बन जाने के बाद यह अधिकारी एवं कर्मचारी अपने व्यवहार में और अधिक उग्र और हमलावर हो गये हैं। इसी क्रम में 3 मई, 2001 को रामनगर (नैनीताल) में एक व्यापारी की लोहा चोरी करने की शिकायत पर 26 वर्षीय युवक जाकिर को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। थाने में जाकिर की इतनी बेरहमी से पिटाई की गयी कि थाने में ही उसकी मृत्यु हो गयी। इस घटना से उत्तेजित भीड़ ने थाने को घेर लिया। स्थिति की गम्भीरता को समझ कर एस0एस0पी0 ने रात्रि में दो बजे थानाध्यक्ष रवि त्यागी, हेड कॉन्स्टेबल हरीओम शर्मा, कॉन्स्टेबल

राजबीर सिंह व अजीत सिंह को निलम्बित कर दिया और उनके विरुद्ध धारा 302 के अन्तर्गत हत्या का मुकदमा पंजीकृत करने के निर्देश दिये।

इस घटना से इस प्रदेश की जनता में सजा के बतौर भेजे गये इन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भारी रोष एवं आक्रोश है। उत्तरांचल राज्य की सीमाओं में नियुक्त ऐसे सभी पुलिसकर्मी तथा अधिकारी आये दिन हताशा एवं निराशा में संगीन अपराध कर रहे हैं। सीमान्त इलाकों की शान्तिप्रिय जनता अपने को असुरक्षित अनुभव कर रही है और क्षेत्र में आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर चर्चा करने के लिए मैं इस सदन का कार्य स्थगित करने की मांग करती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न पर कल व्यापक चर्चा हो चुकी है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ग्राह्यता पर सुन लीजिए, मैंने तो इसका उदाहरण दिया कि यहाँ 302 और 307 के अन्तर्गत जो अपराधी पुलिस वाले यहाँ पर नियुक्त हैं, उसी क्रम में यह घटना घटी है, क्योंकि ये पुलिस वाले यहाँ हैं और इनकी सूची मेरे पास है, मान्यवर, जिसको मैं अभी सदन के पटल पर रख दूँगी। तो 302, 307, 345, 346 तमाम धाराएं हैं, इन धाराओं के कार्यरत उत्तर प्रदेश कैडर के लोग यहाँ तैनात हैं और क्या ये मामूली घटना है कि एक पूरे के पूरे थाने के प्रमुख अधिकारियों के विरुद्ध 302 की धारा में मुकदमा दर्ज किया जाए। ये मामूली घटना नहीं है और यह एस0एस0पी0 के निर्देश पर हुआ, प्रशासन के निर्देश पर हुआ। .....

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि अति शीघ्र इस प्रकार की घटनाएं दोहराई न जाएं और ऐसी परिस्थितियाँ न पैदा हों। हल्द्वानी की कई घटनाएं हैं, जो कि पुरानी थीं इसलिए मैंने उनका उल्लेख नहीं किया। रामनगर की घटना, ऊधमसिंह नगर की घटना, हरिद्वार की घटना, उत्तरकाशी की घटना, पिथौरागढ़ की घटना, ये ऐसी कुछ घटनाएं जिनका उल्लेख नहीं किया है। इसलिए एक घटना का उल्लेख मैंने तात्कालिक, अविलम्बनीय, लोक महत्व की दृष्टि से, एक घटना जो अद्यतन थी, आधुनिक थी, उसका उल्लेख किया और मान्यवर, यह परिस्थिति बहुत गम्भीर है। यहाँ शान्तिपूर्ण वातावरण जो उत्तरांचल में था, वह इन अधिकारियों के रहने से पूरी तरह खराब हो रहा है। मान्यवर, वो रहना भी नहीं चाहते, उत्तरांचल राज्य बनने के बाद। तो क्या हम इतने सक्षम नहीं कि ऐसे सजायाफ्ता लोगों को तत्काल कार्यमुक्त कर दें। अकेले पौड़ी की सूचना मैंने दी है, 38 हैं जिनकी सूची मैं मान्यवर, आपको भेज रही हूँ। कितने संगीन मुकदमे उनके ऊपर हैं। उत्तर प्रदेश से सजा के बतौर हमारे प्रदेश में भेजे गये हैं। अब हमारा राज्य बन गया है तो कम से कम उन सजायाफ्ता लोगों को, अधिकारियों को हम तत्काल यहाँ से हटाने की कोशिश करें। यह उस घटना का मैंने उदाहरण दिया है, रिपीटीशन नहीं किया है क्योंकि वह तात्कालिक घटना थी इसलिए उसका उदाहरण

दिया। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूँ जितनी हमारी चिन्ता है, उतनी ही चिन्ता सरकार की भी होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, उत्तरांचल शासन के संज्ञान में आया है कि उ0प्र0 पुलिस के लगभग 299 पुलिसकर्मी हैं जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह सही है कि जनपद पौड़ी में ऐसे पुलिसकर्मियों की संख्या 38 है जिनके विरुद्ध धारा 302 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मुकदमें चल रहे हैं। कुछ पर बलात्कार के मुकदमें हैं, एक मुकदमा भ्रष्टाचार निवारण से सम्बन्धित है तथा एक मुकदमा अनुसूचित जाति/जनजाति निवारण अधिनियम के अन्तर्गत चल रहा है। उत्तरकाशी जनपद में ऐसे पुलिसकर्मियों की संख्या 14 है जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले चल रहे हैं। यह सही है कि कॉन्स्टेबिल 34 नागरिक पुलिस हरिवास द्वारा उत्तरकाशी पुलिस लाइन में उत्पात मचाया गया तथा इसके विरुद्ध पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है उक्त श्री हरिवास के विरुद्ध जनपद देवरिया के थाना तरकुलवा व मलुवनी थानों में डकैती व लूट के निम्न मामले चल रहे हैं :

1. अपराध संख्या 3/90 धारा 395/397 भा0द0वि0
2. अपराध संख्या 149/90 धारा 394 भा0द0वि0
3. अपराध संख्या 20/90 धारा 394 भा0द0वि0

जनपद नैनीताल के थाना रामनगर में हुई घटना में चार पुलिसकर्मी यथा थानाध्यक्ष श्री रवि त्यागी, हैड कॉन्स्टेबिल श्री हरिओम शर्मा, कॉन्स्टेबिल राजबीर सिंह व कॉन्स्टेबिल अजित सिंह को निलम्बित कर उनके विरुद्ध धारा 302 भा0द0वि0 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके हेड कॉन्स्टेबिल हरिओम शर्मा व कॉन्स्टेबिल राजबीर सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा इस गम्भीर समस्या को संज्ञान में लाते हुए शासनादेश संख्या 341/गृह वि0/2001, दिनांक 12-04-2001 जारी कर दिया गया जिसकी प्रतिलिपि हमारे पास है। मान्यवर, पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल से पुनः इस शासनादेश का कार्यान्वयन एक सप्ताह के अन्दर करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। शासन द्वारा एक हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती विषयक पहले ही निर्णय लिया जा चुका है तथा स्टेटिक कर्तव्यों के लिए भूतपूर्व सैनिकों को संविदा पर लिये जाने का निर्णय लिया गया है तथा इसके कार्यान्वयन की रूपरेखा बनाई जा रही है। ये अस्थाई होंगी। जब तक 100 लोगों की भर्ती के बाद उनको थोड़ी ट्रेनिंग करानी होगी। उत्तरांचल शासन उत्तर प्रदेश पुलिस की खराब छवि के प्रति सजग है। उत्तरांचल में इस प्रकार की किसी भी स्थिति को पनपने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े, वे उठाये जायेंगे। अतः यह कहना गलत है कि उत्तरांचल में पुलिस द्वारा अराजकता फैलाई जा रही है। मान्यवर, मेरा निवेदन है, कई बार ऐसा होता है कि जो सूचनाएं आती हैं, वे पलट होती हैं, कई सूचनाएं 56 की, कई 51 की, कई सूचनाएं 300 की, कई सूचनाएं 301 की, एक ऐसा क्रम बन जाये, हमको मालूम हो जाये कि किस क्रम से होंगे और उनके उत्तर के लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी कृपापूर्वक देख लें, कौन सी सूचना बहुत ही

आवश्यक है। बहुत सारी होंगी तो शायद इतनी इफिशिएन्सि हमारी नहीं है और इसमें मान्यवर, जैसे एक सूचना आपने रखी अब आपने इतने विस्तार से कह दिया अगर मुझे जल्दी अवसर मिल जाता तो शायद आपको कष्ट न करना पड़ता, इतने विस्तार से कहने का। फिर भी मान्यवर, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, सदन को, कोई भी अपराधी पुलिसकर्मी जो उत्तर प्रदेश जाने वाला है और अगर नहीं भी जाने वाला है तो हम उसको भेज देंगे, लेकिन उत्तरांचल में कोई अपराधी पुलिसकर्मी नहीं रहेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार तो किया कि इस प्रकार के पुलिसकर्मी हैं और वो उन्हें हटाने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे निरस्त करता हूँ।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, हरिद्वार जनपद के मैदानी क्षेत्रों में किसानों के गेहूँ के लॉन का बड़ा हिस्सा अभी तक खेतों में ही पड़ा है। और इसके अतिरिक्त गन्ना की बुवाई का समय निकलता जा रहा है। इसका मुख्य कारण विद्युत सप्लाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना है। इसके कारण किसान वर्ग के हित में इसके समुचित प्रबन्ध न होने के कारण आर्थिक मानसिक रूप से बुरी तरह प्रभावित होगा। इसके साथ–साथ सूखे के प्रभाव के कारण किसानों के साथ–साथ राज्य सरकार को भी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। अतः विषय चिन्ताजनक होने के कारण किसानों में भारी निराशा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की माँग करते हैं।

मान्यवर, यह सूखे के सम्बन्ध में है, मेरे हरिद्वार का क्षेत्र जो मैदानी क्षेत्र है उसमें थ्रेशिंग नहीं हुई है और बिजली न मिलने के कारण अभी गेहूँ भी खेतों में खड़ा है दूसरी ओर ईख बोया जा रहा है, पानी ट्यूबवेल्स को मिल नहीं रहा है। मा0 मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि इतने घंटे बिजली कर दी है, इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायेगा। बिजली वाकई अच्छी खासी आ रही है। मान्यवर, बिजली आयी और खेतों तक पानी गया फिर बिजली चली गई, टाइम तो पूरा हो जाता है, मकसद उससे पूरा नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर सदन में चर्चा कराई जाय। मान्यवर, हमारे यहाँ अजीब बात है, ये कहते हैं हमने डी0एम0 से रिपोर्ट मंगाई, एक विधायक खड़ा होकर कह रहा है कि डी0एम0 साहब लिख देते हैं तहसीलदार को, तहसीलदार लिख देता है पटवारी को, पटवारी की बात मानी जाती है, एक विधायक की बात नहीं। मान्यवर, एक विधायक की बात पर भरोसा नहीं किया जाता है। यह छोटा सदन बना था तो आशा थी कि हम लोगों की सभी बातें सुनी जायेंगी, हमको पटवारी से ज्यादा अहमियत दी जायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुजारिश करता हूँ कि इस पर चर्चा करायी जाय।

ऊर्जा, सिंचाई एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, पहले तो मैं काजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने कहा बिजली आ रही है, उन्होंने व्यवस्था के बारे में कहा कि बिजली ठीक से नहीं आ रही है, आपको जानकर खुशी होगी कि पहले 8 घंटा बिजली आती थी, अब 12–13 घंटे बिजली आ रही है। मेरा प्रयास रहा है कि हरिद्वार क्षेत्र में अधिक से अधिक बिजली दें। व्यवस्था में कहीं कमी है, मैं सोचता हूँ कि स्थिति में सुधार के लिए मैं स्वयं लगा हूँ। आप मुझे बतायें, मैं सुधार करूँगा, इसमें कोई चर्चा का विषय नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं निरस्त करता हूँ।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अत्यधिक लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध करना चाहता हूँ, इस सदन की कार्यवाही और नियमों को शिथिल करते हुए महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करायी जाय। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में पिरान कलियर शरीफ एक ऐसी भारतवर्ष में विख्यात दरगाह है। भारतवर्ष में सिर्फ दो इस प्रकार के दरगाह अजमेर शरीफ और पिरान कलियर शरीफ हैं। यहाँ हर महीने में सालाना उर्स लगता है, जुमेरात पर वहाँ भारी संख्या में जायरीन लोग आते हैं और 25 मई से आरम्भ हो रहा है, वहाँ लगभग पिछले साल 10 लाख लोग आये थे, केवल भारतवर्ष से जायरीन नहीं बल्कि पाकिस्तान एवं दूसरे देशों से भी वहाँ जायरीन आते हैं, ऐसे मेलों के लिए धन का आवंटन किया जाता है ताकि वहाँ व्यवस्थायें ठीक हों। मान्यवर वहाँ ऐसे हालात हैं। सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, सबसे बड़ी बात है, वहाँ शौचालय नहीं है। 5 लाख लोग आते हैं, वहाँ बसों के लिए पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, पेयजल की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है। मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण है, वहाँ के जो हम लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ की जनता जो है, वहाँ पर केवल एक वर्ग के लोग ही उस दरगाह में नहीं आते हैं बल्कि मुस्लिम, हिन्दू, सिक्ख सारी जातियों के लोग आते हैं। इसलिए मान्यवर ये धर्मनिरपेक्ष दरगाह है, मैं चाहता हूँ वहाँ की सुव्यवस्था के लिए यहाँ से धन का आवंटन हो।

वहाँ की व्यवस्थाओं के लिए वहाँ शौचालय बने, वहाँ पानी की व्यवस्था हो, वहाँ सड़कों की व्यवस्था हो, इन सब व्यवस्थाओं के लिए यहाँ से धन का आवंटन किया जाये। मैं समझता हूँ कि 30–40 लाख रुपया उसके लिए दिया जाये, ताकि वहाँ जो व्यवस्था है, और जो भारी असन्तोष है, जनता में, उसको दूर किया जा सके और इस महत्वपूर्ण विषय पर मान्यवर, चर्चा कराई जाये।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा, एक मेरी जानकारी यह है कि जो कलियर शरीफ का मेला होता है, उसमें जो अधिकारी जाते हैं, सिपाही जाते हैं, दरोगा जाते हैं, उनको तनख्वाह भी दरगाह से दी जाती है, आपकी व्यवस्था क्या है। हिन्दुस्तान में ऐसी

कोई जगह नहीं है कि सिपाही को तनख्वाह वहाँ से दी जाये, जहाँ वह जाता है, माननीय मंत्री जी बतायें कि इस पर क्या व्यवस्था की जा रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, यह मामला जितना माननीय काजी जी के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही मेरे लिये भी महत्वपूर्ण है, मैं आश्वस्त करता हूँ कि सब व्यवस्थायें ठीक की जा रही हैं। 25 तारीख को वहाँ पर जो मुख्य रूप से आयोजन है, उसकी पहले से व्यवस्था कर दी जायेगी, आपको जो व्यवस्था चाहिए वह व्यवस्था वहाँ कर दी जायेगी, कोई पैसा नहीं लिया जायेगा।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में निवास करने वाले, स्थायी सम्पत्ति रखने वाले तथा इन्हीं जनपदों में जन्म लेने वाले लोगों को जो 1947 के पूर्व तथा उसके पश्चात् आकर बस गये, लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं। 1996 तक मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं। इन लोगों में ब्राह्मण, वैश्य, पंजाबी, सिक्ख, ईसाई, मुसलमान, गोरखाली, सैनी, चौहान, प्रजापति कश्यप, बाल्मीकि, अनुसूचित जाति के लोग सम्मिलित हैं।

यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 तथा 19 का खुला उल्लंघन है तथा लोगों में अपना अधिकार न मिलने से निराशा मिश्रित आक्रोश है, यह प्रदेश की भावात्मक एकता के लिए गम्भीर खतरा है। इससे प्रदेश के सामाजिक सदभाव को चुनौती मिल रही है।

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है अतः तत्काल कार्य स्थगित कर चर्चा करायें।

मान्यवर, भारत के राज्य क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में निवास करने और बस जाने का प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। लेकिन 1996 के बाद बावजूद इसके कि गढ़वाल के जिलाधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी, तहसीलदार को मूल निवास प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये और इन निर्देशों के अन्तर्गत ये शर्तें बतायी गयी कि यदि अभ्यर्थी का जन्म गढ़वाल जनपद में हुआ। यदि अभ्यर्थी के पिता का जन्म गढ़वाल जनपद में हुआ, यदि अभ्यर्थी की स्थावर सम्पत्ति गढ़वाल जनपद में ही स्थित है, यदि अभ्यर्थी की प्राथमिक शिक्षा गढ़वाल जनपद में हुई है, यदि अभ्यर्थी का भरण–पोषण एवं जीविकोपार्जन का अधिकांश भाग गढ़वाल जनपद से प्राप्त होता है और मान्यवर, जो उत्तर प्रदेश का शासनादेश है, जिसके अन्तर्गत यह उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक बना और उसमें यह व्यवस्था की गयी कि जब तक हम अपना संशोधन नहीं करते या अलग से अपनी विधि उत्तरांचल की नहीं बनाते, तब तक उत्तर प्रदेश के नियम, विधि, कानून उत्तरांचल में भी लागू होगा। उसमें भी व्यवस्था यही है कि प्रार्थी भारत का नागरिक हो, 3 साल से वहाँ उसकी सम्पत्ति हो, स्थायी रूप से वो वहाँ रहता हो और किसी दूसरे जिले से उसने डॉमिसाइल प्राप्त न किया हो।

लेकिन मान्यवर, मैं आपको खासतौर पर कोटद्वार के बारे में बताना चाहता हूँ, इस बारे में जो 1000 ज्ञापन हैं, ये उत्तरांचल जिलाधिकारी संगठन अभी तक माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल, माननीय कण्डारी जी, नारायण राम दास जी सभी को प्रस्तुत कर चुके हैं। इन्होंने ये बताया कि 31–12–99 को 200 आवेदन–पत्र श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय को मूल निवास प्रमाण–पत्र निर्गत करने के लिए दिये गये। श्री मातबर सिंह कण्डारी जी, पर्वतीय विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को 4–2–2000 में 225 आवेदन–पत्र दिए गए। उप जिलाधिकारी महोदय, कोटद्वार को 13–3–2000 को 50 आवेदन–पत्र दिये गये और इसी प्रकार दिनांक 7–11–2000 को तहसील दिवस पर उप जिलाधिकारी महोदय को 526 आवेदन–पत्र दिये गये और मान्यवर, इसी प्रकार हजारों आवेदन–पत्र दिये जा चुके हैं परन्तु अब तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। ये अत्यन्त चिन्ता का विषय है, गम्भीर विषय है और इससे हमारी जो भावनात्मक एकता है, जिसके आधार पर हम इस उत्तरांचल की प्रगति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, इस पर चोट पहुँचती है और उनका जो संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो भी उनसे छिनता है। मेरे पास ये हैं, जिनको 96 तक दिये गये और इसके साथ ही, उदाहरण के तौर पर एक आनन्द प्रकाश, पुत्र ब्रह्म देव आर्यनिवास, गोविन्द नगर, कोटद्वार, गढ़वाल का ये सारा रिकार्ड मेरे पास है। जिसमें केवल राशन कार्ड ही नहीं पटवारी की ये रिपोर्ट भी लगी है कि इनकी स्थायी सम्पत्ति भी यहाँ है। ये पाकिस्तान के विभाजन के फलस्वरूप 1949 में भारत आये थे और कोटद्वार में बस गये थे। संविधान का खुला उल्लंघन है। संविधान में जो भारत में मूल निवास प्रमाण–पत्र की व्यवस्था धारा 5 और 6 में की गयी है, इसमें तो एक कट ऑफ डेट थी कि संविधान बनने से पहले जो लोग पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में आकर बस गये, उनको हिन्दुस्तान का मूल निवासी माना जाएगा।

लेकिन उसका भी उल्लंघन किया गया, मेरे पास कोर्ट के कागज हैं, आपके पास भी मैं इसे प्रेषित कर रहा हूँ। उसमें लिखा है– "क्या आवेदक के माता–पिता, परदादा की यहाँ पैतृक सम्पत्ति है तथा कब से है, यदि है तो किस ग्राम में है और कब से है तथा उसका प्राप्त करने का स्रोत क्या है ?" इसमें लिखा है मान्यवर, 1949 से नगर पालिका की रिपोर्ट, वाटर टैक्स की, हाउस टैक्स की, तो मान्यवर, ये एक गम्भीर प्रश्न है कि जिस विधि द्वारा स्थापित सत्ता के हम लोग प्रतिनिधि हैं, जिस विधि द्वारा स्थापित सत्ता में हम नियम और कानून के संविधान के आधार पर सत्ता को चलाने की बात करते हैं, कानून के राज की बात करते हैं, वहाँ कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है और इन लोगों को मूल निवास प्रमाण–पत्र न दिये जाएं इससे बड़ा और औचित्य का, अविलम्बनीय, लोक महत्व का कोई प्रश्न हो नहीं सकता। मान्यवर, 25–4 को ये ज्ञापन उन लोगों ने मुझे दिया है, जिसमें अपनी सारी व्यथा की चर्चा और उन्होंने अपने कष्ट का वर्णन किया है।

मान्यवर, तो मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह प्रश्न अविलम्बनीय, लोक महत्व का है, बहुत महत्व का है। चूँकि उत्तरांचल का भविष्य, उत्तरांचल की भावनात्मक एकता और उत्तरांचल में कानून के शासन का आधार है और इससे जुड़ा हुआ है। मान्यवर, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कार्य स्थगित करके इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि यह प्रश्न माननीय सदस्य 301 में भी उठा चुके हैं और मैं उसका उत्तर भी दे चुका हूँ, फिर भी आपने कृपापूर्वक स्वीकार कर लिया, मैं फिर इसका उत्तर दे देता हूँ। मान्यवर, उत्तरांचल में रहने वाले वैश्य, पंजाबी, मुस्लिम, सिक्ख, हरिजन, बाल्मीकि, प्रजापति आदि को मूल निवास प्रमाण–पत्र न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक आपके पहले 301 और अब 56 के अन्तर्गत विधान सभा में उठाये गये मामले पर स्थिति निम्नवत् है :

मूल निवास प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 2–2–2000 को जारी किये गये शासनादेश जो कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तरांचल में स्वतः ही लागू है, में निर्धारित स्थाई निवास प्रमाण जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी के स्तर से एक निर्धारित प्रपत्र जारी किया जायेगा। प्रमाण–पत्र प्राप्त करने वाले प्रार्थी को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना–पत्र देना होगा। प्रार्थी द्वारा दो गणमान्य व्यक्तियों जो शासकीय सेवा में राजपत्रित अधिकारी हों उसे उक्त आशय का घोषणा–पत्र निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना–पत्र के साथ उपलब्ध कराना होगा। इसके निम्न आधार हैं :

1. प्रार्थी भारत का नागरिक हो।
2. प्रार्थी की सम्बन्धित जिले में अचल सम्पत्ति कम से कम तीन वर्ष से हो।
3. विगत 3 वर्ष से उस जिले में निवास कर रहा हो।
4. प्रार्थी द्वारा किसी अन्य जिले से डॉमिसाइल/स्थाई निवास प्रमाण–पत्र प्राप्त न किया गया हो।

उपरोक्त प्रमाण–पत्र 3 व 4 की शर्तें ऐसे अभिभावकों के आश्रितों के मामले में शिथिल किये जाने योग्य होंगी जो किसी शासकीय सेवा में स्थाई सेवा में एवं सेवारत होने के कारण मूल निवास स्थान पर अस्थाई रूप से निवास कर रहे हों। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ जरूरी अभिलेख, साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने होंगे। उदाहरणस्वरूप अचल सम्पत्ति, अभिलेख, राशनकार्ड, वोटर सूची की प्रतिलिपि इत्यादि अभिलेख दाखिल करने होंगे। प्रार्थी द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र दिया जाना होगा कि उसने किसी अन्य जिले को डॉमिसाइल/स्थाई निवास प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए नहीं दिया है।

प्रमाण–पत्र, की जाँच स्थानीय लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार से कराई जायेगी, की जाँच के आधार पर सही पाये जाने की दशा में प्रमाण–पत्र जारी किये जायेंगे। यह स्थिति अब तक है। अब दूसरा आगे सुन लीजिए। उत्तरांचल में स्थाई मूल निवासी को परिभाषित किये जाने के बिन्दु श्री नारायण राम दास, माननीय मंत्री, समाज कल्याण एवं तकनीकी शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति को सन्दर्भित किया गया है। इस समिति की संस्तुति शीघ्र ही प्रतीक्षित है। तदुपरान्त समिति की संस्तुतियों को मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। मंत्रिपरिषद् के निर्णय के अनुरूप ही उत्तरांचल में स्थाई मूल निवासी को परिभाषित किया जायेगा। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस समय जिस कानून से हम काम कर रहे हैं, वह उ0प्र0 के अन्तर्गत ही कानून था, उसको हमने स्वीकार किया।

पुनर्गठन विधेयक के अनुसार क्योंकि यहाँ पर बार–बार यह प्रश्न उठता है तो एक समिति हमारे वरिष्ठ मंत्री की अध्यक्षता में बना दी गई है, जिसके अन्दर 5–6 सदस्य हैं, वे लोग अपनी संस्तुतियाँ लायेंगे, उस पर कैबिनेट विचार करेगी, उसके बाद एक सही तस्वीर आपके सामने आयेगी, उसमें कोई अन्तर होगा तो वह आपके सामने आ जायेगी।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, एक हजार आवेदन–पत्र लम्बित हैं। एक तो मैं आपके पास उदाहरण–स्वरूप भिजवा रहा हूँ। मान्यवर, सारी औपचारिकताएं पूरी हैं, पटवारी की सबकी रिपोर्ट है, उनके पक्ष में है, तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से वह (घोर व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, जिनकी अर्हता होगी सबको डॉमिसाइल प्रमाण–पत्र मिल जाएगा।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, 99 से लम्बित हैं। तो मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि कितने दिन में इनका निस्तारण हो जाएगा, इन लोगों को मिल जाएंगे जो इन कानूनों की शर्तों को पूरा करते हैं। यह माननीय मुख्यमंत्री जी बता दें।

श्री अध्यक्ष–

जितने अर्हता रखते होंगे, जितने भी लम्बित प्रकरण हैं, उन सबको दे दिया जायेगा।

इसे मैं निरस्त करता हूँ।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, उत्तरांचल में पुलिस द्वारा मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। जनसाधारण के साथ अमानवीय व्यवहार की शिकायतें रोज सुनने को मिलती हैं। रामनगर की घटना हो या उत्तरकाशी में सिपाही द्वारा गोली चलाना तथा उसके बाद मौके पर जाँच करने गये पुलिस उपाधीक्षक पर बन्दूक तान देना या फिर देहरादून के राजपुर थाने में अनुसूचित जाति के एक युवक के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला हो या फिर पुलिस उपाधीक्षक (सी0ओ0) द्वारा स्वयं एक वरिष्ठ आई0एफ0एस0 अधिकारी के साथ मारपीट तथा घोर अमानवीय व्यवहार किये जाने का मामला या हरिद्वार में पुलिस उत्पीड़न से एक पूर्व प्रधान की मौत का मामला या थानाध्यक्ष पुरोला द्वारा वाहन चालकों का उत्पीड़न एवं अवैध वसूली का मामला आदि। कुल मिलाकर स्थिति इतनी अराजक हो गयी है कि जनता के जान–माल की रक्षा की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर है, वही जान–माल व इज्जत, आबरू के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गये हैं।

अतः अति गम्भीर अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कार्य–स्थगन की सूचना दे रहा हूँ।

श्रीमन्, मैं एक बात के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने आदरणीय इन्दिरा जी की नोटिस पर उत्तर देते हुए इस बात के लिए पारदर्शिता बरती और बहुत साहस के साथ कम से कम उन सब विवरणों को सदन के सामने रखा जो पुलिस विभाग की अंदरूनी स्थिति है, प्रश्न यहीं पर समाप्त नहीं होता। मैं आपका ध्यान श्रीमन्, अनुच्छेद के चैप्टर 3 जिसमें फण्डामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है, उसकी तरफ आकृष्ट करता हूँ, उसी चैप्टर में संविधान के अनुच्छेद 14 की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा जिसमें लिखा गया है– "इक्वलिटी बिफोर लॉ द स्टेट शैल नॉट डिनाइ एनी परसन इक्वलिटी बिफोर लॉ फॉर इक्वल प्रोटक्शन ऑफ लॉ विदिन द टेरीटोरी ऑफ इण्डिया" श्रीमन्, ये संविधान के अनुच्छेद 14 में इस बात के लिए कहा गया है कि कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति एक समान होगा, राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने कोई भेदभाव नहीं करेगा और इस अवसर से वंचित नहीं रखेगा।

आज स्थिति यहाँ तक जा पहुँची कि श्रीमन्, वर्दी पहने पुलिस के नाम पर अराजकता करता है पुलिसकर्मी तो उसको इसलिए इम्यूनिटी हो गई कानून में क्योंकि वह व्यावहारिक दृष्टि से वर्दी पहन के अत्याचार, अनैतिक, घृणित कार्य करता है तो उसके सरकारी ड्यूटी को अंजाम देने का बहाना करके उसको उन चीजों से मुक्ति मिल जाती है और जब एक साधारण नागरिक साधारण कार्य के लिए सताया जाता है क्योंकि वह चौराहे में पुलिस के एक सिपाही ने कहा कि आपने नियम का उल्लंघन किया है तो उसने कहा मैंने आपके हाथ का इशारा देखा नहीं, इतनी सी बात के लिए उसका उत्पीड़न होता है, उसको जेल जाना पड़ता है, स्थितियाँ कहाँ तक पहुँची मा0 मुख्यमंत्री जी, नियम 56 की नोटिस पर कहा है कि तथ्यों की स्पष्ट जानकारी हो, घटना की स्पष्ट जानकारी हो, तात्कालिक हो, प्रभावकारी हो, तमाम बातें ग्राह्यता की हैं इसलिए श्रीमन्, बहुत प्वांइटेड पहलू, डाट इन्फारमेशन पर अपना तर्क रख रहा हूँ। आज रामनगर के अन्दर जो घटना घटी, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। श्रीमती इन्दिरा जी ने कहा, श्री अम्बरीष जी ने उसको उठाया था, उदारतापूर्वक उसमें मुआवजा की बात की लेकिन सवाल मुआवजे का नहीं है, जीवन का कोई मुआवजा नहीं हो सकता, सवाल सत्य का है, मैंने उस बारे में जानकारी हासिल की, एक व्यक्ति जो शातिर चोर था, उसको थाना लाया जाना चाहिए था लेकिन शातिर चोर तो पुलिस को नहीं मिला, ठीक है चोर जो था, वह अल्पसंख्यक समुदाय का था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन शातिर चोर पुलिस को नहीं मिला तो इज्जतदार एक नौजवान को थाने पर उठा करके ले आये, उसके साथ इतना अमानवीय कृत्य किया, जब वह मरने लगा तो पुलिस ने उसके मुँह में सल्फास की गोली जबरदस्ती डाल दी कि यह आत्महत्या का किसी तरह से मुकदमा बने।

दूसरा उदाहरण श्रीमन्, मैं पेश करना चाहता हूँ, इस देहरादून जनपद में जहाँ पर हम आप बैठे हुये हैं, श्रीमन्, मेरे सामने यह ऑफिसियल रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एण्ड शेड्यूल ट्राइब और एक रिपोर्ट मेरे सामने है स्पेशल इंवेस्टीगेशन ब्रान्च यू0पी0, श्रीमन्, किस अवधि की है यह प्रश्न है, लेकिन इसके ऊपर सरकार का स्वयं का विशेष जाँच प्रकोष्ठ क्या लिखता है, वह मैं आपके सामने उद्धृत कर रहा हूँ, वह लिखते हैं, उसके अन्दर लिखा है एस0सी0, एस0टी0 ने कोड किया "दि सेकेण्ड रिपोर्ट डेटेड 1999 सब्मिटेड बाई श्री जीतेन्द्र सोनकर एडिशनल सुप्रिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस"

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि इन 5 महीने के अन्दर जो कोई घटना–दुर्घटना हुई हो, आप हमसे कहें, उसका उत्तर देंगे लेकिन, अगर बहुत पहले की कोई बात है और उसकी कोई रिपोर्ट बनी नहीं है तो वह भी आप हम पर थोप रहे हैं तो पहले आप यह बता दें कि क्या यह हमारे समय की बात है फिर आप आगे जो चाहें कहिये।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नियम, कानून, कायदे हमारे यहाँ यू0पी0 के चल रहे हैं, हम भी कहते हैं, सदन की कार्यवाही संचालित हो रही है, वह उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया कार्य–संचालन नियमावली को एडाप्ट किया, मैं कह रहा हूँ कि हुआ, क्या इसमें यह जनपद देहरादून के थाने राजपुर में घटना घटित हुई, आज मुकदमा कायम हुआ है।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मैं यह पूछ रहा हूँ कि कब घटना घटित हुई।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मैं आपको कह रहा हूँ कि जब यह घटना घटित हुई, इसकी जाँच रिपोर्ट आई, कोई यहाँ पर कार्यवाही नहीं हुई, आखिर जब भारत सरकार की अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग ने पत्र इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को लिखकर भेजा और आज की तारीख में, कल दिन में देहरादून के अन्दर एस0सी0, एस0टी0 में वह मुकदमा कायम हुआ।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

आय–व्ययक रिपोर्ट आई थी, इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिये थी, लेकिन यह तो बतायें कि घटना कब की है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

1996 की घटना है।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, आप 1996 की घटना हमारे ऊपर थोप रहे हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

इस घटना की जाँच रिपोर्ट आ गई पर कार्यवाही नहीं हुई। जब तक कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग ने इसके ऊपर सरकार को निर्देश नहीं दिया।

मान्यवर, जिन पुलिसकर्मियों के बारे में इसके अन्दर कहा गया, वो हैं– थानाध्यक्ष अजय चौहान, जगत सिंह–एस0आई0, श्री लायक सिंह–एस0आई0, श्री चौगल सिंह–हैड कॉन्स्टेबल, श्री राम औतार सिंह–हैड कॉन्स्टेबल और श्री सुबोध कुमार–कॉन्स्टेबल। इनको जाँच रिपोर्ट में दोषी पाया गया, मेरी निश्चित जानकारी है, अब आप जानकारी पूछ रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैं फिर आपत्ति कर रहा हूँ, यह हमारा अधिकार है। आप पूरा भाषण पुरानी घटना के ऊपर डेवलप कर लें, लेकिन आखिर इसमें हमारा कसूर कहाँ है, यह बता दीजिए।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, यही तो बता रहा हूँ, आपका कसूर यह है कि यह थानेदार आज भी थानेदार है, जिसके खिलाफ एस0सी0, एस0टी0 एक्ट में मुकदमा कायम हो गया, वो आज भी थाने का इंचार्ज है। जबकि एस0सी0, एस0टी0 कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि इन लोगों को जाँचों से हटाकर जेल भेज दिया जाए, ये आपका कसूर है। यह मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का सहारा क्यों लिया। हम साधारण सी बोल–चाल करते हैं, गाली–गलौज करते हैं, अभद्रता में नागरिक जेल चला जाता है। क्या जेल भेजने से पूर्व सम्पूर्ण जाँच कर ली जाती है ? चार्ज शीट बाद में भेजी जाती है। आपकी सरकार के कारण पुलिस का एक अधिकारी, सी0ओ0 रैंक का अधिकारी जो किसी आम नागरिक के साथ नहीं, प्रशासन के उच्च अधिकारी, कंजर्वेटर रैंक के अधिकारी के साथ इण्डियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी के साथ मार–पिटाई करता है, ऋषिकेश के बंगले में। क्या होता है, एस0पी0 ने जाँच की, जाँच में वह अधिकारी दोषी पाया गया, आई0जी0 ने जाँच की, जाँच में अधिकारी दोषी पाया गया, किस चीज के लिए, मार–पिटाई के लिए, अभद्रता के लिए, जबरदस्ती मेडिकल कराने के लिए। अब आप कहेंगे कि हमने निलम्बित कर दिया। यदि आम आदमी घटना करता तो जेल जाता। जाता कि नहीं ? मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह का क्रिमिनल ऑफेंस करने वाला अधिकारी जेल क्यों नहीं गया ? क्या ऐसे पुलिस सुधरेगी ? दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूँ, उत्तरकाशी के अन्दर पॉलीटेक्निक के छात्रों के साथ हुड़दंग मचाया, जिनकी सुरक्षा की ड्यूटी पर तैनात था और ऐसे पुलिसकर्मी ने जिसके ऊपर देवरिया में डकैती के तीन मुकदमे कायम हैं, जब एस0पी0 मौके पर पहुँचता है तो एस0पी0 के ऊपर भी बन्दूक तान दी। फिर आप कहेंगे हमने क्या किया ? अगली घटना मैं आपको बता रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मुन्ना सिंह जी अब बहुत हो गया, आप ग्राह्यता पर बोल रहे हैं, कृपया संक्षेप करें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, मैं आपको अगली जानकारी दे रहा हूँ। हरिद्वार जिले के अन्दर पीताम्बर पुर ....

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, एक मिनट, इस नोटिस के अन्दर दो बातें आपने लिखी हैं, उत्तरकाशी वाली घटना और सी0ओ0 वाली घटना, मैं दोनों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो बातें इसमें नहीं लिखी, उनका उत्तर कहाँ से दूँ ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूँ, हर चीज को नोटिस में ही नहीं कहा जा सकता। नोटिस में ही होता तो भाषण क्यों कराया जाता। श्रीमन् मैं आपको दे रहा हूँ। पीताम्बर सिंह, नसीरपुर खुर्द, 5 और 6 मई को यह व्यक्ति इसलिए मर गया कि इसने अपने खुद के खेत में पेड़ काटा। पुलिस ने इसको इतना पीटा कि जब यह अपने घर गया तो सदमे से इसकी डैथ हो गयी, ये मैं जानकारी दे रहा हूँ।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, इसमें नहीं है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, नहीं है तो दे रहा हूँ। हमने जो बात जबानी कह दी, वो भी नोटिस है।

श्री अध्यक्ष–

चूँकि यह सूचना आप नियम 56 में दे रहे हैं, इसमें जितनी बातें आप सारांश में लिखेंगे, उन्हीं पर आप ग्राह्यता पर बोल सकते हैं। .....

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, मैं अपने इस कार्यस्थगन के प्रस्ताव पर बल देता हूँ और माँग करता हूँ कि जितने भी आपराधिक बैकग्राउण्ड के पुलिसकर्मी हैं, उनको अव्वल तो 24 घण्टे के अन्दर उत्तरांचल से रिलीव करके उनको कार्यमुक्त कर दिया जाये और जो अपराधों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके उनको जेल भेजा जाये।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, उ0प्र0 सदन में यह परम्परा रही है कि जब कभी भी नेता सदन खड़े हों, तब कोई मंत्री बोल रहा हो, चाहे कोई विधायक बोल रहा हो, तुरन्त उनको बैठ जाना चाहिए। मुझे यह देखकर दुख होता है कि हम लोग खड़े रहते हैं, बोलते रहते हैं। नेता सदन के खड़े होने की तासीर है और उसमें उनका सम्मान होना चाहिए, कोई नहीं करता तो आपको एक्शन लेना चाहिए। मान्यवर, दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि बनारसी दास सरकार, जनता पार्टी की सरकार 77–78 में बनी उ0प्र0 में तो हम लोग अपोजिशन से पोजिशन में आकर बैठ गये। कोई मसला कांग्रेस वालों ने उठाया तो हमारे किसी मंत्री ने यह जबाब दे दिया कि यह तो आप ही के दौरे हुकूमत का है, हमारे जिम्मे क्यों पड़ रहा है। स्पीकर ने डांटा कि यह सरकार दि किंग इज डेड लॉग लिव द किंग, आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, कोई घटना होती है और कल मुन्ना सिंह चौहान जी वहाँ जाकर बैठ जाते हैं तो वे हरगिज यह नहीं कह पायेंगे कि यह हमारे समय की घटना नहीं है, लिहाजा इसके लिए मैं जवाबदेह नहीं हूँ। सरकार जवाबदेह है, होगी और रहेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, यह तो मुझे स्वयं भी मालूम है, जब कोई ऐसा उत्तर देता है तो मैं यही कहता हूँ, सरकार कन्टीन्यूटी है। मैं तो केवल जब कभी मजाक आपसे करना होता है तब कहता हूँ कि आपके करे हुए ये सब करम हैं। मान्यवर, यह जो अभी माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने विषय उठाया है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस सदन में हमें परम्पराओं और मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। विधान परिषद् में चूँकि मुझे रहने का अवसर मिला, आप भी वहाँ थे। जो काजी जी ने कहा मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ कि हम कितनी भी कठोर से कठोर बात कहें संसदीय भाषा में और मर्यादाओं का पालन करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैं माननीय काजी जी को और माननीय बहन इन्दिरा हृदयेश जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, रामनगर की घटना के सम्बन्ध में दोषी पाये गये थानाध्यक्ष श्री रवि त्यागी, हैड कॉन्स्टेबल श्री हरि ओम शर्मा, कॉन्स्टेबल राजबीर सिंह व अजित सिंह को निलम्बित कर उनके विरुद्ध धारा 302 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है उत्तरकाशी में सम्बन्धित सिपाही के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है तथा इस सम्बन्ध में सिपाही को उ0प्र0 के लिए कार्यमुक्त करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक को निर्देश दिये जा चुके हैं तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। श्री जगदीश के इस प्रकरण में अपराध संख्या 37/2001, धारा 342/120 बी/218 आई0पी0सी0 बनाम जगत सिंह, लायक सिंह उपनिरीक्षक, हैड कॉन्स्टेबल चौबल सिंह थाना राजपुर में दिनांक 8–5–2001 को पंजीकृत हो चुका है। उक्त सभी पुलिसकर्मी जनपद देहरादून से उत्तरांचल के अन्यत्र जनपदों के लिए स्थानान्तरित हो गये हैं और उन्हें कार्यमुक्त किया जा चुका है। इस सभी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश जारी किये जा रहे हैं। एस0सी0/एस0टी0 अभियोग की विवेचना राजपत्रित अधिकारी द्वारा किये जाने का प्रावधान है अतः तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है। इस अभियोग में चार लोगों के बयान लिये जा चुके हैं। अभियोग को कोर्ट की अनुमति से वापस लिया जा सकता है, इस सम्बन्ध में एस0एस0पी0 देहरादून को अग्रिम आदेश करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। श्री संसार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक के विरुद्ध प्रारम्भिक जाँच में आरोप सही पाये जाने पर उनको निलम्बित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। हरिद्वार जनपद के बारे में जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक से आज ही रिपोर्ट देने को कहा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि आलोच्य अवधि में उत्तरांचल पुलिस ने कई महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कार्य किये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

उत्तरांचल पुलिस द्वारा अब तक कुल 09 इनामी एवं शातिर बदमाशों को जिनमें मनोज सैनी, शशि सैनी, दिलशाद उर्फ सुख्खा, रिजवान, शिवकुमार, मुकेश, दीपक थापा, दीपक रावत व एक अन्य अज्ञात बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। इनमें से एक साहसिक मुठभेड़ में थानाध्यक्ष गंगनहर श्री मंगू सिंह वर्मा ने वीरगति प्राप्त की। इन बदमाशों के

मारे जाने पर जनता ने राहत की सांस ली एवं पुलिस की पूरी–पूरी प्रशंसा की तथा थाना कालाढूंगी पुलिस द्वारा एक साहसिक मुठभेड़ में डकैती एवं विभिन्न लूट के अभियोग से सम्बन्धित 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 बन्दूक 12 बोर देसी, एक रिवाल्वर 38 बोर, एक सीएमपी चाकू तथा कारतूस बरामद करने में सफलता प्राप्त की। .....

मान्यवर, प्रदेश में घटित दो फिरौती हेतु किये गये अपहरण घटनाओं में दोनों अपहृत किये गये व्यक्तियों को सकुशल बरामद किया। एक घटना में दो अभियुक्त मुठभेड़ में मारे गये एवं दूसरी घटना में सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा उनके विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई इसके अतिरिक्त इनामी बदमाश नाजिम को चण्डीगढ़ से तथा कई अन्य कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। एक अन्य प्रकरण में थाना गंगनहर पुलिस द्वारा भारतीय सेना के गोपनीय दस्तावेजों के साथ प्रताप सिंह व लिख्खी राम जो आई0एस0आई0 के एजेण्ट थे, को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

मान्यवर, उत्तरांचल पुलिस द्वारा डकैती के अभियोगों में गई सम्पत्ति कीमत 5 लाख 57 हजार, लूट के अभियोगों में गई सम्पत्ति 7 लाख 39 हजार 567 रु0 व 149 अमेरिकन डालर तथा चोरी गई सम्पत्ति में 38 लाख 61 हजार 177 रु0 की सम्पत्ति बरामद की एवं आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 20,135 बोतल शराब कीमत करीब 28 लाख 94 हजार 515 रु0 व 1 कुन्तल 18 कि0ग्रा0 डोडा अफीम कीमत 25 हजार 450 रु0 की बरामद कर अभियुक्तों को जेल भेजा। ऊधमसिंह नगर पुलिस द्वारा चोरी से सम्बन्धित 85 हजार रु0 के जेवरात व 66262 रु0 के स्टाम्प पेपर बरामद किये।

मान्यवर, इसी प्रकार भारत नेपाल सीमा पुलिस द्वारा विदेशी सामान जैसे– विदेशी कपड़ा, मूल्यवान मूर्तियाँ, जाली स्टाम्प पेपर, विदेश में निर्मित कम्प्यूटर उपकरण, चोरी की लकड़ियाँ, चोरी की 03 की कारें, 31 रेफ्रिजेन्ट सिलेण्डर आदि कीमती सामान जिसकी कीमत लगभग 75 लाख 83 हजार 677 रु0 है। आप पुलिस की बुराई कर रहे हैं, मुझे दूसरा पक्ष भी रखना है। मान्यवर, अभी बहुत लम्बा है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार आपकी हो या हमारी, कभी न कभी दुर्घटनायें होंगी, घटना होंगी, चोरी भी होंगी, डकैती भी होंगी। पुलिस का काम है कार्यवाही करना, डकैतों को पकड़ना, यहाँ पर कई लोगों को मार दिया गया एनकाउन्टर हो गये और माल बरामद कर लिया गया, पुलिस को हम दोषी करार करते रहेंगे तो पुलिस काम नहीं कर पायेगी, जो लोग गलत हैं, हमने उनकी सूची आपको दे दी, आपने कहा वापस भेजो, आखिर एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत काम होता है, आपने कहा 24 घंटे में भेजिये।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर भी यह नहीं कहा गया, पुलिस का जो अच्छा काम है, बहुत खुले हृदय से उसकी प्रशंसा की जाती है। मेरी नोटिस में यह अच्छा काम नहीं है जो मैंने प्रश्न किया था अनुच्छेद 14 में यह है कि आपराधिक कृत्य के लिए क्या एक जैसी कार्यवाही सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी या जनता के लिए नहीं करेंगे, एक जैसे अपराध के लिए एक जैसी कार्यवाही सरकार नहीं करेगी। मैं यह प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैं जिस बारे में कह रहा हूँ, पहले जाँच की जाती है। मान लीजिए आपके विरुद्ध कोई रिपोर्ट कर दे, भगवान न करे, पहले हम जाँच करेंगे, उसके बाद हम कार्यवाही करेंगे, हो सकता है हम आपके विरुद्ध कार्यवाही न भी करें।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, ये स्थापित परम्परा भी है, नियम भी है। मान्यवर, मा0 मुख्यमंत्री जी निर्देश कर रहे थे कि 301 में लग गया नियम 56 में भी लग गया आपका मान्यवर, क्या यह बात हम पर लागू है, नियमावली का पालन हो, जो चीज एक बार सदन में आ गई, दोबारा न आये एक निश्चित अवधि के अन्दर। मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न मा0 मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य में उठता है। मान्यवर, जनवरी में भी यह वक्तव्य था, इतने लोग मारे गये और इस सत्र में भी 6 महीने में भी वही वक्तव्य। मेरा तो अध्यक्ष जी से प्रश्न है, वह सवाल हम पूछें तो उसके उत्तर में मा0 मुख्यमंत्री जी कहें तो बात जायज है लेकिन यहाँ प्रश्न दूसरा तो रिपीटेशन न हो, आपकी व्यवस्था में यह चाहे जो नियम हम पर लागू है, वह नियम मा0 मुख्यमंत्री जी पर भी लागू हो, आप उन्हें भी निर्देश देने की कृपा करें, मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा, यह भी रिपीट न हो, सवाल उत्तर का है जवाब दक्षिण का हो वही काम मा0 मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मैं पूछ कुछ रहा हूँ।

"उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001"

सचिव विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 3 मई, 2001 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 5 मई, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का चौथा अधिनियम बन गया।

"उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2001"

सचिव विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2001 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 2 मई, 2001 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 5 मई, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का पांचवाँ अधिनियम बन गया।

"उ0प्र0 वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001"

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित्त करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न सदन में उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूँ।

भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित्त करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधयेक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री अध्यक्ष–

श्री भारत सिंह रावत जी आप अपनी चर्चा जारी रखें।

श्री भारत सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने भाषण में कल कह रहा था कि यह राज्य नया बना है, इसके पास कोई साधन नहीं है, अभी तक उत्तरांचल की सम्पदाओं का निवारण नहीं हुआ है। और कोई धनराशि हमको नहीं मिली है, फिर भी हमारा जो बजट है उसकी बात मैंने कही थी, इस बजट का मुख्य उद्देश्य जो मैं समझता हूँ कि उत्तरांचल के सार्वजनिक हित के लिए हमको कुछ नीतियाँ बनानी हैं। हमारे पास जल सम्पदा है, उससे अतिरिक्त ऊर्जा पैदा करनी है, उसकी नीति बनानी है। वन सम्पदा है, हमारे पास है तथा उसके ऊपर हमें अतिरिक्त उद्योग धन्धे लगाने हैं। उसके लिए उसकी हमें नीति बनानी है, हमारे पास अपार सम्पदा है खनिज की, उसके लिए हमें आय के स्रोत ढूढ़ने हैं।

मान्यवर, हमारे यहाँ बौद्धिक सम्पदा है, हमारी जो शिक्षा है, उसको इन सबके साथ जोड़ना है। यह जो सारी चीजें हमारे सामने हैं, यह जो हमने नीति बनायी है, उस नीति के आधार पर हमारे संसाधनों का उपयोग होगा जिससे अर्थोंपार्जन होगा और उस

अर्थोपार्जन का उपयोग हमारे नवोदित राज्य उत्तरांचल के विकास में होगा। हमारी ऊर्जा नीति बन रही है, हमारी वन नीति बन रही है, हमारी खनिज नीति बन रही है, पर्यटन नीति बन रही है। इसी से उत्तरांचल में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, जहाँ हमारे यहाँ बेरोजगारी को दूर होना है, हमारे आर्थिक तन्त्र को मजबूत होना है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में इन सबको विस्तार से समावेशित किया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा बजट है। हाँ, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ, जब तक उत्तर प्रदेश के साथ हमारी परिसम्पत्तियों का बंटवारा नहीं होता है और परिसम्पत्तियों में कुछ ऐसे आधार हैं, ऐसी चीजें हैं, जिनका अभी सृजन नहीं हुआ है।

अभी तक राज्य परिवहन निगम उत्तरांचल में नहीं बना, वन निगम बन तो गया है लेकिन उसकी परिसम्पत्तियों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, वित्त निगम बन गया लेकिन वह भी अभी चालू नहीं हो रहा है, तो मैं सरकार से यह चाहूँगा कि वह शीघ्र से शीघ्र इन निगमों को बनाये और इन निगमों में 8 नवम्बर के बाद, जब विभाजन हुआ था, उस समय से जो टैक्स जमा हुआ, उसका निराकरण नहीं होगा, तब तक हम इस बात को भी नहीं मानेंगे कि कितना घाटा हुआ। आज परिसम्पत्तियों के बंटवारे के बारे में जो चर्चा होती है, ऐसा लगता है, उत्तर प्रदेश सिर्फ उन्हीं परिसम्पत्तियों का बंटवारा कर रहा है जो उत्तरांचल में हैं और जो सारे प्रदेश में परिसम्पत्तियाँ जुड़ी हैं, उनमें क्या हमारा कोई योगदान नहीं? मेरा कहना यह है कि हमने यह जो उत्तरांचल के लिए संघर्ष किया, जिसमें हम सब लोगों का योगदान था, उसमें मुख्य आधार यह था कि हमारा समुचित विकास नहीं हुआ और हमारे आर्थिक पिछड़ेपन के कारण ही हमारा विकास नहीं हुआ। आज तक आजादी के बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, चाहे केन्द्र सरकार से और चाहे अन्तर्राष्ट्रीय जो हमारे मुद्रा कोष हैं या अन्य एजेंसियाँ हैं, उनके द्वारा जो आर्थिक मदद हुई वो सारे के सारे प्रदेश में हुई और उन अरबों, करोड़ों रुपये में से अभी तक हमारा कोई अधिकार नहीं। आज हमने अपने संसाधनों से जो छोटा सा भवन विधान सभा का बनाया है, उत्तर प्रदेश के भव्य भवन को छोड़ कर आये हैं, यदि उसमें से 5वाँ हिस्सा हमको मिलता तो इससे कहीं बड़ा भवन बन जाता। दिल्ली में जो उत्तरांचल का निवास है, उसको भी हमारे माननीय वित्त मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री जी ने लड़-झगड़ कर तीन में से एक भवन प्राप्त किया। कितनी बड़ी विडम्बना है कि हमें एक भवन भी सरलता से नहीं मिला और उसी दिल्ली में उत्तर प्रदेश के कई भवन हैं, जिनमें हमारी हिस्सेदारी है। जब उनसे बात करते हैं, तो कहते हैं हमारे ऊपर 60 करोड़ रुपये से अधिक का कर्जा है। ठीक है, कर्जा है लेकिन कर्जा किस बात का है ? क्योंकि सारा निवेश वहाँ हुआ है।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूँगा, सदन के माध्यम से निवेदन करूँगा कि सारी सम्पतियों का बंटवारा इस आधार पर हो कि यह निवेश कहाँ हुआ ? हमारे यहाँ निवेश कितना हुआ, मान्यवर, नगण्य हुआ। इस प्रश्न को जब तक हम लोग नहीं रखेंगे। 5-6 महीने हो गये हैं, जो पहल होनी चाहिए थी अगर वह पहल हो गई होती तो उनका साहस नहीं होता, 5 प्रतिशत हमको देते। वे बकाया दिखाकर हम पर बोझा लाद रहे हैं। विद्युत की बात आती है। हमारे जो परमाणविक विद्युत गृह बने हैं, उनकी चर्चा नहीं होती है। मैं चाहूँगा कि इस दिशा में सकारात्मक पहल होनी चाहिए, हमारे यहाँ अगर विकास होता। जो हमारे पास सम्पत्ति है, ऊर्जा पैदा करने की जो क्षमता है, वह 30 हजार मेगावाट से

अधिक है। मैं चाहूँगा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पहले हमारे पास जो स्रोत हैं, जो हमारे यहाँ बिजली पैदा होती है और जो हमारे यहाँ प्रस्तावित है। सरकार ने माना है मनेरी भाली फेज–1 और लखवाड़ व्यासी परियोजनाएं अपने आर्थिक ढाँचे के ऊपर बनाना होंगी। हमें विशेष राज्य का दर्जा मिला। मैं केन्द्र सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को और गृहमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इसके लिए सतत् प्रयास किया, लेकिन जल्दी से जल्दी हमें जो दर्जा मिला। कर्जे के रूप में हमें जो पैसा मिला है। जो हम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। पंजाब को आर्थिक पैकेज मिला, जम्मू कश्मीर को आर्थिक पैकेज मिला, पूर्वोत्तर के राज्यों को आर्थिक पैकेज मिला, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा। आर्थिक पैकेज मांगने का हमारा अधिकार बनता है। इस सदन की तरफ से और उत्तरांचल राज्य की 80 लाख जनता की तरफ से हमें यह आर्थिक पैकेज माँगना चाहिए।

मान्यवर, ये सारे नये–नये आयाम नये–नये पक्ष जो हमारे हैं, कायदे से उन्हें करना है, अभी जैसे मैंने कहा, हमने नीति बनानी है। वन जो हैं हमारे 65 प्रतिशत धरती को जोड़े हुए हैं, 65 प्रतिशत हमारी जो जमीन है, वनों से घिरी हुई है, वे वन भी हमारे अधिकार में नहीं हैं और इसलिए नहीं हैं क्योंकि वन अधिनियम लगा हुआ है। वन अधिनियम से न हम पर्यटन नीति में कुछ बना करके ही कार्य कर सकते हैं न खनिज नीति बना करके हम कोई कार्य कर सकते हैं और वन नीति से जो हमारे वन हैं, केवल हम उनकी रक्षा कर सकते हैं लेकिन जो वैज्ञानिक दोहन होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। अगर आज सबसे अहित हो रहा है तो वह वनों से हो रहा है, वनों में जो सम्पदा सड़ रही है, आग लग रही है और जो वन विज्ञान है उसके अनुसार हर साल जो वर्किंग प्लान है, उसके अनुसार जो पेड़ निकलने थे, वह सब प्रतिबन्धित हो गये, अगर हमको इसमें छूट मिलती है तो अगर इस चीज पर रोक हटती है तो 300–400 करोड़ रुपये की आमदनी बिना सम्वर्द्धन को रखते हुए, पर्यावरण को जीवित रखते हुए, यह हमको उपलब्ध होगी।

आज हमारा सारा क्षेत्र 65 प्रतिशत तो वन ने ले लिया और उसके बाद आपके पास कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी पार्क, नन्दा देवी पार्क, गोविन्द पार्क और कई सैन्चुरीज यहाँ बना दी गई, वहाँ आप जा नहीं सकते। हम देखना चाहते हैं जो हमारे सौन्दर्य स्थल हैं, जहाँ सारे देश के, हमारे देश के ही नहीं दुनिया के लोग देखना चाहते हैं। जैव विविधता हमारे प्रदेश में है, उसको देखना चाहते हैं, फूलों की घाटी ग्लेशियर वन अधिनियम आपको परमिशन नहीं देता। हम कहते हैं जड़ी बूटियों से अधिक विकास होगा। कानून नीति आपने लागू कर दी है, आप पत्थर, रेत नहीं उठा सकते, आपको क्या मालूम नहीं है, सरकार को यह मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो स्थिति है पर्वतीय क्षेत्र की सारे उत्तरांचल की भूमि वन भूमि माना गया था वह आज सुप्रीम कोर्ट ने किया वन भूमि है अगर वन भूमि कोर्ट ने कर दी जिसको हम छू नहीं सकते, खनन नीति जो आपने बनाई है कि रेत बजरी उठा सकते हैं, क्या नहीं उठा सकते हैं, यह घोर अपराध है लेकिन उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उसके अनुसार हम बजरी रेत उठा सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ मा0 मुख्यमंत्री जी से कि पहले समीक्षा अधिकारियों से कहिये, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश दिया है, जिसकी वजह से हमारी नाप भूमि के अलावा सारी की सारी भूमि वन भूमि हो गई जब वन भूमि हो गई, उसमें आप कार्य नहीं कर सकते तो यह

बहुत महत्व का प्रश्न है।

मैं यह बात आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कृषि नीति की बात कही। मैं चाहूँगा जब आप यहाँ पर बात कर रहे थे, हमारी कृषि आधारित भूमि एक तरफ प्लेन का हिस्सा है, दूसरी तरफ पहाड़ का हिस्सा। हमारे जो खेत हैं फर्मूकेटेड हो गये हैं, पलायन हो गया है, इकोनॉमिकल वाइवल नहीं हो रहे हैं इसलिए लोगों ने छोड़ दिया है, जंगल हो गये, जंगलों के अन्दर बाघ, शेर हैं जो आदमियों को मार रहे हैं, जब तक हम भूमि बन्दोबस्त नहीं करेंगे और भूमि व्यवस्था के अनुसार जमीनों में हम चाहे चकबंदी करें, चाहे किसी प्रकार की और व्यवस्था करें, तब तक हम सफल नहीं हो सकते।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि विकल्पधारी कर्मचारी, अभी हमारे भाई चौहान जी ने कुछ कहा कि सभी कर्मचारी जिन्होंने विकल्प धारण कर दिया, वह जाना चाहते हैं, आप क्यों रोकना चाहते हैं, उससे तो हमको बहुत लाभ है, तो जब वह जाना चाहते हैं और यहाँ रह कर काम नहीं करना चाहते हैं तो क्यों उनका कन्साइन्मेण्ट हो रहा है, मैं चाहूँगा माननीय मंत्री जी से, शासन से कि ट्रेन्थ चाहे किसी भी स्तर के अधिकारी हों, कर्मचारी हों, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, विकल्पधारियों को तुरन्त निकाला जाये और मैं माफी मागूँगा इन्दिरा जी से कि उन्होंने जो परसों यहाँ पर बात भी कही थी नियम–56 के अनुसार वो उस सरकार का काम है, जैसा उसने 5 प्रतिशत तो हमारी सम्पत्ति में बंटवारे की बात कर दी और 13 परसेंट पर उस प्रकार के लोगों को, जिस प्रकार से घोषणा कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि यह जितने विकल्पधारी हैं, उनको यहाँ से हटा दिया जाये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मैंने 56 में यही कहा था कि उन्हें भेजा जाये और आपने आश्वासन भी दिया, केन्द्र का हस्तक्षेप करायेंगे, शायद गलत समझ लिया।

श्री भारत सिंह रावत–

माननीय मुख्यमंत्री जी ने जरूर कहा था, लेकिन जिस गरमजोशी से मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया था आपके कहने से उसमें कमी मेरा यह कहना था, आज हम नियोजन की बात कर रहे हैं, यह जो हमारी जितनी योजना है, पहाड़ों के अन्दर जितना हुआ, कम नहीं हुआ, जितनी योजना बनी, हमारी पेयजल योजना गाँवों में बनी है, लाखों करोड़ों योजना बनी है, लोग पानी नहीं पी रहे हैं, हमारी सड़कें बनी हैं, आज से 20–30 साल पहले उस समय भी जब मैं विधायक था तो उस समय से सड़कों पर आज भी आवागमन नहीं है और इस तरह से हमारे पुल हैं, पेयजल योजनायें हैं, सब अधूरी हैं तो मैं चाहूँगा इस बारे में वित्त मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पहले हमारे यहाँ जो विकास हो रखा है जिन सम्पत्तियों का जो सृजित हो चुका है, उनका रख–रखाव करें तब तो आपका उद्देश्य पूरा होगा। हम कहेंगे कि पानी नहीं है, आप किन गाँव को पानी देने जा रहे हैं, हर गाँव में, लेकिन पानी नहीं चल रहा है तो मैं तो चाहूँगा कि जो हमारा तमाम पुराना विकास हुआ है, उसको ठीक करने के लिए व्यवस्था की जाये, सड़क बन गई है, पुल बीच में नहीं है तो मैं यह बात आपसे कहना चाहता हूँ उत्तरांचल में गढ़वाल के लिए माननीय

मुख्यमंत्री जी ने और आप सब ने जो कहा जानते हैं कि एक सड़क जब तक हमारे देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार, कालागढ़, रामनगर, टनकपुर सड़क हमारे उत्तरांचल की सबसे महत्वपूर्ण सड़क थी, उसको रोक दिया गया है और आज हम करने जा रहे हैं, अपने क्षेत्रों में तो जगह–जगह से सड़क टूटी हैं, तो यह मेरी राजनीतिक प्रार्थना है कि उसको बनाइये और थोड़ी सी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कॉरपोरेशन भाग का कुछ हिस्सा हटाना चाहते हैं, पर हटाने के लिए आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हटाना चाहते हैं, मैं सोचता हूँ कि यह अच्छा नहीं है, हम बिल्कुल हटाना नहीं चाहते हैं, उसको जोड़ने की कुछ बात करें तो हम कहते थे कि एक कोरिडोर होना चाहिए, लेकिन जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी सीमाओं से लगे लोग हैं, उनको लेने में ऐतराज नहीं होना चाहिए। जिस तरह से गन्ना कमाण्ड की बात हुई है, उसको भी लेना चाहते हैं, मैं इतना कहना चाहता था कि पहले हम इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायें, जिस बजट की हम चर्चा कर रहे हैं, वह तो 2–3 बजट हैं, तो पहले आप एक ग्राउन्ड में एक ऐसा आधार बनायें कि हमारा बजट तैयार हो, इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 2001–2002 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में और उनके प्रयास से इतना सरल एवं लोकहित का बजट पेश किया गया। माननीय वित्त मंत्री जी का भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस लोकप्रिय बजट को पेश किया और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, जिनके प्रयासों से, जिनकी मेहनत से हमें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। मैं इस बात के लिए सभी सदस्यों को भी बधाई देना चाहता हूँ। विशेष राज्य के दर्जे में सबकी भूमिका सराहनीय रही है। उत्तरांचल राज्य के प्रथम बजट पर आज पूरा सदन चर्चा कर रहा है। यह राज्य हमें बलिदानों और तपस्या से मिला है और इस राज्य का प्रथम बजट जिसमें मुख्य रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में, जनापूर्ति के क्षेत्र में, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क और पर्यटन के क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाएं बनायी गयी हैं, उनका लाभ सीधे जनता को मिलेगा। विशेष रूप से शिक्षा के लिए 680 करोड़ रुपये का स्पष्ट प्राविधान है।

शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय वित्त मंत्री जी ने जो व्यवस्था दी है, मुझे लगता है कि प्रत्येक घर तक, प्रत्येक गाँव और उन असहाय गरीब बालकों तक भी यह शिक्षा पहुँचेगी। पहले उत्तरांचल के अन्दर प्रत्येक गाँव तक शिक्षा नहीं पहुँचती थी और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे रह जाते थे, जहाँ पर विद्यालय नहीं थे और वहाँ पर लोगों को प्राथमिक शिक्षा तक नहीं मिल पाती थी। मुझे लगता है कि इस बजट के बाद, सरकार ने जिस हिसाब से इस बजट को तैयार किया है, इसमें जो प्राविधान किया गया है, इसका लाभ उत्तरांचल की जनता को अवश्य मिलेगा। इसके साथ–साथ व्यापार कर के भी सरलीकरण की बात कही गयी है। व्यापार–कर में वित्त मंत्री जी ने अपील के दौरान फीस कम की है। इससे छोटे व्यापारियों को लाभ होगा और सरलीकरण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार में बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है, जहाँ पर कच्चा माल आता है और वहाँ के जो उद्योगपति हैं, वो हमारे साथ खड़े रहें तथा उत्तरांचल के अन्दर अपनी भागीदारी निभाएं, इसके लिए भी व्यापार–कर में सरलीकरण की बहुत

आवश्यकता है। अन्य बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सरलीकरण की आवश्यकता है, मैं कहना चाहता हूँ कि बजट बहुत अच्छा तैयार किया गया है लेकिन इन सब चीजों को भी इसमें जोड़ दिया जाता तो संभवतः और लोकप्रिय होता। और मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तरांचल के अन्दर जो बहुत सारी मैदानी भूमि है, सन् 1981-83 फसली के अनुसार 1800 फसली के हिसाब से चली आ रही है, लोगों के कब्जे नहीं हुए। आज लोग नदी-नाले पाटकर उन पर खेती कर रहे हैं, उनका नियमितीकरण नहीं हो रहा है, अगर हम इस बजट में विनियमितीकरण का प्राविधान करते तो करोड़ों और अरबों रुपये का कर हमें प्राप्त होता। ऐसे ही नजूल की भूमि का फ्री-होल्ड का है। उत्तर प्रदेश में फ्री-होल्ड की योजना थी और उत्तरांचल राज्य बनने के बाद फ्री-होल्ड की योजना यहाँ लागू नहीं की गयी, वह ज्यों की त्यों रुकी हुई है। अगर फ्री-होल्ड की योजना हम लागू करते और चलाते रहते तो निश्चित रूप से लाखों-करोड़ों रुपये हमको मिलते। वो आज एक जिला नहीं है, ऊधमसिंह नगर है, नैनीताल जनपद है और बहुत सारे जिले हैं, जिनके अन्दर आज नजूल की भूमि पड़ी हुई है, अगर हम यह योजना चलाते तो निश्चित रूप से यह हमारा एक लोकप्रिय कदम होता। इसके साथ-साथ एक और बात सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूँ। सिंचाई के ट्यूबवेल उत्तर प्रदेश के अन्दर, पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत, इनको दे दिये गये और आज भाभर के सारे के सारे ट्यूबवेल लगभग बन्द होने की स्थिति में हैं। हमने इसको विभागीय व्यवस्था में पूरा नहीं बदला तो निश्चित रूप से किसान का बहुत नुकसान होगा। उसको पानी नहीं मिल पाएगा। सिंचाई के पानी में दिक्कत आएगी और वहाँ पर फसल खराब हो जाएगी। और भी बहुत सारे विषय इसमें जोड़े जा सकते थे। विशेष रूप से एक जिक्र मैं करना चाहता हूँ, आज गेहूँ की पैदावार बहुत अच्छी हो रही है।

मान्यवर, आज गेहूँ की पैदावार हो रही है। गेहूँ बहुत अच्छा आया है, हरिद्वार जनपद है, ऊधमसिंह नगर है, पर इसके अन्दर सरकार हमारी बन गई, अब उसकी खरीद की एजेन्सियाँ हमारी हैं जो काम कर रही हैं पर हमारे पास भण्डारण की बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है। अगर आज हम बजट के अन्दर कोई ऐसा प्रावधान करते तो वहाँ पर लोगों को व्यक्तिगत रूप से भण्डारण के लिए प्रोत्साहित कर सकते थे। सरकार भी अगर अपने गोदाम बनाती, भण्डारण करती तो उसका लाभ तो मिलता ही। जो केन्द्र सरकार के एफ0सी0आई0 हमको किराया देते और उसका अगर किराया हमको मिलता तो निश्चित रूप से वहाँ पर किसानों को भी लाभ मिलता और राज्य को भी बहुत बड़ा लाभ मिलता। आज आवश्यकता है उसके भण्डारण के लिए प्रावधान करने की। उसकी चाहे अलग से व्यवस्था हमको करनी पड़े, सरकार इसका ध्यान रखेगी, मुझे विश्वास है।

चकबन्दी के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूँ। चकबन्दी बहुत सारी चल रही है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं, जिस गाँव में चकबन्दी हो जाती है, वहाँ पर चोर नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर चकबन्दी के क्षेत्र में लोग ऐसा भ्रष्टाचार करते हैं, किसानों से पैसा लेते हैं, लूटते हैं कि वहाँ उस क्षेत्र में कुछ बचता ही नहीं और यह कई बार पहले भी बात आई और मुझे विश्वास था कि इस बजट के अन्दर इसकी व्यवस्था होगी। चकबन्दी जिन क्षेत्रों में हो चुकी है, उनके सारे के सारे जितने भी दस्तावेज हैं, वे सारे तहसीलों को वापस हो जाने चाहिए, परन्तु 6 माह के बाद भी आज तक वे बन्दोबस्त का कार्य, वे दस्तावेज वापस तहसीलों को नहीं मिले। किसानों का वहाँ पर शोषण हो रहा है। गोला नदी की चर्चा यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ। आपने बलिया नाले के लिए तो 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है नैनीताल में।

उसके लिए तो मैं आभार प्रकट करता हूँ पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि गोलानदी जो ऊपर से आती है और सीधे-सीधे नैनीताल और ऊधमसिंह नगर तक नुकसान करती है, वहाँ पर ठोकरों की, पैसों की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं किच्छा नगर के बारे में विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में पानी आया, माननीय मंत्रीगण भी वहाँ पर गये और पूरा किच्छा नगर और विशेष रूप से उसकी गल्ला मण्डी का क्षेत्र सारा बहने की ओर है, बहुत सारे लोग वहाँ से पलायन कर गये। मुझे पूरा विश्वास था कि इस बजट के अन्दर इसका जरूर कहीं न कहीं प्रावधान होगा और वहाँ पर अगर बाँध नहीं बनाया गया तो आने वाले वर्षों में किच्छा नगर के डूबने की सम्भावना है। यही स्थिति गूलरभोज डैम की है। गूलरभोज डैम के अन्दर एक बहुत बड़ा तट है, तटबंद नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण सारा का सारा पानी चला जाता है, पानी स्टोरेज नहीं हो पाता। उसके कारण नीचे भी हमारा जो पानी जाता, मैदानी क्षेत्रों में वहाँ के किसानों को भी दिक्कत होती है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्त जी जब रुद्रपुर आये थे तो उन्होंने इस तट की मंजूरी दी थी, उसके लिए पैसा भी स्वीकृत किया था, परन्तु आज इस बजट के अन्दर इसका कहीं प्रावधान नहीं है और तट भी वहाँ का ज्यों का त्यों खड़ा है। उससे किसानों को दिक्कत आ रही है। वहीं गूलरभोज जहाँ पर हरिपुरा जलाशय है, पिछले दिनों में ज्यादा पानी आने के कारण बहुत बड़ा क्षेत्र बह गया, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है और पर्यटन के क्षेत्र में गूलरभोज क्षेत्र में, नानकमत्ता सागर में, बहुत सारी सम्भावनाएं हमारे पास हैं। पर्यटन के क्षेत्र में इसका कोई जिक्र नहीं है, अगर हम चाहें तो पर्यटन के क्षेत्र में उन धामों से भी हम लाभ उठा सकते हैं।

बिजली के दामों के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। बिजली के दामों के बारे में पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्यूबवेल के रेट बढ़ाये थे और ट्यूबवेल के रेट बढ़ाने के बाद 90 रुपये प्रति हार्सपावर के हिसाब से लेना पड़ा। साढ़े चार सौ-पाँच सौ रुपये तक एक-एक किसान से लिया जाता है और उत्तर प्रदेश ने तो दाम कम कर दिये, परन्तु उत्तरांचल सरकार ने दाम कम नहीं किये। किसानों से वसूली होती है, उनका शोषण होता है। किसान जो है, वह उस पैसे को नहीं दे पाता। मुझे पूरी आशा थी कि इसमें आवश्यकता है और नलकूप के रखरखाव के पैसे को यदि हम बढ़ायेंगे तो निश्चित रूप से उसका भी किसानों को लाभ मिलेगा। मैं मान्यवर, इस लोकप्रिय बजट के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्तमंत्री जी के निर्देश पर बजट तैयार किया गया, वह बहुत अच्छा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में सरकार इन सब समस्याओं की ओर भी ध्यान देगी। (व्यवधान) पर आप लोग तो चूँकि विपक्ष में बैठे हैं आप तो कहेंगे ही। बहुत सारी चीजें जो आपको कहनी चाहिए थीं, वो मैंने कही हैं। (व्यवधान) .....

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ, असल में यहाँ झगड़ा है, कृषि का कौन नेता होगा, कौन ज्यादा बोलेगा, समाचार पत्रों में कल किसका ज्यादा छपेगा, हमको उनकी चिन्ता नहीं है। हमारा तो यह कहना है जो उत्तरांचल सरकार ने बजट तैयार किया है, बहुत अच्छा बजट है। इसका लाभ जनता को मिलेगा, पहला ऐसा बजट है जिसके अन्दर कोई टैक्स नया नहीं लगाया गया, नहीं तो सरकारें टैक्स लगाया करती थीं, इस सरकार ने तो उल्टा टैक्स कम किया, जितने लोग हमारे विपक्ष के बैठे हैं, वे भी निश्चित रूप से सराहेंगे,

इतना कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। भोजनावकाश, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक कक्ष संख्या 20 में होगी और अब हम उठते हैं 3.00 बजे तक के लिए।

(सदन 1 बज कर 40 मिनट पर भोजनावकाश के लिए स्थगित हुआ)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में अपराह्न 3 बजे पुनः आरम्भ हुई)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2001–2002 के 1061.3 शुद्ध घाटे के बजट के ऊपर मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। मान्यवर, इस बजट में कहाँ–कहाँ क्या कठिनाईयाँ हैं। मान्यवर, यह घाटे का बजट है। जैसा माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि हम इस घाटे को अपने व्यय में कमी लाकर यानी सरकारी कामकाजों में कमी लाकर और आय के स्रोतों में वृद्धि कर इस घाटे की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे, तो मितव्ययता स्पष्ट नहीं की कि कैसे मितव्ययता लायेंगे, क्योंकि यहाँ स्पष्ट है सभी को कि सरकार में जितने लोग मंत्री हैं, उसके बाद जो मंत्री नहीं हैं, वह अध्यक्ष होंगे, जो कुछ बच गये, उनके आने की प्रस्तावना रोज ही आती है तो जो अन्य साथी हमारे बचे हैं जो नहीं उस जगह पहुँच पाये हैं, उनके अलग–अलग भी कारण हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं मिल सकता, लेकिन मान्यवर इसे शत–प्रतिशत ही कहिये, शत–प्रतिशत कुछ मंत्री बन गये और कुछ नहीं बने, तो आप व्यय में कमी कहाँ से करेंगे, मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा मिस्मरेजन भी है कि हम सबको सरकार बना दें, सत्ता में बैठा दें, उसके बाद ही कोई व्यय में कमी करें क्योंकि नया राज्य बना है। दूसरी बात आय स्रोतों में वृद्धि करना मायने आप कोई कर लगायें, आय के स्रोत हैं तो बहुत से, पर कोई कार्ययोजना आपकी नहीं है तो क्या करों का कोई वर्णन आपने दिया है कि कहाँ कर कौन लगायें, कहीं छूट देंगे तो कहाँ बढ़ायेंगे तो आय के स्रोत क्या होंगे, इसे स्पष्ट नहीं किया।

मान्यवर, तो आय के स्रोत क्या होंगे, इसे स्पष्ट नहीं किया गया। माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वीकार किया, राज्य गम्भीर वित्तीय असंतुलन की स्थिति से गुजर रहा है। उसे 1605 करोड़ ऋण वापस करना है। 1605 करोड़ ऋण वापस करेंगे, कब करेंगे यह तो जब आपसी समझौता होगा तो क्या लेना और क्या देना है, लेकिन यथार्थ की स्थिति यह है कि 1605 करोड़ का ऋण भी है। जब ऋण है तो कर्जदार की क्या स्थिति होती है, ब्याज भी देना होता है। तो जो बजट प्रस्तुत किया गया, वह गम्भीर वित्तीय असंतुलन की स्थिति का बजट है जिसमें शुद्ध घाटा 1061.03 का दिखाया गया है। मान्यवर, तो यह वित्तीय स्थिति है। इस वित्तीय स्थिति में आय के स्रोतों को बढ़ाने के बारे में कोई स्पष्ट रूपरेखा सरकार ने प्रस्तुत नहीं की। अब इस सरकार को, जो चलेगी एक वर्ष। यह जो नया राज्य बना है, इसमें विकास की सम्भावनाएं हैं।

इसमें विभिन्न विभागों से सम्बन्धित कार्य, इसमें बेरोजगारों को रोजगार देने की सम्भावना है तो आप घाटे में चल रहे हैं, उसको पूरा करने की एक स्थिति, विकास की

सम्भावनाएं, आये के स्रोत बढ़ाने और जनहित के कार्यक्रम इसका मान्यवर, कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। किसान की स्थिति पर रोज ही कार्य-स्थगन प्रस्ताव आते हैं। धान पर काफी बात आई कि क्रय केन्द्र नहीं खुले थे, गेहूँ में क्रय केन्द्र खुल गये तो भण्डारण क्षमता नहीं है। तो मान्यवर, इस पर कोई स्पष्ट स्थिति नहीं बताई गई कि भण्डारण कैसे हो ? आपने कह दिया कि हम गेहूँ ले रहे हैं, ठीक है आपने क्रय केन्द्र खोल दिये, लेकिन इनके भण्डारण की व्यवस्था नहीं की गई। क्या इनके भण्डारण की व्यवस्था के लिए हम गोडाउन बनवा रहे हैं, निजी व्यक्तियों को इसमें इनवाल्व कर रहे हैं, हम वेयर हाउस की कोई सहायता प्राप्त कर रहे हैं, तो इसके बारे में कोई प्रावधान, कोई व्यवस्था की जानकारी नहीं दी। मान्यवर, किसान जहाँ का सम्पन्न नहीं होगा, धान से वह पीड़ित हुआ और अब गेहूँ की स्थिति आ गई, आगे गन्ने की फसल आने वाली है तो अगर किसान जहाँ का समृद्ध नहीं होगा उस राज्य की समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती तो हम किस ओर राज्य की वित्तीय व्यवस्था को ले जाना चाहते हैं कि किसान की खुशहाली की हमको चिन्ता है या नहीं, व्यापारी की खुशहाली की हमको चिन्ता है या नहीं, उद्योगों के विकास की हमें चिन्ता है या नहीं, अगर है तो हम अपने आय के साधन जो हमारे पास बहुत हैं। हमारी स्पष्ट स्थिति है कि अगर हम आय के साधनों में विद्युत, वन, मिनरल्स, पर्यटन जो उद्योग से जुड़ा हुआ है, अगर मात्र इन्हीं को आय के साधन बना लें। हमारे यहाँ पनबिजली घर हैं और 1.60 रु0 में बिजली उत्पादन होगा। हम कितने में बेचें एज ए होल उसका खर्चा निकाल कर इसे तय करें तो सबसे बड़ा आय का साधन बिजली देकर हो सकता है। दूसरा वन, मान्यवर अपार सम्पदा है, यानि वन की रक्षा भी और अपार सम्पदा वन की हमारी आय का साधन होगा। मिनरल्स, यहाँ रेता है, बजरी है जो रेता, बजरी है यहाँ का हिन्दुस्तान भर में प्रसिद्ध है। हल्द्वानी की गोला नदी की रिवर बेड की रेता, बजरी सर्वाधिक प्रसिद्ध है और मजबूत रेता, बजरी के मानक में वह मान्यता प्राप्त कर चुकी है। पर्यटन, पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं।

हम क्या बनाना चाहते हैं। पर्यटन मंत्री जी भी आ गये हैं। अब ये तो बहुत कुछ कहते हैं, हो सकता है यह उनकी कल्पना भी हो, इच्छा भी हो, लेकिन हम पर्यटन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं ? नीति भी होनी चाहिए हमारे पास। मैंने उसे पढ़ने की काफी कोशिश की, सुन्दर-सुन्दर फोटुएं भी हैं उसमें, औली से लेकर सब कुछ है और बहुत उद्योग भी है, औद्योगिक निवेश भी हैं, लेकिन अभी हम कहाँ खड़े हैं ? 6-7 महीने में किताब छाप कर कोई विकास होने वाला नहीं है। अभी तो एक इंच भी हम नहीं बढ़े हैं। उद्योग नीति हमारे पास नहीं है। पर्यटन उद्योग से जुड़ा हुआ है, पर्यटन को क्या हम उद्योग में रख रहे हैं या नहीं। उ0प्र0 में इसे उद्योग घोषित कर दिया गया है, लेकिन उद्योगों को मिलने वाली सुविधाओं से पर्यटन वंचित है। तो हम क्या पर्यटन को उद्योग में ले रहे हैं और अगर हम उद्योग में पर्यटन को ले रहे हैं तो उद्योगों को मिलने वाली सुविधाएं उसको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जब हमारी उद्योग नीति ही घोषित नहीं है तो हमें यह पता नहीं कि इसमें पर्यटन का समावेश है या नहीं। मेरी अपनी मान्यता है कि आय और रोजगार के संसाधन बढ़ाने के लिए यह बहुत बड़ा केन्द्र बिन्दु बन सकता है और यहाँ की समृद्धि और सम्पन्नता का भी बहुत बड़ा केन्द्र बिन्दु बन सकता है। इनके बारे में कोई स्पष्ट कार्य योजना नहीं है।

मान्यवर, उनके बारे में कोई कार्य योजना नहीं है, अलग–अलग विभागों में मा0 मंत्री कह सकते हैं, हमारी पर्यटन नीति आ गई, हमारी उद्योग नीति आ जायेगी फिर आगे हमारी वन नीति आ जायेगी तो तमाम नीति आ जायेगी लेकिन जमीन पर धरातल पर जन–जीवन को एहसास हो कि यह नीति आ गई कि जिस राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। आज हरियाणा चले जाइये, हरियाणा से गुड़गाँव की सड़क पर आ जाइये, लगता है हम यूरोप, अमेरिका में आ गये, मुझे नहीं पता कि आप में से कौन लोग गये हैं, खासकर इस राज्य में जो लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है, जो हवाई अड्डे वाली सड़क है, उससे सीधे गुड़गाँव तक ही चले जायें, सड़कें साफ–साफ हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण पार्क बने हुए हैं, सुन्दर उद्योग लगे हुए हैं, सारे मल्टीनेशनल उधर भाग रहे हैं, सारे मल्टीनेशनल के दफ्तर सारे के सारे गुड़गाँव में हैं, हमारा भी नोयडा है, उ0प्र0 से जुड़ा है, हम उसके लिए कोई प्लान नहीं दे पाये। छोटा सा राज्य हरियाणा, उसकी जमीन की कीमत बहुत अधिक है, अगर हम विकास करते हैं तो भूमि की दर बढ़ती है, जीवन शैली में बदलाव आते हैं तो अभी हम गुड़गाँव देख लें, उसका विकास देख लें, जो छोटा सा राज्य है और जो अपने संसाधन खुद जुटा रहा है, जितना मल्टीनेशनल बाहर से आता है, जापान या अन्य देशों से, वह उ0प्र0 में न आकर गुड़गाँव की तरफ जाते हैं, हमारे उत्तरांचल की सीमा तो गुड़गाँव से जुड़ी नहीं है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में क्या चाहिए, सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर में चाहिए बिजली, बिजली हम दे नहीं पा रहे हैं, सड़क का तो यह हाल है, कुछ जो पैसा लगाया है, उसे सुन्दरीकरण के लिए।

यहीं देहरादून ही ले लीजिए, यहाँ हम अभी तक सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं कर पाये, हम अभी कोई ओवरहैड ब्रिज या इसका निर्माण कराने की स्थिति में नहीं हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर में विद्युत और सड़क हम नहीं दे पा रहे हैं, एक महीने में ठीक हो जायेगा। प्रश्न यह है कि ठीक हो जायेगा, प्रश्न है यह तो अगला प्रश्न है, ठीक हुआ या नहीं पहला प्रश्न है, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने क्या बजट प्राविधान उसमें रखा एवं जो बड़ी योजना बिजली की बतायी, मनेरीभाली में 1200 करोड़ लगेगा, लखवाड़ बयासी में 800 करोड़ लगेगा तो दो हजार, तीन हजार या डेढ़ हजार करोड़ रुपये का प्रश्न है तो इतने करोड़ रुपये के साधन होंगे ताकि इससे हम एम0ओ0यू0 कर लेंगे तो एम0ओ0यू0 उ0प्र0, उ0प्र0 की सरकार ने की, उसके मालिक भी वही हैं, उनका नाम बकायदा छपा हुआ है। उ0प्र0 की सरकार ने जो एम0ओ0यू0 जो विद्युत परियोजनाओं में विष्णुप्रयाग और परियोजनाओं में किया उसकी मिलकियत उनके पास है तो इस पर जो एम0ओ0यू0 भविष्य में आप करेंगे उसकी मिलकियत भी आपके पास होगी, किससे करेंगे किस कॉस्ट पर करेंगे तो बिजली के लिए कौन से आय के स्रोत होंगे, यह स्पष्ट नहीं है क्योंकि जब आपने कहा कि हमारा बजट आगामी वित्तीय वर्ष की दिशा और दशा तय करता है तो दिशा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर तय की या नहीं की और दशा तो तय कर दी, गम्भीर संतुलन है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा घाटे का बजट है, यह दशा तय है उसकी, लेकिन दूसरी ओर दिशा कहाँ तय की क्योंकि आप लोग इन्तजार नहीं कर सकते, बहुत कष्ट के बाद इस राज्य का गठन हुआ इसलिए अलग–अलग ढंग की सोच लोगों में है, जो राज्य के लिए लड़े, वे भी सोच रहे हैं, क्या खोया क्या पाया तो अभी मैं ही विचार कर रही थी यहाँ पर तो हमने सोचा उ0प्र0 के मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सदन के फ्लोर पर 5वाँ वेतन आयोग घोषित कर दिया कि हम जून

में दे देंगे। शिक्षक हमारे मतदाता हैं लेकिन अभी मैं उनसे जिक्र करूँगी तो भी नहीं करेंगे।

मान्यवर, हम तो आप पर बहुत दबाव बनायेंगे कि वह तारीख आपके चेहरे पर चमक ला दे और किसी तरह हमें यह अफसोस नहीं रह जाय कि रामपुर के उधर रुद्रपुर के उधर 5वाँ वेतन आयोग पा रहे हैं कर्मचारी, उन्होंने कहा "रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय पर वचन न जायी" यह दोहा भी कह दिया। हर कीमत पर जून तक घोषित कर देंगे, जो उन्होंने कह दिया तो इसका मतलब हो गया तो जून तक वह कर देंगे, अब मैं मा0 वित्त मंत्री जी से सवाल पूछूँगी।

..... आपका बजट कैसा है, हमारे लिये तो यह जीवन–मरण का प्रश्न है, क्या आपकी सरकार पड़ोस के उत्तर प्रदेश के बंटवारे के बाद अभी तो वेतन स्ट्रक्चर पर और बात आएगी, हर काम में आप उत्तर प्रदेश बता देते हैं, हमारी नियमावली उत्तर प्रदेश के हिसाब से, हमारा कार्य उत्तर प्रदेश के हिसाब से, अभी–अभी हम आये हैं और किसी की अच्छी चीज ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, माननीय वित्त मंत्री जी जब उत्तर दें तो यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश का हाल आप का मालूम है, इस संशोधन के बाद दृढ़ इच्छा शक्ति और कमिटमेंट सरकारी कर्मचारी और शिक्षकों के प्रति अपनी कमिटमेंट की वजह से उन्होंने पाँचवा वेतन आयोग विधान सभा और विधान परिषद् में घोषित किया। क्या यह साहस आप करेंगे कि यहाँ सदन के फ्लोर पर पाँचवें वेतन आयोग की घोषणा कर यहाँ राज्य कर्मचारियों की संख्या अधिक है, हमारे परिषद् राज्य कर्मचारियों की संख्या अधिक है, जो भी लिखा है वह सही है तो कभी–कभी चुनाव घोषणा होती है और चुनाव का वर्ष है, हर समय कहा जाता है और है भी क्योंकि अन्तरिम गवर्नमेन्ट है, एक वर्ष आपने लगाया और यदि गाँववासी की कृपा हो जाये तो 5 वर्ष मिल जायेंगे, बहरहाल एक वर्ष हम लोग मानकर चल रहे हैं, अक्टूबर 91 में टर्म खत्म हो जायेगा, 2–4 महीने का समय आपको मिलेगा जिसकी कोशिश उत्तर प्रदेश भी कर रहा है तो क्या पाँचवा वेतन आयोग, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, हल्की लग सकती है, अब यह कहकर काम नहीं चलेगा, हमारे पास संसाधन नहीं हैं, हमारे पास प्रचुर मात्रा में संसाधन हैं, उन संसाधनों का क्या होगा।

हमारे पर्यटन की अपार सम्भावनायें हैं, मैं तो ऑफर करती हूँ कि पर्यटन मंत्री हमको अपने साथ बैठा लें, हम अवैतनिक सलाहकार के रूप में आपको सलाह देंगे, तो पर्यटन की अपार सम्भावनायें हैं पैसे की, 50 करोड़ की लकड़ी क्योंकि मैं तो हल्द्वानी, लालकुआँ जाती हूँ, अब बेहड़ साहब तो बोलेंगे नहीं, सारी लकड़ी पड़ी है, 8 करोड़ की कुल लकड़ी उठवाई है यानी इन्होंने 3–4 करोड़ बताया, आप नीति नहीं तय कर पाये, आपको अंदाजा नहीं, आपको अंदाजा नहीं तो आप भी अंदाजा ले लीजिए, हम लोगों से कोई जरुरत ही नहीं थी निर्माण करने की, आप इसके शिकार हो रहे हैं, आपने यहाँ सदन में जवाब दे दिया कि ऐज ए होल लाभ हो रहा है, तो मान्यवर यह आप किसे भूल भुलाया दे रहे हैं तो आप कहें पैसा नहीं है और पैसे की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, इतना अधिक सम्पन्न राज्य हिन्दुस्तान में नहीं हो सकता है, यह बिशन जी के बयान में पढ़ रही थी जिसका पानी गंगोत्री, यमुनोत्री, सरस्वती सभी नदियाँ यहाँ बह रही हैं। जिसके पास वन हो, जिसके पास मिनरल्स हो, जिसके पास प्रकृति की रमणीक छटा हो, प्रकृति का भरपूर सौन्दर्य हो, कोई स्वर्ग कल्पना है पर हम उस स्वर्ग को बना पायें, इतनी सारी अपार सम्भावनाओं

के साथ, आपके पास संसाधन नहीं हैं अगर मेरे संसाधन नहीं हैं तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और अगर व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो हमें स्वीकार्य करना चाहिए, हम से व्यवस्था नहीं हो रही है, इसके लिए कर्मचारी पीड़ित हों, इसके लिए सरकारी व्यक्ति पीड़ित हो, इसके लिए आम जनता पीड़ित हो, इसके लिये किसान पीड़ित हो, इसके लिए व्यापारी पीड़ित हो।

मान्यवर, सरकार किसी भी पार्टी की हो, उसे केवल आलोचना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस पर विचार करें कि इन अपार सम्भावनाओं से कितनी धनराशि हम एकत्र कर सकते हैं। अगर आपको हमसे सलाह लेने में कोई संकोच हो तो विशेषज्ञ बुला लीजिए। आपको लगे कि कहीं हम राजनैतिक लाभ न ले लें, मत दीजिए हमें राजनैतिक लाभ, जो सफल राज्य हैं, उनके विशेषज्ञ बुला लीजिए। आप आई0टी0 की बात करते हैं, आई0टी0 तो तब होगी जब पर्यावरण होगा, आई0टी0 तो तब होगी जब बिजली होगी, आई0टी0 तो तब होगी जब आपके कम्प्यूटर में लॉग ऑन करने की क्षमता 24 घन्टे होगी, आई0टी0 तो आप तब करेंगे जब बिजली देंगे तो आई0टी0 कैसे होगी ? दूरसंचार की लाइनें होंगी, बिना बाधा के तब आई0टी0 होगी। केवल हम यह भाषण दे दें कि हम आई0टी0 में अग्रणी होंगे, यूँ तो हिन्दुस्तान में हार्डवेयर में आई0टी0 सारी दुनिया को सप्लाई कर रहा है। सिलिकॉन वैली में हिन्दुस्तान ही सबसे बड़ा करोड़पति है, वो है हम नहीं है। हाँ बंगलोर इसका उदाहरण हो सकता है, हैदराबाद इसका उदाहरण हो सकता है।

आपने कहा हम करेंगे, हमें समय ही कितना हुआ है, बहुत समय हो गया है। आपको सातवाँ महीना चल रहा है और सातवाँ महीना बहुत बड़ा समय होता है और नौ महीने के बाद तो फिर आपकी बाध्यता हो जाएगी, आइदर यू प्रोड्यूस समथिंग और कुछ प्रोड्यूस न हो, दोनों बातें हैं तो सात माह का समय छोटा समय नहीं होता, बहुत बड़ा समय होता है। इसमें भी अगर आप संसाधन नहीं जुटा पायेंगे तो मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल होगा। मान्यवर, छँटनीशुदा के कर्मचारी सुबह से घूमते हैं, कोई एक विभाग नहीं है। शिक्षा में तो नियुक्तियाँ हैं नहीं, वन निगम के सब घूम रहे हैं और उन्होंने यह भी बताया कि हमसे कनिष्ठ ले लिया गया अर्थात ब्वाइस पर ले लिया गया। हो सकता है कि 87–88 के ले लिए गये हों और 86 का छोड़ दिया गया हो। आप बिल्कुल स्पष्ट मन बना लीजिए क्या ये छँटनीशुदा कर्मचारी बाहर हो जायेंगे सेवा से या अन्दर रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन बेरोजगारी के मामले में उत्तर देते हुए कहा था कि हम नर्सों को भी लेंगे, तो मैं समझती हूँ कि इसमें भी एक समयबद्ध कोई योजना कि कैसे और कब लेंगे, होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि तनख्वाह देने को नहीं है। मैं वेतन भी पढ़ रही थी कि शासकीय पर कितना खर्चा है और अशासकीय पर कितना खर्चा है ? तो यह तो करना पड़ेगा आपको। या तो आप तय करें कि सब कुछ निजी हाथों में दे देंगे, हम कोई सरकारी कर्मचारी/अधिकारी रखेंगे ही नहीं। आखिर सचिवालय चलायेंगे तो रखेंगे। आपने आवास

यहाँ बनाए, विधान सभा यहाँ बनाई, सरकारी मकान बनाए, गाड़ी–घोड़ा खरीदा, रोज गाड़ी–घोड़ा आपको खरीदना होगा, कर्मचारी सचिवालय आप बनायेंगे, सब पर पैसा लगेगा, तब यह नेसेसिटि का हिस्सा है कि रोजगार में आप लोगों को लेंगे और उनको समुचित व्यवस्था के साथ रखेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम आपको कम पैसे मे रखेंगे। क्यों रखेंगे आप कम पैसे में ? यह मौलिक अधिकार कॉन्स्टीट्यूशन ने आपको नहीं दिया कि आप किसी को कम पैसे पर रखें। आप नियमित वेतन में रखें और नियमित वेतन पर रखने के मायने है कि जनहित में आप काम कर रहे हैं।

आप टेम्परेरी लोगों को काम चलाने के लिए चूँकि आपके पास पैसा नहीं है और रोजगार की बात कहकर आप यह परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। मान्यवर, शिक्षा के मामले में तो प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक यहाँ बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय का आपने उल्लेख किया है। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है, सही बात है कि आई0आई0टी0 होने जा रहा है। हमारे लिए गौरव की बात है कि एज इंजीनियरिंग कॉलेज भी सबसे प्राचीन है और सर्वाधिक क्षमता की स्थिति में है। यहाँ मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में भी हैं और सरकारी क्षेत्र में बनाने का प्रयास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हल्द्वानी में घोषणा कर दी, बनना चाहिए, बनने की स्थिति है जिसे आप 85 प्रतिशत यहाँ के लोग रखे जायेंगे, इसकी घोषणा की, जो स्वागत योग्य है। आखिर क्या नहीं है यहाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ, मेडिकल कॉलेज यहाँ, सर्वाधिक शिक्षा के संस्थान यहाँ पर हैं, साक्षरता का प्रतिशत भी पुरुषों में 84.01 है, शायद बहुत कम जगह ऐसा होगा। महिला साक्षरता 60.26 है। लेकिन कायदे से महिलाओं की साक्षरता 90 प्रतिशत होनी चाहिए क्योंकि वे बिना डिग्री और स्कूल में जाये ज्यादा साक्षर हैं तो महिलाओं में साक्षरता की स्थिति अधिक होनी चाहिए। हम कहते हैं कि हम माध्यमिक शिक्षा में कम्प्यूटर देंगे। कम्प्यूटर के लिए एक किस्म का क्लास रूम भी होता है। डस्ट न जाए। एअरकण्डीशन तो आप दे नहीं सकते क्योंकि बच्चों को प्रोवाइड नहीं है। लेकिन डस्टप्रूफ तो हो, कैसे करेंगे डस्टप्रूफ ? कम्प्यूटर देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे और कम्प्यूटर को हम बिल्कुल स्लोगन न बना दें। हम कम्प्यूटर देंगे तो क्या कक्ष देंगे और कक्ष देंगे तो क्या धूलविहीन कक्ष देंगे, ताकि कम्प्यूटर टिका रहे। कहीं ऐसा न हो जाए कि वह एक मौनुमेन्ट बन जाये कि कम्प्यूटर रखा है और 3 महीने बाद पता चला कि धूल से बरबाद हो गया और हम प्रोग्रामर देंगे या नहीं देंगे। प्रोग्रामर का खर्चा विद्यालय वहन करेगा या सरकार वहन करेगी, सिखाने वाला भी आप देंगे या किसी टीचर को ट्रेनिंग देंगे। मैं कहती हूँ कि माध्यमिक या आप प्राथमिक विद्यालयों को भी कम्प्यूटर दें पर उनके लिए हम व्यवस्था क्या कर रहे हैं।

हमारे पास छत नहीं, हमारे पास दरवाजा नहीं, हमारे पास खिड़की नहीं, हमारे पास पंखा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, आपने कहा कि 31 मई तक विद्यालय खुलेंगे, मैं कह रही हूँ कि आप सारे जून भर खोल लीजिए, हम कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। हम ऐसे–ऐसे रोज ही शिक्षा के क्षेत्र में आदेश निकाल देते हैं। एक फोन आया

मसूरी से कि आपने बढ़ा दिया 31 मई तक, चलिये अब तो हमने कर दिया कि हम एडमिशन ले रहे हैं। अभिभावकों के फोन आये, तमाम लोगों ने इस पर कष्ट व्यक्त किया। यह ठीक है कि हम जिस स्थिति में रहते हैं, उसके आदी हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हिस्सा भी कुछ है। गर्मी अब मसूरी, नैनीताल और देहरादून में बढ़ रही है। जबकि देहरादून में एअरकण्डीशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब यहाँ भी पड़ने लगी।

मान्यवर, कक्षा 8 की बोर्ड की परीक्षा होती है, कक्षा 10 की होती है। 12 की होती है, कक्षा 9 की बोर्ड की परीक्षा इसमें हम उ0प्र0 की नकल करते हैं, हमने कोई कोशिश नहीं की इसको बदलने की, परीक्षा इतवार को भी करा दी। कक्षा 8 की बोर्ड की परीक्षा होती है, मैंने कहा क्यों रखते हो क्वॉलिफाइड प्रिंसिपल होता है प्लस-2 वह खुद ही सक्षम है, आपको बोर्ड पर ज्यादा भरोसा है, 9वीं कक्षा की परीक्षा बोर्ड की रखेंगे, उ0प्र0 की नकल इसमें करते हैं तो आप व्यवस्था कर ब्रिटेन की एजूकेशन पैटर्न पर जाते हैं, वहाँ का हैडमास्टर अपना कैरूकलम बनाता था यहाँ तो पाठ्यक्रम तय करता है, सरकारी ऑफिसर पालन करता है, शिक्षक पढ़ाने वाला कोई होता है, निदेशालय तय करता है नीति निदेश तो यहाँ पाठ्यक्रम का कोई रिश्ता शिक्षक से है। अभी तो हम वही पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं तो पाठ्यक्रम पर कभी चर्चा होगी तो हम बतायेंगे, उनमें क्या-क्या है, सदन में चर्चा हुई, मा0 स्वामी जी तो उस समय बैठे हुए थे, सुन रहे थे, शायद आश्चर्य भी कर रहे होंगे कि हमने गल्तियों की ओर क्यों नहीं ध्यान दिया तो हम पाठ्यक्रम उ0प्र0 के लेंगे उसमें हम उ0प्र0 के साथ हैं क्योंकि परिश्रम और मेहनत न करनी पड़े। वन, पर्यावरण, कृषि, बागवानी, इन सब विभागों में नियुक्तियाँ होनी हैं।

सब जगह रिक्तियाँ हैं। मैं लगभग कई वर्षों से देख रही हूँ, 10-12 वर्ष हो गये, जो अशासकीय विद्यालय हैं, नियुक्तियाँ हो ही नहीं रही हैं, उनका चयन आयोग था, कम से कम 30-35 प्रतिशत विद्यालय खाली हैं जिनमें आप शिक्षा-बन्धु और शिक्षा-मित्र से शिक्षा आचार्य बनाकर भेजने का मन बनाये बैठे हैं, बेरोजगार प्रशिक्षित लोग जिन्हें जाने नहीं दे रहे हैं और यही लड़ाई झगड़ा होने वाला है, विद्यालय रिक्त पड़े हैं।

ऊपर से आप लोग पर्वतीय क्षेत्र से हमारे सभी साथी आते और जब जाते, मुझे याद है, हमारे चुफाल साहब भी थे, ऊपर से आप लोग क्यों नीचे भेज देते हैं, ट्रान्सफर करके, नीचे जगह खाली है, ऊपर है नहीं, वह जिस क्षेत्र के विधायक हैं, उन पर दबाव पड़ता है कि विद्यालय खाली हो गया, विद्यालय में तो नियुक्ति हो ही नहीं रही है, प्राथमिक उसकी जो संस्था है वह शिक्षा है। मेरा बच्चा किस स्कूल में पढ़ने जा रहा है जो उपलब्ध है, प्राइमरी, जूनियर फिर इण्टरमीडिएट शिक्षा का केन्द्र बिन्दु है, गाँव में उपलब्ध शिक्षा की जो संस्था है उसमें और सब छोड़ दीजिए छत नहीं, दरवाजा नहीं, खिड़की नहीं, चलने का स्थान नहीं, रास्ता ऊबड़-खाबड़ है, पानी नहीं। साक्षरता का प्रतिशत हमारे यहाँ 84.1 पुरुषों में है। हम शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कर रहे हैं, दुनिया दौड़ रही है 21वीं सदी की ओर, यह छोटा राज्य जो सब तरह के संसाधनों से युक्त है इसे हम चैनलाइज्ड करके दिशा देकर,

रास्ता देकर, इसके संसाधनों को बटोर कर, आय का साधन बना सकें। हम कनफ्यूज हैं इसलिए तय नहीं कर पा रहे हैं, यह किसी को मानकर भी नहीं चलना चाहिए, चाहे हम हों, चाहे आप हों।

उसके जो सम्बन्धित लोग हैं, उनसे हम विचार–विमर्श करें, राय अपनी रखें, लेकिन हम विचार–विमर्श का रास्ता खुला रखें और उन्हें बुलायें, ऐसे विज्ञान में जो सफल हैं, जो कम्प्यूटर की व्यवस्था में, इंफॉसिस का कोई आ जाये, विप्रो का कोई आ जाये तो समझ में आता है, सफल हैं, दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया। तो जिन्हें आप बुलायें वो स्टैब्लिश्ड, सफल व्यक्ति हों जो अपनी–अपनी दिशा के सफल व्यक्ति हों, यही नहीं मेरी अपनी राय में हमें विशेषज्ञों को बुलाकर इस दिशा में जाना चाहिए कि हमारा नया राज्य बना और उन लोगों से भी राय लेनी चाहिए, जिन्होंने सफल राज्य चलाया, उसमें हरियाणा भी है।

अब फलों के बारे में, अब हमारे फल की क्या स्थिति हो रही है, फल पैदा हो रहा है, लोग रोज चिट्ठी भेजते हैं, सुदूर ग्रामीण अंचलों से कि इतना माल्टा हुआ, इतने संतरे हुए, इतने अमरूद हुए, बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जहाँ अमरूद होता है, अब उनका हम विपणन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि विपणन की कोई व्यवस्था नहीं है। गेहूँ और धान के क्रय केन्द्र की बात हम कर रहे हैं, जिसका पर्वतीय क्षेत्र के कृषकों से रिश्ता इतना मजबूत नहीं जितना रिश्ता उनके फल के विपणन से है, तो पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग हैं, जिनका माल्टा, सेब, अमरूद नहीं बिक रहा है और उस क्वालिटी का पैदा हो रहा है, जो दुनिया के मार्किट में खड़ा हो तो क्या पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के पास क्या काम है, या तो फौज की नौकरी में वो चले जाते हैं, आप सब के सामने भी यही प्रश्न है, वो मंत्री जी के दरवाजे या विधायक के दरवाजे या फिर मेरे पास आते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं कि साहब मेरा काम करवा दीजिए तो हम कहते हैं कि कोशिश करेंगे पर काम तो सरकार ही करेगी और अगर वह न करे तो आप उनको बदल दीजियेगा, तो मान्यवर, बदलाव तो आता ही है चूँकि निगेटिव वोटिंग पर बदलाव अच्छा नहीं होता है तो पॉजिटिव मतदान के लिए तैयार रहिये। हल्द्वानी में तो पॉजिटिव कार्य की क्षमता पर शिक्षा के क्षेत्र में हमारा यह कार्य है तो किसी को यहाँ के भाषण से प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव तो तब पड़ेगा जब आप उनको सुविधा देंगे, तो अगर आप बिजली देंगे तो आपके साथ जायेंगे, आप सैलरी देंगे समय से तो आपके साथ जायेंगे, आप पेंशन देंगे तो आपके साथ जायेंगे, अगर पाँचवा वेतन आयोग देंगे तो आपका स्वागत करेंगे और कहेंगे यह सरकार तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हमें केन्द्र के समान वेतनमान देने में सक्षम हुई, हिमाचल ने दे दिया, हरियाणा दे चुकी है, तो छोटे राज्यों की बात करें तो वह दे चुका है तो आप यह करेंगे। हमारे यहाँ यह कह देने से कि आप काम नहीं कर रहे हैं, हमारा सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा, सर्टिफिकेट तो जनता का काम करेगा और अगर जनता की नब्ज की कोई समझ है तो इस समय जनता का सर्टिफिकेट आपके पक्ष में नहीं हैं। इतने तो लोग हैं जनता में, किसान हैं, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, इनका सर्टिफिकेट फिलहाल आपके पक्ष में नहीं है।

श्री तिलकराज बेहड़–

मान्यवर, इन्दिरा जी कह रही थीं कि सरकार की लोकप्रियता कम हो रही है और अच्छी नहीं है। जब सदन के बाहर मिलती हैं तो कहती हैं कि इससे बढ़िया मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता, इससे बढ़िया कोई सरकार को चला नहीं सकता, खूब चर्चा करती हैं। यहाँ पर भी एक बार कह दें तो बहुत अच्छा होगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ऐसा है कि बाहर कही गई बात का संज्ञान सदन में नहीं लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय इन्दिरा जी आपके हिस्से में अब केवल 5 मिनट बचे हैं। आपके दल के हिस्से में।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं जल्दी कर रही हूँ कि जल्दी ही खत्म हो जाये। मान्यवर, मैं यह कहना भी समीचीन समझती हूँ और आशा भी करती हूँ कि कोई सड़क कुमायूँ और गढ़वाल को जोड़ने वाली नहीं है। हम बाहर से चलकर आते हैं तो बहुत कष्ट होता है। मान्यवर, मुझे मालूम है कि हमारे जो माननीय मंत्री केन्द्र सरकार में हैं, उन्होंने एक प्रयास किया था और उसमें कोर्ट स्टे हो गया। यह मेरी जानकारी में है। यह ठीक है कि पर्यावरण को लेकर तो वन विभाग में कोई प्रवेश नहीं कर सकता तो हमें कोई न कोई रास्ता इसका निकालना चाहिए। नं0 2 मान्यवर, जहाँ और तमाम चीजों की बात है, वहाँ यह भी सही है कि अभी कर्मचारियों को, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें और विधायकों को आवासीय कष्ट बहुत है। उनकी भी बहुत सारी कठिनाईयाँ हैं। उन तमाम कठिनाईयों को वे इसलिए सह रहे हैं कि हमारा नया राज्य बना, हमें एकोडमेट करना है। आने की, जाने की, उठने की, बैठने की जैसी भी सुविधा उस राज्य में मिली हुई थी, उस सुविधा से हम तो वंचित हैं। बधाई हो माननीय मंत्रीगणों को उन्हें वहाँ से ज्यादा सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। जो मुझे जानकारी मिली है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने जो बताया कि आपको वहाँ से, उत्तर प्रदेश से अधिक सुविधा उत्तरांचल में है तो आपको तो यह राज्य स्वाभाविक है बड़ा सुखद दिखाई दे, हम लोग जो कम सुविधा में जी रहे हैं, उनको जरूर कष्ट है यहाँ पर, कि यह व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम उसके लिए भी तैयार हैं। कष्ट हम सहने को तैयार हैं। आप झोपड़ी में रहने की व्यवस्था कर दीजिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। सुविधा के लिए हम नहीं आये हैं, हम राज्य हित के लिए आये हैं, लेकिन अगर राज्य हित में भी नहीं होगा जैसे अभी कुछ प्रश्न उठाये गये। बेहड़ जी का और मेरा इलाका मिला हुआ है। भावर में ट्यूबवेल का यह हाल है, लो वोल्टेज है, ट्यूबवेल नहीं चलते हैं। उसका रखरखाव नहीं होता। पर्वतीय क्षेत्र में वह 400 से 800 फीट की गहराई में होते हैं, उसमें पैसा ज्यादा खर्च होता है। तराई को वो पैसा मिल जाता तो भावर में वह खर्च कर दिया जाता, क्योंकि ट्यूबवेल लगाने में वहाँ दिक्कत नहीं होती। इस समय

हल्द्वानी के सब गाँवों में ट्यूबवेल की समस्या है। वहाँ के किसान रोज ही कहते हैं कि आप सदन में ट्यूबवेल की बात जरूर बता दें। ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं, इसके 3 कारण हैं :

1. विभागीय अधिकारी, आपने हटा दिये, जो रखे गये उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं। उन्होंने सब तोड़ डाले तो मेरा अनुरोध है और मेरा ख्याल है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की यह राय है।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, इसको कर दिया गया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसके लिए नेता सदन को धन्यवाद।

2. लो वोल्टेज की समस्या है। हम ट्यूबवेल के लिए जैसे गर्मी के दिन हैं, इनमें कोई अलग से व्यवस्था ट्यूबवेल के लिए वोल्टेज फ्लक्चुएशन न हो, हम क्या कर सकते हैं ? इस पर भी अवश्य सरकार विचार करे क्योंकि वन नाइट में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती है। पर ट्यूबवेल से पानी न मिलने के कारण कृषक बहुत परेशान हैं। मान्यवर, सब ट्यूबवेल खराब पड़े हैं, उनके मेन्टिनेन्स पर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। नजूल भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तराई क्षेत्र में और भावर में नजूल लैंड पर उ0प्र0 की सरकार ने शासनादेश किया था, वह अभी प्रभावी है। माननीय बेहड़ जी कह रहे थे वहाँ पर काम बन्द है, लेकिन वहाँ पर कार्यालय कुछ–कुछ जवाब भेज रहे हैं तो वे प्रभावी हैं। उन्होंने भी यह जमीन शायद इसलिए बेची। यह बहुत बड़ी बहस का विषय है, क्या उन्हें अधिकार था या नहीं, खान लैंड में उन्हें अधिकार है या नहीं। इसमें विधि विशेषज्ञों का कहना है कि खान लैंड को बेचने का अधिकार सरकार को नहीं है। इस पर आप अध्ययन करें, इस पर मेरा पूरा अध्ययन नहीं है।

मान्यवर, ये बहुत सारे विवादित प्रश्न हैं कि नजूल लैण्ड को फ्री होल्ड करने के लिए आप नीति बनायेंगे, उसे आप जरूर तय करें, इसके अलावा गोला नदी का कटान, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, हर बरसात के दिनों में पूरी शान्तीपुरी तक गोला नदी शुरू होती है, किच्छा तक सब गाँव के गाँव डूब जाते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण बिन्दु है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, पैसे चाहिएं उसकी रोक करने के लिए, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण यह नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, लोग कहते हैं, चकबन्दी कर दीजिए, जहाँ भ्रष्टाचार है, वहाँ चकबन्दी की डिमाण्ड है, इस पर भी आप तय करें। नानकमत्ता भी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, जहाँ सारी दुनिया के एक विशेष सिक्ख समुदाय के लोग इस नानकमत्ता की पृष्ठभूमि है, उसके लिए आते हैं और उसकी स्थिति भी दर्शनीय नहीं है। पर्यटन मंत्री यहाँ बैठे हैं मान्यवर, वहाँ लाखों, करोड़ों लोग वहाँ पर आते हैं, उन्हें यह मालूम पड़े कि उत्तरांचल राज्य में उसके सम्मिलित होने से इसका लाभ हुआ है। मान्यवर, कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, व्यापारियों की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, जो तमाम आय के साधन हैं, जिनका मैंने उल्लेख किया। मान्यवर, अब चुनाव का ही समय हो जायेगा, आप

कहेंगे मेरे पास समय कहाँ है, मेरी जबर्दस्त माँग है, उ0प्र0 में जो भी छोटी–छोटी राजाज्ञायें हुई हैं, उन राजाज्ञाओं को जरूर घोषित कर दें और 5वाँ वेतन आयोग जैसे श्री राजनाथ सिंह जी ने घोषित किया है, उसे आज या अगले सोमवार को घोषित कर दें और मान्यवर, आप भी यश प्राप्त करें। यह मेरा अनुरोध है। धन्यवाद।

श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा नवसृजित उत्तरांचल प्रदेश का वर्ष 2001–2002 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए तैयार हूँ। श्रीमन्, उत्तरांचल की जनता के लम्बे समय से चले आ रहे संघर्ष, त्याग, बलिदान के फलस्वरूप आज हमें उत्तरांचल राज्य प्राप्त हुआ। मान्यवर, जब प्रथम बजट मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया, हम उन ज्ञात और अज्ञात शहीदों को नमन भी करना चाहते हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिन्होंने जनता को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। श्रीमन्, वित्त मंत्री जी द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया गया है और विरासत में मिला हमें जो आर्थिक भार के फलस्वरूप कम संसाधनों के उपरान्त भी मा0 वित्त मंत्री जी ने जो कल्याणकारी बजट और पारदर्शी बजट प्रस्तुत किया उसके लिए मैं मा0 मंत्री जी को बधाई देता हूँ। चूँकि एक मंझे हुए अर्थशास्त्री की तरह आपने बजट प्रस्तुत किया है और जिससे सारी जनता में और जनता में ही नहीं व्यापार जगत से जुड़े लोगों ने भी इस बजट की प्रशंसा की और मा0 मंत्री जी ने मा0 मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बजट प्रस्तुत किया अतएव वे भी बधाई के पात्र हैं। श्रीमन्, प्रदेश में ऊर्जा, शिक्षा, जलापूर्ति, चिकित्सा, सड़क, सेतु, पर्यटन, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास, पशुपालन, वन, पर्यावरण, कर्मचारी कल्याण आपदा प्रबन्धन विधायक नीति, समाज–कल्याण आदि योजनाओं हेतु इस पारदर्शी बजट में नवसृजित प्रदेश को दशा और दिशा प्रदान की। निश्चित रूप से यह बजट इस प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और इसकी दशा और दिशा को निर्धारित करेगा कि आगामी वर्ष में हम क्या विकास कार्य कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बजट आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जहाँ तक बजट का प्रश्न है मान्यवर, शिक्षा को मा0 वित्त मंत्री जी ने, मा0 मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्राथमिकता में लिया है।

जहाँ तक बजट का प्रश्न है, मान्यवर, शिक्षा को माननीय वित्त मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातों में लिया था और शिक्षा के क्षेत्र में जो एक कल्याणकारी कदम आपने उठाये, एक क्रान्तिकारी कदम इस बजट में उठाया गया है, पूरे बजट का 15 फीसदी शिक्षा में खर्च करने का सरकार ने निर्णय लिया है, क्योंकि हम सबको ज्ञात है शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरांचल प्रदेश में अभी बहन जी बोल रही थीं कि महिलाओं का बहुत कम प्रतिशत है, पुरुषों का भी बहुत अधिक प्रतिशत नहीं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कुल बजट का 15 फीसदी खर्च करने का सरकार ने निर्णय लिया है, वित्त मंत्री ने निर्णय लिया है यह आपका स्वागतयोग्य कदम है और अभी विद्यालय भवन में शिक्षक नहीं थे वहाँ पर हमारा पाठन कार्य प्रभावित हो रहा था, लेकिन अभी–अभी इस सरकार ने 5–6 महीने के कार्यकाल में शिक्षकों को शिक्षा–बन्धु, शिक्षा–मित्र के माध्यम से 3 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की है और 2 हजार लोगों की नियुक्ति करने के लिए सरकार प्रयासरत है, यह भी स्वागतयोग्य कदम सरकार का है।

मान्यवर, दूसरी ओर मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ कल्याणकारी कदम सरकार ने उठाया है कुछ जिलों में, हमारे जो विकास खण्ड हैं, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूँगा, उस विकास खण्ड में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का अभाव है, जहाँ एक ओर हम महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, महिला आदर्श की बात करते हैं, तो दूसरी ओर हमें यह नितान्त आवश्यकता भी है कि हम उन विकास खण्डों में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करें और मैं समझता हूँ कि इसमें प्राविधान होगा तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर होगी।

मुख्यमंत्री जी को इस बात का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विकल्पधारी शिक्षक जो उत्तर प्रदेश के 4 हजार शिक्षक की बात यहाँ पर कही गई थी कि हम उत्तर प्रदेश के जो विकल्पधारी शिक्षक हैं, उनको शीघ्र वापिस कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ के बेरोजगारों की है और जो हमारे विपक्ष में बैठे हैं, वरिष्ठ लोग हैं और संसदीय कार्यों का बहुत बड़ा ज्ञान है इनके पास, आप तो यह कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार कोई विकास की योजना नहीं लाई, रोजगार की कोई योजना नहीं लाई, 5 हजार शिक्षकों की नियुक्ति वैकल्पिक रूप से यहाँ पर शिक्षा मंत्री द्वारा, हमारी सरकार द्वारा की गई है, मान्यवर, यह बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे उस पर्वतीय क्षेत्र के लिए है, अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में ऐसा कहा था, मैं इस बात को समर्थन देता हूँ, क्योंकि हमारे जो शैक्षकीय विद्यालय हैं उनमें शिक्षा–बन्धु, शिक्षा–मित्र की नियुक्ति की जा रही है, सरकार और कुछ कर भी देती है, लेकिन अशासकीय विद्यालय सरकार का ही अंग है तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे अशासकीय विद्यालय हैं, उन पर भी प्रवक्ता के पद भरे हैं, एल0टी0 के पद भी रिक्त पड़े हैं, उनको भरने के लिए सरकार कोई योजना बनाये, यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ।

दूसरी ओर मान्यवर, सेतु–सड़क, सड़क और शिक्षा हमारे विकास से जुड़ा हुआ मामला है, अगर शिक्षा हमको नहीं मिल पायेगी तो हम विकास नहीं कर पायेंगे और सड़क और सेतु हमारे गाँव तक नहीं जायेंगे तो हमारे ग्राम का विकास नहीं हो पायेगा इसलिए सड़क और सेतु के लिए सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है, इसमें 220 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, इस बजट में प्राविधान किया गया है, यह महत्वपूर्ण कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है, जो सेतु और सड़क के बिना, जो हमारे कृषक होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषक होते हैं, जो उत्पादन उनके द्वारा किया जाता है, उनको बाजार में जाने तक काफी महंगा पड़ता है इसलिए सरकार के द्वारा 220 करोड़ रुपये का प्राविधान इस बजट में किया गया है और प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत 60 करोड़ की व्यवस्था, यह क्रान्तिकारी कदम, इस सरकार के द्वारा पहली बार उठाया गया है, इस बजट की जितनी प्रशंसा की जाये, कम है।

वन व पर्यावरण की दृष्टि से वनों का इस नवसृजित प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान है उत्तरांचल वन बाहुल्य क्षेत्र है, माननीय मंत्री जी द्वारा सघन वन योजना का निर्णय लिया है, जिसके लिये 225 करोड़ का प्राविधान किया गया है, हमारा गाँव हमारी वन योजना के तहत जड़ी बूटी की खेती वन सेना का गठन करने का निर्णय किया है।

ऊर्जा हमारे प्रदेश की आय का प्रमुख साधन है, उत्तरांचल जल विद्युत निगम की स्थापना हो गयी है। 10 साल से बन्द पड़ी परियोजनाओं के लिए यह सरकार कार्य करने की दिशा में कार्य कर रही है, मेरा सुझाव है कि पवन ऊर्जा और ऊर्जा के विदोहन की भी पर्वतीय क्षेत्र में होनी है, जहाँ खिलखिलाती धूप व तेज-तेज चलने वाली वायु का विक्षोभन हम कर सकें, इसका बजट में प्रावधान रखा जाना चाहिये।

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हों, उप स्वास्थ्य केन्द्र हों, इनके माध्यम से हम अच्छी चिकित्सा शिक्षा इस क्षेत्र की जनता को दे सकें, इसके लिए बहुत अच्छे प्रबन्ध यहाँ पर किये गये हैं। 180 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में प्रस्तावित है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने हल्द्वानी में ब्लड बैंक की स्थापना की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ जो हमारा चिकित्यालय है, हल्द्वानी के अन्दर, उसको मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा वहाँ पर की है। निश्चित रूप से चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह सरकार क्रान्तिकारी कदम उठा रही है। इन 6 महीनों के कार्यकाल में मान्यवर, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। 6 महीने में तो शिशु अन्न भी नहीं चखता। मान्यवर, बहन जी कहती हैं कि 6 महीने में कुछ नहीं हुआ, सरकार कुछ नहीं कर पाई। मैं माननीय सदस्या से पूछना चाहता हूँ कि 6 महीने के कार्यकाल में जितना यह सरकार आज कर चुकी है, इससे पहले की उ0प्र0 की किसी सरकार का उदाहरण ले लीजिए। झारखण्ड भी नया राज्य बना, छत्तीसगढ़ भी नया राज्य बना है। इस सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, उन उपलब्धियों को भले ही सदन में राजनीतिक कारणों से आप न कह पा रही हों, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी उपलब्धि जो सरकार की है। (व्यवधान) काजी जी का एक शेर याद आ गया। माननीय काजी जी ने परसों कहा था "तुम्हारे इंकार में इकरार जैसा लागे है।" मान्यवर, वे स्वीकार तो कर रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा है, कल्याणकारी है, विकासोन्मुखी है।

(व्यवधान)

मान्यवर, पेयजल की जहाँ तक बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की जो हमारी बहनों की वेदना थी कि दूर-दूर से सिर पर पानी लेकर आती थीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेयजल सुविधा के लिए प्राथमिकता दी है। आज 3000 असेवित गाँवों में पानी की व्यवस्था की जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वाराहाट गये थे। वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, काफी बड़ा कस्बा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा वहाँ पर की थी कि द्वाराहाट की जनता को पेयजल उपलब्ध । कराया जायेगा। आपने वहाँ पर जो घोषणा की, उसको सार्थक भी किया है। उसके लिए वित्त की भी आपने व्यवस्था की है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि द्वाराहाट की पेयजल योजना और दनिया क्षेत्र की पेयजल योजना, जो श्री बी0सी0 जोशी जी का पैत्रक गाँव है, वहाँ उनका निवास हुआ था। वे उत्तर प्रदेश से पहले थल सेनाध्यक्ष थे तो उनके गाँव दनिया और ब्याठी के बारे में भी आपने पेयजल योजना की बात कही थी। दूसरा एक मामला आया था कि जैती, जो सेना के शहीदों की कर्मस्थली है, जैती जो धाम है वहाँ पर भी आपने पेयजल सुलभ कराने के लिए कहा था। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि उन योजनाओं को आप वित्त सुलभ कराने की कृपा करें। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मान्यवर, अल्मोड़ा जिला बहुत प्राचीन जिला है। यह कुमायूँ की गढ़वाल की कमिश्नरी पहले रहा है। आज इस सरकार के द्वारा पहली बार उस जिले में जलोत्सरण हेतु सीवर लाइन योजना के लिए 11 करोड़ रुपये सरकार के द्वारा दिये गये हैं। यह सबसे बड़ी उपलब्धि माननीय वित्त मंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की है। मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूँ, मेरे पास शब्द नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौहान जी, अब कृपया समाप्त करें।

श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

मान्यवर, समाज कल्याण में हमारे एक सदस्य ने कहा था कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पेज नं0 42 में समाज कल्याण के लिए 107 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है।

मान्यवर, इस सरकार ने निराश्रित विधवाओं के भरण–पोषण के लिए 728 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में की है। मान्यवर, इससे अधिक और क्या, 6 महीने के कार्यकाल में विशेष राज्य का दर्जा मिला है। मा0 मुन्ना सिंह जी संसदीय कार्यों का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, उन्होंने समाचार पत्र में दिया था कि विशेष राज्य का दर्जा रामबाण नहीं हो सकता है, जब तक आर्थिक पैकेज नहीं दिया जायेगा तब तक। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मा0 मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से इस प्रदेश को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला और उसके बाद हमारा विश्वास है, हमें आर्थिक पैकेज भी मिल जायेगा और स्वतः ही रामबाण सिद्ध हो जायेगा।

मान्यवर, इस प्रदेश में अपार जल सम्पदा है, भूस्खलन, बाढ़ से क्षतिग्रस्त नहरों के निर्माण के लिए 650 करोड़ की व्यवस्था है, इसी परिप्रेक्ष्य में यह भी कहना चाहूँगा कि अल्मोड़ा में कोसी नदी में विगत 20 वर्षों से अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड सिंचाई द्वारा 50 मी0 बाँध प्रस्तावित है, यदि सिंचाई मंत्री जी उस बाँध के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेंगे तो अल्मोड़ा के लिए वह वरदान साबित होगा। मान्यवर, इस बजट में विधायक निधि को 50 लाख से 75 लाख कर दिया जिससे क्षेत्र का विकास होगा। मान्यवर, आबकारी नीति में व्यापक परिवर्तन कर देशी व विदेशी मदिरा से एकाधिकार हटा कर अन्य लोगों को भी अनुज्ञापन शुल्क प्रणाली से कार्य करने का अवसर दिया है। इसी तरह मान्यवर, खेलकूद व युवा कल्याण के बजट का प्राविधान किया गया है, देहरादून में स्पोर्ट्स कैम्पस का निर्माण हो रहा है, यह युवा पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अतः मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मा0 वित्त मंत्री जी और मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा तैयार बजट जिसमें शिक्षा, पर्यटन, ग्राम्य विकास, कृषि, वन आदि पर पर्याप्त मेहनत करके यह जो बजट प्रस्तुत किया है उससे निश्चित रूप से देश की जनता लाभान्वित होगी क्योंकि समय बहुत सीमित दिया जा रहा है, मैं इसलिए अपना सुझाव इसमें रखना चाहूँगा। मान्यवर, हमारा

कृषि से जुड़ा और वनों से आच्छादित क्षेत्र है उत्तरांचल, कल मा0 काजी साहब ने बागों के सम्बन्ध में कहा था, बाग चाहे हम लगाते हैं तो पेड़ की दूरी 25 फीट में रखते हैं, वह जिक्र शायद आपने नहीं किया, 25 फिट की दूरी पर पेड़ रखने के बाद जब पेड़ मेच्योर हो जाता है तो एक दूसरे की टहनियाँ मिल जाती हैं। अब हम बीच के पेड़ न काटें, जिसकी दूरी अब मात्र 20 फिट है तो इसमें धूप न आने की वजह से बाग जो है, फल नहीं दे सकता है और एक तरह से प्रतिबन्धित कर देंगे तो वह बाग लगाया हुआ किसान के लिए बेकार सिद्ध हो जायेगा। इसलिए तकनीकी दृष्टि से देखा जाय तो ऐसी जगहों में स्वीकृति दी जाय, यह मेरा सुझाव है। दूसरा मान्यवर, कई बार देहरादून के अन्दर एक बहुत बड़ा अभियान चला, पेड़ों के कटान का। मा0 मुख्यमंत्री जी से भी हम मिले, वन अधिनियम की धारा 410 लगी। एक जगह 420 भी साथ में लगी, इसमें 420 कहाँ से आयी, मेरी समझ में नहीं आया, जिसमें 420 लगी, उसमें न वन विभाग का अधिकारी ससपेन्ड हुआ न हार्टीकल्चर का अधिकारी ससपेन्ड हुआ, उसमें पुलिस का अधिकारी ससपेन्ड हुआ, पेड़ काटा गया पुलिस का अधिकारी ससपेन्ड हुआ, इसमें भी हम मा0 मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जाँच करवायेंगे, मैं आभारी हूँ मा0 मुख्यमंत्री जी का, इस तरह की पुनरावृत्ति फिर न हो।

हम बाग लगाते हैं, हमें काटने की परमिशन नहीं मिलती, बाग मेच्योर हो गया, 100 साल का हो गया इसलिए वह प्रतिबन्ध हटाना चाहिए। मेरे पास आज 10 बीघा जमीन है, 10 बीघे बाग है तो 2 हजार में प्रति बीघे के हिसाब से इससे ज्यादा आय नहीं हो सकती है। बागों के अन्दर आदमी सोना नहीं चाहता है, वहाँ चमगादड़ रात को सारी लीची खा लेते हैं, फलों को चोर भी खा लेते हैं, यदि बाग में बाग का मालिक सो जाए तो उसे उठाकर अपहरण कर लिया जाता है और गुण्डागर्दी करते हैं, और चोरियाँ करते हैं। बागों के अन्दर अगर परमिशन नहीं दी जायेगी तो 2 हजार प्रति बीघे के हिसाब से 20 हजार रुपये साल में कैसे गुजारा करेगा।

आज राजधानी देहरादून के अन्दर बनी है और निश्चित रूप से वह आदमी जिसके पास 10 बीघा, 2 बीघा जमीन होगी अगर उसको बेचेगा तो बेचकर उससे कम से कम 20 लाख रुपया उसे मिलेगा और अगर उसमें बाग रखकर 2 बीघा में बेचता है तो 4 हजार साल का मिलता है तो उसे वह क्या करेगा, उस बाग को रखकर। तो इसे और पेड़ों के लिए जो स्वीकृति मिलती है, उन पेड़ों के लिए अलग से फीस नियत कर दी जाये कि 500 रुपया, एक हजार रुपया प्रति पेड़ के हिसाब से हम आपसे लेंगे, आपको जमा करना पड़ेगा और उससे वन विभाग अपने जंगलों में जो बरबाद हो रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उन जंगलों में वृक्षारोपण करवायें। आज मैं देख रहा हूँ कि वन एवं पर्यावरण में देखा है कि परिस्थिति की चिन्ताओं के कारण वन सम्पदा, जैव-विविधता एवं जीव-जन्तुओं का यह संग्रहण क्षेत्र है तथा उसके लिये स्वर्ग का रूप जाना जाता है। मैं देख रहा हूँ कि जंगल के गूजरों को हटाने की बात कर रहे हैं, मैं आज भी कहता हूँ कि वन गूजर जंगलों के लिए बहुत लाभकारी हैं क्योंकि पेड़ काटने से, चारा-पत्ती को काटने से उनकी भैंसे चरती थीं, जो चारा भेजा जाता था उस चारे को जंगली जानवर खाते थे, कोई जंगली जानवर पेड़ पर चढ़कर चारा नहीं खाता है और आज यह हालत है कि आज उन्हें हटायेंगे निश्चित रूप से जितने जंगली जानवर हैं, खेतों में घुसेंगे। आज हाथी किस

तरह से नुकसान कर रहे हैं, जंगली जानवर किस तरह से फसलों का नुकसान कर रहे हैं। जंगल के अन्दर उन जानवरों के लिए जो चारा होना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है, आज वन विभाग का वह अधिकारी जहाँ एक डी०एफ०ओ० हुआ करता था वहाँ 6-6 डी०एफ०ओ० हो गये हैं, मैं माननीय वन मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इसके लिए संघर्ष किया था और आपके खिलाफ घेराबन्दी शुरू हुई थी, बधाई देना चाहूँगा कि जो चौकीदारी करते हैं, उनके कई-कई हजार हेक्टेयर जो उनके पौधों का सृजन नहीं हुआ, जो चोरी कराने वाले बड़े अधिकारी हैं, जिनके बंगलों में देख लें तो कीमती लकड़ी लगी होंगी, किसी फॉरेस्ट अधिकारी के यहाँ एक स्टूल हो, इससे ज्यादा नहीं होगा तो मेरा सुझाव है कि नीचे का पद सृजित किया जाये, जो चौकीदार हैं, उनके पद सृजित किये जाने चाहिएं और जंगलों के अन्दर अपनी वाहवाही लूटने के लिए पहाड़ों में चीड़ का वृक्षारोपण कर दिया, बांझ जंगलों के अन्दर चीड़ का वृक्षारोपण हो रहा है, धीरे-धीरे चीड़ बढ़ने से बांझ खत्म हो गया, यहाँ मैदानी क्षेत्र में यूकेलिप्टस लगा दिया, उसके बाद जब विरोध हुआ तो यूकेलिप्टस बन्द हो गया तो आपने टीक लगाना शुरू कर दिया, टीक को न कोई जानवर खाता है न पेड़ों के मरने की सम्भावनायें होती हैं तो वह चाहते हैं कि टीक लगा दिया जाये, वह कीमती लकड़ी है परन्तु यह नहीं सोचा कि जंगली जानवरों के लिए जिनके हम संरक्षण की बात कर रहे हैं, उन जंगली जानवरों के जो नेचुरल फॉरेस्ट यहाँ के होते थे, जो यहाँ पर वनस्पति होती थी, वह उस तरह से नेचुरल फॉरेस्ट तैयार करें, जिससे जंगली जानवर सुरक्षित रहें।

मान्यवर, इस तरफ चिन्ता नहीं की गयी और मैं तो बराबर देख रहा हूँ कि नर्सरियों में केवल टीक की पौध तैयार हो रही है। एक दिन बैठकर मैं इसे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लाया था, आपने कहा था, मैं दिखवाऊँगा इसे। इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ इसलिए इसको तुरन्त प्रतिबंधित कर दिया जाए और ये जितनी कीमती लकड़ी है, टीक वगैरह की, यह आबादी के क्षेत्र में लगाने दी जाए। उन किसानों को इसका लाभ उठाने दिया जाए। माननीय वन मंत्री से हमने चर्चा की कि आप जो नाप क्षेत्र के पेड़ हैं, उन्हें भी वन निगम के माध्यम से देना चाहते हैं, तो आपने कहा था, वन विभाग के अधिकारियों से मिलकर अगर एक पेड़ काटने की परमिशन मिलती है तो 4 जंगल से कटवा लेते हैं। तो आप उन अधिकारियों पर अंकुश रखिए, टीक जैसी वनस्पति को जंगल में लगाना बिल्कुल प्रतिबंधित कर दीजिए। केवल आबादी में ही ये वनस्पति लगें और जो लोग लगाएं, उसका लाभ उठाएं। जब जंगल में होगा ही नहीं तो कहाँ से चोरी करेंगे या वो अधिकारियों, कर्मचारियों से मिलकर कहाँ से चोरी कराएंगे। ऐसी व्यवस्था जब तक नहीं होगी, तब तक जंगल सुरक्षित नहीं होंगे। अभी काफी दिन पहले वक्तव्य पढ़ रहा था कि लैण्टाना से हम फर्नीचर तैयार करेंगे। टीक, सागौन और शीशम का तो फर्नीचर चल नहीं रहा है, उस लैण्टाना जैसी सड़ी लकड़ी का फर्नीचर कहाँ चलेगा। लैण्टाना को हम जंगलों से खत्म कर सकते हैं और ईंधन के रूप में जैसे गन्ने की खोई वगैरह का उपयोग किया जाता है, उस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं और जो जंगल लैण्टाना की वजह से बिल्कुल समाप्त हो रहे हैं, उसे ठीक कर सकते हैं।

मान्यवर, मैं ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ और किसान हूँ। गाँव के चारों तरफ जंगल हैं, आज होप्लोकीट ने पूरे जंगलों को समाप्त कर दिया। कितने वन विशेषज्ञ, कितने वन

अधिकारी लगे हुए हैं। यहाँ से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर चले जाइए, रायपुर रोड पर, उधर जंगल के जंगल सूख गए। साल के जंगल सूख गए, जो सबसे कीमती लकड़ी है। यहाँ तो सारे ट्रक की बॉडी और मकानों में चौखटे केवल साल की ही लकड़ी के लगाना पसन्द करते हैं, परन्तु मैं बधाई देना चाहूँगा, वन विभाग के अधिकारियों को कि होप्लोकीट का उपयोग न करके, उसे समाप्त करने का इलाज न करके आपने कम से कम आज लोगों को सस्ती साल की लकड़ी तो उपलब्ध करा दी। वरना अगर इसका इलाज हो गया तो 20 साल बाद भी इस दर पर साल की लकड़ी नहीं मिलेगी। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने सारे जंगल सुखवा दिए क्योंकि उसका इलाज नहीं किया। आज गाँव में साल की लकड़ी 25 पैसे फीट के हिसाब से है। ये बीमारी अभी इस सरकार के बनने के बाद से नहीं लगी, इससे पहले से है, परन्तु हमें चिन्ता करनी पड़ेगी कि इनका जिक्र कहीं नहीं आया, इसके सम्बन्ध में चर्चा होनी चाहिए। मान्यवर, अगर ये चिन्ता नहीं की, पर्वतीय क्षेत्र में चीड़, मैदानी क्षेत्र में टीक, सागौन और यूकेलिप्टस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया तो वनों के मामले में हम कभी सफल नहीं हो पायेंगे। हमारे जंगली जीव सुरक्षित नहीं रह पायेंगे। जंगली जीव खेतों में आ रहे हैं। आज सुनने में आ रहा है कि साहब 4–5 हाथी खेतों में आ गए, कहीं हाथी का बच्चा मर गया। मैं आज भी कह रहा हूँ कि हाथी के बच्चे अपने आप नहीं मर रहे हैं। मारे जा रहे हैं। एक बाघ मारने के लिए विशेषज्ञ बुलाए गए, मारा आखिर गाँव वालों ने। अगर पहले ही गाँव वालों को कह दिया जाता तो निश्चित रूप से उसे मार दिया जाता। एक बाघ के चक्कर में यहाँ तो कई बाघ मर गए। सरकार को खबर नहीं है, इस बारे में। कई बाघ मर गए और जमीन के नीचे दबे हैं। तो इसके लिए चिन्ता करनी होगी, जब हमारे जंगलों का नियोजन सही होगा, तभी जंगली जानवर सही होंगे। और जंगली जानवर सही होंगे तो खेती को नुकसान नहीं करेंगे और जंगलों के अन्दर ही उनके लिए चारा मिल जाएगा।

मान्यवर, पंचायतों से ट्यूबवेल वापस सिंचाई विभाग को दिये, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। इसी प्रकार सींचपाल भी वापस आ जायें। सिंचाई जो लिखता है, आज लेखपाल लिख रहे हैं। लेखपाल अपनी खसरा–खतौनी देखकर, तीन साल पहले से जो फसल भरी है, वही लिख रहे हैं और जिस किसान ने गन्ना बोया वह भी 3 साल पहले अगर गन्ना भरा हुआ था तो आज भी गन्ना ही लिखा हुआ है। बड़ी समस्या किसानों के सामने आ रही है। आबकारी विभाग में एक सिंडीकेट का एकाधिकार खत्म किया है परन्तु मुझे लगता है कि आबकारी विभाग के अधिकारी अभी भी पुराने सिंडीकेट से मिले हैं, क्योंकि 26–03–2000 से देशी मदिरा के परमिट कटने बन्द हो गये थे जो कि 31 को बन्द हो जाना चाहिए था और विदेशी मदिरा के परमिट 31 मार्च तक कटते रहे। जो 2–3 दिन तक प्रदेश में आती रही और फिर उसके ऊपर 3 महीने के लिए फॉर सेल इन यू0पी0 वाली शराब को परमिशन दे दी गई। जबकि 31 की रात को 12 बजे सारी शराब सीज हो जानी चाहिए थी। गढ़वाल मंडल और कुमायूँ मंडल विकास निगम के द्वारा उसको फिर से ठेकेदारों को आवंटित करना चाहिए था, परन्तु फॉर सेल इन यू0पी0 वाली शराब जो है, वह केवल पुराने ठेकेदारों के पास रही। उनसे अधिभार लेकर और उन्हीं को आवंटित कर दी गई। तो आज भी उसकी आड़ में हजारों ट्रक शराब आ रही है। तो कौन अधिकारी हैं ऐसे, जिनकी वजह से इस तरह के निर्णय लिये गये।

आज भी उस सिंडीकेट के लोग नये व्यवसायियों को पनपने नहीं देना चाहते। जो स्थानीय लोगों ने किसी तरह से पैसा जमा करके किसी तरह अधिभार और उसके लाइसेन्स की फीस जमा करके यह किया। ऐसे अधिकारी को चिह्नित करके, उसकी जाँच कराकर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं इस बजट के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, ये बाघ कहाँ मरे हैं और दबे हुए हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मारे हैं लोगों ने, यहीं के इलाके में मारे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, कोई जगह बताएं।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जगह क्यों बताएं, जगह बतायेंगे तो वे जेल जायेंगे।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं माननीय काजी जी ने जो बजट के विरोध में अपनी बात कल कही थी, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो काजी जी ने कल कही थी कि यह बजट दिशाहीन है। मैं इसे इअलेबरेट करता हूँ, स्पष्ट करता हूँ कि दिशाहीन इसलिए है। प्रो0 अमृत्य सेन, जिनको नोबल पुरस्कार अर्थ शास्त्र के क्षेत्र में मिला है और खासतौर से गरीबों से सम्बन्धित जो समस्याएं थीं अकाल की, भूख की उसके विषय में उन्होंने जो विशिष्ट कार्य किया, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला और पूरे विश्व ने इस बात को रेकॅनाईज किया, अहसास किया कि उनका जो आलेख है, इस बारे में जो पुस्तक है, वह बहुत श्रेष्ठ भी है और वास्तविक धरातल पर खरा भी उतरता है। उन्होंने कहा था, जब हम अपनी अर्थ व्यवस्था के लिए आय–व्ययक प्रस्तुत करते हैं तो उसकी दिशा क्या हो, सबसे पहले यह स्पष्ट होना चाहिए। यह अर्थ व्यवस्था हम किसके लिए संचालित करना चाहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है और मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि उसके प्राक्कथन में वित्त मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिये था कि हमारी इस अर्थ व्यवस्था के आय–व्ययक का उद्देश्य क्या है, परन्तु उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। आप स्वयं विज्ञ हैं कि हमारे इस देश में 37 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो आज भी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। मैं नहीं जानता कि उत्तरांचल में उनका प्रतिशत क्या है ?

मान्यवर, वित्त मंत्री जी स्पष्ट करते कि हमारी अर्थ व्यवस्था का आय–व्ययक का उद्देश्य क्या है, वह नहीं किया, आप स्वयं भिज्ञ हैं, हमारे इस देश में 37 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो आज भी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। मैं नहीं जानता उत्तरांचल में इनका प्रतिशत क्या है और मान्यवर, अपने इस बजट भाषण के बीच में यह अनुरोध नहीं करना

चाहता हूँ कि यह परम्परा रही है, आय–व्ययक के पूर्व एक सांख्यिकीय डायरी मिलती है जिसमें प्रदेश से सम्बन्धित हर विभाग से सम्बन्धित उसमें सारे आँकड़े प्रकाशित रहते हैं और मा0 सदस्यों को उससे बहुत सुविधा मिलती है और उनके आधार पर वह अपनी बात को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं, लेकिन वह हम लोगों को नहीं मिल पायी इसलिए उसके अभाव में हम अपने तथ्यों के सम्बन्ध में आँकड़े प्रस्तुत नहीं कर पायेंगे, जो हम लोगों को करना चाहिए था, मान्यवर, मेरा कहना यह है कि हमारे इस बजट का लक्ष्य यह नहीं है कि हम अन्तिम व्यक्ति तक इस अर्थ व्यवस्था के माध्यम से प्रकाश पहुँचाना चाहते हैं। अगर ये लक्ष्य मा0 वित्त मंत्री जी ने निर्धारित किया होता तो मुझको बहुत अच्छा लगता और एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा एक ग्रंथ रामचरित मानस है। मान्यवर, यह सब जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, सब में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। रामायण, महाभारत बहुत लिखी गई। मान्यवर, लेकिन यह ग्रंथ सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ, उसके पीछे एक कारण था जिसको गोस्वामी तुलसी दास जी ने स्वयं अपने शब्दों में कहा है कि "स्वान्तः सुखाय रघुनाथ गाथा" मैंने अपने सुख के लिए, संतोष के लिए, राम की इस कथा की रचना की है इसलिए स्वाभाविक है कि वह ग्रंथ सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ क्योंकि उसमें गोस्वामी जी का मन, वचन, कर्म और आत्मा चारों का सम्मिश्रण था। वही बात मान्यवर, मैं आज कहना चाहता हूँ कि जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं, बहुत संवेदनशील हैं, साहित्यिक व्यक्तित्व इनका है। मान्यवर, बेहतर होता हालांकि यह तो मा0 मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, किसको क्या विभाग दें लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मिली होती, संस्कृति मिली होती, कोई और विभाग मिला होता तो मा0 निशंक जी ने आज अपनी काबिलियत का लोहा इस पूरे सदन को ही नहीं पूरे उत्तरांचल को भी मनवाया होता लेकिन एक ऐसा विभाग उनको दिया गया जिसमें उनकी कोई रुचि नहीं है जिसमें मनवाया होता, परन्तु वित्त में उनका कोई अनुभव नहीं है इसलिए उन्होंने बजट रखने की औपचारिकता तो पूरी की लेकिन वित्त मंत्री के नाते उनका दिल दिमाग कहीं और था, मशीनी जैसे काम होता है, उस प्रकार इन्होंने काम किया। मान्यवर, इसलिए शरीर में जब आत्मा होती है, शरीर मृत होता है और मा0 निशंक जी इस बजट में अपनी आत्मा डाल नहीं सके इसलिए यह एक निर्जीव कागज का टुकड़ा है। इस बजट में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई प्राणदायी समर्पण नहीं है।

मान्यवर, यह मैं कहना चाहता हूँ। हमारे भावुक वित्त मंत्री जी ने कहा, चन्द्र सिंह गढ़वाली जी की चर्चा की। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड के नहीं, पूरे देश के ऐसे शहीद थे जिन्होंने फौज में रहते हुए अपने देशवासियों पर गोली चलाने पर इन्कार किया, उसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। लेकिन बेहतर होता मा0 वित्त मंत्री जी अपने भाषण में हरिद्वार के उस जगदीश वत्स का भी जिक्र करते जो 14 अगस्त, 1942 को रेलवे कम्पाउण्ड में भारत का तिरंगा लहराते हुए ब्रिटिश शासन की गोलियों से धूलधूसरित हो गया था। मान्यवर, अगर पूरे उत्तरांचल के शहीदों को इसमें सम्मिलित करते तो लगता यह बजट केवल गढ़वाल का नहीं, कुमायूँ का नहीं है, इसमें हरिद्वार का भी कुछ हिस्सा है, उत्तरांचल का है, हमको भी एक भावनात्मक लगाव महसूस होता, लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि सच्ची बात कभी–कभी जबान पर आ ही जाती है। मा0 वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के माध्यम से यह बात साबित कर दी कि आज यह हरिद्वार भले ही कानूनी रूप से उत्तरांचल का हिस्सा हो लेकिन भावनात्मक रूप से आज भी वही व्यवहार है जिसकी आशंका हम प्रकट करते थे। मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब इस नये राज्य का सृजन हुआ मान्यवर, हमने उत्तरांचल के शहीदों

को याद किया, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, अच्छा काम था, जिन्होंने इस राज्य के लिए प्राण दिया, अपना बलिदान दिया, उनका स्मरण हमने किया, उनके प्रति हम कृतघ्न नहीं रहे, कृतज्ञ रहे, यह बात अच्छी है। परन्तु मान्यवर, यदि इस नये राज्य बनने के साथ हम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी स्मरण करते जिनका योगदान इस देश को आजाद कराने में है और उनके लिए सुख–सुविधाओं में वृद्धि करने का काम पहले बजट के माध्यम से मा0 वित्त मंत्री जी ने किया होता तो यह लगता कि हम उत्तरांचल के शहीदों से नहीं जुड़े हैं, हम भारत की मुख्यधारा से भी जुड़े हैं, जिन्होंने भारत को आजाद कराने में सक्रिय भूमिका निभाई। हमारे वित्त मंत्री जी ने इस पक्ष को अनदेखा कर दिया।

अभी हमारे जितने पूर्ववर्ती सदस्य थे मान्यवर, जो बजट के सम्बन्ध में चर्चा पर अपने विचार रख रहे थे, उन्होंने विभागों की चर्चा की, विभिन्न नीतियों पर अपने विचार रखे। मान्यवर, मैं जानता हूँ कि विभागीय बजट आयेंगे, प्रत्येक विभाग पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हमारे सुझाव हैं, विस्तार से बजट पर चर्चा के दौरान हम अपने विचार प्रस्तुत करने का काम करेंगे, लेकिन जो गम्भीर वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति आज है उसके जो ब्रॉड आउटलाइन्स हैं, नीति सम्बन्धी विषयों पर मैं बात करना चाहता हूँ। हमारे साथी लगातार खेत की बात, बागवानी की बात, छोटे उद्योगों की बात माननीय फोनिया जी और सब लोग लगातार करते चले आ रहे हैं, लेकिन मान्यवर, उत्तरांचल भारत का एक हिस्सा है, सार्वभौम नहीं है, हम केन्द्र सरकार से बंधे हैं, यूनियन ऑफ इण्डिया भारत संघ का एक राज्य है और इसमें जो देश की आर्थिक नीतियाँ हैं, अगर हम ये कहें कि उनके प्रभाव से अछूते रह सकते हैं तो जैसा कल इन्दिरा जी ने कहा था कि यह दिवास्वप्न देखने जैसा होगा, अभी जो एक्जिम पॉलिसी हुई, आयात–निर्यात की नीति घोषित हुई, जो पहली अप्रैल से लागू होगा, हमारे देश में घोषित हुई।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, केन्द्रीय बजट पर डिस्कस नहीं कर सकते।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, वह बात सही है, हम केन्द्रीय बजट पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं परन्तु अगर माननीय मुख्यमंत्री यह समझते हैं कि उन नीतियों का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है तो मान्यवर, मैं अपना स्थान ग्रहण कर लेता हूँ, जैसे भी हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर मान्यवर, विचार आयेगा तो इसमें कोई आपत्ति माननीय मुख्यमंत्री जी को है तो बता दें, मान्यवर, आय–व्यय उन नीतियों से अलग तो नहीं हो सकता है। मेरा कहना यह है कि उन नीतियों के चलते आज छोटे उद्योग प्रभावित हैं, तमाम देश में प्रभावित हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैं निवेदन करता हूँ कि यह हम लोगों के अधिकार क्षेत्र में है, जो केन्द्र सरकार की नीतियाँ हैं उनको डिफेण्ड करने के लिए केन्द्र सरकार के हमारे मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री

बहुत सक्षम हैं, यहाँ पर जो विरोधी दल है, वह बहस करने के लिए तैयार नहीं है, वह केवल सदन के अन्दर भागने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ कम से कम तैयार हैं, आप बात तो करिये, लेकिन यहाँ की बात करिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

अगर हमारे अम्बरीष जी को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है कि केन्द्र की नीति का प्रभाव सारे देश की अर्थ–नीति पर पड़ेगा तो मान्यवर, पार्लियामेण्ट में क्या हो रहा है इसकी भी चर्चा हम यहाँ नहीं कर सकते।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं नीति नहीं कह रहा हूँ, जो होने वाला है, उसको मैं कह देता हूँ, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ऐतराज करेंगे तो फिर आपकी व्यवस्था आयेगी। मान्यवर, यह छोटे उद्योगों के लिए भी संकट का कार्य है। अभी आप देख रहे हैं माननीय मंत्री जी कह रहे थे, गेहूँ खरीद लें हम, लेकिन गेहूँ को रखने के लिए हमारे पास स्थान नहीं है। ऊधमसिंह नगर में चीन का गेहूँ आज बिक रहा है और उस गेहूँ के बिकने से जो हमारे किसान हैं, उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। चीन के सेब, आस्ट्रेलिया के सेब, इंग्लैण्ड के सेब, हमारे देश में आ गये हैं। वह इस उत्तरांचल में भी बिक रहा है और सेब इस उत्तरांचल की एक प्रमुख फसल है। उस पर उसका कुप्रभाव पड़ रहा है। उसको रोकने के लिए हमारी सरकार क्या कदम उठा रही है। सेब के जो उत्पादक हैं, उन्हें क्या मदद दी जा रही है ताकि हम उसी गुणवत्ता, उसी क्वालिटी का सेब हम पैदा कर सकें।

मान्यवर, उत्तरांचल के कृषि उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। इसके साथ–साथ कृषि क्षेत्र में हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी कम होता जा रहा है, जिसके कारण कृषि क्षेत्र में भी हमारे यहाँ संकट है। मान्यवर, अभी जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, आई0बी0पी0एल0 हमारे उत्तरांचल में बन्द पड़ा है, हमारी कताई मिलें भी बन्द पड़ी हैं, धान मिलें भी बन्द होने को हैं, जो ऊधमसिंह नगर में हैं, वो लोग उत्तर प्रदेश में शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। काजी जी के क्षेत्र में मंगलौर से हमारी गुड़ मण्डी शिफ्ट हो चुकी है। इन सब चीजों पर सरकार का जो दृष्टिकोण और रुख है, उसके चलते हम सरकार से यह आशा नहीं कर सकते कि इस सरकार की कोई ऐसी सार्थक आर्थिक नीति है, जिसके चलते यह उत्तरांचल विकास की राह पर जा सकता है। कृषि, उद्योग दोनों में हमारे यहाँ गिरावट है, गन्ने की बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश से हमारा एग्रीमेंट हो चुका है कि वो हमारी मिलों को गन्ना देते रहेंगे लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर गन्ने की जरूरत उत्तर प्रदेश को होगी तो वो अपनी पूर्ति करेगा कि उत्तरांचल को देगा ?

मान्यवर, यह मेरी निश्चित जानकारी है, मेरे जनपद में जो 3 मिलें हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि पर्याप्त मात्रा में गन्ना न मिलने के कारण समय से पहले वो मिलें बन्द हो गयीं। करोड़ों रुपये बैंक से ऋण लेकर किसानों के गन्ने का बकाया उन्होंने दिया था, उसकी वापसी के लिए भी उनके सामने संकट खड़ा हो गया है। जहाँ तक बिजली की बात है, बिजली पर हम रोज चर्चा करते हैं, माननीय मंत्री जी कहते हैं, हमारी 4 विद्युत

परियोजनाएं बन्द पड़ी हैं, हम उनको प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करने को तैयार है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यदि हमारी गन्ना मिलों को बिजली उत्पादन की छूट दी गयी होती तो 10 मिलें कम से कम 120 मेगावाट बिजली, 12 मेगावाट प्रति मिल के हिसाब से वो इस उत्तरांचल में पैदा कर सकती थीं और जो बिजली की क्राइसेस हमारे सामने हैं, इसको हम बहुत कम कर सकते थे। और जो विद्युत परियोजनाएँ, माननीय मुख्यमंत्री जी फिर कहेंगे कि एनरॉन तो उत्तरांचल का मामला ही नहीं लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि एनरॉन कम्पनी का जो निजी क्षेत्र का समझौता महाराष्ट्र में हुआ था और केन्द्र सरकार की काउण्टर गारण्टी थी, वो आज किस संकट के दौर से गुजर रहा है, ये आज किसी से छिपा नहीं और भारत में एफ0डी0आई0 की जो स्थिति है, वो सर्वविदित है। हमारे मंत्री लोग, सरकार बात करती है, एन0आर0आई0 आएंगे, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे लेकिन मान्यवर, जो स्थिति है, कर्नाटक में कॉन्जेक्ट्रिक्स कम्पनी चली गयी, इन्वेस्ट उन्होंने नहीं किया। आज जो निजी क्षेत्र के निवेश की स्थिति है, वो इतनी अनुकूल नहीं है कि निजी क्षेत्र इतना पैसा लगा दे और अगर वो हमारी परियोजना में लगायेंगे तो शर्तें भी उनकी होंगी और जो निजी क्षेत्र की शर्तें अभी तक रहीं, उनके चलते कोई भी सरकार सफलतापूर्वक उनका निर्वहन नहीं कर सकेगी।

मान्यवर, ये उदाहरण भी आज हमारे सामने है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह भी एक बड़ी समस्या हमारे सामने है। जड़ी–बूटी के बारे में भी हम चर्चा करते हैं लेकिन सरकार यह बताने का भी तो कष्ट करे कि जड़ी–बूटियों में कौन–कौन सी जड़ी–बूटी हैं, जिनका विदेशी सरकारों ने पेटेन्ट करवा लिया है, जिससे हमको नुकसान होने वाला है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर भी अगर चर्चा कर ली होती तो मुझे अच्छा लगता और मैं इन्हें बधाई भी देता। शिक्षा के बारे में, जब शिक्षा का बजट होगा तब चर्चा करूँगा लेकिन महाविद्यालयों की चर्चा की गयी है, चूँकि पूरे पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश देहरादून, हरिद्वार को छोड़कर राजकीय महाविद्यालय और राजकीय विद्यालय हैं, ये दो जिले हैं, जिनमें अशासकीय मान्यताप्राप्त विद्यालय हैं। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में उन विद्यालयों की चर्चा नहीं की और मैं तो यह समझता था कि जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी रोज चर्चा करते हैं कि पब्लिक स्कूल समाप्त होने चाहिएं, मेरी उम्मीद थी कि सरकार नई योजना के साथ आएगी कि हम इन पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने की दिशा में क्या कदम उठाने जा रहे हैं और एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप से हम प्राथमिक शिक्षा और इण्टर शिक्षा में क्या गुणात्मक सुधार करना चाह रहे हैं कि लोग स्वयं इन पब्लिक स्कूलों में जाना छोड़ दें और ये स्कूल बन्द हो जाएँ। लेकिन मान्यवर, बेहद खेद की बात है कि यह सब सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए कहते हैं, जब समय आता है करने का, बजट में उन सब चीजों का समावेश करने का तो अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं, जो इस बजट भाषण से बिल्कुल स्पष्ट है, यह बात भी मैं कहना चाहता हूँ।

मान्यवर, बेहद खेद की बात है कि हम सस्ती लोकप्रियता के लिए यह बात कह सकते हैं, लेकिन जब करने का वक्त आता है, बजट में उन सब चीजों के समावेश करने का वक्त आता है तो मान्यवर, हम जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। जो इस बजट भाषण से बिल्कुल स्पष्ट है। मान्यवर, यह बात भी मैं कहना चाहता हूँ, जब उत्तरांचल विकास निगम का बजट उ0प्र0 से मिलता था, चाहे वह पी0डब्ल्यू0डी0 का मामला हो, शिक्षा का मामला

हो या अन्य किसी विभाग का मामला हो, अब उत्तरांचल राज्य बनने के बाद उसमें प्रावधान कम हो गया है। इसलिए मैं यह कह सकता हूँ कि यह बजट प्रतिगामी बजट है, यह प्रगतिशील बजट नहीं है। दूसरी बात हमारे माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि जीरो टैक्स क्या होता है ? जीरो टैक्स का मतलब यह है, जो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। 5 वर्ष तक कोई सेल टैक्स हम किसी उद्योग से नहीं लेंगे, व्यापारी से नहीं लेंगे।

हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा, इससे हमारे राजस्व पर प्रभाव पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन मान्यवर, इसका दूसरा पहलू आप सोच लें, हम उसको माफ करने के बाद इतने उद्योगों को आमंत्रित कर सकें कि हमारे लोगों को रोजगार मिले, समृद्धि मिले और समृद्धि के साथ–साथ अप्रत्यक्ष करों से उसकी पूर्ति कर सकते हों तो मान्यवर, यह प्रदेश के लिए भला काम भी होगा और वह प्रगतिशील कदम भी होगा, जिसके माध्यम से हम अपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम करेंगे और इसका विपरीत प्रभाव क्या हो रहा है मान्यवर, हमारे जो अल्प बचत की दर कम, बैंक में ब्याज की दर कम, अब लोगों के लिए एक रास्ता रह गया है कि शेयर में इन्वेस्ट करें क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि हम इन्वेस्ट कर सकें, हमारे यहाँ ऐसी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, ऐसे समूह नहीं हैं, जिनमें इन्वेस्ट कर सकें। तो मान्यवर, पैसा उत्तरांचल प्रदेश का और उसका लाभ दूसरे प्रदेशों को इन्वेस्टमेंट के द्वारा हो रहा है और इसी के साथ बड़ी समस्या ऋण और जमा अनुपात की है, जितना हमारे लोगों का बैंकों में जमा है, उसके अनुपात में उत्तरांचल के लोगों को ऋण मिल रहा है या नहीं, यह एक देखने की बात है। माननीय वित्त मंत्री जी इस पर भी अपनी बात कहते तो मुझे लगता कि गम्भीरतापूर्वक बजट तैयार करने की एक्सरसाइज हुई है। अब मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम अपना एक बैंक स्थापित कर लें मान्यवर, तो उस बैंक के माध्यम से उत्तरांचल के लोगों का पैसा अगर उसमें जमा होगा, हम आकर्षक ब्याज देंगे तो उसका सबसे बड़ा लाभ हमको यह होने वाला है कि उस बैंक में जमा धनराशि का उपयोग हम उत्तरांचल की विकास योजनाओं के लिए कर सकते हैं और जिस फाइनेन्शियल क्रन्च की हम बात करते हैं, चूँकि आर्थिक संसाधनों को जुटाने की बात हम कर रहे हैं, उस बैंक के जरिये हम उन संसाधनों को अधिक आसानी से जुटा सकते हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि माननीय वित्त मंत्री जी इस पर भी थोड़ा विचार कर लें।

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूँ। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम जिनके माध्यम से पिछड़े वर्ग के लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को रोजगार देने का काम होता था उ0प्र0 में, लेकिन इस प्रदेश की सरकार ने इन वित्त विकास निगमों का आज तक गठन ही नहीं किया और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तो पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस पर भी मान्यवर, विचार होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बार–बार कहते हैं कि संसाधनों का बड़ा अभाव है, पैसा है नहीं। रोज यहाँ चर्चा होती है। माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि परिसम्पत्तियों का बँटवारा उ0प्र0 से हो ही नहीं रहा है। अभी सत्ता पक्ष के एक सदस्य कह रहे थे कि दिल्ली में एक मकान भी उ0प्र0 देने को तैयार नहीं है। लगातार उसके लिए भी पैसा माँग रहा है, शर्तें लगाई जा रही हैं कि नैनीताल में पहले हमको भवन दो, तब हम आपको यू0पी0 निवास देंगे। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे वित्त मंत्री जी

ने अपने बजट भाषण में एक बात कही कि इस राज्य का गठन राजनैतिक नहीं है, लेकिन मैं क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूँ कि गठन तो राजनैतिक है, अगर यह व्यवहारिक आधारों पर हुआ होता तो आज परिसम्पत्तियों के झगड़े की नौबत ही नहीं आती और अगर उस समय हम यह तय करते, राज्य बनाने से पहले हम ऐसे सारे झगड़ों को तय करेंगे तो आज यह विलम्ब जो परिसम्पत्तियों के बँटवारे की वजह से हो रहा है, वह न होता।

मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास एक लक्ष्य होता कि हम उत्तरांचल राज्य का विकास करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन यह पॉलिटिकल एक्सपीडिएंसी थी, जिसके चलते हमने इतनी महत्वपूर्ण बात को नजरअन्दाज करने का काम किया। दूसरी बात अपने भाषण में उन्होंने लिखी, मैं नहीं जानता क्यों लिखी कि हिमालय तो हिन्दुस्तान का भाल है, इससे कोई इन्कार कर ही नहीं सकता, लेकिन मान्यवर, एक बात इन्होंने और लिखी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हिमालय के किनारे छोटे राज्य का गठन आवश्यक था। इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश एकमात्र राज्य है जहाँ शान्ति है। अदरवाइज जितने राज्य हिमालय में हैं, माननीय वित्त मंत्री जी जब जवाब देंगे तो बता दें कि कहाँ शान्ति है।

मान्यवर, यह जो तथ्य इन्होंने रेखांकित किया है, इसका कोई आधार नहीं है और इनकी बात इसके विपरीत है, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, प्रशासनिक सुधार की बात, हमारा नया राज्य बना, हमारे पास संसाधनों की कमी है, 5 करोड़ की गाड़ियाँ खरीदीं, मैं बंगाल गया था और बंगाल में देखा, राज्य अपनी गाड़ियाँ खरीदता नहीं, उसका लाभ क्या होता है, जो ये ड्राइवर हैं, उनसे हमने प्राइवेट टैक्सी ले ली, हमारे पास 5 करोड़ था, अगर हम टैक्सी से काम चला लेते तो उनको रोजगार तो मिल जाता लेकिन जो तमाम मेन्टिनेन्स बचता और 5 करोड़ भी हमारा बचता और हमारा 5 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट बचता। लेकिन मान्यवर, यह इस राज्य में नहीं किया गया। हम बार-बार बात करते हैं, हम उ0प्र0 की परम्परा से अलग रहना नहीं चाहते, लेकिन हम सिक्किम गये थे, सिक्किम में मंत्री की एक गाड़ी घूमती थी, जिसमें मंत्री अकेले घूमता था, कोई पायलट नहीं था, न एस्कोर्ट कार ही थी लेकिन मान्यवर, हम राज्य के विकास की बात करते हैं और हमारे दिमाग सामंती रूप से भरे हैं, सामंती हमारा आचरण हो तो मान्यवर, हम कहना चाहते हैं, हम राज्य का विकास नहीं चाहते, पद पाने की इच्छा अपने सुख-आराम की दृष्टि से, हम इस राज्य का निर्माण कराना चाहते हैं।

मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं अलग से उपयुक्त समय पर इस पर चर्चा करूँगा। मान्यवर, आज किस तरीके से शासनादेशों का उल्लंघन करके घोर वित्तीय अनियमितता करके इस देश का पैसा "माले मुफ्त दिले बेरहम" की तरह उड़ाया गया। मान्यवर, नयी कार्य संस्कृति लाने में हम काम करते तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश का भला कर सकते हैं, आज इस बात के इच्छुक हैं कि केन्द्र हमको आर्थिक पैकेज दे और हमारा घाटा पूरा कर दे तो हमारा प्रदेश तरक्की कर सकता है लेकिन, मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों में आत्म विश्वास भर दें कि यह प्रदेश तुम्हारा है और इसका भविष्य तुम्हारे भविष्य से जुड़ा है। मान्यवर, जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पर बम पड़े थे और तहस-नहस

हो गया था, उस जापान ने अपनी शक्ति के बल पर अपनी ताकत से और देशभक्ति के बल पर स्थान दुनिया की बिरादरी में क़ायम किया है कि यह सारे देशों को पीछे छोड़कर, जापान दुनिया की इकोनोमिक में महत्वपूर्ण शक्ति है। यदि वे ऐसा नहीं करते या इस आधार पर निर्णय लेते कि पैसा हमको कहाँ से मिलेगा तो यह स्थिति न होती। मान्यवर, स्वयं अपने ऊपर आत्मविश्वास हो, हम महात्मा बुद्ध के उपदेशों को चरितार्थ कर लें कि "आत्म दीपो भव" अपने लोगों में वह शक्ति भर दें तो मैं कहना चाहता हूँ कि 84 लाख लोग अपने दोनों हाथ खड़े करके इस पूरे उत्तरांचल का नक्शा बदलने का काम कर देंगे। यह निवेदन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ।

मान्यवर, इसके साथ एक शेर मैं कहना चाहता हूँ– "चलना है तो अपने सहारे से चलो, जलना है तो शमा–ए–अमन बन के जलो, मेहनत से मिल जाय दोजख तसलीम, मुफ्त आये पास तो जन्नत भी न मिले" मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ, अपने अन्दर आत्मविश्वास पैदा करने का काम हमको करना चाहिए, हम संसाधन जुटाने की बात करते हैं परन्तु खनन का काम हमने बन्द कर दिया, 2 सौ करोड़ लगभग इसमें मिल सकते हैं। मान्यवर, मेरे साथियों ने बहुत सुझाव दिये अगर इन सुझावों पर अमल करें और एक कन्सेन्सस् बनाने का काम करें। मा० मुख्यमंत्री जी से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मा० मुख्यमंत्री जी सरकार बहुमत से चलती है लेकिन प्रदेश आम राय से चलता है और आम राय को आप बनाने का यदि काम करेंगे तो यह प्रदेश के विकास के रास्ते में एक मील का पत्थर साबित होगा। मान्यवर, आज सारे कर्मचारी आन्दोलित हैं, व्यापारी आन्दोलित हैं। 15 परसेन्ट टैक्स अधिक देना पड़ता है, मा० मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आज सेल टैक्स में लूट मची है, क्लर्क, चपरासी, एस०टी०ओ० पैसा माँग रहे हैं और लूट रहे हैं, रिश्वत लेकर सारा माल पार कर रहे हैं। मान्यवर, भारी लूट हो रही है, इसको भी रोकने का काम करें, चारों तरफ हाहाकार है, सारे वर्ग परेशान और आक्रोश में हैं, सारे आन्दोलनरत हैं। मान्यवर, वित्त मंत्री जी को आगाह करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ अली सरदार अली ने कहा था– "यदि ये हाल नहीं सुधरे तो नया चश्मा पत्थर के सिगाफों से उबलने को जमाना किस कदर बेचैन है करवट बदलने को।"

माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आपकी यही हालत रही और यही बजट रहा और आप आत्म प्रशंसा में मुग्ध रहे तो आप समझ लीजिये कि जमाना तो करवट बदल रहा है और उसके करवट बदलने के बाद आप कहाँ होंगे, इसकी कल्पना कर लीजिये। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय काजी जी, श्री राम सिंह सैनी, इन्दिरा जी के बजट विरोध प्रस्ताव पर समर्थन करता हूँ।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बजट में चर्चा करने का जो समय दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हूँ। श्रीमन्, हमारे उत्तरांचल प्रदेश की विषम परिस्थितियाँ हैं, एक ओर गंगोत्री से लेकर पंचाचूली तक हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला, उनकी तलहटी में बसा हमारा यह पर्वतीय क्षेत्र, यमुना और काली के किनारे हरिद्वार से लेकर नेपाल की सीमा तक बसा, हमारा तराई क्षेत्र एवं भौगोलिक परिस्थितियों की कठिन आर्थिक स्थितियों के कारण

ही उत्तरांचल प्रदेश का निर्माण हुआ है, मैंने बड़ी गम्भीरता के साथ माननीय विपक्ष के सदस्यों का भाषण सुना तो बहुत सी ऐसी चीजें थीं और मुझे ऐसा लगा कि जो दस्तावेज माननीय वित्त मंत्री जी ने यह प्रस्तुत किया था, सदन में और इसको जिस समय पढ़ रहे थे, उसको पढ़ के देख लिया और इतना ही पढ़ दिया, यहाँ पर उसके बारे में चर्चा शुरू की।

मगर श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ, जैसा कि श्री अम्बरीष जी ने कहा कि हमारे वित्त मंत्री जी बड़े कवि हृदय हैं, कवि हृदय हैं, यह मानते हैं मगर बुद्धिमान भी बहुत हैं, आज का जो परिवेश जिन परिस्थितियों में हमारा उत्तरांचल राज्य बना है, जो यहाँ की कठिन परिस्थितियाँ थीं, यह सारे लोगों को पता है और ऐसी स्थिति में एक ऐसा बजट और जबकि पहले भी हमने बजट देखे हैं और सरकारों ने बजट प्रस्तुत किया है और सस्ती लोकप्रियता के लिये बड़ी-बड़ी योजनाओं का जिक्र कर दिया जाता है, मगर वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, इस नये राज्य की दिशा सुधारने के लिए यह बजट जो प्रस्तुत हुआ है, यह मील का पत्थर साबित होगा, जो बजट यह तैयार किया गया है, जैसा मैंने आपको बताया कि यह दस्तावेज तो प्रस्तुत कर दिया, उसके बारे में पढ़ के यहाँ पर बता दिया, बहुत सी चीजें ऐसी आई हैं, जिनके बारे में माननीय विपक्ष के सदस्यों ने कहा, यह नहीं हुआ, श्रीमन्, उत्तर प्रदेश का भी बजट हमने देखा है, हमारा जो यहाँ का बजट तैयार किया गया है, उसके अलावा एक खण्ड में 5 और यही खण्ड उत्तर प्रदेश में 11 पुस्तकों में प्रतीत होता था और यही बजट हिमाचल प्रदेश में 20 पुस्तकों में प्रस्तुत होता था और यहाँ तो श्रीमन्, बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टि से, कम्प्यूटरीकृत करके मात्र 475 पेजों में यह बजट प्रस्तुत किया गया है, जो एक खुला आइना है, उसकी प्रत्येक चीज को किसी समय भी और बड़ी आसानी से साथ सुलभ स्थिति में भी, इसको देखा जा सकता है। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, कल हमारे वरिष्ठ सदस्य काजी जी कह रहे थे कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिये कुछ नहीं किया गया, हज कमेटी के लिये कुछ नहीं किया श्रीमन्, मैंने इसलिए कहा कि इसमें सारा विवरण प्रस्तुत है, हज कमेटी के लिए 2 लाख रुपये की व्यवस्था है। भले ही कमेटी का गठन न हुआ हो मगर भविष्य में गठन हो, उसके लिए प्रॉविजन कर दिया गया है, अभी माननीय सदस्यों ने हमारे बजट के बारे में भी कहा, इतना कम प्रॉविजन किया है, यह तो ज्यादा होना चाहिए था।

श्रीमन्, यह तो परम्परा है, नई चीजें अगर कोई बनती हैं तो वहाँ टोकर भी स्वीकृत कर दिया जाता है, बाद में सप्लिमेन्टरि आ जाती है इसलिए उस बजट को बढ़ाया भी जा सकता है, इतना ही नहीं श्रीमन् अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जहाँ यह कहा गया है, कुछ नहीं किया गया हज कमेटी के लिए, 2 लाख रुपया दिया गया, एक करोड़ चालीस लाख रुपया सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का प्रॉविजन किया गया है, मगर उसका उल्लेख कहीं नहीं आया, ऐसी विषम परिस्थितियों में जहाँ हमारी सरकार को बने हुए मात्र 6 महीने हुये हों और 6 महीने में एक ऐसी दिशा देने वाला बजट, एक गतिमान, जो कि उत्तरांचल के लिये मील का पत्थर साबित होगा, श्रीमन्, जहाँ तक बेरोजगारों की बात है, कहीं रोजगारपरक नहीं बताया गया है।

मान्यवर, इसमें पहले ही यह ध्यान दिया गया है, यह सारी स्थिति सदन को पता थी। मैं यहाँ पर यह उल्लेख करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बजट बनाने वाली हमारी टीम है, अगर आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश का और उत्तरांचल का बजट देखें, 91 से लेकर जब तक हमारा उत्तरांचल राज्य अलग नहीं हुआ था, उस बजट को देखें, 91 से पहले के बजट को देखें, 40 साल तक जिन लोगों ने बजट को तैयार किया, लोगों को फुलझड़ियाँ दिखाते रहे, लोगों को सस्ती लोकप्रियता के लिए बजट दिखाते रहे। 91 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बजट पारित किया था। तब से लेकर विकास की गति उत्तर प्रदेश में ही नहीं उत्तरांचल में भी आयी।

उत्तरांचल के बारे में कहूँगा, 91 तक जो सड़कें नहीं बनी थीं, विद्यालय नहीं खुले थे, उच्चीकरण नहीं हुए थे, 91 के बाद प्रारम्भ हुए। मैंने यह उद्धरण इसलिए किया क्योंकि आज वही टीम यहाँ उत्तरांचल का बजट बनाने के लिए भी बैठी है, उन्होंने ही यह बजट भी तैयार किया है। तो हम यह कैसे मान सकते हैं कि उ0प्र0 जैसे बड़े राज्य में उत्तरांचल का इतना हित हम कर सकते हैं, तो आज तो हमारा अपना प्रदेश है। तो रोजगार की बात मैं कह रहा था, अकेले रोजगार की दृष्टि से एक–डेढ़ अरब रुपये का प्रॉविजन किया गया है, ताकि रोजगारपरक योजनाओं को बना सकें। चाहे एस0आर0वाई0 के माध्यम से हो, स्वर्ण जयन्ती के माध्यम से हो, जे0आर0वाई0 के माध्यम से हो, अगर हम उसका विश्लेषण करें तो प्रत्येक वर्ष इस डेढ़ अरब रुपये में 75 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, यह पहली बार व्यवस्था की गयी है। इतना ही नहीं अंग्रेजों के काल से ही यहाँ चाय का उत्पादन किया जाता था, आजादी के बाद चाय के बागानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह पहली सरकार है जिसने यहाँ के उजड़ चले रोजगार, यहाँ की महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ा रोजगार हो सकता था, उस रोजगार योजना के लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया लेकिन हमारी सरकार ने ध्यान दिया है। 2.34 लाख रुपये का उसमें प्रॉविजन किया है। 22 हजार लोगों को प्रति वर्ष उससे रोजगार मिलेगा।

आप कल्पना कर सकते हैं, एक तरफ 75 हजार लोगों की रोजगार योजना है, 22 हजार लोगों के रोजगार की योजना केवल चाय से है। शिक्षा–बन्धु, शिक्षा–मित्र, यह अलग से पढ़े–लिखे बेरोजगारों के लिए व्यवस्था की गयी है। कोई भी ऐसा मद नहीं छूटा है, जिसके लिए हम कह सकें कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। विकलांगों के लिए 3.22 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, पहले इतने अल्प समय में विकलांगों के बजट का प्राविधान, कभी नहीं किया गया। जहाँ तक उद्योगों की बात है, उद्योगों के प्रति हमारी सरकार बहुत अधिक संवेदनशील है। हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियाँ विषम हैं, एक तरफ पूरा पर्वतीय क्षेत्र है और दूसरी तरफ हरिद्वार से लेकर हल्द्वानी तक का तराई क्षेत्र है। अगर हम एक नीति बना देते तो पर्वतीय क्षेत्र के हिसाब से नीति बनेगी तो मैदानी क्षेत्र में कारगर नहीं हो सकती है और अगर मैदानी क्षेत्र के लिए नीति बनेगी तो पर्वतीय क्षेत्र में कारगर नहीं हो सकती है, उस दृष्टि से हमारी सरकार ने एक नीति बनायी है, छोटे पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे उद्योगों के जरिये तथा बड़े मैदानी क्षेत्रों में बड़े उद्योगों के जरिये लोगों को रोजगार दिया जाएगा ताकि वे आर्थिक रूप से सम्पन्न हो सकें। मान्यवर, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है।

श्रीमन्, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किये हैं उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्र में, हमारी सरकार ने, शायद किसी सरकार ने आज तक इतना ध्यान नहीं किया। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अन्य राज्यों में भी इसका कोई प्रॉविजन नहीं है। हमारी जो घराट सुधार योजना है, उसके जरिये ही हम ऐसे क्षेत्रों में भी जहाँ आज हम वन अधिनियम की वजह से बिजली नहीं पहुँचा सकते हैं, वहाँ 2 किलोवाट बिजली जिसकी कीमत मात्र तीन–साढ़े तीन लाख रुपये है, उन गाँवों को बिजली भी उपलब्ध करा सकते हैं। उस बिजली के द्वारा उद्योग भी चल सकते हैं, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। शिक्षा के क्षेत्र में कहा गया है, हमारे यहाँ कुल साक्षरता 72.28 प्रतिशत है। गुणवत्ता की बात आती है, अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे, जब हमारा विद्यार्थी शिक्षित ही नहीं हो पायेगा तो कम्प्यूटर कैसे चलायेगा।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, जहाँ साक्षरता का प्रतिशत इस समय सबसे अधिक हमारे उत्तरांचल प्रदेश का है और अगर यही रफ्तार, आज हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट का प्रॉविजन किया गया है तो मैं निश्चित मानता हूँ कि 2–3 वर्षों के अन्दर हमारी साक्षरता 100 प्रतिशत पहुँच जायेगी। दूसरी तरफ हमने व्यवस्था की है, आज के इस वैज्ञानिक युग में लोग कम्प्यूटर की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ वही पिछड़ी बातें करेंगे तो हम कैसे तरक्की करेंगे तो कम्प्यूटर शिक्षा के माध्यम से इस वर्ष 40 विद्यालयों को कम्प्यूटर माध्यमिक विद्यालय दिये जा रहे हैं। अभी हमारी वरिष्ठ सदस्या कह रही थी कि कम्प्यूटर तो आप दे रहे हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था कैसे होगी, क्या होगी। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कि कम्प्यूटर के लिए अलग से व्यवस्था है और जो उसकी साज–सज्जा और सामग्री है जैसे कमरा कैसे बनेगा, उसके लिए फर्नीचर की क्या व्यवस्था होगी, 70 हजार प्रति विद्यालय, उसके लिए अलग व्यवस्था की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में इससे भी महत्वपूर्ण बात है, जहाँ 680 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, कम्प्यूटरों के लिए भी बजट का प्रॉविजन किया गया है, मगर हमारी जो उत्तरांचल की संस्कृति है, एक हिसाब से अगर हम यह कहें कि उत्तरांचल धार्मिक क्षेत्र तो है ही आध्यात्मिक भी है। आज तक किसी सरकार ने संस्कृति के लिए अलग से बजट का प्रॉविजन नहीं किया है। 1.96 करोड़ रुपये संस्कृत के विद्यालयों के उत्थान के लिए दिये जा रहे हैं। मतलब यह कहना कि हमारे वित्त मंत्री जी नये थे, उनको विभाग के हिसाब से कार्य नहीं दिया गया, अगर विभाग के हिसाब से कार्य नहीं दिया गया होता तो छोटी–छोटी जो मदें थीं, जिनको प्रायः भूल जाया करते थे। आज संस्कृति की कितनी महत्ता है, अब समझ पायेंगे यहाँ के लोग।

श्रीमन्, पहले उ0प्र0 से हमारे यहाँ के लिए बजट आता था। उ0प्र0 से हमको प्लान का पैसा मिल जाता था, सड़कें बन जाती थी, नहरें बन जाती थी, एक बार बन गई उसके बाद वो टूट जाती थी, मरम्मत के लिए हमारे पास पैसा नहीं आता था, हम चिल्लाते थे कि नॉन प्लान का पैसा नहीं मिल रहा है। पहली बार हमारी सरकार ने चाहे नहर के लिए हो, चाहे सड़क के लिए हो, पहले से ही रखरखाव के लिए व्यवस्था कर दी है। इतना ही नहीं भू–स्खलन से जहाँ सड़कें बार–बार टूट जाया करती थी, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं हो पाता था। ऐसे चिन्हित स्थानों में लगातार यातायात सुलभ हो सके, वहाँ पर भी बजट का प्रॉविजन कर रखा है। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात समाप्त करता हूँ क्योंकि आपने लालबत्ती जला दी है। इसलिए अनुरोध करूँगा, कुछ जरूरी बिन्दु हैं। पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। यहाँ का राजस्व की व्यवस्था पटवारी के जरिये होती

है और आधी व्यवस्था रेग्यूलर पुलिस के द्वारा होती है। अब पटवारी अकेला है और चपरासी की उसके पास कोई व्यवस्था नहीं होती थी। किराये के मकान में रहता था। लोग शिकायत करते थे कि पटवारी नहीं मिल रहा है। पहली बार सरकार ने पटवारी चौकियों की व्यवस्था की है। इसके लिए बजट की व्यवस्था की गई है। आपदा प्रबन्धन में भू-स्खलन आज तक इसके लिए अलग से कोई बजट नहीं था, पहली बार बजट का प्रॉविजन किया गया है।

श्रीमन्, मुख्य रूप से तराई का क्षेत्र, हमारी कृषि का क्षेत्र रहा है, पर्वतीय क्षेत्र में कृषि का इतना उपयोग नहीं हो सकता। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय भी कृषि पर आधारित अनुसंधान करता था। उद्यानों के आधार पर आज तक अनुसंधान नहीं होते थे। उ0प्र0 में भी जब हम थे तो कृषि के आधार पर ही हमको बजट मिलता था, अलग से उद्यान के लिए कोई बजट नहीं मिलता था। पहली बार सरकार ने ऐसा किया है ताकि हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोग आर्थिक रूप से सम्पन्न हो सकें, बागवानी के द्वारा सम्पन्न हो सकें, उनके लिए बजट की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं मुनस्यारी जैसे दूरस्थ स्थानों से, जहाँ से फल नहीं आ पाते थे, उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, प्रिपुलिंग और रिपुलिंग के तहत ताकि उनके फल आसानी से आ जाएं और उनका उचित मूल्य मिल सके, यह व्यवस्था हमने की है। पर्यटन की स्थिति है। पर्यटन में पहले हमको ढाई करोड़ रुपये मिलते थे, 50 हजार सब्सिडी मिलती थी। ......

मान्यवर, जहाँ 10 लाख और 2 लाख सब्सिडी अधिक से अधिक 20 लाख किसी सरकार ने नहीं किया है क्योंकि हमारा पर्यटन क्षेत्र ही ऐसा है, जहाँ रोजगार अधिक दिया जा सकता है, मनोरंजन कर में छूट दी है। श्रीमन्, वन के क्षेत्र में ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा। मान्यवर, अपना गाँव अपना वन के उद्देश्य से जो महिलाओं के बारे में बात की जा रही है। पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। पहली बार वन पंचायतों का गठन करके महिलाओं को वन पंचायतों से जोड़ कर पर्यावरण की दृष्टि से हम देखें तो 67% शुद्ध पर्यावरण के लिए वन की आवश्यकता होती है और वन को आज की तारीख में बचाया जा सकता है, महिला समाज ही इसे बचा सकता है, महिला समाज से ही पर्यावरण की विस्तृत व्यवस्था हो सकती है, वन पंचायतों को महिला के साथ जोड़कर बहुत अच्छा कार्य किया है, महिला डेरी में 1.77 लाख की योजना जो की है, उसके साथ-साथ निराश्रित विधवाओं के लिए इसमें कुछ नहीं किया गया है। इसके साथ-साथ पिथौरागढ़ के लिए जो अब तक हमारे पुरातत्व विभाग के पहली बार पिथौरागढ़ को 10 लाख रुपये संग्रहालय के लिए जो आवंटित किया गया है, उसके साथ पाताल भुवनेश्वर के लिए भी आवंटित किया गया है, इसके लिए मैं मा0 मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ और पुनः मा0 वित्त मंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हुए, इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट का समर्थन करता हूँ।

शहरी विकास मंत्री (श्री हरबंस कपूर)–

मान्यवर, मैं मा0 वित्त मंत्री और आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बजट भाषण पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। वित्तीय वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमानों पर बजट के समर्थन में अपना विचार रखूँगा। मान्यवर, आपके माध्यम से

मैं मा0 वित्त मंत्री जी श्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ। मा0 मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने करविहीन बजट प्रस्तुत करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, नया राज्य बना था, पहले बजट पर सभी उत्तरांचल वासियों की निगाहें इस पर टिकी हुई थी, सबको यह भय था सीमित संसाधनों के कारण और अर्थव्यवस्था जो विरासत में, इस प्रदेश को मिली है, प्रदेश को चलाने के लिए क्या-क्या कर अनुमान था, नये कर लगाये जायेंगे और आम नागरिकों के ऊपर बोझ पड़ेगा। मान्यवर, मा0 वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया।

मान्यवर, हम स्वागत करते हैं इस बजट का, यदि हम याद करें जब हिमाचल प्रदेश बना था तो कई महीनों तक वहाँ के कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन नहीं मिल पाया था, यह भी आशंका थी कि किस प्रकार से यहाँ के वेतन की व्यवस्था की जायेगी, कर्मचारियों को किस प्रकार से वेतन दिया जायेगा। यह स्वाभाविक है माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार से बजट में व्यवस्था की, प्रत्येक कर्मचारी को नियमानुसार समयबद्ध तरीके से वेतन की व्यवस्था हुई, अनेक कठिनाइयों के कारण कुछ सम्भावनायें व्यक्त की जा रही थीं, उन सबको धूमिल किया गया और आज हम महसूस करते हैं कि प्रदेश के प्रत्येक वर्ग ने इस ऐतिहासिक बजट का स्वागत किया है और निश्चित रूप से एक जो नये राज्य के लिए जो पहला बजट एक नींव बनता है, वह नींव बनी। मान्यवर, मैं आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय वित्त मंत्री जी का, जिस प्रकार से व्यापार कर जो किसी भी राज्य की आज रीढ़ है, उसमें व्यापार कर प्रणाली में जो व्यवस्था की गई, जो यह स्वागत योग्य है, इसके साथ ही साथ जो व्यापार कर प्रणाली में सस्ता न्याय दिलाने के लिए जो प्रथम और द्वितीय और अन्य चरणों में जो कटौती की गई, उसका हम स्वागत करते हैं और साथ ही प्रदेश के उन दूरस्थ स्थानों में जहाँ पर व्यापारी, व्यापार-कर देने के लिये या उसकी व्यवस्था करने के लिये, उसे अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता, स्वतःकर जो इन्होंने लागू करके एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। मान्यवर, मैं निवेदन जरूर करना चाहूँगा, माननीय वित्त मंत्री जी से, व्यापार-कर मुख्य रूप से इस प्रदेश की आर्थिक स्थितियों का एक स्रोत है और हम कर देने वाले व्यक्ति को करदाता कहते हैं, परन्तु कर तो हम वसूल करते हैं उनसे, परन्तु आज भी व्यापार-कर कार्यालयों में व्यापारी के बैठने का स्थान नहीं है, उसके लिये पीने के पानी तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है, देहरादून व्यापार-कर कार्यालय और व्यापार-कर का एक मुख्य कर वसूल करने का केन्द्र हो सकता है।

मान्यवर, यदि हम देखें कि किस प्रकार से हम करदाताओं को सहूलियत प्रदान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम यह महसूस करेंगे कि आज देहरादून में ही व्यापार-कर के लगभग 10 कार्यालय हैं और अगर इन्हें एक जगह पर एक ही छत के नीचे स्थापित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से व्यापार-कर देने वालों को भी सहूलियत होगी और कर निर्धारण करने वालों को भी सहूलियत होगी। माननीय वित्त मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया हम उस कथन को चरितार्थ न करें कि "कमाऊ पूत हमेशा अभाव में रहता है।" आज व्यापार-कर कार्यालय के पास अपना कोई कार्यालय भवन नहीं है और जिस स्थिति में यह कार्यालय चल रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी स्थिति चिन्ताजनक

है। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में आज माननीय वित्त मंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, हम सब महसूस करते हैं और हमें मालूम भी है कि उत्तरांचल में जो साक्षरता का प्रतिशत है, निश्चित रूप से वो देश के अन्य राज्यों से, जिन राज्यों की साक्षरता का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, हो सकता है उनमें से एक हो। और आज बजट में 15 प्रतिशत प्राविधान शिक्षा के क्षेत्र में करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ और उनकी इस व्यवस्था का स्वागत भी करता हूँ। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम अपने प्रदेश को पूर्ण साक्षरता प्रदान कर सकते हैं, इससे हमारा यह विश्वास बढ़ा है। बेरोजगारी, जो इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी सराहनीय प्रयास किया है। हम इस बात को महसूस करते हैं कि मात्र सरकारी कार्यालयों में रोजगार उपलब्ध कराने से ही बेरोजगारी दूर नहीं होगी, अगर हमने प्रदेश को बेरोजगारी की समस्या से निदान दिलाना है तो निश्चित रूप से यहाँ की उद्योग नीति इस प्रकार से बनानी होगी, जिसके आधार पर नवयुवक स्वरोजगार की ओर आकर्षित हों। माननीय वित्त मंत्री जी ने शिक्षा–मित्र एवं शिक्षा–बन्धु में 5 हजार शिक्षकों को नियुक्त करने की जो व्यवस्था की है, उससे एक ओर जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको नौकरी मिलेगी और दूसरी ओर उन विद्यालयों में, जो हमारे दूरदराज क्षेत्र के विद्यालय हैं, जिनमें शिक्षक जाना पसन्द नहीं करते, नियुक्ति हो जाती है, परन्तु विद्यालय खाली पड़े रहते हैं। वहाँ पर स्थानीय लोगों को शिक्षक नियुक्त करके शिक्षा में सुधार होगा। इससे बेरोजगारी की समस्या कम होगी और शिक्षा क्षेत्र में भी इससे सुधार होगा।

मान्यवर, दूसरी ओर यहाँ बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा, शिक्षा में भी उससे सुधार होगा। इसी प्रकार से चाय की खेती में जहाँ 43 हजार चाय फैक्ट्रियों के माध्यम से 22 हजार हेक्टेयर में चाय उत्पादन की योजना को लेकर 22 हजार व्यक्तियों को, परिवारों को रोजगार में शामिल करने की जो व्यवस्था की गई है, इसका हम स्वागत करते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में इस बजट में जो व्यवस्था की गई है, हम उसका स्वागत करते हैं। मान्यवर, पेयजल को एक आधार मानकर, अपने बजट में एक प्रमुख स्थान देकर, इस सरकार ने जो व्यवस्था अपनाई है, पेयजल उपलब्ध कराने की, उसका भी हम स्वागत करते हैं। मान्यवर, विशेष रूप से देहरादून के लिए जो बीजलपुर कैनाल की जो योजना जो वर्षों से लम्बित थी और उसे पुनः चालू करने के लिए 12 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का जो निर्णय लिया गया है और 12 करोड़ का जो प्रावधान किया है और 5 करोड़ इसी वर्ष उपलब्ध कराने का जो प्रावधान किया है, उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और यह निवेदन भी करता हूँ कि पेयजल की समस्या ट्यूबवेल के माध्यम से, जो वर्तमान में की जा रही है, यह स्थाई व्यवस्था नहीं है। बीजा कैनाल से इस समस्या का समाधान होगा। इसके साथ–साथ एक हमें दीर्घकालीन योजना भी बनानी पड़ेगी और वह सौंग नदी पर बहुउद्देश्यीय योजना, बनाकर जिसमें पेयजल की व्यवस्था भी हो और सिंचाई की भी व्यवस्था हो, उसके लिए भी हमें विचार करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कपूर जी, कृपया संक्षेप करें।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, विभिन्न मदों पर और विभिन्न विभागों के विषय में जो इस बजट में व्यवस्था की गई है, चाहे वह तकनीकी शिक्षा की बात हो, चाहे वह उच्च शिक्षा की बात हो। उच्च शिक्षा के बारे में एक निवेदन करना चाहूँगा, देहरादून शिक्षा का प्रमुख केन्द्र माना जाता है। जहाँ तक उच्च शिक्षा की बात है आज गढ़वाल यूनिवर्सिटी का दो तिहाई छात्र देहरादून में है, परन्तु छात्रों को अपनी छोटी–छोटी समस्याओं के लिए श्रीनगर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता और वह हमेशा दुखी रहता है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि एक उच्चस्तरीय कार्यालय यूनिवर्सिटी का देहरादून में खोला जाये, जिससे इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। इसके साथ–साथ एक निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले समय को देखते हुए यह दून यूनिवर्सिटी, एक अलग विश्वविद्यालय बने जिससे कि यहाँ के छात्रों की समस्या और यहाँ की शिक्षा का विस्तार हो सके और सभी नवयुवकों को शिक्षा मिल सके और साथ ही मान्यवर, एक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, उदाहरण के रूप में डी0ए0वी0 महाविद्यालय देहरादून का सबसे बड़ा महाविद्यालय है और यहाँ पर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसमें तीन–चार हजार से अधिक छात्र नहीं पढ़ सकते, परन्तु दुर्भाग्य यह है कि 18–20 हजार छात्रों को प्रवेश दिया जाता है और यदि किसी दिन सभी छात्र विद्यालय में आ जायें तो जो कक्षा कक्ष हैं, वे इतने भर जायेंगे कि किसी को खड़े होने की जगह भी नहीं मिलेगी। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, यह निवेदन है कि डोईवाला में महाविद्यालय खोलने की काफी समय से मांग चली आ रही है।

डोइवाला से छात्र उच्च शिक्षा के लिए देहरादून आते हैं, उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी, इससे देहरादून के महाविद्यालयों पर भार कम होगा और वहाँ के नवयुवकों को भी उच्च शिक्षा सुलभ हो पायेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मा0 वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनके बजट का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 वित्त मंत्री जी ने, इस नवोदित राज्य का जो वार्षिक बजट अनुमान पेश किया, वह कोई साधारण प्रक्रिया की रस्म अदायगी नहीं थी, हम सभी रोज इस सदन में किसी न किसी अवसर पर यह कहते हैं कि नये प्रदेश का सृजन हुआ, हम लोग किसी न किसी रूप में इतिहास के गवाह हैं यदि इतिहास पुरुष न कहा जाय। निश्चित रूप से वित्त मंत्री के ऊपर भी एक दायित्व था कि एक बने–बनाये प्रदेश के बजट को केवल आगे बढ़ाने के लिए सालाना बजट निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं था। पहले मौलिक रूप से नया प्रदेश बना, उसका किस तरह का चित्रण हो, किस तरह का खाका हो, किस तरह की दिशा में वह मूव करे, क्या उसकी आधारभूत संरचना हो। ये बड़े सवाल थे, जो किसी भी सरकार के लिए एक नवसृजित राज्य के लिए बड़ा सवाल था। हमारे बहुत सारे प्रबुद्ध साथियों ने सवाल व्यक्त किये कि इस पक्ष और उस पक्ष के दोनों साथियों ने मा0 मंत्रीगणों ने, मा0 अम्बरीष जी, काजी साहब को कल सुना और सैनी जी ने अपने विचार रखे। श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा जी को हमने सुना, मा0 हरबंस कपूर और भारत सिंह रावत जी ने भी थोड़ा सा दिलेरी का परिचय दिया, मैं उम्मीद कर

रहा था कि पुनेठा जी जैसा फर्टाइल दिमाग वाला व्यक्ति, जब उनकी बारी आती है भाषण की, तो वे कुछ मित्रों के साथ जाना चाह रहे थे जरूर इनकी तरफ से कोई इनोवेटिव बात आयेगी, यह हकीकत है, लेकिन उन्हें चेयरमैन भी खोका निगम का बनाया, वे आपसे कहते रहते हैं कि हमारे निगम हिल्ट्रॉन में खोके ही खोके हैं और उन्होंने अपने परिष्कृत दिमाग को उस खोके में बन्द कर दिया। श्रीमन्, एक बात की दुहाई पहले दिन से दी जा रही है कि कर- मुक्त बजट पेश किया। मा0 वित्त मंत्री जी ने इसके लिए आपको बधाई दी। मैं साहस और हिम्मत के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि विपक्ष में होते हुए भी कर लगाना कोई अपराध नहीं, कर प्रणाली विकसित करना कोई गुनाह नहीं। मेरा यह निश्चित यकीन है कि किसी भी ग्रोइंग ईकॉनॉमी के लिए, किसी भी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए कर प्रणाली अनिवार्य अंग है, कर शून्यता, कर न लगा देने से ईकॉनॉमी ग्रो करती हो। हाँ ईकॉनॉमी कैसे ग्रो करे, उसके इन्टरली इण्डस्ट्री को आप कैसे प्रमोट करेंगे। बहुत लोगों का यह सोचना होता है, क्या करों से मुक्त कर दी जाय, इण्डस्ट्री में रियायत दीजिए, पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति होगी, इन चीजों से इण्डस्ट्री ग्रो करेगी, बजट अच्छा हो इसलिए इसमें कर नहीं लगेगा, इससे आप यह कह सकते हैं कि प्रदेश के भविष्य के प्रति निराशा और हताशा का वातावरण, इस बजट के सृजन से हुआ। श्रीमन्, अम्बरीष जी ने कहा हम काम करें, न करें, दरियादिली जरूर करेंगे। चाहे यह प्रदेश हो पाये यह मण्डल नहीं जिला नहीं हमारी भी भावनायें आहत हुई हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि इस सदन के अन्दर वीर शहीद केसरी चन्द्र जी के ऊपर सरकारी स्तर पर एक प्रस्ताव लाये, अच्छा लगता साढ़े 23 वर्ष की उम्र में एक नवजवान यह कह कर फाँसी पर चढ़ गया कि अंग्रेजों से माफी पिटीशन करना हिन्दुस्तान का अपमान होगा और लाल किले पर फाँसी पर चढ़ गया। चकराता क्षेत्र का नौजवान 1945 को, लेकिन अंग्रेजों से माफी माँगना कबूल नहीं किया। कितना नाम होता तो निश्चित रूप से हमें लगता कि एक व्यापकता का, एक विशाल ह्रदयता कहीं इसमें गलती है। खैर, श्रीमन्, जो एक खाका मा0 मंत्री जी ने इस बजट की प्रस्तावना लिखी तो नहीं, मैं उसको प्रस्तावना ही कह लेता हूँ।

श्रीमन्, जो एक खाता माननीय मंत्री,जी ने इस बजट में कहा है, ऋणों के प्रतिदान पर, लगभग 250, 251 करोड़ रुपया ऋणों की अदायगी, 530 करोड़ रुपया कर्मचारियों का वेतन भत्ता, 350 पेंशन एवं सेवानिवृत्त लाभ 200 करोड़ रुपया। श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, केन्द्र सरकार के ऋणों का अंश 1605 करोड़ रुपया जो हमें विरासत में मिला, राजश्री बचत से 285 करोड़ रुपया हमने ऋण ले रखा है, जो ब्याज ऋण का देना पड़ता है, 97 करोड़ रुपया एकमुश्त हमें देना पड़ता है। यह एक मोटा खाका और हमारे मित्र रघुनाथ चौहान ने कहा मैं कहीं बयान दिया कि विशेष राज्य का दर्जा कोई रामबाण दवा नहीं है। इलेवन फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो स्पेशल कटेगरी स्टेट हैं, उसमें से मैं उस स्टेट का उदाहरण ले रहा हूँ आबादी के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, जिसे हम हिमाचल कहते हैं, उस स्टेट को लगभग इस 2000, 2005 के लिए 4549 करोड़ रुपये की योजना का आकार जो सेन्ट्रल ऐसिसेंस यह माना है तो उत्तरांचल का यदि कॉरेस्पॉडिंग फिगर अगर हम मानकर चलें तो लगभग 5000 करोड़ रुपया इस कॉरेस्पॉडिंग पीरियड में उत्तरांचल को विशेष राज्य के दर्जे के रूप में, जिसका मतलब हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से आपको विशेष राज्य के दर्जे में मिलेगा, इसके अलावा आप

बहुत ज्यादा उम्मीद करेंगे तो वह गफलत में रहने के बराबर होगा, लेकिन हकीकत क्या है, अभी उत्तरांचल के पास जो आमदनी के मुख्य स्रोत हो सकते थे, उसके बारे में हमने प्राथमिक दौर में एक सावधानी बरतते हुए कोई आरोप–प्रत्यारोप नहीं लग रहे हैं, कदाचित् आप उसके लिए दोषी नहीं हैं, लेकिन दोषी आप विचार के लिये हैं, हमने पहले दिन से सावधानी नहीं बरती, अम्बरीष जी की बात दोहराने की मेरी कूवत नहीं है, लेकिन उसका जो भाव समझा कि यदि खैरात में कुछ मिले तो उसे लो मत, मैं एक बार दिल्ली गया था, वहाँ नार्थ ब्लाक और साऊथ ब्लाक हैं, जो राष्ट्रपति भवन के दोनों तरफ बने हुए हैं तो उसके दरवाजे में पीतल के शब्दों में लिखा हुआ है "लिबर्टी कैन नॉट डिसेनडाउन टू यू, यू हैव टू रेज योरसैल्फ टू अटेन इट"। स्वतंत्रता आपके पास नीचे नहीं आ सकती है, उसे हासिल करना पड़ेगा, कोई आपका विकास कर देगा, यह नामुमकिन है, विकास के लिये आपको अपने आप विचार करना पड़ेगा, मैं कहना चाहता हूँ कि क्या विकास कर रहे हैं, क्या नियोजन का स्वरूप तैयार किया, हम चीखते–चिल्लाते हैं कि जल विद्युत परियोजना जो हाइड्रो पॉवर प्रोझेक्टस है, वह हमारे ईकोनॉमी का मेरुदण्ड है, कैसे होगा कि उत्तर प्रदेश को हम बिजली देंगे 30 पैसे प्रति यूनिट की लागत से और उत्तर प्रदेश आज की तारीख में पीक सीजन में जब यहाँ बिजली का उत्पादन कम होता है तो हम इतने चतुर हैं कि उनसे बिजली खरीदेंगे, ढाई रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से, यह हमारा नियोजन है, इसी हिसाब से आगे चलकर जब हम कहते हैं, मैंने मोटी–मोटी बातें कही।

दूसरा हमारा एक कोल सेक्टर था जिसके बल पर हम कई बार बैठकर बात करते हैं कि उत्तरांचल तरक्की के रास्ते पर कैसे आगे जा सकता है, अभी माननीय कपूर साहब ने कहा, देहरादून एक शिक्षा का केन्द्र रहा तो मैं कह रहा हूँ कि उत्तरांचल शिक्षा का केन्द्र रहा, आपकी सरकार की तरफ से महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने प्रथम अभिभाषण में कहा कि हम उत्तरांचल को एक शिक्षा विहार के रूप में विकसित करेंगे, हम उम्मीद कर रहे थे कि उत्तरांचल के अन्दर जो एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन हैं, वह निश्चित रूप से विश्व स्तर के तैयार होंगे और ऐसा वातावरण हम सृजन करने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के विकसित देशों से भी लोग ज्ञान और विज्ञान की खोज में इस प्रदेश में आकर के अपना निवेश करेंगे।

मान्यवर, उसका जवाब सरकार ने बहुत माकूल तरीके से दिया। मैं बजट फिगर पर नहीं जाना चाहता। उसका माकूल जवाब सरकार ने यह दिया कि दिहाड़ी के मजदूरों के रूप में टीचर्स को रखकर हम क्वालिटी एजुकेशन देने का काम करेंगे। एक मिसनॉमर और है, जिसकी वजह से आम आदमी में भ्रांति है और जिसकी वजह से स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा मिलने में भी कठिनाई पैदा हुई, खैर उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, इसमें आपको सफलता मिली। आजकल इस बात को लेकर लोग बड़े–बड़े दावे करते हैं कि उत्तरांचल का जो लिट्रेसी रेट है। 84.1 मेल और 60.26 फीमेल का है। मैं फिर जोर देकर कहना चाहता हूँ कि ये मात्र साक्षरता दर है, मास लिट्रेसी प्रोग्राम है। इसे गलती से आप अगर क्वालिटी एजुकेशन समझ बैठते हैं तो यह सरासर भूल है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज उत्तरांचल के अन्दर जो शिक्षण संस्थाओं की हालत है, उससे निकलने वाले युवक व युवतियाँ रोजगार के बाजार में प्रतिस्पर्धा में कहीं टिकने लायक नहीं हैं। ऐसी स्थिति है तो ऐसी शिक्षा, निरर्थक शिक्षा जिससे सिर्फ आदमी जिन्दगी भर ये तख्ती लटकाए और इस हीन भावना का शिकार रहे कि मैं भी तथाकथित ग्रेजुएट हूँ, मैं भी

तथाकथित पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ आप अपने आंकड़ों में इजाफा करेंगे, इसके अलावा और कुछ होने वाला नहीं है।

मान्यवर, मैंने कहा कि कुछ बुनियादी संरचना सम्बन्धी, उसके ऊपर विदक सक्सेशन में टिप्पणी कर रहा हूँ। हम उम्मीद कर रहे थे कि नया प्रदेश बना है, इस नये प्रदेश के अन्दर बागवानी, कृषि का स्वरूप निखर कर आएगा, क्योंकि हम बार–बार यह दोहरा कर कहते हैं कि उत्तरांचल राज्य के निर्माण के पीछे विशिष्ट तरह की अवधारणा है। माननीय वित्त मंत्री जी, वो अवधारणा है, इस प्रदेश को हम मुख्य रूप से दो तरह के, तीन तरह के ज्योग्रैफिक एरियाज में बांट दें। एक तरफ हमारा वह तराई का इलाका है, जो बहुत उपजाऊ है। जहाँ परम्परागत खेती की बहुत उपज है। दूसरी तरफ वो इलाका है, बल्कि कह लीजिए अधिकांश वो इलाका है, जहाँ पर ऐसी परम्परागत खेती की हम बात करते हैं तो कहीं पर भी जो लाभकारी मूल्य किसानों को नहीं दिला सकते। लिहाजा जो वैज्ञानिक आयाम हैं, उनको लेकर कैसे लोगों का जीवन स्तर बढ़ाएं, हम उनकी आमदनी को बढ़ा सकें, यह अपने आप में एक चुनौती थी। हम उम्मीद कर रहे थे कि चाहे वो सेब उत्पादक हो, चाहे वो सब्जी उत्पादक हो, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र में अदरख, आलू, अरबी उत्पादक हो, उसके लिए निश्चित रूप से एक कार्य योजना बनकर आएगी। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, माननीय नारायण सिंह राणा और श्री ज्ञान चन्द, जहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ पर एक क्षेत्र है, नौगाँव, उस नौगाँव के समीप एक सेवरी नामक एक छोटी सी बैल्ट है, आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि उस बैल्ट के अन्दर 4 लाख पेटी सेब का उत्पादन होता है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 2 से 3 करोड़ रुपया सालाना होता है लेकिन आज भी उन लोगों को 20–20 किलोमीटर दूर ले जाकर हैड लोड कैरिंग करके अपने उस बागवानी का जो उत्पाद है, कृषि उपज है, उसके विपणन की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। तमाम सारे आयाम हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के अन्दर दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि ग्रेविटी पर जो सीमित जल है, उसका सदुपयोग करके किस तरीके से हम पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि बागवानी की उन्नति कर सकते हैं। परम्परागत रूप से यह होता आया है कि सिंचाई विभाग नहर बनाता है, ठेकेदारी वगैरह के झमेले में पड़ कर वो नहरें चलती नहीं हैं और इतना पानी भी ग्रेविटी पर उपलब्ध नहीं होता कि उन नहरों की कोई उपयोगिता हो। हम उम्मीद कर रहे थे, जैसा मैंने कहा, कितना आपने बजट में रखा, हम इसके लिए आपको दोष नहीं देना चाहते हैं। हम आपकी सीमाएं जानते हैं, रिसोर्स क्रंच क्या है, उसको जानते हैं, आपके बजट के प्रॉविजन क्या हैं, उसको जानते हैं।

मान्यवर, हम उम्मीद कर रहे थे, जैसा मैंने कहा कि कितना आपने बजट रखा, इसके लिए हम कदाचित आपको दोष देना ही नहीं चाहते। हम आपकी सीमाएं जानते हैं। रिसोर्स क्या है उसको जानते हैं, आपके बजटरी प्रोविजन्स क्या हैं, उसको हम जानते हैं और उसकी सीमाओं को जानते हैं, लेकिन कुछ नया करने का हुनर तो दिखाना चाहिए था। आज भी हम पड़ोस में देखते हैं, हमारे बगल में छोटा सा राष्ट्र है नेपाल। नेपाल जैसे पिछड़े राष्ट्र के अन्दर जो माईक्रोहाईडिल प्रोजेक्ट है, उसका शानदार प्रदर्शन है। अधिकांश गाँवों में बिजली की सप्लाई उन माईक्रोहाईडिल प्रोजेक्ट्स से होती है। लेकिन माईक्रोहाईडिल प्रोजेक्ट्स को हर गदेरे, नाले तक पहुँचाने का हम कोई कार्यक्रम बनाते, उससे इम्प्लायमेंट का सृजन होता, इस बात की कहीं पर इस बजट में झलक नहीं आती है। दूसरी बात मैं

जो कह रहा था, जो छोटे–छोटे जल के स्रोत आपके पास उपलब्ध हैं, मेरी कल्पना है उत्तराखण्ड के पीछे जो कहा था, सोचा करते थे, आदरणीय निशंक जी, आप भी उन आदमियों में से थे, हम भी उन लोगों में से थे जो उ0प्र0 की विधान सभा में भाषण दिया करते थे कि पहाड़ का पानी और जवानी वहाँ के विकास का कारक बनेगा। कहाँ चली गई वह पानी और जवानी की ईक्वेशन ? मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ग्रेविटी पर छोटे–छोटे स्रोत हैं, नहरें बनाने की जरूरत नहीं है। इंजीनियरों की जेब भरने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया के अन्दर कितने आधुनिक आयाम पैदा हो गये हैं। ड्रिपएरीगेशन से लेकर मामूली से पानी से आप बहुत बड़े रकबे और फल उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। कम से कम इस बात को एक विचार के तौर पर ही सोच लेते, लेकिन सम्भवतः कुछ पुराने साहित्य को आगे बढ़ाने से उत्तरांचल का भला होने वाला नहीं है। मैं कोई राजनैतिक बात इसमें नहीं कहना चाहता।

श्रीमन्, अभी स्वाइल कंजरवेशन पर माननीय मंत्री जी ने इस बजट के अन्दर कुछ कहा। मैं कहना चाहता हूँ कि आज पूरे उत्तरांचल में आप घूमेंगे तो भूमि संरक्षण के नाम पर भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं होता। एक पोस्टर लगता है, उसे उखाड़ कर दूसरा लगता है, दूसरे की जगह तीसरा लगता है। हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कम से कम हम किस तरीके से माडर्नाईज करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि आप सारी जगह पायेंगे कि भूस्खलन को रोकने के परम्परागत तरीके फेल हो गये हैं। जो डिग्रेटेड स्वाइल हैं उसको रिज्यूनेट करने के लिए, उस पर वैजीटेटिक कवर पैदा करने के लिए परम्परागत तरीके फेल हो गये हैं। लोगों ने तरीका बनाया है जियो टेक्सटाईल का एक नया जूट बाकायदा कम्बल से बनकर आता है, उसको जमीन से ऊपर चिपका करके लगाया जाता है ताकि बायोमास अपने आप पैदा होता है, बरसात की वजह से, धूल कंकड़ की वजह से, किसी वजह से और उसके अन्दर किसी न किसी तरीके से ग्रोथ होती है और जो रूट स्टॉक है, जो परम्परागत रूप से जमीन के अन्दर कोई न कोई चीज है, वह वहाँ पर पैदा होने लगती है और जैसे जैसे जो पैचेज हैं, वे ग्रीन होने लगते हैं, ये तमाम सारी बातें जैसे कि मैं उम्मीद कर रहा था दूसरे श्रीमन्, मैं एक महत्वपूर्ण सेक्टर में माननीय मंत्री जी का, सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उम्मीद करूँगा कि उसके आगे चलकर कहीं न कहीं ध्यान रखने की बात करें। इस सदन के अन्दर माननीय सैनी जी ने आज ही कहा कि बहुत जगह सूखा पड़ा है। पेयजल की वजह से तमाम बच्चों की मौत भी हो जाती है, इसलिए नहीं कि पीने का पानी नहीं मिलता। इसलिए मौत होती है कि कंटेमनेटेड वाटर की वजह से हो जाया करती है। मैं जानना चाहता हूँ, यह आपने घोषणा तो कर दी कि हम उत्तरांचल के हर गाँव तक पीने का पानी देंगे। क्या पहुँचा पाये ? इस पर मैं टिप्पणी नहीं करता। पानी तो आप तब पहुँचायेंगे, जब आपके पास पानी के स्रोत होंगे, जब पानी के स्रोत नहीं होंगे तो पानी कहाँ से पहुँचायेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र के अन्दर ग्रेविटी और वाटर सप्लाई की लाइन बनाने की बात करते हैं, वहाँ वाटर सोर्सेज को रिचार्ज करने, वहाँ पानी के स्रोत सूखे नहीं, डिप्लीट न हों, इसके लिए उसके कैचमेंट एरिया में ग्रासेज, ब्रूसेज और जिन चीजों की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हो, इन चीजों का क्या कोई इन्तजाम है ? क्या लोहे की पाइप डालकर पानी पहुँच जाएगा ? आज पूरे पर्वतीय क्षेत्र के अन्दर स्थिति यह है कि 80 प्रतिशत योजनाएं बनी हुई हैं, लेकिन स्रोत में पानी गायब है तो योजना सूख गई तो ये तमाम सारी बातें जिनके बारे में मौलिक चिन्तन होना चाहिए था, बात होनी

चाहिए थी कि हम करने जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की बात कहीं पर यहाँ देखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि देहरादून जैसे शहर में जहाँ का आदरणीय कपूर जी प्रतिनिधित्व करते हैं, आज देहरादून के अन्दर क्यों क्राइसिस पैदा हो गई ? जो ट्यूबवेल लगे हैं वे ट्यूबवेल सबहटिंग करते हैं, बहुत जल्दी बन्द हो जाते हैं, क्यों ?

मान्यवर, इसके लिए साफ–सुथरा नियोजन इस बात का होना चाहिए था, मा0 राणा जी जल प्रबन्धन या जल आपूर्ति विभाग की तरफ से एक योजना आनी चाहिए थी, किसी तरीके से ये व्यवस्थायें की जायें सरप्लस इरिगेशन है या सरप्लस वाटर है, उसको जमीन में जज्ब करने का इन्तजाम कैसे किया जाय। घरों में हमने पक्का फर्श बना लिया, पक्की नाली बना ली, नाली से पानी गधेरे में पहुँचा, वहाँ से पानी नदी में गया, जमीन के अन्दर तो पानी जाने का इन्तजाम हुआ नहीं, ये तमाम सारी बातें हैं, यह मौलिक बात है, प्रदेश बन गया, प्रदेश दो दिन का नहीं है, देहरादून में रहने वाले लोग दो दिन तक नहीं रहेंगे, अब ये आने वाली पीढ़ी हमें बतायेगी, हमने किस तरह का नियोजन इस प्रदेश के लिए किया है, यह बुनियादी सवाल था लेकिन इसके बारे में कुछ सोचा नहीं गया, इसके बारे में क्या कहा जाय। आदरणीय तिलक राज बेहड़ जी जहाँ से आते हैं, वह तराई का क्षेत्र जहाँ पर काश्तकार सम्बल यूँ जमीन में मारता था, 10 गज उसको खोदता था और पम्प लगा कर अपनी सिंचाई करता था, आज तराई के इलाके को जिसको कि हम वाटर लॉक्ड एरिया कहते थे, आज इस तराई के एरिया में भी बोरिंग की जरूरत पड़ रही है। तो यह हमारे नियोजन का एक स्वरूप है, इसके बारे में एक मौलिक बात कही जानी चाहिए थी, उसके बारे में सोचते तो लगता, एक नये प्रदेश के बारे में नई बात सोचने के बारे में, हम लोगों ने काम किया लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

आई0टी0 सेक्टर की श्रीमन्, हम बात करते हैं उ0प्र0 में रहते हुए यहाँ पर भी बार–बार लोग कहते थे, वहाँ उत्तरांचल बनेगा तो यहाँ की प्रगति के साधन क्या होंगे, आमदनी के साधन क्या होंगे। कोई अभिशाप नहीं है पूरा यूरोप जिसने कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के क्षेत्र में दुनिया में सबसे पहले तरक्की की, वह अपने आप में निश्चित रूप से मैदान नहीं है, अर्द्धपर्वतीय क्षेत्र है लेकिन उसने तो खूब तरक्की की आखिरकार कौन सी वजह है हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकसित नहीं कर सकते, एटमॉसफिअर ठण्डा है, सब कुछ है, तमाम तरीके से हम बार–बार बात करते हैं कि इन्फॉरमेशन टेक्नॉलोजी को हम बार–बार आगे बढ़ाने की बात करते हैं, इन्फॉरमेशन टेक्नॉलोजी को आगे बढ़ाने के लिए काम कैसे किया जाय, मैंने कहा कि जो शिक्षक हैं, जो इन्स्टीट्यूशन हैं, मैं एक साहसिक बात कह रहा हूँ। शायद हिन्दुस्तान के अन्दर वह बात को कम लोग कह पाते हैं, यद्यपि मैं पूरी तरह से एक सोसलिस्ट पैटर्न ऑफ ईकॉनामी में यकीन करता हूँ, उसके बावजूद मैं यह कहना चाहता हूँ कि उत्तरांचल के अन्दर दुनिया का जिस तरह से आकर्षण है, स्कूलों के बारे में, उसके हिसाब से शिक्षा को इण्डस्ट्री घोषित किया जाना चाहिए। "एजूकेशन इण्डस्ट्री इज टू द डिकलियर इण्डस्ट्री" और एक इण्डस्ट्री बना करके उसके अन्दर लोग पूँजी निवेश करें, उसके मार्फत यहाँ पर रोजगार का सृजन हो, एक अच्छा कार्य जो यहाँ पर हुआ है, उसकी भी प्रशंसा किया जाना चाहिए। ब्रिटिश काल से जिस तरीके से यहाँ पर मात्र रोजगार को एक कृषि आधारित, हम उसको कह सकते हैं, चाय उत्पादन के लिए, पुनः एक अच्छा प्रयास हुआ है। हमारी शुभकामनायें हैं कि वह प्रयास सफल हो, उसमें ग्रामीण भाई–बहनों को रोजगार के अवसर मुहैया हों क्योंकि यह एक ऐसी एक्टिविटी है, इसको परियोजना की जरूरत है।

श्रीमन्, टूरिज्म जिसको हम सभी लोग रोज यह कहने से नहीं चूकते हैं कि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके बल पर हम उत्तरांचल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उत्तरांचल की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत बनेगा। मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि पर्यटन जिस स्वरूप को लेकर चल रहा है, उससे उत्तरांचल का बड़ा भारी नुकसान होने वाला है, यदि कैपिटल इन्टेंसिव टूरिज्म, यदि पूँजी प्रधान पर्यटन को हम बढ़ावा दें और यदि मसूरी, नैनीताल को हम केवल पर्यटक केन्द्र समझ बैठें तो उत्तरांचल को गर्त में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात हम सदन के अन्दर करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पूँजी के भी विकेन्द्रीकरण की जरूरत है। मसूरी और नैनीताल के विकास की जरूरत नहीं है, मसूरी और नैनीताल के समीप दूसरे सैटलाइट विलेज हैं। टूरिज्म विलेजेज को डेवलप करने की जरूरत है। यह एक तरीका हो सकता है। मैं श्री अम्बरीष कुमार जी द्वारा उस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मान्यवर, अमृत्य सेन जिसको पुअर मैन ईकॉनॉमी के ऊपर नोबल प्राइज मिला, उन्होंने उस किताब के अन्दर एक बात लिखी है। उन्होंने कहा बंगाल के अन्दर अकाल ऐसे नहीं आया था, खाने-पीने या पहनने की चीजें खत्म हो गई, बंगाल के अकाल का कारण यह था कि खान पान की वस्तु में वह चन्द लोगों के हाथ में कॉन्सेन्ट्रेट हो गया, एक्यूवलेट हो गया और दूसरे हैव और हैव नाट का जो बीच का गैप है, वह इतना बढ़ गया कि कुछ लोग अकालग्रस्त हो गये। तो श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे विकास का स्वरूप ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके अन्दर इस तरह की स्थितियाँ पैदा हों कि कुछ लोग गरीबी में जीने के लिए मजबूर हो जायें।

सोशल सेक्टर के ऊपर बात की। मुझे बहुत हैरत हुई, कुछ लोगों ने कहा, इस बजट की किताब के अन्दर यह लिखा गया, किसी ने कहा इस बजट की किताब के अन्दर पुनेठा जी आपने कहा कि आप जैसे प्रबुद्ध फर्टाइल दिमाग के आदमी से मैं उम्मीद कर रहा था कि नई बात आप जरूर कहेंगे, इस किताब में क्या लिखा है, यह मायने नहीं रखता है, मायने यह रखता है कि जो नई मदों की पुस्तक है, इसके अन्दर क्या लिखा है, इस नई मदों की पुस्तक में उठाकर के देखिये अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक कल्याण और पिछड़ी जातियों से सम्बन्धित एक भी नई मद नहीं रखी गई, यह प्रमाण है इस बात का या नई सरकार शुरुआत में ही समझे कि वहाँ के उपेक्षित वर्ग के साथ क्या सलूक करना चाहता है, श्रीमन्, मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक अन्तिम बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारे देश के अन्दर, नहीं तो इस प्रदेश के अन्दर, विशेष रूप से जो एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट हैं, उसका हमारे लिये बड़ा ग्लैमर है, उसका बड़ा आकर्षण है, मुख्यमंत्री जी से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर के यदि सारी कमेटी वर्ल्ड बैंक का एक आदमी आ जाये तो उसके पीछे भागने लगते हैं, भागने में बुराई नहीं है, हम उनसे सहायता लेंगे लेकिन सहायता हम अपने टर्म्स एण्ड कण्डिशन पर लें, उनके टर्म्स और कण्डिशन पर भिखारी बनकर सहायता लेने की जरूरत नहीं, क्यों कह रहे हैं, इस बात को, आज देहरादून के अन्दर वाटर शेड मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उत्तरांचल के अन्दर रिवर वैली डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आज यहाँ पर डी0पी0ए0पी0 की प्रोजेक्ट चल रही है, आज श्रीमन्, वेस्ट लैण्ड डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट चल रही है, तो होता क्या है जब यह पैसा आता है, आम आदमी तो यह समझता है कि वर्ल्ड बैंक का पैसा है, इसका कुछ नहीं

पड़ता है, एक गाड़ी की जगह 10 गाड़ी रखो, जिस चीज का स्टेटमेंट एक लाख बनता है उसका स्टेटमेंट 5 लाख बनाओ, हम इसे खैरात समझकर के खर्च करते हैं, लेकिन इसी खैरात का नतीजा है कि आज उत्तरांचल के सिर पर 5 हजार करोड़ रुपये का कर्जा है क्योंकि 78 हजार करोड़ रुपये का कर्जा, उत्तर प्रदेश के हिस्से में था, उसमें से 4 हजार करोड़ रुपये के देनदार हम भी हैं, यह उसी खैरात का नतीजा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि लगाम लगाइये इस बात पर, जो एक्सटर्नल एजेंसी हम लोगों की है, उनसे कहिए हम लेंगे, लेकिन हम कोई शर्त नहीं मानेंगे कि मशीन आपकी खरीदेंगे, प्रोसेसर आपका खरीदेंगे, इक्युपमेंट आपका खरीदेंगे, परियोजना आपकी शर्तों पर चलायेंगे, शर्तें हमारी होंगी, कह दीजिए, हम अपनी जरूरतों के मुताबिक उसका सदुपयोग करेंगे, नहीं तो अपने स्वाभिमान को गिरवी रखकर और अपने ऊपर कर्जे का बोझ लादने के लिए हम विदेशी सहायता स्वीकार्य नहीं करेंगे, यह चन्द मौलिक सुझाव जो मैं देने जा रहा था वह श्रीमन्, मैंने अपनी बात सामने रखी।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

माननीय चौहान जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यू0एन0डी0पी0 ने बिना किसी शर्त के हमको एक मिलियन डॉलर का सहयोग दिया है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, अच्छा है, यदि शर्त नहीं रखी है तो यह हम लोगों की सद्इच्छा भी है। श्रीमन्, उत्तरांचल को हम पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना चाहते हैं। आदरणीय हृदयेश जी ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसका बुनियादी हिस्सा है, पर्यटन की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो पहला इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या है, रोड कम्युनिकेशन की आज उत्तरांचल के अन्दर हालत यह है कि जितने मुख्य मार्ग हैं, उस पर सिवाय अतिक्रमण और कब्जों के अलावा कुछ नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, मुख्यमंत्री जी से कि आखिरकार रोड साइड कन्ट्रोल एक्ट जैसा भी कोई कानून है, उस रोड साइड कंट्रोल का कोई इस्तेमाल होता है। आज प्रत्येक मुख्य मार्ग चाहे वह मेजर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हों, चाहे राजमार्ग हों, वह गलियों में तब्दील हो गया है, आप घुस नहीं सकते बाजारों के अन्दर, इस तरीके से हम गलियाँ बनाकर के, उसको दर्रों में बना करके, हम पर्यटन का विकास करना चाहते हैं।

मान्यवर, इसके बारे में भी सरकार को एक साफ–सुथरी सोच सामने लानी चाहिए। जो कम्युनिकेशन के साधन हैं, उनको पुख्ता बनायेंगे तभी पर्यटक को उसके डैस्टीनेशन तक पहुँचा सकते हैं। जब तक मौलिक बातों पर चिन्तन नहीं करेंगे, तब तक लाभ होने वाला नहीं है। मैं आदरणीय कपूर साहब की इस बात का समर्थन करता हूँ कि "दि टैक्स फेयर शुड बी ट्रेटेड दि डिग्निटी एण्ड ऑर्डर।" इज्जत और सम्मान के साथ उसे क्रिमिनल के तरीके से किसी के कटघरे में खड़ा रख कर अगर हम सलूक करेंगे तो टैक्स फेयर कभी भी हमारी कालोनी में कन्क्लूड नहीं कर सकता। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और एक बार पुनः काजी साहब द्वारा प्रस्तुत जो विचार हम लोगों ने रखे, उनका समर्थन करता हूँ और सरकार के इस बजट प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। 10 अनुदान मांगे हैं, जिन पर चर्चा होनी है। और इनका कार्यपूर्ति दिग्दर्शक मिलना चाहिए था, वो किसी विभाग का नहीं मिला है, तो ये चर्चा कैसे होगी, कैसे हम पूरी योजनाओं को जान पाएंगे ? एक पुस्तिका तो मिली है, जिसमें केवल बजट का प्राविधान, किसके लिए कितना है, यही उल्लेख है लेकिन उनकी क्या योजनाएं हैं, कैसी हैं, उनका कोई डिटेल नहीं है। इसलिए कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका हमें समय से मिल जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

यह समय से उपलब्ध करायी जाएंगी, अभी थोड़ी असुविधा है।

संस्कृति, सैनिक शिक्षा, खेलकूद एवं पेयजल राज्य मंत्री (श्री नारायण सिंह राणा)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नवगठित उत्तरांचल राज्य के प्रथम वित्तीय वर्ष के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और इस नवगठित राज्य के लिए जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, जैसा कि विदित है कि नये राज्य का गठन उत्तर प्रदेश से अलग होकर किया गया है और उत्तर प्रदेश से विरासत के रूप में हमें कर्ज ही मिला है लेकिन उसके बाद भी माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस मेहनत के साथ इस बजट को बनाया है, उसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। इस बजट में राज्य के विकास के लिए आवश्यक सभी क्षेत्रों को आधार मानते हुए वित्तीय व्यवस्था की गयी है। ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे पास अपार संभावनाएं हैं, हम सिर्फ एक हजार मेगावाट बिजली तैयार कर रहे हैं जबकि 15 हजार मेगावाट की हमारी संभावनाएं हैं। इसके लिए मनेरी और लखवाड़ की जो परियोजनाएं लगभग 10 साल से बन्द पड़ी हैं, उनको फिर से शुरू किया जा रहा है। इन योजनाओं के पूर्ण होने हम हमें पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। सड़कों और पुलों के लिए 436 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में जैसा कि माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि सबसे पहले हमें मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना होगा, पुल होंगे, वित्तीय व्यवस्था होगी, सड़कों की व्यवस्था होगी, तभी पर्यटन एक उद्योग के रूप में उभर सकता है।

मान्यवर, सिंचाई के लिए धन का इसमें प्रावधान रखा गया है और जो पर्वतीय क्षेत्र में नहरें हैं और खासकर के जब नहरों के हेड टूट जाते हैं, उसके लिए इसमें प्रावधान रखा गया है। मैं पेयजल के ऊपर आता हूँ। पेयजल के लिए 215 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। पेयजल को प्राथमिकता दी गई है। यह हम स्वीकार करते हैं कि समय पर वर्षा न होने के कारण और सूखे की स्थिति के कारण कई जलस्रोत सूख गये हैं। ग्रेविटी से जो पानी आना था वहाँ पर कई जगह गाँवों में परेशानी अवश्य है, लेकिन उसके लिए पूरी व्यवस्था इस बजट में रखी गई है और जहाँ पर ऐसी सम्भावना है कि पानी का अभाव है, वहाँ पर घोड़ों से और खच्चरों से 1–2 महीनों तक, जब तक कि बरसात शुरू नहीं होती है तो इस प्रकार से हम पानी पहुँचायेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अपार सम्भावनाएं हैं और पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा भी दिया जा रहा है। उद्योग नीति बन गई है। माननीय

पर्यटन मंत्री जी के द्वारा जो उद्योग नीति बनाई गई है, उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स की बहुत अधिक सम्भावनाएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस नये राज्य में उ0प्र0 से अलग होने के बाद हमारे पास जो अधिक सम्भावनाएं आ गई हैं। पूरे तीर्थस्थल हमारे पास आ गये हैं, पर्यटन का पूरा क्षेत्र हमारे पास है, जल क्षेत्र हमारे पास है, वन क्षेत्र हमारे पास है, मिनरल्स हैं और जल क्षेत्र के माध्यम से, विद्युत के माध्यम से और एडवेंचर स्पोर्ट्स के माध्यम से हम काफी युवाओं को स्वरोजगार दे सकते हैं। उद्योग के बारे में अभी बात चल रही थी कि यूरोप में या जापान में छोटे–छोटे उद्योग लगाये गये हैं जैसे कम्प्यूटर क्षेत्र है या छोटे–छोटे जो भी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हैं, इस प्रकार की सम्भावनाएं यहाँ पर बहुत अधिक हैं। भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि पहाड़ पर भी हम इन उद्योगों को लगा सकते हैं और इसके लिए बजट में प्राविधान रखा गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में 680 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान है और इसमें कम्प्यूटर को लेकर अभी जो 5000 बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया गया है, जिसके लिए माननीय विपक्ष के सदस्यों द्वारा बार–बार आरोप लगाये जा रहे हैं कि यह इस प्रकार से गलत हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाली माननीया इन्दिरा हृदयेश जी यहाँ पर बैठी हैं, आपका शिक्षक जो 5–10 हजार रुपये वेतन लेता है, आज सुविधाजनक स्थानों पर घरों में बैठे हैं और हमारे इंटीरियर के स्कूलों में ताले लगे हुए हैं। इसी मजबूरी के कारण ये शिक्षा–मित्र की व्यवस्था करनी पड़ी। टेम्परेरी, 1 साल के लिए जो भी हो और इसके कारण कई विद्यालय जिनमें ताले लगे हुए थे (व्यवधान) जो 200–300 विद्यार्थी शिक्षा के अभाव में अपने घर बैठे हुए थे, उनका कोई कसूर नहीं है और जो 5–10 हजार लेने वाले शिक्षक हैं, वे सुविधाजनक स्थानों पर बैठे हुए हैं, जिसके कारण ये सारा काम करना पड़ा और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। खेलकूद और युवा कल्याण विभाग की हमेशा उपेक्षा होती रही है। जब हम उ0प्र0 में थे। यहाँ पर खेलकूद की बहुत ज्यादा प्रतिभाएं और यहाँ पर बजट नहीं आता था और आता भी था तो समय पर खिलाड़ियों को नहीं मिलता था। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, वित्तमंत्री जी का कि 12 करोड़ रुपये का प्रावधान करके हम उत्तरांचल में 6 जून से लेकर 10 जून तक एक राज्य खेलों का आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें उत्तरांचल के 4000 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है और इस बजट के माध्यम से हम इन खेलों का आयोजन करवा रहे हैं। मान्यवर, देहरादून में परेड ग्राउन्ड के लिए बजट का प्रावधान रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा सा समय और लूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय वित्तमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि सैनिक शिक्षा का अलग से एक विषय यहाँ पर रखा गया था, जब राज्य बना था, लेकिन इस विभाग को या इस विषय को नजरअंदाज कर दिया गया है और मेरा अपना चिंतन है कि हमारे उत्तरांचल के लोगों की एक अपनी मोनोपोली थी, गढ़वाल राईफल्स् में और कुमायूँ रेजीमेंट में, जब भी हमारे यहाँ का युवक खड़ा होता था तो वह भर्ती हो जाता था, आज यह स्थिति नहीं है। आज हमारा युवा जब भी भर्ती की लाइन में खड़ा होता है तो उसमें से 5 प्रतिशत युवक भी नहीं निकल पाते हैं। मान्यवर, हमारा क्षेत्र जो जौनपुर और रवांई क्षेत्र जो अभी जनजाति क्षेत्र है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि यह क्षेत्र जनजाति का क्षेत्र है।

मान्यवर, जो यह बजट मा0 वित्तमंत्री जी द्वारा पेश किया गया है, उसमें सभी विषयों को लिया गया है और इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ और इसकी संस्तुति करता हूँ।

पर्यटन, औद्योगिक विकास, विज्ञान एवं तकनीकी, श्रम, सेवायोजन, तीर्थाटन तथा धर्मस्व कार्य मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ, मैं न पर्यटन पर बोलूँगा न उद्योग पर क्योंकि आप और मा0 सदस्यों को भी टाइम देंगे, मैं जिस विषय पर बोलूँगा, वह यह है कि इस बजट की भावना क्या है, बजट का लक्ष्य क्या है, बजट का उद्देश्य क्या है, क्योंकि नया राज्य बना है और बड़ी जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर हैं, काम करने के लिए हमारे पास नेतृत्व भी अच्छा है और इसलिए हमारे मा0 वित्तमंत्री जी ने कड़ी मेहनत के साथ एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया जो एक मील का पत्थर साबित होगा और इस उत्तरांचल के विकास में हमें एक लम्बी दौड़ दौड़ने के लिए सहायक होगा। मैं मा0 वित्तमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आपका बजट जो है, एक बहुत ही व्यवहारिक बजट है जिसके कुछ स्पष्ट लक्ष्य हैं, इस लक्ष्य में सबसे प्रथम बात जो आई है, वह यह है कि जनहित में राजस्व की वृद्धि हो, यह इस बजट का प्रमुख लक्ष्य है। मान्यवर, किसी भी प्रदेश में शासकीय कार्य से अगर राजस्व की उपलब्धि नहीं होती है तो राज्य की खुशहाली भी गायब हो जाती है, प्रदेश में उद्योग धन्धे पनपें, कामकाज बढ़े, तभी तो राजस्व की प्राप्ति होगी। मान्यवर, बजट का प्रमुख लक्ष्य यही है कि प्रदेश खुशहाल हो, रोजगार के अवसर बढ़ें और राजस्व की उपलब्धि हो। इसके लिए मैं मा0 वित्तमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा लक्ष्य है। मान्यवर, दूसरा लक्ष्य यह है कि हर व्यक्ति की जो राष्ट्रीय आय है उसमें किसी न किसी तरह से वृद्धि हो, इस प्रकार का प्रयास हमारे वित्तमंत्री जी ने किया जो सराहनीय है। मान्यवर, तीसरा लक्ष्य है कि रोजगार के अवसर बढ़ें। हमारी बहिन माननीय इन्दिरा जी बोलती हैं कि हमने शिक्षा–बन्धु, शिक्षा–मित्र के रूप में रोजगार तो दिया लेकिन उनको वेतन पूरा नहीं दिया। मान्यवर, नया राज्य है, बहुत लोगों को रोजगार की तलाश है और आर्थिक नीति है इसलिए मान्यवर, पैसा ज्यादा देने से रोजगार कम लोगों को मिलेगा, पैसा कम देने से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, यह बिल्कुल सही बात है कि इस स्थिति में यह सही सिद्धान्त है।

मान्यवर, हमने बजट को और डिटेल्स में देखा, लक्ष्य यह है कि हर व्यक्ति का जीवन स्तर बढ़े, राज्य में काम धन्धे बढ़ते रहें। राजस्व की उपलब्धि होगी, रोजगार के साधन बढ़ेंगे और जीवन स्तर बढ़ेगा और लक्ष्य यह भी है कि साक्षरता का प्रतिशत और आगे जाये, मैं एक ऐसे बजट को जो पूर्ण रूप से जनहित में है, जो पूर्ण रूप से क्षेत्र की जनता के हित में है, ऐसे बजट के लिए माननीय वित्तमंत्री को बधाई देता हूँ। मान्यवर, बजट की बात जब आती है तो यह देखना आवश्यक होता है कि हमारे स्ट्रेंग्थ क्या हैं, हमारे वह कौन से पहलू हैं जिससे हमको मजबूती मिल सकती है।

काजी मोहम्मद मोइउद्दीन–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, कल या परसों माननीय नेता सदन ने मुन्ना भाई से कहा था कि आप कच्ची उम्र के हैं तो कच्ची उम्र में लेनदेन की बात अच्छी लगती है, लेकिन पुख्ता उम्र में लेनदेन की बात अच्छी नहीं लगती है।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, बजट बनाने के लिए मैं यह कह रहा था कि दो बातों का देखना आवश्यक था कि हमारी शक्तियाँ क्या हैं, या हमारी स्ट्रैंग्थ क्या है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें बल दे सकते हैं, इस राज्य के निर्माण में और यह भी देखना जरूरी है कि हमारी दिक्कतें क्या हैं, यह बजट जो आया है, यह बिल्कुल दोनों चीजों का अध्ययन करके यह बजट बनाया गया। मान्यवर, हममें आत्मविश्वास है कि हम इस प्रदेश को, इस नये राज्य को, एक बहुत अच्छी वित्तीय व्यवस्था दे सकते हैं, एक बहुत अच्छी सामाजिक व्यवस्था दे सकते हैं। हमारे अम्बरीष जी बहुत लम्बा–चौड़ा सबक दे बैठे कि जापान से नसीहत लीजिए, जापान से प्रेरणा लीजिए कि जापान आगे कैसे बढ़ गया ?

मान्यवर, नेहरू जी ने भी तो कुछ कहा था, उन्होंने अपनी मेज में एक तख्ती लगा रखी थी जिस पर लिखा है "व्हैन वर्क कम्स इन टु युवर लाइफ, पुट युवर लाइफ इन दि वर्क।" ये सिद्धान्त है, मुल्क को आगे बढ़ाने का। माननीय अम्बरीष कुमार जी, हमें जापान जाने की जरूरत नहीं है।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, क्या आपने नेहरू जी के इस वाक्य का मखूम भी समझ लिया था ? अगर समझ लिया था तो बता दीजिए।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, चाहे जो भी हो लेकिन सफलता की कुंजी यही है। अब मैं माननीय अम्बरीष कुमार जी से कहूँगा कि अगर आप जापान की बात करते हैं तो आप ही क्यों नहीं सबक ले लेते हैं, विलायत के पार्लियामेंट से। विलायत के पार्लियामेंट में जब डिजराइली प्रधानमंत्री थे, औरग्रेंडस्टोन नेता अपोजिशन थे तो उस समय इंग्लैण्ड इंडस्ट्रियल रेवेंल्युशन से उबर रहा था। बड़ी–बड़ी समस्याएं थीं, चारों तरफ हल्ला–गुल्ला था, आन्दोलन हो रहे थे, तो डिजराइली ने पार्लियामेंट में कहा था कि "दिस सोसाइटी हैज बिकम ए मिल स्टोन राउण्ड माई नेक।" ये जो इंग्लैण्ड का समाज है, मेरे गले में एक मिल स्टोन बन गया है तब विपक्ष के नेता औरग्रेंडस्टोन ने खड़े होकर कहा "डिजराइली डॉन्ट वरी पुट दैट मिल स्टोन इन माई नेक एण्ड बी फ्री फॉर दि सर्विस ऑफ दि नेशन।"

आपके मुँह से ऐसे शब्द आने चाहिएँ, आपने कभी कहा नहीं, ये हमारी कमजोरी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी कृपया संक्षेप करें।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, हमारी बहन जी ने कहा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जो भी काम अच्छा करते हैं, इनको दिखायी नहीं पड़ता। या तो ये देख नहीं पाते या ये अच्छी बातें समझ नहीं पाते। हमने कहा हम उत्तरांचल को आई0टी0 प्रदेश बनाएंगे। बहन जी कहती

हैं, आई0टी0 प्रदेश कैसे बनेगा, आपके पास बिजली नहीं है। हमने कहा हम स्कूलों में कम्प्यूटर देंगे तो बहन जी कहती हैं, स्कूलों में कम्प्यूटर चलेंगे कैसे। हमने कहा हमने पर्यटन व्यवसाय के लिए एक बहुत अच्छी नीति निर्धारित की है। बहन जी कहती हैं, इससे कुछ नहीं होगा।

मान्यवर, जो भी काम हम करेंगे, वह काम आपको पसन्द नहीं आयेगा। हमने कहा राज्य के लिए विशेष दर्जा माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्राप्त कर लिया है। आप कहते हैं यह कोई मापदण्ड नहीं है समस्याओं के समाधान का। माननीय बहन जी ने कहा कुमायूँ और गढ़वाल के बीच में एक लिंकरोड होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि आपके हाईकमान ने दिल्ली में जाकर सुप्रीम कोर्ट से इस पर पाबंदी लगा दी। अब आप बताइये, हम क्या करें ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी देहरादून–हल्द्वानी रोड के विरोधी हैं। आपको पहुँचने में सुविधा हो जायेगी।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, हम तो चाहते हैं कि यह मार्ग बन जाए लेकिन आपके हाईकमान के पहल पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा दी। (व्यवधान) मान्यवर, मैं फिर बाद में बोलूँगा पर्यटन पर, उद्योग पर। आज तो मैं यह बोलना चाहता था कि यह जो बजट आया है, इसके पीछे जनहित की भावना के अतिरिक्त कुछ नहीं है और उत्तरांचल प्रदेश की प्रगति के लिए यह मील का पत्थर बनेगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने वित्तमंत्री जी को बधाई देता हूँ। मैं इस बजट का समर्थन भी कर रहा हूँ।

वित्त संस्थागत, वित्त नियोजन एवं राजस्व मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

श्रीमन्, इस बजट पर आदरणीय काजी जी ने, श्री राम सिंह सैनी जी ने, श्री बिशन सिंह चुफाल जी ने, श्री ईशम सिंह जी ने, श्री लाखी राम जोशी जी ने, श्री ज्ञान चन्द्र जी ने, श्री भारत सिंह रावत जी ने, श्री तिलकराज बेहड़ जी ने, डा0 इन्दिरा हृदयेश जी ने, श्री रघुनाथ चौहान जी ने, श्री राजेन्द्र शाह जी ने, श्री अम्बरीष कुमार जी ने, श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा जी ने, श्री हरबंस कपूर जी ने, श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने, श्री नारायण सिंह राणा जी ने, श्री केदार सिंह फोनिया जी ने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया, सुझाव भी दिये। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, सबसे तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नित्यानन्द स्वामी जी के कुशल नेतृत्व में इन 5–6 महीनों में यह साबित कर दिया कि यह सरकार, इसकी दिशा और इसकी दशा दोनों को ठीक करने में सक्षम है। श्रीमन्, मैं केवल भाषण में इस बात को नहीं कह रहा हूँ। इसका हमने प्रमाण दिया है। श्रीमन्, बार–बार कहा जाता है कि 6–7 महीने में प्राप्त ही क्या हुआ है ? तो जो हुआ है श्रीमन्, वह जमीन पर है। वह इस प्रदेश में है, यहाँ पर इन 7 महीनों में इस सरकार ने लोगों में विश्वास जाग्रत किया। श्रीमन्, मेरे कई मित्रों ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लगभग 13–14 महीने तक अपने राज्य के अस्तित्व में आने के बाद वेतन तक देने के संकट से गुजरा, जबकि हिमाचल प्रदेश अनेक वर्षों तक केन्द्र शासित रहा। सबसे पहले तो जब राज्य का निर्माण हुआ था तो उस समय सबसे ज्यादा

भय था, जो वातावरण उत्पन्न हुआ, वह कर्मचारियों में असुरक्षा का था। वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डा0 इन्दिरा ह्रदयेश जी स्वयं चिंतित थी कि हिमाचल में तो यह हुआ, निशंक कहाँ से निकालोगे वेतन। मैं सोचता हूँ चाहे इधर के सदस्य हों, चाहे उधर के, जो आम जनता है, जो कर्मचारी है सब के मन में श्रीमन्, यह भय था, बल्कि कुछ लोग तो इस सीमा को पार करके यहाँ तक कहने लगे कि इससे तो अच्छा यह था कि फिलहाल राज्य का निर्माण नहीं होता। श्रीमन्, वह कुहासा जो एक धुंध थी, उसको बड़ी सशक्तता से इस सरकार ने श्रीमन्, इस कुहासे को दूर किया। इन छः महीनों में यह बताया कि न केवल कर्मचारियों को ठीक समय पर वेतन दिया बल्कि श्रीमन्, समयमान वेतनमान और जो उनकी वृद्धि थी, उसको भी समय पर देकर यह साबित कर दिया कि यह सरकार कर्मचारियों की भी पक्षधर ही नहीं है, उनकी पूरी चिंता करती है, उनको पूरी तरह से स्वाभिमान और आत्मविश्वास से क्योंकि वही इस सरकार के हाथ–पाँव हैं, यदि कल गतिपूर्वक काम करना है तो उनके माध्यम से, हमें काम करना है। इसलिए राज्य कर्मचारियों के बारे में जिस तरीके से कहा जा रहा है, सबके संज्ञान में है कि पहले नं0 1 का विश्वास अर्जित किया है।

श्रीमन्, बहुत सारे करों से संबंधित इस बजट में चर्चा में कुछ लोग तो पुनेठा जी को कह रहे थे कि वे विस्तीर्ण दिमाग के थे, जो लोग विस्तीर्ण दिमाग के थे, उन्हें खुले मन से बात करना चाहिए, मेरा आग्रह है उन लोगों से। मैं सोचता हूँ सबसे बड़ी हताशा और निराशा का वातावरण था, वह औद्योगिक क्षेत्र में था, व्यापारियों के क्षेत्र में था श्रीमन्, लोग सड़कों पर थे, स्थिति यह थी कि अलग प्रदेश बन गया था, कोई उसको स्वीकारने को नहीं था, अलग प्रदेश बन गया। उस प्रदेश के कर निश्चित रूप में होगा। डा0 इन्दिरा ह्रदयेश ने यहाँ पर प्रश्न भी उठाया था कि दोहरे करों की मार हो गई है, मैंने जवाब दिया था कि राज्य बना कर नहीं लगा रहे हैं, हाँ कठिनाई जरूर थी लेकिन उस दिशा में यह देखा जाय कि व्यापारियों में आत्मविश्वास जगा, इन 6 महीनों में उद्योग जगत और व्यापारियों में इस बात की सुनिश्चितता हो गई, हमने लगभग 290 डिपोज को खोल कर उस अवधारणा को भी समाप्त कर दिया कि न ही व्यापारी यहाँ से जायेगा न उद्योगपति यहाँ से जायेगा बल्कि उनमें आत्मविश्वास का भाव श्रीमन्, पैदा हो गया, केवल आत्मविश्वास का भाव पैदा नहीं किया। मैंने तय किया है, हमने इतने महीनों में इसका राजस्व अर्जित करके ऐतिहासिक पहल की है। श्रीमन् हमने कर दिया इन 5–6 महीनों में कि इस राज्य ने अपने संसाधनों को बेहतर तरीके से सुनियोजित करके न बढ़े हुए कर कहा जा रहा है कर विहीन बजट को पास करके बड़ी चीज पायी। कर लगते तो हो हल्ला यहाँ से होता कि बताओ इनको भी नहीं छोड़ा, कहीं का भी नहीं छोड़ा, जो चीज है उसकी तो निश्चित रूप से हमने कर को खत्म नहीं किया, हमने करों की मार ने नये करों को लगाया। यह इस राज्य की और इस बजट की श्रीमन्, यह सरकार की विशेष उपलब्धता है कि नये करों को लगाया नये राज्य में न करों को बढ़ाया, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हमने कर के रूप में जितना राजस्व अर्जित किया, वह रिकार्ड है। श्रीमन्, इस बात को हम सुनियोजित कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, व्यापारी भी हमारा है। अन्ततोगत्वा यदि कर का बोझ उस पर पड़ेगा तो मुझे मालूम है, व्यापारी उद्योगपति अपने घर से नहीं देगा बल्कि आम जनता के कन्धों पर उसका बोझ पड़ेगा। इसलिए प्रदेश की जनता के हित में, व्यापारियों के हित में,

उद्योगपतियों के हित में और इस प्रदेश के हित में कड़ा और महत्वपूर्ण कदम इस सरकार ने लिया इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा बिन्दु एक तो कर्मचारियों का दूसरा बिन्दु व्यापारियों और उद्योगपतियों का, उसमें भी हमने आत्मविश्वास बढ़ाया है, उसमें भी विश्वास इस सरकार के प्रति जगा है। दूसरा क्षेत्र चूँकि डा0 इदयेश कह रही थीं कि प्रमाण–पत्र तो जनता ने ही देना है, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि प्रमाण–पत्र यहाँ पर भाषण देकर के नहीं होना है, सरकार को निश्चित रूप में प्रमाण–पत्र जनता देगी, जिस जनता के हित में यह सरकार काम करेगी और वह प्रमाण–पत्र देगी।

श्रीमन्, जहाँ व्यापारियों को स्थिरता आई है, वहाँ आम जनता से जुड़े विषयों को भी मा0 मुख्यमंत्री जी ने प्राथमिकताओं को तय किया। श्रीमन्, चाहे पेयजल हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सड़क निर्माण का हो, ऐसे जो 4–5 जनजीवन से जुड़े महत्वपूर्ण बिन्दु थे श्रीमन्, उनको श्रेष्ठ प्राथमिकता देकर के इन 5 महीनों के अन्दर जहाँ हम नवोदित प्रदेश में, अपनी व्यवस्थाओं के संचालन में, व्यवस्थित करने में जुटे थे, वहाँ हमने विकास के कार्यों को नजरअंदाज नहीं किया, हमने चाहे वह सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे पेयजल के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, उसमें भरपूर तरीके से श्रीमन्, उस दिशा में काम किया है इसलिए यहाँ की जनता को यह विश्वास हुआ है कि सरकार विकास को गति देने में, दिशा देने में पूरी तरह सफल है इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सरकार ने 6 महीने में आत्मविश्वास जागृत किया है। श्रीमन्, इसकी दशा और दिशा दोनों का निर्धारण किया है। श्रीमन्, कल से जो चर्चा हो रही थी, मैं बहुत आभारी हूँ कि सभी सदस्यों का और वैसे तो विभाग से चर्चा आयेगी तो उस समय पता चल जायेगा। वैसे तो इसमें लगभग सभी नयी मदें हैं, नया राज्य, पुरानी मदें हो ही नहीं सकती। नया राज्य है, हमने हर कुछ नया किया लेकिन विभागों को विस्तारपूर्वक क्योंकि इसमें सभी को समाहित नहीं कर सकते। जब कोई सदस्य बोल रहे थे तो नीतिगत विषय पर ज्यादा बोल रहे थे तो ऐसा महसूस हुआ कि पूरे विभाग के बजट पर बोल रहे होंगे क्योंकि इतना स्वयं सम्भव नहीं है। मा0 अम्बरीष कुमार जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने हरिद्वार का बिन्दु जोड़ा है, श्री वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली से भाषण शुरू होने वाला, वीरचन्द्र गढ़वाली किसी गढ़वाल का नाम नहीं है, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली का नाम इस इतिहास में अमर है, स्वाधीनता के इतिहास में अजर और अमर रहेगा। जिसने कुर्बानी दे करके पेशावर काण्ड का वह नायक, इसी क्षेत्र में नही बाँटा जा सकता। वैसे तो श्रीमन्, वीर चन्द्र गढ़वाली ने इस राष्ट्र को, इस देश को स्वाधीनता दिलायी। वैसे तो यह क्षेत्र इतिहास से जुड़ा है, सुबह से शाम तक 10 दिन तक बोलते चले जायें। हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि ऐसे महान पुरुषों ने यहाँ जन्म लिया है।

उत्तरांचल प्रदेश इतिहास से बिल्कुल भरा पड़ा है इसलिए मैंने उसको शुरू किया था। आदरणीय काजी जी ने यह कहा, इस बजट में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में पूरी सजगता नहीं है और मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि यह सरकार पूरे तरीके से सजग है, आपकी भावनायें, क्योंकि आपने कहा था श्रीमन्, यह तो मेरे बजट का भाषण है और इसमें मैं आग्रह करना चाहता हूँ, इसमें मैं सब समाहित नहीं कर सकता था, लेकिन 23.16 करोड़ रुपये का प्राविधान पूरी तरह से इसमें किया गया है और इसको नजरअंदाज नहीं किया गया है, श्रीमन्, जहाँ तक आपने वक्फ बोर्ड की बात कही है, अल्पसंख्यक वर्ग के सभी योजनाओं को स्थान देने की बात की है तो मैं निवेदन करना

चाहता हूँ कि इस बजट में हज कमेटी के लिए अनुदान की भी व्यवस्था है, अरबी, फारसी, मदरसों के आधुनिकीकरण के समुदाय को एक से लेकर 10 कक्षा तक के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का भी पूरे तरीके से है। एक सौ 40 लाख का यहाँ पर प्राविधान है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए पूरी तरीके से श्रीमन्, आपने तो देखा ही है कि लगभग हमने 107 करोड़ रुपये का प्राविधान इसमें किया, ईशम सिंह जी ने संविधान की कई धाराओं का उल्लेख किया था, वो शायद होते तो मैं उनको बताता क्योंकि यह 107 करोड़ रुपया, यह विशेष योजना उनके लिये अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए है।क्योंकि अभी माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने भी उस बात को उठाया और मैं तो इसलिए आग्रह करना चाहता हूँ कि मुन्ना जी आप तो विस्तृत दिलोदिमाग के हैं तो मैं सोचता हूँ कि केवल यह अनुसूचित जाति, जनजाति, उस वर्ग के लिये विशेष योजनाओं के लिए, वैसे तो बजट में, उन वर्ग के लोगों को सीधा--सीधा लाभ मिलता है, लेकिन उससे भी हट करके हमने 160 करोड़ रुपये का विशेष प्राविधान इसमें किया है।

श्रीमन्, जो निजी भूमि पर जो आपने बिन्दु उठाया था, भारतीय वन अधिनियम, 1927 का, तो श्रीमन् उसमें यह था कि निजी भूमि के लिए वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित हो, उस पर चर्चा भी हो रही है और हमारे वन मंत्री जी उसी दिशा में लगे भी हैं और सरकार बड़ी गम्भीरता से उस दिशा में विचार कर रही है। श्रीमन्, गन्ना की समस्याओं के बारे में जो आपने चर्चा की थी, उत्तरांचल के 10 चीनी मिलों के गन्ना के क्षेत्र के सम्बन्ध उत्तर प्रदेश से 5 वर्षीय एम0ओ0यू0 करने पर सहमति भी इस सरकार ने ले ली है और बहुत जल्दी उस दिशा में प्रगति हो जायेगी और मंगलौर की गुड़मण्डी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जब वहाँ के लोग आये थे और आपसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि यदि आप एक प्रतिशत कर देंगे तो इसका हम विश्वास दिलाते हैं कि यह गुड़मण्डी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण मण्डी हो जायेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष वह जितने भी लोग आये थे, उनके प्रतिनिधि और मैं वहीं पर उपस्थित था। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ कि हमारी गुड़मण्डी जीवित ही नहीं रह सकती है, बल्कि इस शहर का महत्वपूर्ण हो सकता है तो हमने एक प्रतिशत उसको घटाया, यह बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है श्रीमन्, अब उसमें यदि कोई कठिनाई होगी तो मण्डी हमारी है, हम उस मण्डी को खत्म करने के लिए नहीं, वो तो हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन हमने उन्हीं के कहने पर, उन्हीं की संस्तुति पर, उन्हीं की बात पर, मोहर लगाई और इस सरकार ने एक प्रतिशत गुड़ कर व्यापार कर उसमें कम किया।

मान्यवर, आदरणीय चुफाल जी ने विशेष रूप से नेपाल की सीमा पर आई0एस0आई0 की बढ़ती गतिविधियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। माननीय लाखी राम जोशी जी ने कहा कि टिहरी में सतपाल महाराज को भूमि आवंटित की गयी है, आपने कहा था कि आप पता करें, अभी तक मेरे संज्ञान में कोई भूमि सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है और अगर कहीं से दी गयी होगी तो अलग बात है लेकिन राजस्व की भूमि उनको उपलब्ध नहीं करायी गयी है, फिर भी आपने कहा है तो हम इसकी जाँच करा लेंगे। माननीय जोशी जी ने उद्यानिकी महाविद्यालय, रानीचौरा के विषय में कहा, ये उद्यानिकी के क्षेत्र में वाणिज्य पक्ष का अपनी तरह का विद्यालय होगा और चूंकि भण्डसार में एशिया का ये सबसे बड़ा राजकीय उद्यानिकी था जिसकी बहुत दुर्गति हो रही थी और इसीलिए प्रस्तावित था।

रानीचौरी में पहले से ही वानिकी और औद्योगिकी के क्षेत्र में काम हो रहा है, जरूरत पड़ेगी तो उसका भी विकास किया जाएगा। आपने बैंगी और बिन्स्वाड़ा क्षेत्र को अनुसूचित जाति से सम्बन्धित कहा था, ये भारत सरकार के क्षेत्र का विषय है। आदरणीय राम सिंह सैनी जी ने गरीब छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए योजना के बारे में कहा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने छात्रों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़ों के लिए, अगड़ों के लिए कितनी समुचित व्यवस्था की है, यह तो हमारा दस्तावेज कह रहा है। महिलाओं के विषय में कहना चाहता हूँ कि उत्तरांचल के विकास के साथ महिलाओं की सहभागिता जुड़ी हुई है। जैसा कि माननीय वन मंत्री जी ने बताया कि वन पंचायत के साथ महिलाओं को सीधे-सीधे जोड़ा जा रहा है, अधिनियम को भी संशोधित किया गया। महिलाएं डेयरी क्षेत्र से भी जुड़ी। अगर आप इस बजट को देखें तो महिलाओं को कई दृष्टि से हमने सीधे-सीधे जोड़ा है और महिलाओं के क्षेत्र में चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, चाहे उनके कल्याण का क्षेत्र रहा हो, 60 करोड़ 28 लाख की अकेली ऐसी व्यवस्था की है। 40 हजार महिलाएं सीधे-सीधे इससे लाभान्वित होंगी।

माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी तथा आदरणीय सैनी जी ने असीमित क्षेत्र में बालिकाओं का डिग्री कालेज खोलने की बात कही, मान्यवर, जिन असीमित क्षेत्रों में हाई स्कूल-इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं होंगे, वहाँ पर जूनियर हाई स्कूल तो हर कीमत पर होंगे, उन जूनियर बालिका कॉलेजों के उच्चीकरण की सरकार की योजना है, भाषण में नहीं होगा, अब सबको तो समाहित नहीं कर सकता था लेकिन हमारी योजना है। असीमित विकास खण्ड में निजी क्षेत्र के लोगों को डिग्री कॉलेज खोलने की व्यवस्था इस बजट में है। मैं तो सोचता हूँ कि यह भारतवर्ष का पहला ऐसा बजट होगा, जिसमें पूरे बजट का 15 प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में प्राविधान है।

मान्यवर, इस बजट में तो मैं सोचता हूँ श्रीमन्, शिक्षा की चर्चा बेरोजगारी से लेकर शिक्षकों तक आ गई। यह शायद भारतवर्ष का पहला ऐसा बजट होगा कि पूरे बजट का 15 प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में दिया जा रहा है, लेकिन श्रीमन्, शिक्षा के क्षेत्र में जितने महत्वपूर्ण कदम इस सरकार ने उठाये हैं, ये स्वागत योग्य हैं। और निश्चित रूप से 606 अरब 80 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। मान्यवर, 680 करोड़ कोई सामान्य बजट नहीं है, हमने यह साबित किया कि यह शिक्षा का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और हम जो शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम प्रतिभाओं का निर्यात करते हैं, हम यहाँ से प्रतिभाओं को कहीं न कहीं पूरा प्रवास भी देना चाहते हैं। कल शायद किसी ने कहा कि 34 करोड़ ही दिये गये हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि 680 करोड़ शिक्षा के लिए हैं और वह भी पूरी शिक्षा के लिए, इस 34 करोड़ से क्या मतलब है, लेकिन हमने उच्च शिक्षा में विद्यालयों का निर्माण, माध्यमिक शिक्षा में विद्यालयों का निर्माण, बेसिक स्कूलों का निर्माण, यह भी हमारी प्राथमिकता है और श्रीमन्, ये सब काम एक साथ तो कर नहीं सकते, लेकिन हमने चरणबद्ध तरीके से श्रीमन्, उन विद्यालयों को विकसित करने का, उनके भवनों के निर्माण करने का भी इस बजट में पूरे तरीके से लक्ष्य रखा है। श्रीमन्, बेरोजगारी के बारे में कहना चाहता हूँ क्योंकि कई लोगों ने, भाई मुन्ना सिंह चौहान जी ने भी कहा, जब हम उ0प्र0 की विधान सभा में भाषण देते थे तो कहते थे कि पहाड़ की

जवानी और पहाड़ का पानी, पहाड़ के काम नहीं आया। सच है, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इसलिए इस सरकार ने पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी का समन्वय करना शुरू कर दिया है और मैं कहना चाहता हूँ कि कहाँ से शुरू किया है ? हमने एक अरब पचास करोड़, डेढ़ सौ करोड़ रुपये श्रीमन्, हमने ऐसी योजनाओं पर रखा है जो रोजगारोन्मुखी हैं। हमने कहा है, यदि हर हाथ को काम देने के लिए डेढ़ अरब रुपये को लगाएंगे तो 75 हजार लोगों को सीधे–सीधे एक वर्ष तक रोजगार मिलता है। हमने इसमें पूरी व्यवस्था की है। हो सकता है कि वह सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत हो, हो सकता है कि वह केन्द्र और राज्य के अंश में मिलकर के हो, स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के तहत हो, लेकिन और भी योजनाओं को साथ मिलाकर हमने यह किया है और जहाँ तक विद्युत की परियोजनाओं का विषय है, हम लघु जल विद्युत परियोजनाओं को पूरी तरह से विकसित करेंगे और हम पानी का भी समन्वय करेंगे और वहाँ की जवानी का भी समन्वय करेंगे। हमने लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर 100 करोड़ रुपये भी दिये हैं। (व्यवधान) श्रीमन्, गन्ना के क्षेत्र में भी कृषकों को 5 रुपये की गन्ना मूल्य में वृद्धि की गई है तो ऐसा नहीं कि कृषकों और उद्यानपतियों के लिए इस बजट में पर्याप्त प्रावधान कराया गया है। वन पंचायतों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मैंने बहुत सीधा–साधा बिन्दु बता ही दिया है। सम्पत्तियों के बंटवारे के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करेंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब 2 भाईयों का भी बंटवारा होता है तो उसमें भी थोड़ा समय लगता है और ऐसा नहीं है कि सरकार बैठी हुई है। यह सरकार निरन्तर उस दिशा में गतिशील है, लेकिन अचानक कोई जादू की छड़ी तो नहीं, सब कुछ अपने आप हो जाये।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अगर बाप समझदार हो तो भाईयों में झगड़ा नहीं होने देता।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, झगड़ा तो है ही नहीं। कभी–कभी महसूस होता है कि सब उस समय की परिस्थितियों की बात थी, विशेष कर के अम्बरीष जी की। इसमें कुछ समय लगेगा। इसके लिए भारत सरकार ने इसमें प्रावधान किया है तथा एक वर्ष का समय रखा है और एक वर्ष के बाद भारत सरकार ने कहा है कि इसके बाद भारत सरकार में बात होगी और इस दिशा में निरंतर काम चल रहा है, बहुत काम हो भी गया है। रुड़की के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के बारे में आपने कहा कि इसका भी इसमें प्राविधानिक किया जा रहा है। आदरणीय भारत सिंह रावत जी ने भी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पर दिये हैं। और मैं बहुत आभारी हूँ।

मान्यवर, डा0 हृदयेश जी ने कई बिन्दु उठाये हैं, मैं उनका आभारी हूँ, एक तो डा0 हृदयेश जी ने जो कहा आधा उत्तर तो अपने भाषण में स्वयं दे दिया था। हमने जो बजट तैयार किया है, उसमें स्पष्ट किया है, हमने कहा है, विभागों का आकार हमने छोटा रखा है, दीर्घकालीन वचनबद्धता को कम करके वाह्यसहायतित संस्थाओं से परामर्श प्राप्त भी हम कर रहे हैं, उस दिशा में आय के स्रोत की दिशा में आपने स्वयं कह दिया, पर्यटन, खनन

है, तमाम चीजों को आपने उल्लिखित कर दिया और बेहतर अवस्थापनायें हमारे पास थीं, हमने उनका प्रबन्धन भी किया है, आपने कहा कि बहुत बडा समय है लेकिन उस बहुत बड़े समय में, हमने 6 महीने में जितना भी काम किया है, छंटनीशुदा कर्मचारियों के बारे में, आप को मालूम है कि उस दिशा में सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है, सरकार ने पहले ही कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत स्पष्ट तरीके से माननीय फोनिया जी ने कहा ही है और उत्तर में बताया कि जनता का सर्टिफिकेट और उद्योग धन्धों और कर्मचारियों के बारे में चर्चा की थी, उस दिशा में मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है लेकिन जो अवस्थापनाओं के विकास के बारे में कहा है आपने, निश्चित रूप में सरकार ने उसको शीर्ष प्राथमिकता पर रखा है इसलिए सड़क और अवस्थापनाओं के विकास के बारे में, उस दिशा में पूरी तरीके से सरकार संवेदनशील भी है और काम कर रहे हैं। ट्यूबवेल के बारे में मा0 मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश भी दे दिये हैं। नजूल लैण्ड और उसके बारे में तिलक राज बेहड़ जी ने सुझाव दिया, उसकी भी हम समीक्षा कर रहे हैं, भविष्य में जो नजूल पर खड़े हैं, नगर–नगर, शहर–शहर, उसको किस रूप में कैसे नियमितीकरण किया जा सकता है, उस दिशा में सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मा0 मंत्री जी, नजूल के मायने क्या हैं ?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, सरकार की भूमि है, शहरों के अन्दर नजूल भूमि है।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, जब हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करते थे तब वहाँ अंग्रेजी फौजें जाया करती थीं और वहाँ जाकर उतर जाती थी, नजूल के माने नाजिल होने के हैं, उतरने के बाद फिर वह फौजें बगावत को कूच कर देती थी तो उसको नजूल लैण्ड करार दे दिया जाता था अगर फिर बगावत होती थी, फिर फौजें यहाँ आकर नाजिल होंगी, उतरेंगी, उसको नजूल लैण्ड कहा जाता है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, यही सारी भूमि है, वह निश्चित रूप से सरकार के प्रबन्धन की भूमि है लेकिन केवल नजूल नहीं, यहाँ पर तमाम प्रकार की भूमि है, उस बारे में विस्तारपूर्वक हम लोग काम भी कर रहे हैं श्रीमन्, जो डा0 हृदयेश जी ने कहा है, नदी में निरोधक योजनाओं के लिए श्रीमन्, दो करोड़ रुपये का इसमें प्राविधान किया है, बाढ़ नियंत्रण के लिए 1.87 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है, मैं साथ–साथ बिन्दुओं को जोड़ रहा हूँ, भूस्खलन से संबंधित यह पहली सरकार है जिसने इसके लिए अलग सा विभाग बनाया है सिर्फ इसी पर योजना बना रहा है, पूरा विभाग ही इस पर खड़ा कर दिया है, किसी भी प्रकार की आपदाओं से वह विभाग काम करेगा। नलकूपों के बारे में भी 6.51 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था है। आदरणीय राजेन्द्र शाह जी ने सुझाव दिया और बहुउद्देशीय कर्मियों के वापस जाने के बारे में ऐसा कोई सुझाव था, उसमें भी विचार चल रहा है।

आबकारी नीति भी इस सरकार ने अपने तरीके से पहली बार पेश की है और निश्चित रूप में जब कभी नीति प्रस्तुत होती है तो उस समय उसमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत व्यवस्थायें हों, लेकिन इस सरकार की इच्छाशक्ति रही है, एक एकाधिकार को तोडना ठीक है, उसमें कमियाँ होंगी तो यह सरकार चुप नहीं है, उन कमियों को भी दूर करेगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचायक था कि एकाधिकार को तोडकर के नई व्यवस्था को लागू किया, यह कम उपलब्धि सरकार की नहीं है, बजट के बारे में जो अर्थव्यवस्था और संचालित आय–व्ययक के उद्देश्य के बारे में माननीय अम्बरीष जी ने कहा और साथ–साथ ये तो उत्तर प्रदेश की विधान सभा से है, यदि आप भावुक हैं तो फिर यह बजट आपका है, यदि आप भावुक हैं। इस बजट में तमाम कदम पर संवेदनशीलता दर्शाई गई है और इसका प्रमाण इस बजट में कि निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं गया है, हर क्षेत्र को कहीं न कहीं संवेदना से युक्त किया गया है तो मेरा तो यह सुझाव है कि आपने कहा कि गरीबी होते हुए भी अन्तिम व्यक्ति तक जल विकास पहुँचाने का कोई लक्ष्य नहीं है तो मैं यह सोचता हूँ कि यह बजट ही उत्तरांचल के उस अन्तिम व्यक्ति तक पहुँचने का बजट है, यदि इसको अन्तिम व्यक्ति, पूरे बजट को देखा जाये तो ग्रामीण क्षेत्र में 80 प्रतिशत से अधिक पूरा व्यय लगभग, मैं तो सोचता हूँ कि 90 प्रतिशत और पूरा व्यय, यह सब ग्रामीण क्षेत्र को समर्पित व्यय है, गाँव के उत्थान के लिए है या उस आम व्यक्ति के उत्थान के लिए है, जिसके विकास की किरण आज तक नहीं पहुँची है। जो शिक्षा का है, चिकित्सा का है, पेयजल का है, उस आम व्यक्ति के लिए यह योजनायें हैं और इसलिए इस सरकार ने इसे आम व्यक्ति तक पहुँचाने की कोशिश की है, इस विकास के माध्यम से श्रीमन्, यह हरिद्वार की उपेक्षा के बारे में तो मैंने माननीय अम्बरीष जी की चर्चा मैंने कर दी, हरिद्वार तो हमारा द्वार है, और हरिद्वार की उपेक्षा की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है और जो द्वार है वह तो हमारा स्वाभिमान है इसलिए इस बात को मैं खण्डित करता हूँ कि हरिद्वार की उपेक्षा हुई है। हरिद्वार तो हमने शुरू किया है, मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि हरिद्वार हमारे बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ हरिद्वार भी पांचों महत्वपूर्ण स्थानों पर हमारा पूरा ध्यान केन्द्रित है। सेब उत्पादकों पर इस दिशा में जो आपने कहा है, यदि यह हमारी उद्यानिकी का जो स्वरूप इस समय विकसित किया है तो मैं सोचता हूँ कि यदि विस्तारपूर्वक उद्यान विभाग के क्रियाकलापों को इस समय देखा जाये तो वह सेब ही नहीं, अन्य उत्पादों को भी बढ़ावा देने के लिये और यह पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों .....

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, जो सुविधाएं मिल रही थीं, जैसे लोकल वन नियंत्रण से उनको पेटी वगैरह के लिए लकडी मिल जाती थी, वो भी विद्रा हो गयी। इतना बड़ा ईकॉनॉमी का लॉस हमें हुआ है, वहाँ पर 4 करोड़ रुपये का टर्न ओवर है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं जो चर्चा कर रहा था कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को साथ लेकर घाटी, मध्यम और उच्च स्थल का मृदा परीक्षण करके वैज्ञानिक दृष्टि से यहाँ क्या हो सकता है, पूरी तेजी से इसकी कसरत शुरू हो गयी है। और इस दिशा में

सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। कई योजनाएं शुरू हो गयी हैं, हमने फल पट्टी, सब्जी पट्टी और जैसा कि माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने भी सुझाव दिया कि हम ऐसी व्यवस्था करें जिसमें लागत कम आए और बाजार में हम प्रतिस्पर्धा में आ सकें। इस तरह की जड़ी–बूटी से लेकर फल पट्टी, सब्जी पट्टी यहाँ तक कि फूलों की खेती को भी इसमें समाहित किया गया है, इस दिशा में सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। शिक्षा के बारे में आपने कहा, तो उस पर मैंने चर्चा कर ही दी और जो बैंक के बारे में अम्बरीष कुमार जी ने सुझाव दिया है, वो बहुत अच्छा है। ये बात भी सही है कि जो जमा ऋण है, उसका अनुपात निश्चित रूप से यहाँ कम है। इसलिए हमने जो योजना बनाई है, उसमें इसे समाहित कर लिया है। इसके साथ–साथ हम यह भी चाहते हैं कि बेरोजगारी को यहाँ की योजनाओं के साथ जोड़कर बैंकों के साथ जोड़ा जाए ताकि उनको, उनकी आर्थिकी के आधार पर खड़ा कर दिया जाए, इस दिशा में भी सरकार व्यवस्था करेगी।

(व्यवधान)

मान्यवर, जीरो टैक्स की बात आयी, माननीय अम्बरीष कुमार जी ने कहा कि टैक्स नहीं होना चाहिए लेकिन माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि इसमें कुछ दमदारी होनी चाहिए, टैक्स लगाया जाए तो हमने बीच का रास्ता निकाला कि न तो जीरो टैक्स हो, न बिल्कुल खत्म हो।

(व्यवधान)

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, जो नर हो न नारी हो, वो बीच का क्या होता है, आप जानते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, वो नर नारीश्वर होता है। .....

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैंने यह भी तो कहा कि यदि प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो टैक्स किस चीज पर लेंगे ?

(व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, इसको तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि यदि व्यापारी और व्यापार उद्योग ही हमारे नहीं रहेंगे तो उनका पोषण हमारी पहली जिम्मेदारी है। माननीय अम्बरीष जी ने कहा कि हिमालय को मैंने भारत का भाल कहा है और दूसरा प्रश्न उठाया कि इस राज्य का निर्माण राजनैतिक इच्छा शक्ति की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि भारत की एकता, अखण्डता और भारत के सर्वांगीण विकास के लिए हुआ है। यह मैं अपने आप तो फिर से दोहरा रहा हूँ, अभी आपने जिज्ञासा प्रकट की कि सुरक्षा के दृष्टि से क्या श्रीमन्, यह तो सबको पता है कि आज भी इस क्षेत्र को औसतन एक परिवार

के एक व्यक्ति सेना में भर्ती होता है और श्रीमन्, यह देश के लिए थाथी है। आज क्या है, ये नवयुवक पलायन कर रहे हैं, गाँव के गाँव खाली हो गये। इस क्षेत्र का पूरी तरीके से सुरक्षित होना, इस देश की एकता और अखण्डता के लिए ही नहीं, इस देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मेरा आशय यह है कि जब यह क्षेत्र समृद्ध होगा, यहाँ का पलायन रुकेगा, यहाँ का नवयुवक यहाँ खड़ा होकर यहाँ की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा, गाँव खाली नहीं होंगे। मैं तो यह भी कहूँगा, यदि एक करोड़ यहाँ हैं, ये सैनिक के रूप में खड़े हैं। 1962 में भारत–चीन युद्ध था और सेना तो बहुत बाद में पहुँची थी, यहाँ की महिलाओं ने 62 घण्टे तक चीन की फौज को रोक करके रखा था तो यह कोई नई बात नहीं है। इसलिए यहाँ का पलायन रुके, यह अभिप्राय है और निश्चित रूप से यह क्षेत्र भारत का भाल है और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस भाल की पूरी तरह से रक्षा, सुरक्षा करें। लोगों में आत्मविश्वास भरने की बात आपने की है, वो तो हमने भर दिया और यह बात इस सरकार ने साबित कर दी और केन्द्र पर निर्भर न रहने की बात की है। केन्द्र पर तो हम कहीं निर्भर नहीं हैं। हमने तो केन्द्र से यह कहा कि हमको अलग नया प्रदेश मिला है, हम अपने पुरुषार्थ को भी करके दिखाएंगे, लेकिन उ0प्र0 से जो हमको विरासत में नॉनप्लान का 1700 करोड़ रुपया का प्रतिवर्ष के लगभग जो घाटा मिला है, उसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार कर दें और हमने इसका उदाहरण दिया कि हिमाचल का किया, तमाम उदाहरण दिये। जब केन्द्र ने नॉनप्लान के घाटे की प्रतिपूर्ति उन राज्यों की की है तो हमें भी इसका अधिकार है। आप हमको इस घाटे की प्रतिपूर्ति कर दीजिए, फिर हम पर छोड़ दीजिए कि हम इस राज्य को कितना अच्छा चलाते हैं और हमने 5 महीने में इस बात को साबित भी किया है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ, आपने सेलटैक्स में लूट की बात कही है। ऐसे लुटेरों को तो हम खत्म कर देंगे इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, माननीय नेता सदन के आदेश से, यदि कोई किसी प्रकार की ऐसी सूचना होती है तो यह सरकार पारदर्शी है, ऐसे लोगों को कतई बख्शा नहीं जायेगा जो कि दूर–दूर तक भी जनता के हितों के साथ कुठाराघात करते हैं। आदरणीय कपूर जी ने कई सुझाव दिये। व्यापारियों के सम्मान की दिशा में आपने कहा, मैं बहुत आभारी हूँ। आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं और इसको सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यापारी यदि व्यापार–कर के कार्यालय में जाता है तो उसको पूरी तरह से सम्मान दिया जाये।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, देहरादून में 10 व्यापार के कार्यालय हैं, उन्हें सभी एक जगह पर कर दिया जाय, निश्चित रूप से उसमें व्यापारियों को भी आसानी रहेगी।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, इस पर भी एक बार विचार कर लेंगे कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है। मैं आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी का भी बहुत आभारी हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, मैं कह रहा हूँ कई बार श्रीमन्, जब विस्मृत हो जाते हैं तो याद दिलाना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था क्योंकि यह कहा गया कि इस बजट के बारे में वाहवाही लूटी जा रही है, सब जगह तारीफ हो रही है तो यह कहा जा रहा

है, तारीफ की जा रही है। मैं तो यह कहना चाहता हूँ, मैं तारीफ की बात नहीं कह रहा हूँ, श्रीमन्, मैं तो यह सोचता हूँ कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र की जड़ें काफी गहरी होती हैं इसलिए यह सब व्यवस्था की गई, विरोध करने के लिए चाहे इस सरकार का बजट कितना ही अच्छा क्यों न हो जैसे हमारे तिलक राज जी ने कहा, डा0 साहब बाहर इसकी प्रशंसा कर रही थी, मैंने कहा बाहर तो ठीक है, यहाँ सदन में भी कुछ बोलना चाहिए। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोधी दल का अपना एक स्थान है और इसलिए विरोध के लिए भी सुख–सुविधा दी जाती है, अभी तक विरोधी दलों ने अपना नेता कोई नहीं चुना। लेकिन पूरी सुख और सुविधा दिया जाता है, वह सुविधा सिर्फ इसलिए दी जाती है श्रीमन्, सम्मान दिया जाता है कि आज सरकार क्या कर रही है, उसकी आप आलोचना करते रहे ताकि सरकार व्यवस्थित चले जैसे श्रीमन्।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है मा0 वित्तमंत्री जी ने कहा कि सुख–सुविधा शब्द बड़ा आक्षेप वाला शब्द है क्योंकि विधायक के नाते जो सब के लिए मान्य है, वहीं विधायक होने के नाते जो जिस दलीय स्थिति में बैठता है वही मान्य है, कुछ अगर विशेष सुख–सुविधा ला रहे हों तो हम आपके बड़े आभारी हैं।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, ठीक भी है, विधायक के नाते सब सुख–सुविधा मिलती हैं लेकिन विरोधी दल के नेता उसको सम्मान दिया जाता है। मैं यह कह रहा था श्रीमन्, जैसे कोई माँ अपने बेटे को संवारती है, संजोती है, अच्छा लगता है बेटा, फिर उसके माथे पर छोटा सा काला तिलक भी लगाती है तो किसी अच्छी चीज के लिए ठीक होना भी जरूरी है। श्रीमन्, जो हिमाचल प्रदेश की आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने जो चर्चा की है हिमाचल की धनराशि जो 11वें वित्त आयोग द्वारा स्वीकार की गई, वह नॉनप्लान के घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान था।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, इसमें मेरा एक अनुरोध था, जो सरकार के लिए भी अच्छा मार्गदर्शक हो जिसमें हमने मा0 मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया कि इसमें कोई दलीय भावना नहीं है, हम सब इस प्रदेश के लिए हैं, हम आपके नेतृत्व में भारत सरकार के पास जा करके अनुरोध कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले भारत सरकार डेफिसिट ग्रान्ट दे जिसमें कहके अलग–अलग नामों से पुकारते हैं जो हमें डेफिसिट जो हमारी इनिशल डेफिसिट है, उसकी प्रतिपूर्ति का इंतजाम। इसीलिए मैंने कहा कि आदरणीय रघुनाथ सिंह चौहान जी ने कहा था कि स्पेशल कैटेगिरी स्टेट रामबाण दवा नहीं है, जब तक बेसिक डेफिसिट है, उसको कम नहीं कर सकते, तब तक हमारी स्थिति संतुलन में आ नहीं सकती।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, यह जो पूर्वला क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्रों के लिए माननीय मुन्ना सिंह जी ने कहा तो यहाँ श्रीमन्, जैसे रज्जूमार्ग, अश्वमार्ग, कई प्रकार की योजनायें, अभी हम लोगों ने उद्यान बजट में की हैं। 8–10 योजनायें हैं, बिल्कुल नई योजना रखे हैं, इस समय तो जैसे– माइक्रो, हाइडिल के बारे में आपने चर्चा की थी श्रीमन्, तो मैंने तो कल ही कहा था कि जल विद्युत योजना और उसके बारे में यह सरकार पूरे तरीके से काम कर रही है। पर्यटन के बारे में आदरणीय फोनिया जी ने कहा है कि मसूरी और नैनीताल तक ही हम सीमित न रहें, मेरा आग्रह है कि इस बजट में भी 3–4 पेजों में, हमने यहाँ तक कहा कि जो नितांत अविकसित क्षेत्र हैं, वह हमारी प्राथमिकता होगी, बल्कि हमने तो कहा कि यहाँ के गाँव भी पर्यटन तक की इसमें परिकल्पना की है और उसके लिए व्यापक योजना भी बन रही है, लेकिन जो क्षेत्र चिन्हित हैं, जो विकसित हैं, केवल उन्हीं क्षेत्रों तक नहीं, जो बिल्कुल नितान्त विकसित क्षेत्र हैं और महत्त्वपूर्ण हैं, उनके लिये भी उत्तरांचल ने काम करना शुरू कर दिया है। बाकी अनुसूचित जाति, जनजाति की योजना के बारे में आपने कहा, पर्यटन नीति के बारे में कहा, लगभग सभी बिन्दुओं पर श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूँ।

श्री ज्ञान चन्द्र जी–

माननीय अध्यक्ष जी, वित्तमंत्री जी ने सभी बिन्दुओं पर अपने विचार व्यक्त किये हैं, एक–एक बिन्दुओं को आपने छुआ है, पशुपालन का मैंने कल भी जिक्र किया था, ऊन उद्योग जो कि उत्तरांचल का प्रमुख उद्योग है, इस सम्बंध में आपका कोई वक्तव्य नहीं आया है।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, पशुपालन और भेड़ पालन हमारे रहते थे और वह धीरे–धीरे खत्म हो गये, कल भी आपने बहुत अच्छे से उभारा था, इस योजना में उसको व्यापक रूप से सम्मिलित किया है, बल्कि हमने तो यहाँ तक कहा है कि इस पर जो बिल्कुल अत्याधुनिक तरीके से होते थे, उसको पुनः विकसित करेंगे और उसका आगे विकास करेंगे, यह पशुपालन विभाग भेड़ पालकों के ऊन को निर्धारित समर्थन मूल्य पर भेड़ पालकों को क्रय करके ऐसे ऊन को विकसित करेंगे, विकसित करके 350 कुण्टल निर्धारित मूल्य का लगभग 55 रुपये की दर से होगा। श्रीमन्, ऊन का उत्पादन, उसका नियोजन, उसका वितरण और उसको निष्कासन की दिशा में सरकार ने पूरे तरीके से योजना बनाई और पशुपालन विभाग में पूरी तरह से इसको समायोजित किया है, श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूँ कि काजी जी की जबान में कि तुम्हारे इंकार में ही इकरार है, ये न, नू तो करते हैं, लेकिन ह्रदय से पूरी तरह से स्वीकार्य कर लेते हैं तो महसूस हो जाता है कि तुम्हारे इन्कार में भी इकरार है और अम्बरीष जी ने कहा, यह भी कर लेते तो श्रीमन्, हम वो भी कर लेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर हैं। यह हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि वह भी हमको करना है और सभी क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, जल, वन, पर्यावरण, ऊर्जा, गन्ना, महिला कल्याण अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा अल्पसंख्यक, बेरोजगारी अन्य सभी क्षेत्र देखा जायेगा, कोई भी क्षेत्र नहीं छूटा है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, तकनीकी शिक्षा को उद्योग का दर्जा उत्तरांचल के अन्दर, सरकार कहीं विचार करें तो यहाँ पर क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकते हैं।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, यदि ये पढ़ा होगा, बजट भाषण में भी संक्षिप्त सा मैंने रखने की कोशिश की थी कि हमारी जो तकनीकी शिक्षा है, भारत सरकार के माध्यम से हम उसमें रोजगार–परक उस दिशा में पूरे तरीके से दे रहे हैं, उसका उच्चीकरण भी कर रहे हैं, तकनीकी शिक्षा को रोजगारपरक भी सम्मिलित कर रहे हैं और इसमें हमारी योजना है, इसमें श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से, विशेष राज्य के दर्जे की दिशा में, केन्द्रीय मंत्री परिषद् ने अपनी स्वीकृति दे दी है, मैं माननीय नेता सदन को इसके लिए बधाई भी देना चाहता हूँ और इस बजट के बारे में संक्षिप्त करते हैं और अन्त में यह कहना चाहता हूँ कि इधर से जो बातें आई हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, एक प्वाइंट, समयबद्ध वेतनमान केवल गवर्नमेन्ट एम्प्लॉइज को दिया है। ये पैरिटी के अन्तर्गत अशासकीय विद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नहीं दिया है, ये मैं नियम 51 में लायी हूँ। उसकी भी घोषणा कर दीजिए। समयबद्ध वेतनमान सबको मिल जाएगा, जो वेतनमान की परिधि में पैरिटी का वेतनमान पा रहे हैं।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, चूँकि डॉ0 साहिबा नियम 51 में इसे लायी हैं, तो हम उसका परीक्षण भी कर रहे हैं। अन्त में ये चार पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ–

"तुमने चाहा ही कहाँ कि ये चमन भी सज जाए,
तुमने कब चाहा कि आम आदमी विकास की किरण को पाए।"

पर अम्बरीष जी, हमने तो संकल्प लिया है कि हम आपको भी साथ लेकर विकास की गंगा को घर–घर तक ले जाएंगे, अपने पौरुष और निष्ठा से हम उत्तरांचल को धरती का स्वर्ग बनाएंगे। धन्यवाद।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, ऐसा है कि नेता विरोधी दल तो यहाँ है नहीं, 5–7 मिनट अगर हमको दे दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, जब अलग–अलग विषयों के बजट आ जाएंगे, तब उस समय सब बोल लेंगे।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, इतनी देर तो उस वक्त उन्होंने बोला और आज बोले, हमने तो कोई एतराज नहीं किया अगर आप 3–3 मिनट 3 आदमियों को दे दीजिएगा, तो मेहरबानी होगी।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, अब ये परम्परा तो है नहीं। माननीय वित्तमंत्री के भाषण के बाद तो चर्चा समाप्त हो जाती है।

(बजट पर चर्चा समाप्त)

कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशें

श्री अध्यक्ष–

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 9–5–2001 की बैठक में दिनांक 10 मई, 2001 से 18 मई, 2001 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

मई, 2001
10, गुरूवार

(1) मुख्यमंत्री से सम्बन्धित विभागों के अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

(2) ऊर्जा, सिंचाई एवं संसदीय कार्य मंत्री से संबंधित विभागों के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

(3) नियम–103 के अन्तर्गत सूचना।
(क) श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा– "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तरांचल में रोजगारपरक व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से पिथौरागढ़ में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की शीघ्र स्थापना की जाए।"
(ख) श्री अम्बरीष कुमार– "इस सदन का यह निश्चित मत है तीर्थ यात्रा काल में हरिद्वार में 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक मेला काल अधिसूचित किया जाए तथा यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु नगरपालिका परिषद् को मानकानुसार धन उपलब्ध कराया जाए।"

11, शुक्रवार

(1) निधन के निर्देश।

(2) असरकारी दिवस (आधा दिन) (असरकारी संकल्प)

(3) विधायी कार्य, अपराह्न।

(4) नियम–103 के अन्तर्गत सूचना।

(क) श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा– "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद पिथौरागढ के सीमान्त तहसील मुनस्यारी तथा धारचूला को जनजाति क्षेत्र घोषित करके उस क्षेत्र के जनजातीय तथा गैर जनजातीय स्थायी निवासियों को समान रूप से सुविधायें प्रदान की जायें।"

(ख) श्री मुन्ना सिंह चौहान– "इस सदन का निश्चित मत है कि सहकारी बैंकों के त्रिस्तरीय ढांचे को बदलकर द्विस्तरीय ढांचे को लागू किया जाय ताकि अनावश्यक खर्चों में कटौती हो सके तथा इन बैंकों को अधिक लाभकारी बनाया जा सके।"

मई, 2001

12, शनिवार बैठक नहीं होगी।

13, रविवार बैठक नहीं होगी।

14, सोमवार चेहल्लुम, बैठक नहीं होगी।

15, मंगलवार (1) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री से संबंधित विभागों के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

(2) उद्यान, समाज कल्याण, तकनीकी शिक्षा, मानवाधिकार तथा राष्ट्रीय एकता मंत्री से सम्बन्धित विभागों के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

(3) नियम–103 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुनाथ सिंह चौहान– "इस सदन का निश्चित मत है कि नवगठित उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी दोनों मण्डलों (कुमायूँ, गढ़वाल) के मध्य ही बनायी जाए।"

16, बुधवार (1) वन एवं पर्यावरण मंत्री से सम्बन्धित विभागों के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

(2) ग्राम विकास, पंचायती राज एवं जलागम प्रबन्धन मंत्री से संबंधित विभागों के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

17, गुरुवार (1) पर्यटन, औद्योगिक विकास, विज्ञान एवं तकनीकी, श्रम एवं सेवायोजन, तीर्थाटन तथा धर्मस्व कार्यमंत्री से सम्बन्धित विभागों के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

(2) कृषि, कृषि विपणन, पशुपालन, सहकारिता, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री से सम्बन्धित विभागों के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

मई, 2001 18, शुक्रवार

(1) असरकारी दिवस (असरकारी संकल्प) आधा दिन

(2) वित्त, संस्थागत वित्त एवं राजस्व मंत्री से सम्बन्धित विभागों के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

(3) शेष विभागों के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

(4) उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2001 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापना, उस पर विचार एवं पारण।

* मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गई, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय नेता सदन ने जो प्रस्ताव रखा है, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, वो जो व्यवस्था का प्रश्न था, कार्यपूर्ति दिग्दर्शक का, उस पर कोई सरकार की तरफ से आया ही नहीं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा।

वित्त एवं राजस्व मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

श्रीमन्, कार्यपूर्ति विगत वर्ष का सम्पूर्ण लेखा–जोखा होता है। हम तो शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए यह जो गत वर्ष का डिटेल है, इस वर्ष तो श्रीमन्, उसको नहीं ला सकते थे।

उ0प्र0 वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूँ कि "यह सदन उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2001 का अननुमोदन करता है।

* मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, बहुत देर हो गई है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, रस्म अदायगी ही करूँगा। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश श्रीमन्, यह जो सरकार द्वारा ऑर्डिनेन्स लाया गया, यह जो अननुमोदन का प्रस्ताव है, इसके पीछे मंशा यह है कि सरकार द्वारा वन निगम के गठन के बारे में वैसे

तो काफी विलम्ब किया गया। हम लोग निरन्तर यह कहते रहे कि इसका गठन होना चाहिए। प्रथम सत्र में गठन नहीं हुआ और उसके बाद काफी दिनों तक नहीं हुआ, लेकिन अचानक जब विधान सभा को आहूत करने के लिए अधिसूचना भी जारी हो गई तो तकरीबन उसके आस–पास ही एक ऑर्डिनेन्स ला करके इसको बनाने का काम किया गया और वन निगम इस नवसृजित राज्य के लिए आमदनी का या राजस्व प्राप्ति का एक बड़ा आधार हम लोग मानते हैं। इस संगठन का बनना भी नितान्त आवश्यक था। इसमें कोई दो राय नहीं थी। हम लोगों का सोचना यह था कि यदि सरकार निगम के शुरूआती ढांचे को बनाने के लिए पहले ही सदन के अन्दर बाकायदा इस आशय का बिल ला करके और व्यापक चर्चा करा करके निगम के गठन की बात करती तो निश्चित रूप से ऐसे प्रावधान निगम की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित किये जा सकते थे, जो दीर्घकालीन होते और जिससे कि स्वरोजगार के अवसरों और जिस बात को हम बार–बार कहते हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ क्योंकि मात्र इस एक मकसद से मैंने यह अननुमोदन का प्रस्ताव लगाया। हम निरन्तर इस बात को कहते आये हैं कि अभी तक हमारी वन नीति में बुनियादी खामी रही, हमारी नीतियाँ पीपुल्स फ्रैन्डली न हो करके हमारी नीतियाँ ऐसी रहीं जिससे आम व्यक्ति में, रिहायशी जंगल के अगल–बगल वाले लोग वन विभाग के कार्यक्रमों से दूर भागता रहा। इसलिए कोशिश होनी चाहिए थी कि स्थानीय लोगों की सहभागिता कैसे सुनिश्चित की जाये। वन निगम जो मुनाफा अर्जित करता है, स्थानीय जनता को यह लगे कि स्थानीय जंगलों से जो मुनाफा वन निगम अर्जित करता है। आदरणीय वन निगम के अध्यक्ष जी मेरी बांयी तरफ बैठे हैं तो किस तरीके से यह वातावरण बने कि उस मुनाफे का निश्चित अंश स्थानीय विकास के कार्यों में जायेगा, वेलफेयर स्कीम में जायेगा।

मान्यवर, स्थानीय लोगों का ये भावनात्मक लगाव इस वन आधारित गतिविधि से बना रहेगा। वन विभाग निरंतर सहयोग करता रहेगा इतना श्रीमन्, मेरा कहना था इसलिए मैं चाहता था इस महत्वपूर्ण व्यवस्था पर जो कि उत्तरांचल के जन जीवन से सीधा संबंधित है। उत्तरांचल की अधिकांश क्षेत्र 65 फीसदी 70 फीसदी क्षेत्र वन भूमि के अन्तर्गत है, यदि सदन के अन्दर चर्चायें होती, ये तमाम सारी बातें जिसकी आपने वन पंचायतों की बात की, हो सकता था कि वन पंचायतों के रोल को भी वन निगम की गतिविधियों में किसी तरीके से एसोसिएट करने की बात होती जिसको उसमें हिस्सेदार बनाया जायेगा, उस तरीके से जो जी0एफ0एम0 का एक विचार आया है, उसको हम इन्टरलीक करते, कहीं न कहीं वन निगम के कामों से भी, हमारे कल्याण के लिए तो सारी योजनायें वन निगम के मार्फत चलायी जा सकती हैं, मा0 मंत्री जी वन निगम का यहाँ पर गठन हो। वन निगम का तुरन्त गठन होना चाहिए। वन निगम की तात्कालिकता हम निश्चित रूप से मानते हैं, होता क्या है, जब आपने एक बार किसी स्वरूप को अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद जब आप सोचने लगते हैं कि हम आमूलचूल परिवर्तन इसके स्ट्रक्चर में कर लेंगे तो उसकी व्यावहारिक कठिनाई पर कई बार कर्मचारी अड़ जायेंगे। हम इस परिवर्तन के खिलाफ हैं। कई बार दूसरी टेक्निकलटीज पैदा होती हैं तो अच्छा होता जो निगम की संरचना होनी चाहिए, उसके बारे में सदन में चर्चा होती, इसलिए श्रीमन्, मैंने अपना अननुमोदन का प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत किया लेकिन श्रीमन्, बिना मा0 मंत्री जी से अनुरोध किये, मैं स्वतः ही महसूस करता हूँ कि वन निगम

के गठन में विलम्ब नहीं होना चाहिए था, यह अपेक्षा जरूर करेंगे, जो बिल आप प्रस्तुत कर रहे हैं, वन निगम के गठन के बारे में व्यापक चर्चायें और यह भी अनुरोध करूँगा कि सदन के मा0 सदस्यों के साथ बैठकर भी आप व्यापक चर्चा करें लेकिन आपके अनुरोध किये बिना मैं यह सहृदयता से मैं आपका जो विचार है इस ऑर्डिनेन्स को लाने के पीछे था, ऑर्डिनेन्स व्यवस्था वैसे संसदीय परम्पराओं में बहुत स्वतंत्र परम्परा नहीं है, आम तौर पर इसको लेजिस्लेचर को बाइपास करने का एक तरीका माना जाता है, उस रूप में कदाचित आपके प्रयास की सराहना नहीं कर सकता। मान्यवर, वन निगम की पूँजी थी, वन निगम के संसाधन थे, उसको ड्रेन आउट किया जा रहा था, इसकी साइफेनिंग हो रही थी, उस हिसाब से जरूरी थी अतः मैं स्वतः इस अध्यादेश का अननुमोदन के प्रस्ताव को वापस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उ0प्र0 वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2001 का अननुमोदन करता है, को वापस लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि "उ0प्र0 वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001" पर विचार किया जाये।

श्री राम सिंह सैनी–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से "उ0प्र0 वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001" को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो विचार मुन्ना सिंह जी ने व्यक्त किया, मैं अपने आपको उससे सम्बद्ध करते हुए, क्योंकि जो मूल हमारा विधेयक है, उसमें बहुत सी खामियाँ हैं। अच्छा तो यह होता कि उस पर पहले एक विचार हो जाता और बैठकर के समिति बनाते और जो बहुत सी खामियाँ उसमें थी, जैसा माननीय काजी जी कहा करते हैं कि बाग में हम लोग पेड़ लगाते हैं और उनको काटने का अधिकार नहीं होता है, सारी की सारी खामियाँ जो हैं वन निगम में हमारा वन का जो हमारा मूल विधेयक है, उसमें पूरी की पूरी खामियाँ थी, वह पूरी हो जाती हैं तो मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि इसी सदन की प्रवर समिति बना दी जाये और जो पूरे के पूरे विधेयक हों उसको देखें, छानबीन करें उस पर मन्थन करें और उसमें जो कमियाँ हैं, वह सारी की सारी यहाँ पर प्रस्तुत की जायें जिससे बार–बार इस प्रकार के प्रयास करते हैं वह न हों मान्यवर, यह मेरा संशोधन है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करती हूँ कि "उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001" को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर

दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, इसके पीछे यह उद्देश्य है कि बड़ी जल्दी जो ऑर्डिनेन्स हुआ, उसे विधेयक का रूप देना चाहते हैं और सबको जल्दी भी है कि जल्दी से कर दिया जाये। वन निगम बनना था तो बन गया तो मान्यवर, यह हमारा दायित्व है कि सदन में पर्याप्त चर्चा होनी चाहिए जो ऑर्डिनेन्स गवर्नमेंट के माध्यम से आई, ऑर्डिनेन्स जो कल कानून का रूप धारण करता उसमें बहुत सारी कमियों की ओर इंगित किया जाता, उसका उद्देश्य वन निगम तो बनाना ही था, वन निगम हमारा बहुत बड़ा व्यवसाय करता है और वन निगम के माध्यम से। लेकिन मान्यवर, जो पुराने वन निगम उत्तर प्रदेश में थे, आपने इसमें क्या परिवर्तन किये और आपने क्या संशोधन किया, मैं कहने वाली थी कि विचार प्रकट करें, उत्तर प्रदेश में जो वन निगम था, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में बहुत सारी चीजों से आप सहमत नहीं होते थे तो जो पर्वतीय क्षेत्र प्रमुख वन आधारित क्षेत्र माना जाता। और अधिक फारेस्ट होना चाहिए, इसमें वह पर्यावरण की दृष्टि से आवश्यक है, मुझे नहीं मालूम कि आपने जो वन निगम बनाया और जो वन निगम का स्वरूप उत्तर प्रदेश में था उससे क्या भिन्न बनाया, क्या आपने यहाँ के अनुरूप सुविधा देने की दृष्टि से क्या चिन्तन किया, आय की दृष्टि से क्या चिन्तन किया, व्यवसाय की दृष्टि से क्या चिन्तन किया, यह जानकारी हमें नहीं है, क्यों ? आपने जो प्रस्तुत किया तो भी आपने कोई विचार नहीं रखा। कोई आवश्यक नहीं था कि प्रवर समिति का प्रश्न आया मुझे यह भी मालूम है कि समय कम है, लेकिन हमारी राय में जो यह नया राज्य बना है, मेरी सरकार से अनुरोध है माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कि जल्दबाजी में कुछ भी मत लाइये, आप खूब चिन्तन करिये, उसके बाद जो आवश्यक होगी उसके अनुसार होगा, कोई जरूरी नहीं कि यदि कोई अच्छा सुझाव आता है तो उसे स्वीकार्य करेंगे, अच्छे सुझाव का भी आप स्वागत करेंगे। वन से हम सब जुड़े हुये हैं, खासकर पर्वतीय क्षेत्र में बहुत मजबूती से जुड़े हुये हैं, यहाँ से लेकर हरिद्वार तक वन आच्छादित है तो हम सब वन से जुड़े हुये हैं और उस जन जीवन से जुड़े हुये हैं, जो हमारी आत्मा है, जो पर्यावरण हमारा स्पष्ट प्रकार के साधनों का स्रोत है, जल का विषय होता है, पानी नीचे पहुँच गया तो यह सारे प्रश्न हैं, उन पर हमें कौन से पेड़ लगाने चाहिए, हमारे कई प्रश्न यहाँ आये तो मान्यवर, इस पर हमें पर्याप्त समय मिलना चाहिए और होना चाहिए था।

मान्यवर, कोई भी बिल आप बनाएं, उसमें खूब अवसर दीजिए, आपस में विचार-विमर्श होना चाहिए और पर्याप्त समय के बाद ही कानून का रूप आना चाहिए, नहीं तो कल आपको भी यह कहने की परिस्थिति आएगी कि जल्दबाजी में बन गया, फिर संशोधन लाने होंगे। इसीलिए मान्यवर, मैं प्रस्ताव कर रही हूँ कि यह प्रवर समिति को सौंपा जाए और जिसको एक महीने का समय दिया जाए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे उत्तरांचल में वन विकास निगम बनाने के बारे में कुछ बोलने का मौका दिया। उत्तरांचल वन विकास निगम इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि इसको हम चेरेटेबिल के रूप में बनाना चाहते हैं। जन हित के काम हम करना चाहते हैं और आपके संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ कि यह वन विकास निगम केवल लकड़ियों की चिरान–कटान का काम ही नहीं करेगा, बल्कि इको–टूरिज्म को भी विकसित करेगा। ये जड़ी–बूटी पर आधारित उद्योग लगाएगा, जगह–जगह पर जहाँ जलाने की लकड़ी की आवश्यकता होगी और जहाँ पर इमारती लकड़ियों की आवश्यकता जनता को होगी, वहाँ पर हम डिपो खोलेंगे। आज कहते हैं कि उत्तरांचल में फर्नीचर मैदानों से आता है, हम तो कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी फर्नीचर का निर्माण, हम वन विकास निगम से करवायेंगे और वन विकास निगम से रेत, बजरी, पत्थर का हम वैज्ञानिक दोहन करेंगे, ताकि हमारी आय बढ़े। मेरा एक निवेदन है, जैसा कि माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा, इसको आप सत्र के समय लाते। सत्र नहीं था, इसलिए 14 फरवरी को हमने मंत्रिपरिषद् में इसको रखा, 3 मार्च को माननीय राज्यपाल महोदय ने इस अध्यादेश को जारी किया और 1 अप्रैल से हमने वन निगम को शुरू कर दिया। यथाशीघ्र हम वन निगम को गति देना चाह रहे हैं। तो मैं यह चाहूँगा कि आप अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हम तो वापस नहीं लेंगे, मतदान हो जाए तो क्या दिक्कत है। हम जल्दबाजी में कुछ वापस नहीं लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन "उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001" को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–4 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001

उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति; उत्तर प्रदेश वन निगम के कार्यक्षेत्र को सीमित करने तथा उत्तरांचल वन विकास निगम की स्थापना के संबंध में उत्तर प्रदेश वन निगम, 1974 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत के गणराज्य के बावनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित करती है

संक्षिप्त नाम — 1. यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 4, सन् 1975 की धारा 2 का संशोधन — 2. उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1975) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में निम्नलिखित बढ़ाया जायेगा, अर्थात् :–

(क) मूल अधिनियम की धारा 2 खण्ड (क) में "उत्तर प्रदेश वन निगम" के पश्चात एवं "से है" से पूर्व "एवं धारा 3 (क) के अधीन स्थापित उत्तरांचल वन विकास निगम" जोड़ दिया जायेगा;

(ख) मूल अधिनियम की धारा 2 खण्ड (च) में, "उत्तर प्रदेश सरकार" के पश्चात एवं "से है" से पूर्व "या उत्तरांचल सरकार, जैसी भी स्थिति हो" जोड़ दिया जायेगा।

नई धारा 3–क का बढ़ाया जाना — 3. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात एक नई धारा 3–क निम्नवत् बढ़ा दी जायेगी :–

"3 क (1) उत्तरांचल राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे दिनांक से जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जायेगा, उत्तरांचल वन विकास निगम के नाम से एक निगम गठित करेगी।

(2) निगम शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य निकाय वाला एक नियमित निकाय होगा तथा वह अपने नियमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा तथा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और उसको इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा उसका निस्तारण करने की शक्ति होगी।

(3) निगम समस्त प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी होगा।

(4) निगम का मुख्यालय नरेन्द्रनगर में होगा तथा उसके कार्यालय ऐसे अन्य स्थानों पर भी हो सकते हैं जहाँ वह आवश्यक समझें।

(5) उत्तरांचल वन विकास निगम का कार्यक्षेत्र उत्तरांचल का सम्पूर्ण क्षेत्र होगा और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि से, उत्तरांचल वन विकास निगम के कार्यक्षेत्र में, उत्तर प्रदेश वन निगम न ही कार्य करता रहेगा और न ही क्रियाशील बना रहेगा।

4. उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2001 (अध्यादेश संख्या 01/2001) निरसित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 4 तक खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाये।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि "भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाये।"

मान्यवर, वर्तमान समय में यह भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अनुसार वन अपराधों पर नियंत्रण होता है और ये नियम इतने कठोर नहीं हैं और हम जगह–जगह देखते हैं, सुनते हैं कि कहीं पर अवैध खनन हो रहा है, कहीं पर अवैध पातन हो रहा है तो इस वन अपराध को रोकने के लिए हम एक विधेयक लाना चाहते हैं जिसमें कि वन अपराधों पर नियंत्रण हो और वनों की सुरक्षा हो। वनों का महत्व हमारे उत्तरांचल में बहुत है। वन ही जीवन है, वन हमको जल देते हैं, वन हमको ईंधन देते हैं, वन हमको घास देते हैं, वन हमको इमारती लकड़ी देते हैं, वन हमको जड़ी–बूटी देते हैं तो वनों की रक्षा के लिए हमको प्रयास करना चाहिए और कड़े कदम उठाने चाहिए। इस विधेयक में हमने यह रखा है कि आरक्षित वनों में जो अपराध होते हैं पहले जो दण्ड था 6 माह का कारावास और 500 रुपये का अर्थदण्ड था, उसको हमने 2 वर्ष का कारावास कर दिया है

और 5000 रुपये का अर्थदण्ड। पहली बार अगर कोई अपराध करता है तो 5000 रुपये अर्थदण्ड और पुनरावृत्ति करता है तो 10000 रुपये और उसके बाद फिर पुनरावृत्ति करता है तो 20000 रुपये अर्थदण्ड कर दिया है। आरक्षित वनों के लिए या संरक्षित वनों के लिए जो सजा थी पहले 6 माह की थी उसको हमने बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया है और जो अर्थदण्ड था वह 500 रुपये था, उसको हमने 5000 रुपये कर दिया है और यदि फिर पुनरावृत्ति होती है तो हम उसको 10000 रुपये और यदि फिर तीसरी बार पुनरावृत्ति होती है तो उसको 20000 रुपये अर्थदण्ड करने की व्यवस्था इस विधेयक में की गई है। इस प्रकार से होता यह था कि अगर कहीं पर कोई अपराध होता है तो डी0एफ0ओ0 असहाय होता था, वन अधिकारी असहाय होते थे किसी प्रकार से कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने इस अधिनियम में यह व्यवस्था की है जो डी0एफ0ओ0 या प्रभागीय वन अधिकारी हैं वे वन उपज को, वाहन को, औजार को सीज कर सकते हैं और उसका कांसीफिकेशन कर सकते हैं इसका हमने प्राविधान कर दिया है और इसकी अपील वन संरक्षक के कार्यालय में हो सकती है। इस प्रकार से पहले यह होता था कि अगर कोई लकड़ी है जब तक से निर्णय नहीं हो जाता था तो लकड़ी सड़ जाती थी। .....

मान्यवर, हमने जो पहले 500 रुपये थे उसको 5000 रुपये कर दिया और पुनरावृत्ति पर 10 हजार रुपये की व्यवस्था कर दी है कम्पाउन्ड करने के लिए भी। पहली बार अपराध करता है तो 5 हजार का जुर्माना और यदि दूसरी बार करता है 10 हजार का जुर्माने की व्यवस्था कर दी इस प्रकार से अगर मान लीजिए ये हमारे वन विभाग के अधिकारी गुडफेथ में कोई काम करते हैं कुछ उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए यह भी व्यवस्था इसमें कर दी गई है क्यों हम क्षेत्र की जनता को हक-हकूक देते हैं उनका भी दायित्व बनता है कि वन विभाग के कर्मचारी पुलिस कर्मियों की मदद करें अगर कहीं पर कोई अपराध हो रहे हैं और अन्त में मुझे यह कहना है मान लीजिए अपराध हो जाता है उस अपराध की वसूली जो है राजस्व की भाँति कर दी जायेगी। मान्यवर, इस विधेयक को इसलिए लाया हूँ वन अपराधों की वृद्धि न हो हमारे वन सुरक्षित रहें इससे हमारे वन का लाभ होगा हमको भी लाभ होगा।

(व्यवधान)

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो आप लाये हैं ये आरक्षित वन पर ही रोक होगी निजी पेड़ों के कटान पर भी लागू होगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आरक्षित वन और रक्षित वन दोनों पर।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, वह अच्छा है और उसके उद्देश्य भी अच्छे हैं लेकिन यह अधूरा इस संदर्भ में है यह व्यवस्था तो आपने कर दी कि हम कड़ा दण्ड देंगे यह व्यवस्था कर दी डी0एफ0ओ0 कन्फिसकेट कर लेगा जब्त कर लेगा उनके वाहन को भी जब्त कर लेगा जो

औजार उन्होंने इस्तेमाल किये हैं उनको भी जब्त कर लेगा भू–राजस्व की तरह वसूली कर लेंगे। हम जबर्दस्ती उसको हटा देंगे जुर्माना भी ज्यादा कर देंगे लेकिन मान्यवर, मेरा कहने का अर्थ है एक पक्ष तो यह है अगर मा0 मंत्री जी यह व्यवस्था करें। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा मा0 मंत्री जी ने वन अधिकारियों की हत्यायें भी हुईं जोर जबर्दस्ती भी हुई वन तस्कर उन्हें मारते भी हैं पीटते भी हैं हिंसा भी करते हैं, माल लूट कर भी ले जाते हैं। कई बार दोहरी व्यवस्था में होता क्या है कि पुलिस का सहयोग वन के लोगों को नहीं मिलता पुलिस से उनकी मिली–भगत होती है कई बार यह होता है पुलिस कुछ करती है तो वन का सहयोग नहीं मिलता। मेरा अनुरोध यह है कि अगर मंत्री जी ने यह व्यवस्था भी की होती तो हम अपने वन कर्मियों को मजबूत करेंगे उनकी संख्या भी बढ़ायेंगे उनको हथियार भी देंगे जिससे वे वन तस्करों का मुकाबला करने में सक्षम हों। मान्यवर, उनका संगठित गिरोह है उनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं जिनके बल पर ये जोर जबर्दस्ती से वनों का दोहन करते हैं। जोर जबर्दस्ती से वन उपज ले जाते हैं केवल हम कागज पर उसका प्राविधान करते हैं अगर इस संशोधन अधिनियम के संशोधन के साथ–साथ मा0 मंत्री जी ने यह व्यवस्था कर दी होती तो हम अपने वन रक्षकों को सुदृढ़ करेंगे मजबूत करेंगे उनकी संख्या बढ़ायेंगे आधुनिक हथियार देंगे और मान्यवर इसके साथ–साथ इस व्यवस्था को हम केवल वन रक्षकों को वन कर्मियों को देंगे इसमें पुलिस का हस्तक्षेप बन्द कर देंगे इस संदर्भ में आई0पी0सी0 और सी0आर0पी0सी0 की शक्तियाँ भी हम वन कर्मियों को देंगे। मान्यवर, आज जो दोहरी व्यवस्था है और दोहरी व्यवस्था के चलते वन तस्करों को ये लूट का आधार मिला हुआ है मान्यवर, कभी पुलिस उससे मिल जाती है कभी वन कर्मी उससे मिल जाते हैं तो जिम्मेदारी फिक्स होती है वन विभाग की। अब सम्पूर्ण जिम्मेदारी वन विभाग की है तो मान्यवर इसका अधिक लाभ होगा जो प्राविधान हमने किये हैं उनको हम मनवाने में भी सक्षम होते उनका कार्यान्वयन भी सक्षमता से करवा लेते।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से सिर्फ 2 बातें जानना चाहता हूँ एक तो 1960–62 में जो पैमाइश हुई थी उस समय जब वन विभाग और राजस्व विभाग के नक्शों में जो समानता होनी चाहिए थी, जो संशोधन होना चाहिए था, वह नहीं हुआ और उसके फलस्वरूप विशेषकर टिहरी जो टिहरी रियासत का भाग था उसमें ऐसा क्षेत्र जिसको आज भी वन विभाग वाले कहते हैं हमारा क्षेत्र है राजस्व विभाग वाले कहते हैं हमारा क्षेत्र है ऐसे क्षेत्रों का जब तक निर्धारण नहीं हो जाता, किसी की अधिकृत क्षेत्र में तब तक आप इस अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हैं।

जिसके अधिकार क्षेत्र में तब तक आप इस अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही करते हैं तो उससे तो सीधे–सीधे जो लोग प्रभावित होने वाले हैं उनके बारे में मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ कि इस अधिनियम को लाने से पहले यह सुनिश्चित सीमान्त कर की समस्या है उस सीमान्त कर की समस्या हल की जाये। मान्यवर, दूसरा मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो बरसों से वन भूमि में कब्जे हैं वहाँ उनके प्रत्येक आवास है, खेद करते हैं उनके लिये इसमें कोई व्यवस्था अभी तक आई नहीं, तो हम माननीय मंत्री जी से जानना

चाहूँगा कि जिन लोगों को वन विभाग ने लीज पर जमीन दी थी क्या उन लोगों के जो हम हैं वह यथावत बने रहेंगे या उसमें उनके अधिनियम के बाद में उनका उत्पीड़न होना शुरू हो जायेगा, इसके बारे में क्या व्यवस्था की है इतना मैं जानना चाहता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है, क्योंकि काफी क्षेत्र उत्तरांचल में आच्छादित है और माननीय मंत्री जी को जानकारी भी है इस तरफ या उस तरफ बैठे हुये हैं कि वन की भूमि में सर्वाधिक कब्जे हो रहे हैं, उन्होंने बताया कि एक डी0एफ0ओ0 इसकी पहले नोटिस देगा, नहीं मानेगा तो जबरन हटा देगा फिर डी0एफ0ओ0 इण्डियन फॉरेस्ट सर्विसेज का ट्रेन्ड सेन्ट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी होता है, वह बेचारा अपना कितने डी0एफ0ओ0 बहुत लम्बे समय से चल रहे थे, इसीलिये उनके ऊपर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था, मैं यह नहीं बताना चाहती हूँ कि कैसे–कैसे आरोप थे यहाँ तक कि बलात्कार के आरोप थे, उनकी नोटिसेस के सामने पेश होंगे, जिन लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया जो आप भी लम्बे समय से जानते हैं कि आज भी जंगल विभाग के सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा है और उसे कोई नहीं छुड़ा पाया, आप अगर इस अधिनियम के द्वारा छुड़ा लेंगे तो एक स्वर्ण पदक राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जायेगा। तो जंगल भूमि में हम सब पीड़ित हैं उसमें ऐसा नहीं है वह हमारी चिन्ता है कि हमारी वन भूमि पर कब्जे हैं और उन कब्जों को नहीं हटा पाते हैं और धीरे–धीरे पक्के बना लेते हैं कुछ लोगों ने तो यह काम कर रखा है कि कब्जे करो और बेचो, तो आपने बताया कि डी0एफ0ओ0 जायेगा और माननीय वन मंत्री जी ने डी0एफ0ओ0 को शक्ति प्रदान की और जब उसको शक्ति मिल गई तो वह सारे कार्य पुलिस के कार्य जबर्दस्ती हटायेगा और पुलिस की सहायता लेगा। आप जानते हैं किस ढंग से सहायता मिलती है। जब से यह प्रभावी नहीं होता है। जब यह व्यवस्था हुई तो उन्होंने कान पकड़ लिया कि अब हम वन भूमि से कभी नहीं हटेंगे उसमें महिलायें आ जाती हैं, बच्चे आ जाते हैं और बहुत से लोग आ जाते हैं, इतनी तरह की सार्वजनिक कमेटी फेस करनी पड़ी तो सब से महत्वपूर्ण बात आपने कही वन भूमि की सुरक्षा की व्यवस्था, सबसे लावारिस अगर कोई भूमि है तो वह दो ही भूमि हमेशा रही नजूल और वन नजूल के बारे में अभी वित्तमंत्री ने कहा मुझे पता नहीं वन नजूल भूमि पर, ऐसे–ऐसे करोड़ों रुपये की नजूल भूमि आप लोग भी जानते होंगे जो इसी उत्तरांचल के मुख्य सड़कों पर हैं, जिन पर कब्जा है तो तमाम करोड़ों रुपये की वन भूमि यदि करोड़ों रुपया उससे प्राप्त होता है उस पर कब्जा है। नम्बर 2 ऐसी वन भूमि करोड़ों रुपये की है जिनकी मांग आज हो रही है, नियमित होने की, पाठशाला बनाने की, इन्स्टीट्यूशन बनाने की, राजस्व ग्राम घोषित होने को क्षेत्रीय जनप्रतिनिधित्व है जो उनसे पूर्व के वर्षों से बसे हुये हैं उन्हें हटाने का काम, उजाड़ने का काम हमारे यहाँ जनप्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वह कर देने से उन्हें बड़ा महंगा बैठता है। आये दिन कब्जे हो रहे हैं ऐसा नहीं कि आज बन्द होगा और जितनी जगह खाली पड़ी होती है, या वह वन भूमि होती है या नजूल भूमि होती है और दोनों भूमियों पर कब्जा होता है।

मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप इसका कोई निदान सोच पाये हैं ? लम्बे समय से उत्तर प्रदेश में भी यह समस्या है, वहाँ तो कोई निदान नहीं निकला।

अब उत्तरांचल में आप कोई निदान निकालें तो जरूर बताएंगे, इसलिए आप जल्दी से इसे करा रहे हैं। इसमें वो अधिकार उनको मिलना चाहिए, उससे वो सज्जित होने चाहिए, जिससे उन्हें हम लोगों का भय न हो। आप उनकी क्या सुरक्षा कर पाएंगे ? एक अधिकारी तो कहते-कहते अब उत्तर प्रदेश चला गया, उसकी कोई सुरक्षा नहीं कर पाया। मैंने ही कमेटी में यह बयान उसके पक्ष में दिया, वो निलम्बित हो जाता, उसने बहुत ईमानदारी से काम किया और वन भूमि से हटाने का काम किया, इससे कोई कृत्य नहीं हुआ, ऐसे कई बयान मुझे देने पड़े, सार्वजनिक स्थानों पर। जिन अधिकारियों ने ईमानदारी से काम किया, आप उनकी रक्षा तो कर नहीं पाते। इसलिए नियम, कानून की बात ऐसी करिए, ऐसी बनाइये कि कल से, इस अधिनियम के पारित होने के बाद किसी भी वन भूमि पर कोई कब्जा न हो। और अगर कब्जा हो तो सख्ती से आप निबटिए। उसके बाद आप लोगों को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि तजुर्बा तो यही है कि फिर तो आप मिलेंगे ही नहीं। लोगों को। क्योंकि अधिनियम पास हो गया, कानून बन गया। कानून का पालन कराने के लिए अधिकारी जाए। अधिकारी का सिर फूटे, उसकी रक्षा करने के लिए, इसलिए जो लैकुना है, उसे मत छोड़िए और इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दीजिए कि वन भूमि पर कब्जे न हों, नजूल की भूमि पर कब्जे न हों, ये बहुत आवश्यक है। और भी बहुत सारे बिन्दु मेरे पास हैं लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

मान्यवर, अभी इस बिल के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण विचार आए। वन निगम का अध्यादेश था, बिल्कुल स्थिति भिन्न थी, उसकी तात्कालिकता समझ में आती थी। भारतीय वन अधिनियम, उसके अन्दर जो स्टेट एमेंडमेंट्स होने हैं, उसके लिए बिल आया और माननीय वित्त मंत्री जी इस बात से भिज्ञ हैं, हमारे कहने की जरूरत नहीं है, इतना संवेदनशील विषय है, केवल वन्य प्राणियों की रक्षा का सवाल नहीं है, केवल जन-जीवन की रक्षा का सवाल नहीं है। आज यदि देखा जाए तो मेरे ख्याल से उत्तरांचल में सबसे ज्यादा सिरदर्दी फॉरेस्ट बेस क्राइम्स की वजह से है। अभी जिम कार्बेट नेशनल पार्क की घटना से पूरे हिन्दुस्तान में कितना बड़ा मामला बना और कितनी गंभीर घटना थी। राजाजी नेशनल पार्क में वन विभाग के कर्मचारियों की जानें चली गयी, इतनी वीभत्स घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। यह कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसके लिए यह कहा जाए कि केवल रस्म अदायगी के लिए विरोध हो और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई बात उत्तरांचल के लिए नहीं हो सकती, जिसका दो तिहाई एरिया वन आच्छादित हो और जैसे-तैसे ये कहने के लिए, चलो रिच फॉरेस्ट न हो, डिगरेटेड फॉरेस्ट ही सही लेकिन वन भूमि हो। इतना व्यापक विषय है और हममें से इस सदन के अन्दर बैठने वाले, मैं क्षमा मांगते हुए उन माननीय सदस्यों से जो विशुद्ध रूप से शहरी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको भी एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते, माननीय अम्बरीष जी हैं, माननीय कपूर जी हैं अन्यथा हम सभी का सम्बन्ध वन, वन से आधारित व्यवस्था, वनों से आधारित जंगलों में जो अपराध होते हैं, उनसे हमारा ताल्लुक है। अभी जिस बात को बजट पर चर्चा के दौरान माननीय राजेन्द्र सिंह जी ने उठाया था, हो सकता है, सवाल-जवाब में वो बात टल गई हो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ उन्होंने इशारा किया था। देहरादून, जो उत्तरांचल की अस्थायी राजधानी है, उसके बिल्कुल बगल में बैठकर माननीय मंत्री जी आप भिज्ञ हैं।

मान्यवर, अभी जिस बात को शायद बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान माननीय राजेन्द्र सिंह जी ने उठाया था वह हो सकता है कि उस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके सवाल जवाब में बात टल गई, लेकिन उन्होंने बहुत गम्भीर सवाल की तरफ इशारा किया था। यह देहरादून जो उत्तरांचल की अस्थाई राजधानी है उसके बिल्कुल बगल में बैठकर माननीय वन मंत्री जी आप मित्र हैं मेरा 301 का नोटिस भी था उस पर आपका जवाब भी आया वहाँ बाकायदा घटनाएं हुईं, दोनों तरीके की। मैंने सुना है कि आप कहते हैं कि मैं बड़ा दुखी मंत्री हूँ पशुओं को मारते हैं लोग, तो भी दुखी होता हूँ और लोगों को पशु मारते हैं तो भी दुखी होता हूँ बात सही है। बाघ ने बच्चों को मार डाला कितना तूफान पूरे क्षेत्र के अंदर किस तरह के वातावरण का सृजन हुआ, लेकिन चलो उसमें तो प्रचारित हो गया कि यह बात है। आज स्थिति कानून की यह है कि किसी नाबालिग को कोई जानवर मार दे तो 25 हजार, बालिग को मार दे तो 50 हजार मुआवजा और बाघ को कोई आदमी मार दे तो 5 लाख जुर्माना, 10 लाख जुर्माना यह कानून की स्थिति है और उम्मीद हम यह करते हैं कि केसरवाला गांव में रहने वाले लोगों को जिनके बच्चों को बाघ ने मार डाला। मैं ऐसा नहीं हूँ कि वाइल्ड लाईफ के प्रोटक्शन का विरोधी हूँ, लेकिन आज कानून की स्थिति यह है कि जिसके दो बच्चे मार दिये गये उनको 25–25 हजार रुपये मुआवजा और बिना किसी पड़ताल के बाघ को आपने मार दिया तो जमानत हाईकोर्ट से पहले होने की नहीं। ठीक है मैं यह कहना चाहता हूँ यह गम्भीर समस्या है इसके ऊपर अव्वल तो इस बिल को लाने से पहले बहुत अच्छा होता कि आप हाउस की कोई कमेटी कांस्टीट्यूट करते और हाउस की कमेटी या एक्सपर्ट की कमेटी होती, यह हमारे जनजीवन से जुड़ा हुआ सवाल है।

सवाल एक दूसरा भी है जैसा माननीया हृदयेश जी ने कहा एक तरफ मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप पर इस बात का समर्थक हूँ कि वन अधिकारियों को कुछ दंतविहीन हो गये हैं, उनके अधिकारों को कुछ दांत दिये जायें जिससे वे भी काट सकें, उनका भी कुछ भय हो। मैं इस बात का पक्षधर हूँ, लेकिन बिल को जब सरसरी तौर पर मैंने देखा, इस बिल के अंदर चेक एण्ड बैलेन्सेज होना चाहिए क्या गारंटी इस बात की कि कल आपका रेंजर, आपका डी०एफ०ओ०, आपका ए०सी०एफ० और आपका फॉरेस्टर वह भी इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से बिल्कुल इसको एक मर्जी का मालिक होकर वह भी कल इसका दुरुपयोग नहीं करेगा और इतनी भारी पेनाल्टी का आपने इंतजाम कर दिया। दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होगी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। जिस तरीके से हम पुलिस की गतिविधियों के बारे में सदन के अंदर चर्चा करते हैं। जो व्यक्ति रेंजर साहब, ए०सी०एफ० साहब और डी०एफ०ओ० साहब की इच्छापूर्ति नहीं करेगा उसके खिलाफ जरूर कार्यवाही होगी और कई लोग बर्बाद हो जाएंगे। वन क्षेत्रों की सीमाओं पर रहने वाले लोग जिनका जीवनयापन वनों पर निर्भर है उनका लकड़ी जलाने के लिए जंगल से ही लाना है, आप चाहे जो कानून बना लीजिए क्योंकि गैस का चूल्हा फ्री ऑफ कास्ट आपने प्रोवाईड नहीं किया है, उनको पशु जंगल में चुगाने ही है, उनको चारा–पत्ती जंगल से लाना ही है तो ये तमाम सारी बातें हैं। मैं तो यह कहूँगा आपसे यह सदन अभी कई दिन और बैठने वाला है आप इसमें 10 दिन न सही 15 दिन ही सही आप इसमें हम लोगों की भावनाओं का भी सम्मान कीजिए, आप इस बिल को वापस ले लीजिए, इस पर पुनर्विचार कीजिए और हफ्ता,

10 दिन, 15 दिन के अन्तर पर आप इसको इन्ट्रोड्यूज करें और एक कांफ्रेन्सिव बिल लाएं जिसके अंदर जो लू पोल्स हैं उनको हम बिल्कुल प्लक कर सकें और एक जैसे फूलप्रूफ तरीके से तो कोई चीज बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रयास तो किया ही जाना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि वन क्षेत्रों के करीब रहने वाले जो लोग हैं मैं इस बात को दावे से सरकारी अधिकारियों के प्रति असम्मान नहीं व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन जंगल की असली स्थिति तो वही जानता है जो वन क्षेत्रों में रहते हैं। यह तयशुदा बात है किताब से जंगल को नहीं समझा जा सकता। मेरे हिसाब से बेस्ट फॉरेस्टर वह है जो जंगल के करीब रहा है। उससे बेहतरीन जंगल प्रबंधन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता तो इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं यह प्रार्थना करूँगा कि अधिकार दीजिए, जरूर दीजिए लेकिन इसको सब ऐंगिल से हर दृष्टिकोण से उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, पूरा विचार विमर्श होना चाहिए उसके बाद कान्फ्रेन्सिव बिल लाईये तो हम पूरी ताकत के साथ, पूरे समर्थन के साथ, प्रशंसा भी करेंगे और इस बिल को पारित करने का काम भी करेंगे। निश्चित रूप से इस बिल को आप विदड्रा करने का काम करें।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जो आशंका थी वह काजी साहब ने पूछ लिया। जैसे कई पेड़ गाँव में नाप खेतों में होने वाली प्रजातियाँ हैं, चाहे वह जंगल से संबंधित प्रजातियाँ हैं उसमें यदि शिथिलता नहीं दी जो हम पेड़ लगाते हैं, कि कभी उसकी बेटी की शादी हो कभी उसके बेटे के लिए शिक्षा की जरूरत हो उसका गुजारा तो जमीन से होता है। जमीन बेचने के अलावा जो सम्पत्ति है पेड़ बेचने के अलावा उसके पास कोई अन्य साधन नहीं है। मैं समझता हूँ अधिकांश मा0 सदस्य मा0 मंत्रीगण ग्रामीण क्षेत्र के हैं इस स्थिति में इसमें शिथिलता दी जानी चाहिए। नाप खेत के पेड़ों के लिए हमने यह भी कहा कि जो निर्धारित शुल्क बतायें एक पेड़ में कितना शुल्क लगेगा, उसमें वन विभाग मजबूर न करे इसकी जगह 4 पेड़ लगवाये। आप उसका उपयोग जंगल में अच्छे जंगल तैयार कर, कर सकते हैं यह मेरा सुझाव है,दूसरा 4/10 में मान लीजिए जंगल में काटा 10 हजार, 5 हजार, 20 हजार कर दिया अगर यही जुर्माने की स्थिति नाप खेत में भी रही तो इतने का तो पेड़ नहीं जितना जुर्माना है यही जुर्माना उस पर लग जाय तो वह बिक जायेगा।

श्री राम सिंह सैनी--

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में भी विधान सभा क्षेत्र है। पूरी तरह आपके वन से जुड़ा है। वहाँ पर हमारे ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनके सामने समस्या यह है जो हाथी दूसरे प्रकार के जानवर हैं, उनकी खेती को बर्बाद कर देते हैं। जिनका आप न मुआवजा देते हैं, गरीब किसान हैं और तमाम क्षेत्र में त्राहि--त्राहि मची हुई है, कई बच्चे पिछले साल हाथियों ने मार डाले तो इस प्रकार की व्यवस्था और रोकथाम भी आपके माध्यम से होनी चाहिए, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। दूसरी बात मान्यवर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे इन्दिरा जी ने कहा है कि वन की आपकी जमीन अनधिकृत रूप से लोगों ने कब्जा रखी है हमारे यहाँ भी बहुत से लोगों ने 100 बीघा जमीन खरीदी है तो कब्जा 27 बीघा पर है क्या यह किया जा सकता है कि आप पूरा--पूरा वन की नहीं नाप सकते तो कम से कम उनकी खरीदी हुई जमीन है उसको तो आप नपवा सकते हैं। जो आपने सैलडीड दिया था और जमीन

खरीदी थी तो उस व्यक्ति का नाम सैलडीड में हो जो जमीन का मालिक था आपने उसमें कहीं सैलडीड में जमीन बेची है, मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे क्षेत्र से मिले हुए जितने भी बाग लगे हैं सब ने अनधिकृत कब्जा कर रखे हैं। तो इस तरह के लोगों के बहुत बड़े-बड़े तस्करों का गिरोह बना हुआ है। मान्यवर, इस तरह से जब हम देखते हैं कि लकड़ी की चोरी और दोहन हो रहा है उसके भी प्रभावी उपाय नहीं कर पा रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि वनों में भी एक निर्धारित एक पेड़ की आयु कर दी जाय कि 50 साल, 60 साल के बाद पेड़ को काट दिया जायेगा। हम देखते हैं अक्सर पेड़ गिर जाते हैं उनको लोग उठा कर ले जाते हैं। मान्यवर, इस तरह आपकी आय भी होगी पेड़ों को चिन्हित भी कर दिया जाय ये पेड़ जो 50 साल से ज्यादा के हो गये हैं या 25 साल से ज्यादा हो गये हैं उनको नीलाम कर दिया जाय, तो आपके वन निगम को आय भी होगी और इस तरह बर्बादी से आपके वन बचेंगे। इन सुझावों के साथ जो विचार दूसरे मा0 सदस्यों ने यहाँ व्यक्त किये हैं उनसे अपने आपको भी सम्बद्ध करता हूँ। आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो यह बिल है कम्प्रिहेन्सिव में आये तो आप इसमें 5-7-10 दिन का समय दीजिए ताकि इस पर चर्चा हो सके एक्सपर्ट की कमेटी में कुछ सदस्य सदन के हों।

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

मान्यवर, बहुत अच्छा सुझाव मा0 अम्बरीष जी ने दिया कि कर्मियों की संख्या बढ़ायी जाय हम शीघ्र फॉरेस्ट गार्ड जो कम हैं। हम इसके लिए मंत्रिपरिषद् में प्रस्ताव ला रहे हैं। दूसरा बिन्दु आपने किया शस्त्र मिलने चाहिएं अत्याधुनिक उसके लिए भारत सरकार से इजाजत ले रहे हैं।

एक बिन्दु जोशी जी ने कहा लीज की भूमि, लीज की भूमि के लिए नवीनीकरण के लिए अप्लाई करते हैं और हम कर रहे हैं। मैं इस सदन में अवगत करा रहा हूँ कि 220 मामले विकास कार्यों के लिए वन भूमि की स्वीकृति हम दे चुके हैं और इस प्रकार जो मामले हमारे पास आ रहे हैं, लीज के विकास सम्बंधी मामला उसका हम विस्तार कर रहे हैं और अतिक्रमण की बात कही है, आपके संज्ञान में मैं यह लाना चाहता हूँ, मैंने स्पष्ट निर्देश दिये हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

यह विकास निधि आपने लोगों के लिए दी, या सरकारी लोगों को दी या सड़क निर्माण के लिए दी।

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

विकास निधि सरकारी लोगों को दी है। अतिक्रमण की बात आई मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब से हमारी सरकार बनी है हमने अतिक्रमण पर रोक लगाई है और कई भूमि हमने छुड़ाई, जिस दिन मैं बजट भाषण पर बोलूँगा वन के बारे में मैं उस दिन कहूँगा कि कितनी भूमि हमने कब्जे से छुड़ाई है। इसमें 2 बिन्दु रखे हैं अभी हाल में जिस भूमि पर कब्जा हुआ है उस भूमि की बेदखल करें और जो लम्बे समय से वन भूमि पर लोग कब्जा किये हुये हैं, मकान बनाये हुये हैं उसकी सूची दें। हमें, मैंने यह 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय दिया है और यह सूची मेरे पास आ जायेगी और जो लम्बे समय से

भूमि पर कब्जा है उसे तो हम भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि क्या करना चाहिए कि भविष्य में एक इंच भूमि पर भी कब्जा न हो। हमारी प्राथमिकता है या हम सदन को आश्वस्त करते हैं कि हम अवैध कब्जा वन भूमि पर नहीं होने देंगे। यह मैंने 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय दिया है और हम इस पर सख्त कार्यवाही करेंगे। मैंने कहा मैं दु:खी मंत्री इसलिए हूँ कि कभी हाथी मर जाता है तो कभी हाथी आदमी को मार देता है। दूसरा माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा हाथियों के बारे में। तो माननीय इतनी डिटेल तो मेरे पास नहीं है इससे कोई सम्बन्ध नहीं था, वैसे मैं आपको फैक्ट्स दे रहा हूँ, कर्नाटक में प्रतिवर्ष 30 हाथी मर जाते थे तस्करी के रूप में और असम में भी 30 हाथी प्रतिवर्ष मर जाते थे। हमारे उत्तरांचल में यह शुरूआत में कैसे हो गया, हालांकि हमने युद्धस्तर पर काम किया और कर भी रहे हैं कि 3 हाथी तो वास्तव में मरे हैं– तस्कर ने एक मारा, एक हाथी की मौत अपने आप हुई है और एक हाथी बिजनौर क्षेत्र में मरा है तो मेरा यह कहना है कि अन्य राज्यों की तुलना कर दी जाये तब भी हमारा यह जो टारगेट है बहुत कम है।

मान्यवर, आपने कहा कि आप 50 हजार रुपया वयस्क को और 25 हजार रुपया अवयस्क को दे रहे हैं। मान्यवर, पहले तो 10 हजार रुपये था। हालांकि मैं कोयम्बटूर में गया, मैंने माननीय वन मंत्री भारत सरकार से अनुरोध किया कि उत्तरांचल में तो बाघ यदा–कदा आदमियों को मार देते हैं, इस पर विचार कर लीजिए, इस मुआवजे को बढ़वा दीजिए, हमको सहायता दीजिए। आपने हाथी की बात की है। हम व्यवस्था कर रहे हैं कि कृषक की फसल को नुकसान न हो। आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक निवेदन करना चाहता हूँ, आपने कहा अवैध पातन हो रहा है। दो–चार महीने के अन्दर 20 लाख रुपये का रिवैन्यू हम वन विभाग द्वारा प्राप्त कर चुके हैं, ये ऐतिहासिक है, किसी ने अवैध शिकार किया होगा, किसी ने अवैध कब्जा किया होगा, किसी ने अवैध खनन किया होगा, किसी ने अवैध पातन किया होगा, तो 20 लाख रुपये का रिवैन्यू वन विभाग प्राप्त कर चुका है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, इससे पता चलता है कि ये गतिविधियाँ बहुत बढ़ गयी हैं। अगर ये न बढ़ती तो इतना रिवैन्यू न होता।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अम्बरीष कुमार जी, माननीय राम सिंह सैनी जी, मैं आपके दिल से पूछता हूँ, आप अपने दिल से बताएं, क्या वास्तव में जब से हम वन मंत्री बने हैं, आपके हरिद्वार में कमी आयी है या नहीं, ये आप अपनी अन्तरात्मा से बताएं।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय मंत्री जी, मैंने एक प्वाइंटेड प्रश्न किया था कि मेरे क्षेत्र में बहुत से लोगों ने 100–100 बीघा ऐसी जमीन खरीदी और बाढ़ लगा रखी है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जितना पीड़ित आप लोग हैं, उससे कहीं ज्यादा पीड़ित हम लोग हैं कि

वन अपराध को हम कैसे रोकें। इसके लिए हम यथाशीघ्र वन सेना का गठन राज्य स्तर से, ब्लॉक स्तर से और गाँव स्तर से कर रहे हैं, ताकि हमारे वनों की रक्षा हो। ये वन हमारे लिए बहुत कीमती हैं और इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि डी0एफ0ओ0, रेंजर गलत काम कर लेंगे। इसके लिए हमने व्यवस्था की है। पुलिस, वन विभाग और राजस्व विभाग संयुक्त व्यवस्था के तहत इन मामलों को देखेंगे।

मान्यवर, इसके लिए हमने व्यवस्था की है, संयुक्त व्यवस्था की है पुलिस, वन विभाग और राजस्व विभाग इन मामलों को देखेंगे यह व्यवस्था हम कर रहे हैं। अकेले डी0एफ0ओ0 पर ही नहीं छोड़ रहे हैं, पुलिस को भी हम इसमें इन्वाल्व कर रहे हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, चालान करने का अधिकार किसको होगा ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

चालान, अगर पुलिस पकड़ती है तो पुलिस करेगी, डी0एफ0ओ0 पकड़ता है तो डी0एफ0ओ0 करेगा, रेंजर पकड़ता है तो रेंजर करेगा, मगर दण्ड देने का अधिकार जैसे सिविल और राजस्व में होता है, वह मजिस्ट्रेट को है, मगर वन भूमि में अपने डी0एफ0ओ0 को हमने अधिकार दिया है। माननीय राजेन्द्र शाह जी ने बोला है नाम क्षेत्र के बारे में। नाम क्षेत्र इसमें नहीं है। हम इसमें नीति बना रहे हैं तथा इसमें क्या होना चाहिए और जनहित में, प्रदेश हित में और वन हित में इस बात को कर रहे हैं। जो कार्य सही होगा नाम क्षेत्र के बारे में जैसे आपने कहा नाम भूमि के क्षेत्र में पात पेड़ हो जाता है तो उसको हम काटेंगे उसमें अगर मान लीजिए बिना आज्ञा के आप काट रहे हैं तो दण्ड तो उसमें अवश्य मिलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी के बोलने में कोई समय सीमा नहीं है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय सैनी जी ने कहा कि लकड़ी की अवैध चोरी हो रही है तो उसके लिए यह अधिनियम बनाया गया है। जो यह चोरी हो रही है जंगल ही जंगल काटे जा रहे हैं, इसलिए इस अधिनियम को हम लाये हैं, ताकि वनों की सुरक्षा हो। वन भूमि में कब्जा हटाने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं और मैं यहाँ पर यह कह देना चाहता हूँ कि चाहे मेरी जान चली जाये तब भी मैं पीछे नहीं हटूँगा और वन भूमि से कब्जा हटाने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अपना संकल्प वापस ले लें और इसे पारित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाये।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–19 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001

भारतीय वन अधिनियम 1927 का उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1. (क) यह अधिनियम भारतीय वन (उत्तरांचल) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
   (ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।
   (ग) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें।

2. भारतीय वन अधिनियम 1927, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा।

   2–क "प्राधिकृत अधिकारी" का तात्पर्य धारा 52 क के अधीन प्राधिकृत किये गये अधिकारी से है।

3. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) में– धारा 26 का संशोधन

   (एक) खण्ड (ख) में शब्द "आरक्षित वन में" के पश्चात शब्द "या ऐसी किसी भूमि में स्थित किसी वन में जिसके सम्बन्ध में धारा 4 के अधीन अधिसूचना जारी की गई हो" बढ़ा दिये जायेंगे,
   (दो) खण्ड (ड) में शब्द "घसीटने" के स्थान पर शब्द "हटाने" रख दिया जायेगा,
   (तीन) खण्ड (च) में शब्द "पत्तियाँ तोड़ डालेगा, या उसे" के पश्चात शब्द "या किसी वन उपज को" बढ़ा दिये जायेंगे,
   (चार) शब्द "ऐसी अवधि के कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा" के स्थान पर शब्द "खण्ड (ख) या खण्ड (च) या खण्ड (छ) या खण्ड (ज) में वर्णित किसी कार्य के लिए ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा, और उसी

अपराध के लिए द्वितीय और प्रत्येक अनुवर्ती दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, किन्तु जो पांच हजार रुपये से कम का न होगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा और अन्य खण्डों में वर्णित किसी कार्य के लिए ऐसी अवधि के कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा और उसी अपराध के लिए द्वितीय और प्रत्येक अनुवर्ती दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा'' रख दिये जायेंगे।

धारा 33 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) में–

(एक) खण्ड (ग) में शब्द ''या साफ करेगा'' के पश्चात शब्द ''या तोड़ने या साफ करने का प्रयास करता है'' बढ़ा दिया जायेगा,

(दो) खण्ड (घ) में शब्द ''खींचेगा'' के स्थान पर शब्द ''हटायेगा'' रख दिये जायेंगे,

(तीन) शब्द ''जो छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से'' के स्थान पर, ''जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा और उसी अपराध के लिए द्वितीय और प्रत्येक अनुवर्ती दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा'' रख दिये जायेंगे।

धारा 42 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) में शब्द ''जो छः मास तक का हो सकेगा, या जुर्माना, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा'' के स्थान पर शब्द ''जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा'' रख दिये जायेंगे।

धारा 52 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 52 में–

(एक) उपधारा (1) शब्द ''छकड़ों या पशुओं'' के स्थान पर शब्द ''वाहनों, पशुओं, रस्सियों, जंजीरों या अन्य वस्तुओं'' रख दिये जायेंगे।

(दो) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी –

कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, यदि यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी नाव या छकड़ों या वाहन का प्रयोग ऐसी किसी वन उपज के परिवहन के लिए किया गया है या किया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में कोई वन अपराध किया गया है या किया जा रहा है, तो वह ऐसी नाव या वाहन के चालक या अन्य प्रभारी व्यक्ति से उसे रोकने की अपेक्षा कर सकता है और वह ऐसी किसी नाव या वाहन को ऐसे युक्तियुक्त समय के लिए जैसा कि ऐसी नाव या वाहन में रखी वस्तुओं का परीक्षण करने के लिए और ऐसी नाव या वाहन के चालक या अन्य प्रभारी व्यक्ति के प्रश्नगत वन उपज के स्वामित्व और विधिक उत्पत्ति से सम्बन्धित दावों, यदि कोई हो, को अभिनिश्चित करने के लिए परिवहित माल से सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए आवश्यक हो, निरुद्ध कर सकता है।

(तीन) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने वाला हर अधिकारी ऐसी सम्पत्ति पर यह उपदर्शित करने वाला चिन्ह लगायेगा कि उसका इस प्रकार अभिग्रहण हो गया है और यथाशक्य शीघ्र ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट उस अपराध का जिसके कारण अभिग्रहण हुआ है, विचारण करने के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजेगा और यदि अभिग्रहण वन उपज के सम्बन्ध में हो, जोकि राज्य सरकार की सम्पत्ति है तो वह प्राधिकृत अधिकारी को भी रिपोर्ट करेगा।

7. धारा 52–क, 52–ख, 52–ग और 52–घ का बढ़ाया जाना–

52 (क)–

(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी वन उपज, जो राज्य सरकार की सम्पत्ति है, के सम्बन्ध में किसी वन अपराध के किए जाने का विश्वास हो, वहां धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन सम्पत्ति का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, बिना अयुक्तियुक्त विलम्ब के उसे अपराध करने में प्रयुक्त ऐसे समस्त औजारों, नावों, वाहनों, पशुओं, रस्सियों, जंजीरों और अन्य वस्तुओं सहित राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष, जो प्रभागीय वनाधिकारी की पंक्ति से निम्न न हो, प्रस्तुत करेगा जो ऐसी सम्पत्ति की अभिरक्षा कब्जा, परिदान, निस्तारण, या वितरण के सम्बन्ध में कारणों सहित, जो अभिलिखित अभिग्रहण पर प्रक्रिया

किए जायेंगे, एक लिखित आदेश देगा और औजारों, नावों, वाहनों, पशुओं, रस्सियों, जंजीरों और अन्य वस्तुओं की स्थिति में उनका अधिहरण भी कर सकता है।

(2) प्राधिकृत अधिकारी, बिना किसी अनुचित विलम्ब के, उपधारा (1) के अधीन दिए गये आदेशों की एक प्रति अपने पदीय वरिष्ठ को अग्रसारित करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित करने वाले प्राधिकृत अधिकारी की राय हो कि सम्पत्ति शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील है, वहां वह ऐसी सम्पत्ति को या उसके किसी भाग को लोक नीलामी द्वारा बेचे जाने का आदेश दे सकता है और आगमों को इस प्रकार बरत सकता है जैसा कि वह उस सम्पत्ति को बरतता यदि वह बेची न गई होती और प्रत्येक ऐसी बिक्री की रिपोर्ट अपने पदीय वरिष्ठ को करेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उस व्यक्ति को जिससे सम्पत्ति का अभिग्रहण किया जाय और किसी अन्य व्यक्ति को जो प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सम्पत्ति में कुछ हित रखने वाला प्रतीत हो, बिना लिखित सूचना दिए नहीं दिया जायेगा। परन्तु किसी वाहन के अधिग्रहण करने के किसी आदेश में जहाँ अपराधी का कोई पता न चल सके उसके रजिस्ट्रीकृत स्वामी को लिखित सूचना देना और उसकी आपत्तियों पर, यदि कोई हो विचार करना, पर्याप्त होगा।

(5) किसी औजार, नाव, वाहन, पशु, रस्सी, जंजीर या अन्य वस्तु का अधिग्रहण करने का कोई आदेश नहीं दिया जायेगा यदि उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी को संतोषजनक यह साबित कर दे कि ऐसा किसी औजार, नाव, वाहन, पशु, रस्सी, जंजीर या अन्य वस्तु का प्रयोग बिना उसकी जानकारी के या मौनानुकूलता से या यथास्थिति, बिना उसके सेवक या अभिकर्ता की जानकारी के मौनानुकूलता से किया गया था और वन अपराध के किए जाने के लिए उपर्युक्त वस्तुओं के प्रयोग के विरुद्ध सभी युक्तियुक्त पूर्वोपाय किए गये थे।

अपील

52–ख अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उनकी ऐसे आदेश की सूचना के दिनांक के तीस दिन के भीतर सम्बन्धित वृत्त के वन संरक्षक को अपील कर सकता है और वन संरक्षक अपीलार्थी और प्राधिकृत अधिकारी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात, उस आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, पुष्टि, उपान्तरित या अभिशून्य करते हुए ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे और वन संरक्षक का आदेश अंतिम होगा।

52–ग धारा 52–क या 52–ख के अधीन अधिहरण का कोई आदेश ऐसे किसी दण्ड को दिए जाने से नहीं रोकेगा जिसका उससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायी हो सकता है। — अधिहरण का आदेश किसी अन्य दण्ड को नहीं रोकेगा

52–घ इस अधिनियम या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्समय प्रवृत्त कतिपय मामलों में अधिकारिता पर रोक या किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जब कभी राज्य सरकार की कोई वन उपज और उसके साथ कोई औजार, नाव, वाहन, पशु, रस्सी, जंजीर या अन्य वस्तु धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहित की जाय, तब प्रत्येक अन्य अधिकारी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी को उपवर्जित करते हुए धारा 52–क के अधीन वन संरक्षक प्राधिकृत अधिकारी को या धारा 52–ख के अधीन को सम्पत्ति का अभिरक्षा, कब्जे में रखने परिदान, निस्तारण या वितरण के सम्बन्ध में आदेश देने के लिए अधिकारित होगी।

8. मूल अधिनियम की धारा 53 में– — धारा 53 का संशोधन

(एक) शब्द "छकड़ों या पशुओं" के स्थान पर "वाहनों, पशुओं, रस्सियों, जंजीरों या अन्य वस्तुयें" रख दिये जायेंगे।

(दो) शब्द "बन्ध पत्र निष्पादित किये जाने पर" के पश्चात शब्द "धारा 52–क के अधीन आने वाले मामलों के जिनके लिये उस धारा में दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा", बढ़ा दिये जायेंगे।

9. मूल अधिनियम की धारा 55 में उपधारा (1) में शब्द "ऐसे वन विषयक अपराध के करने में प्रयुक्त सब छकड़े, पशु" के स्थान पर शब्द "वाहन, पशु, रस्सियां, जंजीरें और वस्तुयें" रख दिये जायेंगे। — धारा 55 का संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 57 में शब्द "कोई अपराध किया गया है, तो" के पश्चात शब्द "धारा 52–घ के अधीन रहते हुये" बढ़ा दिये जायेंगे। — धारा 57 का संशोधन

11. मूल अधिनियम की धारा 58 में शब्द "मजिस्ट्रेट, धारा 52 के अधीन अभिग्रहीत और शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील सम्पत्ति के विक्रय के लिये, इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी" के स्थान पर शब्द "धारा 52 के अधीन अभिग्रहीत की गई और शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील सम्पत्ति के विक्रय के लिये, इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 52–क की उपधारा (3) के अधीन रहते हुये, मजिस्ट्रेट" रख दिये जायेंगे। — धारा 58 का संशोधन

धारा 60 का संशोधन

12. मूल अधिनियम की धारा 60 को उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी,–"(2) जब धारा 52–क के अधीन अधिहरण के लिए आदेश पारित किया जा चुका है और अपील या पुनरीक्षण के लिए परिसीमा अवधि बीत गयी है और कोई अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया है या जब अपील या पुनरीक्षण में सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग के लिए अधिहरण के आदेश की पुष्टि की जा चुकी है तो, यथास्थिति, ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसका कोई भाग सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेगा।"

नयी धारा 61–क और धारा 61–ख का बढ़ाया जाना

13. मूल अधिनियम की धारा 61 के पश्चात, निम्नलिखित धाराएँ बढ़ा दी जायेंगी –

61 (क)–

(1) यदि प्रभागीय वनाधिकारी से अनिम्न पंक्ति के किसी वन अधिकारी की यह राय हो कि कोई व्यक्ति जो आरक्षित या संरक्षित वन के रूप में गठित क्षेत्र में किसी भूमि के अप्राधिकृत अध्यासन में है और उसे बेदखल किया जाना चाहिए तो वन अधिकारी लिखित में सूचना देगा, जिसमें सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसी दिनांक को या उसके पूर्व जो नोटिस में विनिर्दिष्ट है, कारण बताने को कहा जायेगा कि बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाय।

(2) यदि इस धारा के अधीन सूचना के अनुसरण में दिखाये गये कारण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात वन अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उक्त भूमि अप्राधिकृत अध्यासन में है, तो वह ऐसे कारणों से जो उसमें अभिलिखित किए जायेंगे, बेदखली का आदेश दे सकता है जिसमें यह निर्देश होगा कि उक्त भूमि को ऐसे दिनांक तक जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, जो आदेश के दिनांक से दस दिन से कम नहीं होगा, सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा रिक्त कर दिया जायेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक तक बेदखली के आदेश का अनुपालन करने से इन्कार करता है या विफल रहता है तो वन अधिकारी, जिसने उपधारा (2) के अधीन आदेश दिया था या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य वन अधिकारी, उस व्यक्ति को उक्त भूमि से बेदखल कर सकता है और उसका कब्जा ले सकता है और इस प्रयोजन के लिए बल का प्रयोग कर सकता है, जैसा आवश्यक हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन वन अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, ऐसे आदेश के विरुद्ध वृत्त के वन संरक्षक को या ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, अपील कर सकता है और वन संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी का आदेश ऐसी अपील में विनिश्चिय के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

61 (ख)–

61 ख– अप्राधिकृत अध्यासी द्वारा भूमि पर छोड़ी गयी सम्पत्ति निस्तारण

(1) जहाँ कोई व्यक्ति धारा 61–क के अधीन किसी भूमि से बेदखल कर दिया गया हो, वहाँ वन अधिकारी उस व्यक्ति को जिससे भूमि का कब्जा लिया गया है, कम से कम दस दिन की नोटिस देने के पश्चात, ऐसी भूमि पर अवशेष किसी सम्पत्ति को, जिसके अन्तर्गत गिराए गये भवन की कोई सामग्री या खड़ी फसल भी है, हटा सकता है या हटवा सकता है या लोक नीलामी द्वारा उसका निस्तारण कर सकता है।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन कोई सम्पत्ति बेची जाय वहाँ उसके विक्रय आगम का भुगतान, विक्रय के व्ययों की और भूमि को उसके मूल रूप में लाने के लिए आवश्यक व्ययों की कटौती करने के पश्चात, सम्बन्धित व्यक्ति को किया जायेगा।

14. मूल अधिनियम की धारा 65 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्

नई धारा–65 क को बढ़ाया जाना

65 (क)–

कतिपय अपराध अजमानतीय होंगे

(1) इस अधिनियम में या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी धारा 26 या धारा 33 या धारा 42 या धारा 63 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अजमानतीय होगा।

(2) उपर्युक्तानुसार किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को, यदि अभिरक्षा में है, जमानत पर या उसके निजी बन्ध पत्र पर निर्मुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि –

(क) अभियोजन पक्ष को ऐसी निर्मुक्ति के लिए आवेदन–पत्र का विरोध करने के लिए अवसर न दिया गया हो, और

(ख) जहाँ अभियोजन पक्ष उपर्युक्तानुसार आवेदन–पत्र का विरोध करता है, वहाँ न्यायालय का यह समाधान न हो जाये कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है।

धारा 68 का संशोधन

15. मूल अधिनियम की धारा 68 में, उपधारा (3) में,–

(एक) शब्द "और कम से कम सौ रुपये मासिक वेतन पाता है" निकाल दिये जायेंगे,

(दो) शब्द "पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "प्रथम अपराध के लिये पांच हजार रुपये और उसी प्रकृति के द्वितीय और अनुवर्ती अपराध के लिये पांच हजार रुपये से कम या दस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी" रख दिये जायेंगे।

धारा 74 का प्रतिस्थापन

16. मूल अधिनियम की धारा 74 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात –

सद्भाव से किये गये कार्यों के लिये परित्राण

इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या दिए गये आदेशों के अनुसरण में राज्य सरकार या किसी लोक सेवक द्वारा सदभावना–पूर्वक किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के लिए उसके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

धारा 77 का संशोधन

17. मूल अधिनियम की धारा 77 में, शब्द "एक मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 79 का संशोधन

18. मूल अधिनियम की धारा 79 की, उपधारा (2) में, शब्द "एक मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से दो हजार रुपये तक का हो सकेगा" रख दिये जायेंगे।

19. मूल अधिनियम की धारा 82 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात –

सरकार को शोध्य धन की वसूली

इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन, या किसी वन उपज की या किसी आरक्षित या संरक्षित वन में राज्य सरकार के स्वामित्वाधीय भूमि पर उत्पन्न की गई किसी कृषि फसल की कीमत या वन उपज या उक्त कृषि फसल की कीमत या वन उपज या उक्त कृषि फसल से सम्बन्धित किसी संविदा के अधीन राज्य सरकार को जुर्माने से भिन्न देय सब धन जिसके अन्तर्गत उस संविदा के उल्लंघन के लिए या उसके रद्द किए जाने के परिणाम स्वरूप उसके आधार पर वसूलीय कोई धनराशि भी है, या ऐसी कृषि फसल या अन्य वन उपज की नीलामी द्वारा, या किसी वन अधिकारी द्वारा या उसके प्राधिकारी के अधीन जारी किए गए टेण्डरों को आमंत्रित करके बिक्री से सम्बन्धित नोटिस के शर्तों के अधीन देय धन और इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को दिए गये समस्त प्रतिकर, यदि शोध्य होने पर न दिए गये हों, तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन ऐसे वसूल किए जा सकेंगे मानो वे भू–राजस्व की बकाया हो।

विषय : भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 का पुरःस्थापन प्रस्ताव

उद्देश्य एवं कारण

उत्तरांचल राज्य में वन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाने एवं उत्तरांचल राज्य की विशेष आवश्यकताओं व वनों के बहुमूल्य सम्पदा की चोरी/क्षति की रोकथाम करने हेतु भारतीय वन अधिनियम, 1927 के कतिपय प्राविधान कठोर एवं वर्तमान स्थिति से निपटने के लिये अनुकूल बनाये जाने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 19 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाये।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाये।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों के संकीर्ण होने के कारण वाहन दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में श्री राम सिंह सैनी, मा0 सदस्य–विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

[पर्वतीय क्षेत्र में सड़कें निर्धारित मानकों के अनुसार लगभग 6 मीटर चौडी सिंगल लेन वाले स्थानों पर निर्मित हैं तथा मोड़ों पर अतिरिक्त चौड़ाई इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियों के अनुसार रखी जाती है। मोडों पर सुरक्षा की दृष्टि से चेतावनी होडिंग्स आदि लगाये जाते हैं। जहाँ तक सुरक्षा के प्रबन्धों में कमी एवं वाहनों की गति के अनियंत्रित होने का प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर यात्रा मार्गों पर चलने वाले वाहनों के सम्बन्ध में परिवहन विभाग द्वारा 6 स्थानों पर (तपोवन, बहादराबाद, भद्रकाली, डामटा,

---

[ ] उक्त अंश पढ़ा हुआ माना गया

सत्यनारायण, कुठालगेट) पर जाँच चौकियों की स्थापना की गई है। इन स्थानों पर निम्न प्रकार से जाँच की कार्यवाही की जाती है :–

1. वाहनों की फिटनैस।
2. चालक के हिल इन्डोर्समैन्ट लाइसैन्स।
3. परिचालक का लाइसैन्स।
4. मार्ग परमिट।
5. पर्वतीय क्षेत्रों में अनुमन्य ह्वील बेस वाले वाहनों का जाना।

पुलिस प्रशासन द्वारा भी निम्नलिखित वाहन चैकिंग की जा रही है :–

1. वाहन की गति की जाँच।
2. ओवरलोडिंग करने पर दण्ड।
3. बस की फिटनैस की क्रास चैकिंग।
4. पुरानी बसों को मार्ग पर चलने की अनुमति नही।
5. वाहन चालक का अल्कोहल टैस्ट।

पर्वतीय क्षेत्रों पर हो रही दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त कार्यवाही के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग द्वारा अधीक्षण अभियन्ताओं को यह निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि उनके क्षेत्रों में पड़ने वाले मार्गों के खतरनाक मोड़ों की चौड़ाई बढ़ाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। जगह–जगह पर चेतावनी सिगनल लगाये जाय, खतरनाक स्थानों पर रेलिंग की व्यवस्था की जाय। उपरोक्त कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित की जाय।

चूंकि यात्रा मार्ग की अधिकांश सड़कें सीमा सड़क संगठन, भारत सरकार के अन्तर्गत आती है अतः सीमा सड़क संगठन के मार्गों हेतु भी उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जा रहा है।

देश के प्रमुख समाचार–पत्रों में विज्ञापन देकर लोगों को इस बारे में जागृत किया जाना प्रस्तावित है कि जब कभी वे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आयें तो अपने वाहन चालकों को सुरक्षित वाहन चलाने हेतु कहें।]

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण जानना चाहता हूँ उन्होंने कहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में सड़कें निर्धारित मानकों के अनुसार लगभग 6 मीटर चौड़ी सिंगल लेन वाले स्थानों पर निर्मित हैं तथा मोड़ों पर अतिरिक्त चौड़ाई इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियों के अनुसार रखी जाती है। मान्यवर, जो रोजाना हृदय विदारक घटनाएं हो रही हैं, अभी कुछ दिन पहले एक बस गिर गई थी जिसमें काफी यात्रियों की जान गई थी। क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि इन सड़कों का चौड़ीकरण किया जाये और 6 मीटर के बजाये 9–10 मीटर उन सड़कों का चौड़ीकरण किया जाये।

उर्जा, सिंचाई एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, कुछ तो हो गई हैं और जो नहीं हुई हैं उस पर विचार किया जायेगा।

मान्यवर, अभी यह जो सेवा सड़क संगठन की बात की गई है उसका अभी केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री जी ने बोला है उसका तो सड़क चौड़ी हो रही है।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, दूसरा स्पष्टीकरण उन्होंने कहा कि खतरनाक स्थानों पर रैलिंग की व्यवस्था करायेंगे। क्या सभी सड़कों पर ये रैलिंग की व्यवस्था करायेंगे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इस पर भी विचार करेंगे।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें से एक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी की राजकीय इंटर कालेजों में प्रधानाचार्यों के पदों हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के संबंध में है इसे मैं वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। दूसरी श्रीमती डा0 इन्दिरा हृदयेश जी की गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान देने के संबंध में है इसे मैं केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। बाकी सूचनायें आवश्यक कार्यवाही हेतु स्वीकृत करता हूँ।

(अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे तक के लिए)

(इसके बाद सदन 5 बजकर 17 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

देहरादून :

दिनांक : 09 मई, 2001

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 विधान सभा/635–06–01–2003–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।